dsoy foHkkxh; Á;ksx gsrq Ádk'ku la[;k& 6

mRrj Ásn'k iqfyl

dY;k.k gLriqfLrdk
2012

mRrj Ásn'k iqfyl eq[;ky;
bykgkckn

सर्वाधिकार

mRrj Án'k ifyl e[;ky;

इलाहाबाद

संस्करण : 2012

मुद्रक

आर. के. प्रिंटर्स

३९बी चाहचन्द, इलाहाबाद

अतुल
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग,
लखनऊ–226001
दूरभाष:0522–2206104
सीयूजी:9454400101
दिनांक:मार्च 9 ,2012

प्रिय महोदय,

पुलिस विभाग में प्रचलित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, पुलिस अधीक्षक (जिला प्रमुख)/सेनानायक/प्रभारी इकाई को होना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सर्व सम्बन्धित को मिल सके। उक्त के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा पूर्व निर्गत निर्देशों को अवक्रमित करते हुए, यह निर्देश 'कल्याण हस्त पुस्तिका' जारी किये ज़ा रहे हैं। सर्व सम्बन्धित इसका सही भावना से पालन करें।

ससद्भाव,

भवदीय,

9.3.
(अतुल)

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

l|Yk[kku fl|g]
vij i|fYkl egkfun'kd] e|[;kYk;]
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

सेवा में,

leLr foÒkxk/;{k@dk;kYk;k/;{k]
i|fYkl foÒkx] mRrj Án'kA

पुलिस विभाग में प्रचलित कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित निर्गत निर्देशों/शासनादेशों को एकीकृत (Codify) करने के उद्देश्य से यह ÞdY;k.k gLr i|fLrdkß तैयार की गई है। आशा है, यह विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

यह हस्तपुस्तिका शासन/पुलिस महानिदेशक/पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का संकलन है। अतएव यह यथा निर्दिष्ट समस्त पुलिस अधिकारियों पर लागू होगी तथापि यदि कहीं पर ऐसा पाया जाये कि कोई निर्देश किसी शासनादेश/नियमावली के प्रतिकूल है, तो उसे तत्काल पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में लाने का कष्ट करें, ताकि उसे अगले संस्करण में शामिल किया जा सके या तत्समय ही निर्देश जारी किये जा सकें।

इस हस्तपुस्तिका के अन्त में 2–4 सादे पृष्ठ शुद्धिपत्र/संशोधन के लिए लगाये गये हैं। इसमें यथा समय जारी संशोधन/शुद्धिपत्र अंकित कर लिये जायें ताकि कोई निर्देश संज्ञान से रह न जाये।

इस पुस्तिका में वर्तमान वित्तीय सीमाएँ एवं शासकीय व्याख्या के अनुरूप सन्दर्भ/उद्धरण दिये गये हैं। समय–समय पर शासन द्वारा संशोधन/परिवर्धन के अनुसार ही इनका पालन किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

9/3/12

दिनांक:इलाहाबाद:मार्च 9 ,2012 (सुलखान सिंह)

dY;k.kdkjh ;kstukvksa lEcU/kh
gLr iqfLrdk

Hkkx&1 'kkldh; dY;k.kdkjh ;kstuk,@lqfo/kk, 11&30

(I) एस.ए.एफ.
(II) कल्याण निधि
(III) शिक्षा निधि
(IV) अनुग्रह धनराशि
(V) अनुकम्पा कोष से आर्थिक सहायता
(VI) पुलिस मेमोरियल फण्ड
(VII) आउट ऑफ टर्न प्रमोशन
(VIII) मृतक आश्रित सेवा योजना

Hkkx&2 LofPNd dY;k.kdkjh ;kstuk,@lqfo/kk, 31&38

(I) जीवन रक्षक निधि
(II) उ०प्र० शिक्षा कोष
(III) उ०प्र० खेल–कूद विकास कोष
(IV) जीवन बीमा योजना
(V) पुलिस बेनीफिट फण्ड
(VI) उ०प्र० पुलिस वेलफेयर फण्ड
(VII) पुलिस बेनीवोलेन्ट फण्ड (मैचिंग ग्राण्ट)

Hkkx&3 ik'kujh o lsok lqfo/kk, 39&46

(I) पेंशन

(II) ग्रेच्युटी

(III) राशिकरण

(IV) सामूहिक बीमा

(V) जी०पी०एफ० से सम्बद्ध बीमा

(VI) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड

(VII) जी०पी०एफ० से अग्रिम

(VIII) सेवानिवृत्त के उपरान्त नकदीकरण

(IX) अवकाश यात्रा सुविधा

Hkkx&4 l;ok lEcU/kh vU; 'kkldh; l;fo/kk,; 47&60

(I) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

(II) उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज कल्याण संस्थान

(III) विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता

(IV) वैयक्तिक वेतन

(V) परिवार नियोजन से सम्बन्धित अन्य नियमों का सारांश

(VI) अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता का भुगतान

(VII) पदकों के साथ अनुमन्य धनराशि

संलग्नक

(I)	सुख सुविधा निधि	संलग्नक–1 से 1.1	61–64
(II)	कल्याण निधि	संलग्नक–2	65–66
(III)	शिक्षा निधि	संलग्नक–3 से 3.1	67–78
(IV)	अनुग्रह धनराशि	संलग्नक–4 से 4.10	79–105
(V)	अनुकम्पा निधि	संलग्नक–5 से 5.5	106–123
(VI)	पुलिस मेमोरियल फण्ड	संलग्नक–6	124–127
(VII)	आउट आफ टर्न प्रमोशन	संलग्नक–7 से 7.1	128–131
(VIII)	मृतक आश्रित नियमावली	संलग्नक–8 से 8.3	132–154

(IX)	उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि	संलग्नक–9 से 9.5	155–186
(X)	उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष	संलग्नक–10 से 10.2	187–215
(XI)	उत्तर प्रदेश पुलिस खेलकूद विकास कोष	संलग्नक–11 से 11.2	216–226
(XII)	पुलिस बेनीफिट फण्ड	संलग्नक–12	227–228
(XIII)	उत्तर प्रदेश पुलिस वेलफेयर फण्ड	संलग्नक–13 से 13.1	229–236
(XIV)	पुलिस बेनीवोलेन्ट फण्ड	संलग्नक–14 से 14.1	237–238
(XV)	पेंशन नियमावली	संलग्नक–15 से 15.11	239–284
(XVI)	सामूहिक बीमा योजना	संलग्नक–16 से 16.2	285–289
(XVII)	सेवानिवृत्त/मृत लाभ कार्ड	संलग्नक–17	290–293
(XVIII)	जीपीएफ से सम्बद्ध बीमा योजना	संलग्नक–18	294–296
(XIX)	जीपीएफ से अग्रिम	संलग्नक–19 से 19.4	297–310
(XX)	अवकाश यात्रा सुविधा	संलग्नक–20 से 20.1	311–321
(XXI)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	संलग्नक–21	322–346
(XXII)	उ०प्र० पुलिस आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान	संलग्नक–22 से 22.3	347–362
(XXIII)	विकलांग कर्मचारियों के लिये वाहन भत्ता	संलग्नक–23 से 23.1	363–368
(XXIV)	परिवार नियोजन वैयक्तिक वेतन	संलग्नक–24 से 24.9	369–390
(XXV)	अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता	संलग्नक–25 से 25.2	391–400
(XXVI)	पुलिस पदक के साथ मिलने वाले भत्ते	संलग्नक–26	401–402

Hkkx&1

'kkldh; dY;k.kdkjh ;kstuk;s@lfo/kk;s

1- l[k&lfo/kk fuf/k (S.A.F.)

इस निधि में शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष रु. 2.00 करोड़ की धनराशि का बजट में प्रावधान किया जाता है। शासन द्वारा दी जाने वाली इस निधि को पुलिस मुख्यालय स्तर से समस्त जिला/इकाई/मुख्यालयों को आवंटित कर दिया जाता है। इस निधि से धन अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के कल्याण हेतु व्यय किया जाता है अथवा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या : 6597/8–7–265/81, दिनांक : लखनऊ : 7 फरवरी 1983 ¼lyXud&1½ द्वारा इस निधि से व्यय किये जाने का निर्देश दिये गये है। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र संख्याःडीजी–एसएएफ–2005, दिनांक : 09.06.2005 ¼lyXud&1-1½ के अनुसार निम्न मद निर्धारित किये गये हैं :–

1. मनोरंजन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकायें, पुस्तकें, रेडियो, ट्रान्जिस्टर तथा टेलीविजन इत्यादि का क्रय एवं रख–रखाव।
2. उचित मामलों में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु कपड़ों की व्यवस्था।
3. बच्चों के खेल मैदान (चिल्ड्रेन पार्क), मनोरंजन कक्षों एवं क्लब में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु खेलकूद के सामान का प्रबन्ध।
4. बीमारी तथा अचानक आपातकाल में आर्थिक सहायता दिया जाना जैसेः–
   (1) अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी का दाह–संस्कार, जिसका एकाएक देहान्त हो जाता है और वह खर्च के लिए कुछ नहीं छोड़ जाता है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके घर भेजने हेतु सबसे कम श्रेणी का रेल/बस का किराया।
   (2) अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी की बाढ़, आग इत्यादि में उसकी सम्पत्ति की हुई क्षति की प्रतिपूर्ति।
   (3) पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की लम्बी बीमारी, मृत्यु अथवा दंगों के दौरान या किसी अन्य स्थिति में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी करते समय, घायल अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को उचित आर्थिक सहायता दिया जाना।
   (4) हाईस्कूल तक शिक्षा पाने वाले बच्चों हेतु उचित मामलों में पुस्तकों का प्रबन्ध।

(5) गंभीर बीमारी या दुर्घटना या अस्पताल से मुक्त होने के बाद चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर निर्धारित सीमा तक विशेष खुराक (स्पेशल डाइट) की व्यवस्था।

5. पुलिस कल्याण केन्द्र हेतु सिलाई की मशीन का खरीदा जाना।

6. गर्भवती स्त्रियों हेतु दाइयों (मिडवाइफ) का रखा जाना।

7. पुलिस कल्याण केन्द्रों में रखने हेतु दवाइयों का क्रय जो कल्याण केन्द्र के डाक्टरों की संस्तुति पर पुलिस कर्मचारियों की स्त्रियों तथा बच्चों को देय हो।

8. पुलिस कल्याण केन्द्र में कार्य करने वाले अंशकालिक डाक्टरों तथा दाइयों को मानदेय का भुगतान।

9. अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के परिवारों हेतु बुनाई, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि सिखाने के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा बच्चों के स्कूल हेतु अध्यापकों का रखा जाना।

इस सुविधा निधि से जिले/इकाइयों के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के आवेदन पर उनके प्रभारी की संस्तुति प्राप्त होने पर अपने विवेकानुसार समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

2- dY;k.k fuf/k

इस निधि में शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष कुल रु. 1.50 करोड़ की धनराशि का बजट में प्रावधान किया जाता है। इस निधि का उपयोग शासनादेश संख्या : 6427/आठ–7–187/80, दिनांकः 12.01.1983 ¼lyXud&2½ के अनुसार अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवारों हेतु निम्नलिखित कल्याणकारी कार्यक्रमों पर किया जाता है तथा निम्नवत् आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती हैः–

(1) अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के लिए भवनों जैसे–छात्रावास, प्रसूतिगृह, मनोरंजन गृह, जिम्नेजियम हाल, पुलिस क्लब, बच्चों के लिए पार्क आदि के भवनों का निर्माण, सुधार, उनमें बिजली पानी की व्यवस्था, साज–सज्जा, उपकरण तथा रख–रखाव आदि।

(2) अपंग/विकलांग अथवा मानसिक रोग से ग्रस्त, विकलांग सेवारत पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता।

(3) सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की मृत्यु की दशा में जहाँ पर उनके परिवार की दशा अत्यन्त दयनीय हो, अन्तिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता।

(4) सेवारत/सेवानिवृत्त अराजपत्रित पुलिस/अग्निशमन कर्मियों के मेधावी बच्चों की शिक्षा। (मेडिकल, प्राविधिक, मैनेजीरियल/व्यावसायिक)

इस निधि से विभिन्न कल्याणकारी कार्यो के लिए पुलिस अधीक्षक/इकाई प्रभारी

द्वारा प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजे जाते हैं जिस पर vij ifyl egkfun'kd e[;ky; द्वारा निर्णय लेकर आवश्यक धनराशि आवंटित की जाती है। आर्थिक सहायता के लिए कर्मचारी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजना होता है। इन पर vij ifyl egkfun'kd e[;ky; द्वारा मामलें की औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस कर्मियों को आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

* पुलिस मुख्यालय से निर्गत की गई प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि का उपभोग अन्य किसी मद में कदापि न किया जाय। इसके लिए उत्तरदायी जिले/इकाई के प्रभारी अधिकारी स्वयं होंगें।
* उन्हीं मदों पर धनराशि की माँग की जाय जो सामूहिक कल्याणकारी कार्य हो।

3& måÅå ifyl f'k{kk fuf/k

उ०प्र० पुलिस शिक्षा निधि नियमावली ¼lyXud&3½ के अनुसार उ०प्र०पुलिस विभाग में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक स्तर के राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अध्ययनरत मेधावी बच्चों को उ०प्र०पुलिस शिक्षा निधि से आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृति/एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। इस निधि मे शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष रु. 10.00 लाख का बजट में प्रावधान किया जाता है। इस निधि से पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को एक मुश्त छात्रवृत्ति ''उ०प्र० पुलिस शिक्षा निधि की नियमावली'' के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्ष 2006 से केवल निम्न पाठ्यक्रमों/व्यवसायों में अध्ययनरत एवं निम्नानुसार अंकित अर्हताएं एवं शर्ते पूर्ण करने वाले छात्रों/छात्राओं हेतु ही छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय ''उ०प्र० पुलिस शिक्षा निधि की नियमावली'' के अनुसार गठित कमेटी द्वारा लिया गया हैः–

¼1½ fpfdRlk 0;oLkk;@ikB;Øe ¼&

1& A.I.I.M.S. में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से चयनित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

2– C.B.S.E. की प्रतियोगात्मक परीक्षा से चयनित देश के किसी भी मेडिकल संस्थान में M.B.B.S. (स्नातक) में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

3– उ०प्र० व अन्य राज्य सरकारों के राजकीय मेडिकल कालेज में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से M.B.B.S. में चयनित अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

4– B.H.U./A.M.U./S.G.P.G.I., LKW/PGI, चण्डीगढ़/आर्म्ड फोर्स मेडिकल

कालेज पुणे में M.B.B.S. (स्नातक) में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

5– उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में B.D.S./B.H.M.S./B.U.M.S./B.A.M.S. में प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से चयनित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ जिन्होंने उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता, इण्टरमीडिएट परीक्षा में, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद बोर्ड से उत्तीर्ण, सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम 60%, अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 55% अंक, C.B.S.E./I.C.S.E. बोर्ड से उत्तीर्ण सामान्य/पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम अंक 70% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ने न्यूनतम अंक 60% अर्जित किये हो।

¼2½ bUthfu;fjax ,oa Áks|ksfxdh O;olk;@ikB;Øe ¼&

1& I.I.T. }kjk vk;ksftr प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में इन्जीनियरिंग/प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएँ। चयनित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।

2– C.B.S.E. की प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में इन्जीनियरिंग/प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाए छात्र/छात्राएँ।

3– राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में इन्जीनियरिंग/प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत वे छात्र/छात्राएँ जिन्होंने उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट परीक्षा में, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद बोर्ड से उत्तीर्ण की हो। इनमे से वही पात्र होंगे जिन्होने निम्न अंक अर्जित किये हो:– सामान्य/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 60% अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 55% अंक तथा C.B.S.E/I.C.S.E बोर्ड से उत्तीर्ण सामान्य/पिछ़डे वर्ग के अभ्यर्थी ने न्यूनतम 70% अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी न्यूनतम 60% अंक अर्जित किये हो।

4– उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएँ।

5– मेधावी बच्चों को एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का कार्य विगत वर्षो में रेडियो मुख्यालय, लखनऊ में किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2008–09 से शिक्षा निधि का रख–रखाव रेडियो मुख्यालय के स्थान पर पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से किया जा रहा है।

4- vuqxzg /kujkf'k

शासनादेश संख्याः 4805पी / आठ–6–1739 / 77, दिनांकः 05–12–1977 ¼layXud&4½ के द्वारा डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रति रोधियों से मुठभेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोंटों के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी / अधिकारी मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाय, के आश्रितों को रु. 5,000 / – तथा उन्हीं परिस्थितियों जो पुलिस अधिकारी / कर्मचारी घायल हो जाय उन्हें रु. 2,500 / – आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।

उ०प्र० सरकार द्वारा उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुए कार्यरत समस्त सरकारी सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अथवा विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय मृत हो जाने पर उनके आश्रितों को शासनादेश संख्या–सा–3–1340 / दस / 88–916–88 दिनांकः19.08.88 ¼layXud&4-1½ में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को क्रमशः रु. 50000 / – रु. 40000 / – रु. 30000 / – रु. 20000 / – प्रदान की गयी।

उ०प्र० शासन द्वारा अनुग्रह धनराशि से सम्बन्धित संशोधन समय–समय पर जारी किये गये है, जो निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	शासनादेश सख्या	सरकारी सेवक के घायल / मृत्यु की परिस्थितियाँ एवं देय धनराशि	पुलिस विभाग के अन्तर्गत घायल / मृत्यु की परिस्थितियाँ एवं देय धनराशि
1	शासनादेश संख्याः 4805पी / आठ –6–1739 / 77, दिनांकः 05–12–1977 ¼layXud&4½		डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रति रोधियों से मुठभेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोंटों के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी / अधिकारी मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाय के आश्रितों को रु. 5,000 / – तथा उन्हीं परिस्थितियों जो पुलिस अधिकारी / कर्मचारी घायल हो जाय, उन्हें रु. 2,500 / – आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2	शासनादेश संख्याः सा–3–1340–दस–88–916–88, दिनांकः19–8–88 ¼lyXud& 4-1½	fo'k"k tkf[ke dh fuEufyf[kr ifjfLFkfr;k¡ (1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय (2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय (3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय (4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर–बितर करते समय। (5) दैवी आपदाओं जैसे–बाढ़, भूस्खलन, हिम स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा– आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय। ¼6½ lfØ; lsok djrs le;] mnkgj.kr%& (1) ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में। (2) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु। (3) लेबिल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु। (4) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।	–

		प्रथम श्रेणी–50,000 / – द्वितीय श्रेणी– 40,000 / – तृतीय श्रेणी– 30,000 / – चतुर्थ श्रेणी– 20,000 / – घायल कर्मी (समस्त श्रेणी) 5,000 / –	
3	शासनादेश संख्याः 4466 पी / आठ–6–88–1721 / 88, दिनांकः29–12–88 ¼lyXud& 4-2½	–	सरकारी डियूटी के समय कर्तव्य पालन के समय गम्भीर रूप से घायल 5,000 / –(घायल)
4	शासनादेश संख्याः 3239पी / छः–पु–6–90–1744 / 90, दिनांकः06–02–1991 ¼lyXud& 4-3½		fo'k"k tkf[ke पूर्ण कार्य में vnE; lkgl एवं fof'k"V ohjrk प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी के पुलिस कर्मियों के परिवार को श्रेणीः– प्रथम श्रेणी–1,00,000 / द्वितीय श्रेणी–80,000 / – तृतीय श्रेणी–60,000 / चतुर्थ श्रेणी–40,000 / – सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांकः19–8–1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
5	शासनादेश संख्याः 4343पी / छः–पु–6–99–1198 /	–	fo'k"k tkf[ke पूर्ण कार्य में vnE; lkgl एवं fof'k"V ohjrk प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी के पुलिस कर्मियों के परिवार को प्रथम श्रेणी–2,00,000 /

	99, दिनांक:03–12–1999 ¼l ;yXud& 4-4½		द्वितीय श्रेणी–1,60,000 / – तृतीय श्रेणी–1,20,000 / चतुर्थ श्रेणी–80,000 / – सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक:19–8–1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
6	शासनादेश संख्या: 2624पी / छ:–पु–6–2000–1198 / 99, दिनांक: 29–11–2000 ¼l ;yXud& 4-5½	–	fo'k"k tkf[ke पूर्ण कार्य में vnE; lkgl एवं fof'k"V ohjrk प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस कर्मियों के परिवार को रु. 2,50,000 / – की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक:19–8–1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
7	शासनादेश संख्या: 3382पी / छ:–पु–6–2001–1198 / 99, दिनांक: 09–11–2001 ¼l ;yXud& 4-6½	–	fo'k"k tkf[ke पूर्ण कार्य में vnE; lkgl एवं fof'k"V ohjrk प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस कर्मियों के परिवार को रु. 5,00,000 / – की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक:19–8–1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
8	शासनादेश संख्या: 3382पी /	–	fo'k"k tkf[ke पूर्ण कार्य में vnE; lkgl एवं fof'k"V ohjrk प्रदर्शित करने वाले दिवंगत समस्त श्रेणी

	छः—पु—6—2001—1198 / 99, दिनांकः 05—12—2005 ¼l yXud& 4-7½		प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस कर्मियों के परिवार को रु. 10,00,000 / — की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांकः19—8—1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
9	शासनादेश संख्याः 3669पी / छः—पु—6—05—1198 / 99, दिनांकः 06—12—2005 ¼l yXud& 4-8½	—	नक्सली आतंक में मारे गये समस्त श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रित परिवार को रु. 10,00,000 / — की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु होने पर शेष कर्मियों के सम्बंध में शासनादेश दिनांकः19—8—1988 में उल्लिखित पुरानी दर यथावत रहेंगी।
10	शासनादेश संख्याः सा—3—1287 / दस— 2010, दिनांकः 28—7—2010 (दिनांकः 1—1—2006 से प्रभावी) ¼l yXud& 4-9½	शासनादेश संख्याः सा—3—1340—दस—88—916—88, दिनांकः 19—8—88 को इस सीमा तक संशोधित किया गया हैः— (क) यदि कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो रु. 10,00,000 / — (ख) कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु तो रु. 10,00,000 / —	

		(ग) देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा लड़ाकू /आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 15,00,000/- (घ)अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर रु. 15,00,000/-	

iqfyl e[;ky; ds i= la[;k%12@,&vuqxg /kujkf'k&2003] fnukad%20-01-2003 ¼layXud&4-10½ ¼rRdkyhu vij iqfyl egkfuns'kd] e[;ky; }kjk tkjh½ }kjk <u>fo'ks"k tksf[ke Hkjs dk;Z djrs le; fof'k"V ohjrk] vnE; lkgl ,oa dk;Z dk Án'kZu djus ds QyLo:i ohjxfr ¼eR;q½ dks Ádj.kksa esa iqfyl e[;ky; dks Áf"kr ÁLrko ds lkFk fuEufyf[kr vfHkys[k vo'; layXu fd;s tk;s %&</u>

- अधिकारी/कर्मचारी की रवानगी की पुष्टि में जी.डी. की नकल रपट एवं रवानगी के दिनांक की पूरी जी.डी. (प्रारम्भ से अन्त तक) की तीन-तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।
- यदि अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचता है, तो नियंत्रण कक्ष की उस दिन की लाग बुक की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां, जिससे अधिकारी/कर्मचारी के घटनास्थल के लिए रवाना होने एवं घटनास्थल पर होने की पुष्टि होती हो।
- घटना स्थल से वापस आये कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गयी वापसी रिपोर्ट, जिसमें घटना का तस्करा हो, की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉ।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियाँ।
- पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।
- शव-परीक्षण रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉ।

*   वरि० पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण, जिनमें स्पष्ट रूप से घटनाक्रम (sequence of events) का उल्लेख किया गया हो एवं उनकी स्पष्ट संस्तुति।

*   ऐसे प्रकरणों में, जिनमें गोपनीयता बनाये रखने के लिए न तो, नियंत्रण कक्ष को सूचना/ लोकेशन दी गई हो और न तत्परता से मौके पर पहुंचने के लिए रवानगी की औपचारिकता ही निभाई गयी हो, तो वापसी का तस्करा ही पर्याप्त होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति में ये परिस्थितियां स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

lfØ; lsok ds le; eR;q ds Ádj.kksa esa iqfyl eq[;ky; dks Áf"kr ÁLrko ds lkFk fuEufyf[kr vfHkys[k layXu fd;s tk;sa&

- अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय ड्यूटी पर होने का प्रमाण–पत्र। ड्यूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जी.डी., उपस्थिति रजिस्टर तथा ड्यूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणों की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉ।
- सक्रिय सेवा के दौरान अन्य कारणों से हुई मृत्यु के मामलों में मृत्यु प्रमाण–पत्र, जिसमें मृत्यु के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, की एवं पंचायतनामा की प्रमाणित तीन–तीन पठनीय छायाप्रतियॉ।
- अधिकारी/कर्मचारी की रवानगी की पुष्टि में रवानगी की जी.डी. की नकल रपट एवं रवानगी के दिनांक की पूरी जी.डी. (प्रारम्भ से अन्त तक) की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉ।
- यदि शव–परीक्षण कराया गया हो, तथा शव–परीक्षण रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।
- यदि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है एवं विसरा सुरक्षित नहीं है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना का जी.डी. में उल्लेख किया गया है तो जी.डी. की और यदि इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच करके जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी हो तो जांच आख्या की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियॉ।
- पंचायतनामा की प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियॉ और यदि शव–परीक्षण किया गया है तो शव–परीक्षण की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।
- मृत्यु की परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण।

dr0; ikyu ds nkSjku ?kk;y gksus ds Ádj.kksa esa fuEufyf[kr vfHkys[k Áf"kr djsa&

- अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय ड्यूटी पर होने का प्रमाण–पत्र। ड्यूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जी.डी., उपस्थिति रजिस्टर तथा ड्यूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणों की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियाँ।
- इंजरी रिपोर्ट की तीन पठनीय प्रमाणित छायाप्रतियॉ।
- यदि घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना अंकित की गयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना का जी.डी. में उल्लेख किया गया है तो जी.डी. की और यदि इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच करके जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी हो तो जांच आख्या की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां। यदि प्रथम सूचना दर्ज हुई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

5- mRrj Án'k vuqdEik fuf/k l vkfFkd lgk;rk

शासन द्वारा सेवाकाल के दौरान उ०प्र० शासन के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शर्त यह है कि मृतक द्वारा एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई हो तथा दावा 5 वर्ष के अन्दर किया गया हो।

शासनादेश संख्याःबी–3–3046/दस–98–4(1)86–अनु०निधि०, दिनांक : 18.10. 2001 ¼lyXud&5-3½ द्वारा मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के दो गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर मूल वेतन के 10 गुने के बराबर धनराशि न्यूनतम रुपया 25000.00 तथा अधिकतम रु. 100000.00 के अन्तर्गत देय होगी।

6- iqfyl eseksfj;y Q.M l Nk=ofRr Ánku fd;k tkuk

यह योजना इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित है। परिपत्र संख्याः 1/Police(L)/2011(1)-2291-2345, दिनांकः18.08.2011 ¼lyXud&6½ द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति प्राप्त हुये अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के अध्ययनरत बच्चों को वर्ष में एक बार एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों को निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

क्रमांक	श्रेणी	छात्रवृत्ति
1	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जैसे–एम०बी०बी०एस०, बी०ई०, बी०टेक०, एम०बी०ए०, एम०सी०ए० आदि)	रु., 15,000.00 प्रतिवर्ष

2	अन्य सामान्य संस्थाए, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (जैसे–एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम०, बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०काम० इत्यादि)	रु., 5,000.00 प्रतिवर्ष

इस छात्रवृत्ति हेतु इन्टेलीजेन्स व्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पुलिस कर्मियों के बच्चों के छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसे आवेदक द्वारा पूर्ण करके संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पद धारक के अधिकारी की संस्तुति सहित मृत्यु का कारण व घटना का संक्षिप्त विवरण दर्शाते हुए उ०प्र० पुलिस मुख्यालय को विलम्बतम् दिनांक 31 अगस्त तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये जाने होते हैं।

7- vnE; lkgl ,o 'kk;l Án'ku dju okys ifyl dfe;k dk ^vkmV vkQ Vu* ,d jd ÁkUufr Ánku fd;k tkuk

उ०प्र० पुलिस के ऐसे आरक्षी/मु०आरक्षी/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर, जिन्होने कर्तव्य पालन के दौरान कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उसकी गिरफ्तारी में अदम्य साहस या शौर्य प्रदर्शित किया है, या अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो, तो शासनादेश संख्या–665(1) छः–पु–1–24/93 दिनांक 03.02.1994 ¼lyXud&7½ के अनुसार 'आउट ऑफ टर्न' एक रैंक प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश के ऐसे पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर, जिन्होंने अदम्य साहस एवं शौर्य का प्रदर्शन किया है, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति शासनादेश संख्या–665@N%&iå&1&24@93 दिनांक 03.02.1994 ¼lyXud&7-1½ के अन्तर्गत प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

8- lokdky e er ljdkjh lodk d vkfJrk dk lok;ktu Ánku fd; tku gr ÁLrko r;kj dju d lEcU/k e fn'kk&funs'k %&

अधिसूचना एवं शासनादेश संख्या : 6/12–1973, नियुक्ति–(4) दिनांक 07.10. 1974 ¼lyXud&8½ }kjk सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए मृतक आश्रित भर्ती नियमावली–1974 प्रख्यापित की गयी है जिसमें समय–2 पर कतिपय संशोधन भी किये गये है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने और मृत सरकारी सेवक का पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्दीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के

समान नियमो को शिथित करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुर्क्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

मृतक सरकारी सेवक के कुटुम्ब के निम्नांकित सदस्य सेवायोजन के पात्र माने गये हैं :–

1– पति या पत्नी

2– पुत्र

3– अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां

4– मृत सरकारी सेवक पर पूर्णतः निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता (यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था)

mRrj Án'k 'kklu u 'kklukn'k l[;k%146@6&iå&10@2008&1200 ¼173½@2007 fnukd 24-01-2008 ¼lyXud&8-1½ द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक बेहतर प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

'kklukn'k l[;k%6@12@73&dkfed&2@2001 fnukd 12-10-2001 e ¼NBk l'kk/ku½ fu;ekoyh&2001 के तहत मृतक आश्रितों के आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपदों से पुलिस मुख्यालय को प्राप्त होते हैं तथा जांचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं साक्षात्कार लिया जाता है तथा सफल होने पर उन्हें चयनित कर लिया जाता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए वर्तमान में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2v& erd vkfJrk d lok;ktu dk ÁLrko r;kj dju d lEcU/k e fn'kk&fun'k

(1) मृतक आश्रितों के सेवायोजन का प्रस्ताव उ०प्र० मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(2) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र लिया जाये जिसमें दिनांक व हस्ताक्षर अंकित होगा। साथ ही सक्षम अधिकारी का पृष्ठांकन अवश्य अंकित होगा जिससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र पांच वर्ष के अन्दर ही दिया गया है अथवा बाद में।

(3) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितों के जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा।सभी सत्यापन आख्या प्रस्ताव के साथ मूल रूप में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेंगी, जिसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई के पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थाई अभिलेख होगा।

(4) यदि किसी मामले में एक से अधिक सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते है तो सक्षम अधिकारी उ०प्र० मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम–7 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन करके प्रस्ताव तैयार करायेंगे।

(5) पुलिस मुख्यालय भेजे जाने वाले मृतक आश्रितों का सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव की चेक लिस्ट (प्रारूप–36) बिन्दुओं की होगी जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट सूचना अंकित करने के उपरान्त चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं के समक्ष भेजे जाने वाले प्रपत्रों का संलग्नक के रूप में उल्लेख किया जायेगा।

(6) मृतक सरकारी सेवक से सम्बन्धित सभी सूचनाएं उसके सेवा अभिलेख में अंकित तथ्यों के आधार पर अंकित की जायेगी। जन्मतिथि/भर्ती तिथि एवं मृत्यु की तिथि के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में क्रमशः सेवाअभिलेख के प्रथम पृष्ठ एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(7) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब की सूची के सम्बन्ध में पेन्शन भाग–2 की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(8) उ०प्र० मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थाई निवास (यदि कोई हो) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जायेगी जिसमें चेक लिस्ट के प्रारूप के बिन्दु सं0–18 के अनुरूप स्पष्ट आख्या प्राप्त की जायेगी। जांच आख्या प्रस्ताव के साथ मूल रूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(9) सेवायोजन हेतु मृतक कर्मचारी की पत्नी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है। प्रारूप–''क'' में शपथी से फोटोग्राफयुक्त शपथ पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया

जायेगा।

(10) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य समस्त वयस्क सदस्यों का इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहते हैं। प्रारूप–''ख'' में शपथी के फोटोग्राफयुक्त शपथ पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(11) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से प्रारूप ''ग'' में फोटोग्राफयुक्त शपथ पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(12) उ०प्र० मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है, से सम्बन्धित प्रारूप ''घ'' भरकर प्रेषित किया जायेगा।

(13) मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन उसके अस्थाई व स्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय से कराया जायेगा जिसे मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन प्रपत्र पर मृतक आश्रित अभ्यर्थी की फोटो चस्पा होगी जिसे सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा किस व्यक्ति का सत्यापन किया गया है।

(14) दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक का न हो, मूलरूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(15) मृतक आश्रित के पासपोर्ट साइज के फोटो प्रस्ताव के प्रस्तर–30 के समक्ष चस्पा किया जायेगा एवं दो फोटो अलग से सादे कागज पर चस्पा की जायेगी जिस पर मृतक आश्रित का विवरण अंकित किया जायेगा जिसके सम्बन्धित dk;ky;k/;{k }kjk Lo;a Áekf.kr fd;k tk;xk।

(16) मृतक आश्रित की नाप जोख सादे कागज पर की जायेगी। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा नाप जोख स्वयं की जायेगी और अपने हाथ से नाम अंकित किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र मृतक आश्रित का फोटो चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम, पदनाम की मुहर एवं दिनांक अंकित की जायेगी। प्रमाण पत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(17) मृतक आश्रित का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण उ०प्र० मेडिकल मैनुअल में निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा। यदि किसी पद पर नाप जोख की आवश्यकता होगी तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाप जोख तथा वजन भी अंकित किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र पर आश्रित का फोटो चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र पर नाम, पदनाम की मुहर एवं दिनांक अंकित की जायेगी।

प्रमाण पत्र पर किसी प्रकार की कटिंग एवं ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(18) måÁå e`r ljdkjh lsodks ds vkfJrks dh Hkrh fu;ekoyh 1974 ,oa la'kksf/kr 1993 ds v/khu bl vk'k; dk Áek.k i= Hkh fn;k tk;sxk fd ÁLrkfor e`rd vkfJr ds lEcU/k esa Áf"kr dh tkus okyh lHkh lwpukvksa dk Hkyh&Hkkafr ijh{k.k dj fy;k x;k gSA vafdr lwpuk,sa ,oa Ái= iw.kZr;k lR; gSa ,oa Ádj.k dk iqfyl dk;kZy; esa j[ks e`rd vkfJrksa dk lsok;kstu Ánku fd;s tkus fo"k;d LFkk;h jftLVj esa Øekad ij vafdr dj fn;k x;k gSA

(19) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 एवं संशोधित 1993 एवं 2006 के अन्तर्गत तैयार किये गये ÁLrko ds ÁR;sd i"B ij ,oa mlds lkFk layXu leLr Ái=ksa ij dk;kZy;kè;{k dk in uke vafdr gLrk{kj lfgr eqgj yxkuk vfuok;Z gksxk rFkk Lo;a dk;kZy;k/;{k ds gLrk{kj }kjk gh Hkstk tk;sxkA

(20) e`rd vkfJr ds lsok;kstu ÁLrko lEcfU/kr tuin@bdkbZ ds {ks=kf/kdkjh dk;kZy;@iqfyl mik/kh{kd vFkok tuin@bdkbZ ds }kjk ukfer vf/kdkjh gh ysdj tk;sxsA bl vk'k; dk Ákf/kdkj i= Hkh yk;sxs fd bUgsa lsok;kstu ds ÁLrko iqfyl eq[;ky; esa miyC/k djkus gsrq vf/kÑr fd;k tkrk gSA प्राधिकार पत्र में भेजे जाने वाले प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुँहर अवश्य लायेंगे जिससे उनसे सेवायोजन के सत्यापन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके, अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(21) पी०ए०सी० वाहिनियों के मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव दो प्रतियों में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा क्योंकि प्रस्ताव अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु पी०ए०सी० मुख्यालय को भेजा जाता है तथा इसकी प्रति पुलिस मुख्यालय में रखी जायेगी।

(22) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से राजपत्रित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय में आयेंगे।

(23) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व० कर्मी के सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थाई रूप से रखा जायेगा, जिसे कभी भी नष्ट नहीं किया जायेगा। ये स्थाई अभिलेख होगा।

(24) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार

जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पर अधिकारी का नाम व पद नाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

2c& ifyl e[;ky; d vuekknu vkn'k d mijkUr erd vkfJrk dh fu;fDr vkn'k fn;s tku l iwo fu;fDr Ákf/kdkjh dk nkf;Ro%&

(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा ''बारकोड'' युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा। कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी ''बारकोड'' एवं फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूल रूप में प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(2) dk;kZy;k/;{k@fu;fDr vf/kdkjh erd vkfJr d i{k e lsok;ktu grq ifyl e[;ky; l vuekknu ÁkIr gku d mijkUr Lo;a vkfJr dk lk{kkRdkj yx rFkk i.k:i.k lrqfV gku d mijkUr fd og okLro e erd vkfJr g rFkk lc Ádkj l 'kkldh; lok grq vgZ gA blds lok;ktu e fdlh Ádkj dh vfu;ferrk ugha g] rHkh mls lok;kftr dju dh dk;Zokgh djxA

(3) मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ पत्र लेंगे जिसमें उसका फोटो चस्पा होगा, जिसमें स्व० कर्मी का नाम, पदनाम, मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ पत्र की एक प्रति आश्रित की सेवायोजन पत्रावली पर रखा जायेगा। दूसरी प्रति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रमाणित करते हुए मृतक आश्रित के नियुक्ति आदेश की प्रति सहित कार्यालयाध्यक्ष प्रधान अपने स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा इसे पुलिस मुख्यालय अग्रसारित करेंगे।

(4) मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख फुल्स्केप पेपर पर निर्धारित प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि विगत वर्षो से कतिपय मृतक आश्रितों के फर्जी सेवायोजन के मामले प्रकाश में आने के फलस्वरूप शासन ने शासनादेश संख्या:146/6–पु०–10/2008–1200(173)/2007 दिनांक:20.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये है। अतः एस०आई०(एम०) तथा उप निरीक्षक के दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश पुलिस मुख्यालय स्तर से नहीं निर्गत किये जायेंगे। यह आदेश भविष्य में सम्बन्धित जनपद/इकाई के पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से पुलिस मुख्यालय के

अनुमोदन आदेश के निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

(6) किसी भी मृतक आश्रित को सर्वप्रथम उसी जनपद/इकाई में नियुक्ति प्रदान की जायेगी जिस जनपद/इकाई से आश्रित के पिता/पति की मृत्यु हुई हो। किन्त यदि आश्रित महिला है और उसे कान्स० के पद पर नियुक्त किया जाना है तो उसकी नियुक्ति सम्बन्धित वाहिनी/इकाई के जनपदों में ही की जायेगी, क्योंकि पी०ए०सी० वाहिनियों में महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा इकाई में महिला आरक्षी को किट नहीं प्रदान की जाती है।

(7) मृतक आश्रित के सेवायोजन के उपरान्त उसे कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक उसे वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि किसी स्तर से उसका स्थानान्तरण हो जाता है तो सम्बन्धित जनपद/इकाई से उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो तो इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रेषित कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिया जाये।

e`rd vkfJr ds le; lhek esa NwV Ánku fd;s tkus fo"k;d ÁLrko 'kklu dks uohu 'kklukns'k fnukad 28-07-2006 ds vuq:i fuEufyf[kr vfHkys[kksa lfgr iqfyl eq[;ky; dks miyC/k djk;k tk;xk&

(1) 20 बिन्दुओं की सम्पूर्ण सूचना निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में (जिसमें कार्यालय प्रमुख द्वारा सभी पृष्ठों पर नाम/पदनाम की मुहर सहित हस्ताक्षर हो)

(2) मृतक की पत्नी द्वारा सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) मृतक के पुत्र द्वारा बालिग होने पर सेवायोजन हेतु सर्वप्रथम दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(4) मृत्यु के पांच वर्ष के अन्दर कुटुम्ब के अन्य सदस्यों द्वारा सेवायोजन प्राप्त न किये जाने का औचित्य आवश्यक अभिलेख/सबूत।

(5) मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण जिसमें मृत्यु के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो तीन प्रतियों में जिसमें पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं नाम/पदनाम की मुहर अंकित हो।

(6) मृतक के परिवार के सदस्यों की आय का श्रोत एवं धनराशि का विवरण (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र)

(7) आवेदक के घर के पते पर राजपत्रित अधिकारी से कराई गयी। जांच आख्या की प्रति, जिसमें सभी आश्रितों का विवरण, नाम, उम्र, आय के स्रोत/धनराशि, विवाहित/अविवाहित, आवेदक को सेवायोजन दिलाये जाने का

कारण, मृतक की पत्नी द्वारा सेवायोजन न लिया जाने का औचित्यपूर्ण कारण इत्यादि का विस्तृत विवरण अंकित होना आवश्यक है।

(8) मृतक की पत्नी के पक्ष में जारी किया गया पेंशन भुगतानादेश की पठनीय प्रमाणित प्रतिलिपि।

(9) मृतक कर्मचारी की जन्मतिथि/भर्ती तिथि/मृत्यु तिथि।

Hkkx&2

LoSfPNd dY;k.kdkjh ;kstuk;sa@lafo/kk;sa

1- mRrj Ans'k iqfyl thou j{kd fuf/k

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.1997 ¼layXud&9½ को अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों की रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में हुयी बैठक के कार्यवृत्त में निर्णय लिया गया कि फिलहाल पी.ए.सी. की भाँति जनपदों में भी इस हेतु प्राइवेट फण्ड स्थापित कर दिया जाय।

उक्त कार्यवृत्त के अनुपालन में पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कतिपय गम्भीर बीमारियों तथा दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की अवस्था में उच्चस्तरीय उपचार हेतु अग्रिम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ßmåÁå iqfyl thou j{kd fuf/k" की स्थापना जुलाई 1997 में परिपत्र संख्या:23/जीरनि–97 दिनांक 24.07.1997 ¼layXud&9-1½ द्वारा की गई। इस निधि का उद्देश्य सूचीबद्व बीमारियों के इलाज पर व्यय होने वाले धन की एक मुश्त आवश्यकता को पूरा करना एवं ऐसे व्यय के लिये आर्थिक अनुदान देना है, जिसकी प्रतिपूर्ति चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमन्य है।

जीवन रक्षक निधि का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.07.2002 को कराया गया है, जिसका नवीनीकरण दिनांक 30.07.07 से हुआ है, जो आगामी पाँच वर्ष के लिये प्रभावी है। उक्त फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में नवीनीकरण संख्याः 1170 एवं फाइल संख्याः एएल–14765 है।

इस निधि की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं धन की निरन्तरता बनाये रखने हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति की गोष्ठी दिनांक 28.04.2004 को की गई जिसमें 1997 से निर्गत वर्तमान नियमावली को संशोधित करते हुये ''thou j{kd fuf/k _.k ;kstuk** के नाम से नयी नियमावाली अनुमोदित की गयी जो दिनांक 10.05.2004 ¼layXud&9-2½ से प्रभावी हुई। इसी सम्बन्ध में दिनांकः 10.12.2009 को पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि ^^thou j{kd fuf/k** की नियमावली के अनुसार अभी तक केवल सेवारत कर्मचारियों/अधिकरियों तथा उनके पति/पत्नी को ही उपचार हेतु जीवन रक्षक निधि से

अग्रिम दिया जाता रहा है, किन्तु अब उनके आश्रित अवयस्क पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो/अविवाहित पुत्री को भी प्रचलित मासिक अंशदान रु. 05/– पर ही इस योजना में दिनांक 08.01.2010 से सम्मिलित कर लिया गया है, परन्तु एक ही परिवार को एक समय में एक ही व्यक्ति को लिए अग्रिम प्राप्त होगा, उसके चुकता होने पर ही यदि आवश्यकता हुई तो वह परिवार नया अग्रिम प्राप्त कर सकता है''।

वर्तमान में इस निधि से रु. 50,000/– से अधिक की आवश्यकता पर जनपदों/इकाई से समक्ष चिकित्सा अधिकारी के आगणन के साथ निर्धारित प्रारूप मे प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर मांगी गयी धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 3,00,000/– एवं विशेष परिस्थितियों में पुनः मांग किये जाने पर रु. 2,00,000/– अर्थात कुल रु. 5,00,000/– तक का व्याज रहित अग्रिम आर्थिक ऋण पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है जिसका समयोजन कर्मी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावो से किया जाता है।

2- mRrj Án'k iqfyl f'k{kk dks"k

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.1997 ¼layXud&9½ को अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों की रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में हुयी बैठक के कार्यवृत्त में निर्णय लिया गया कि लखनऊ एवं कतिपय पी.ए.सी. वाहिनियों में खोले गये स्कूलों की भाँति प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाये।

उक्त कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के आधार पर जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों से स्वेच्छा से प्राप्त अंशदान रु. 10.00 प्रति कर्मी प्रतिमाह से जुलाई 1997 से प्राप्त करने हेतु परिपत्र संख्याः23/पुमास्कूल–97 दिनांक 24.07.1997 ¼layXud&10½ द्वारा स्थापित किया गया है। इस कोष को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस बल के कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराई जायें। इस कोष को चलाने हेतु एक नियमावली बनी है, जिसके अनुसार कार्यवाही होती है। साथ ही इस कोष से पुलिस माडर्न स्कूलों को स्थापित करना व चलाना है, जिसके लिये अलग से नियमावली है ¼layXud&10-1½।

उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में रजिस्ट्रेशन दिनांकः 08.08.1997 को कराया गया है, जिसका नवीनीकरण दिनांक 08.08. 2007 से हुआ है, जो आगामी पाँच वर्ष के लिये प्रभावी है। उक्त फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में नवीनीकरण संख्याः 334–2008–2009 एवं फाइल संख्याः 1–120342 है।

(क) इस कोष के संचालन हेतु निम्न मुख्य पदाधिकारी हैंः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। inu v/;{k

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी उत्तर प्रदेश लखनऊ। inu mik/;{k

(3) पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। inu lnL;

(4) पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। inu lfpo

(5) पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। inu dk"kk/;{k

(6) पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। inu lnL;

(ख) पुलिस मार्डन स्कूलों को चलाने हेतु ÞmåÁå ifyl f'k{kk lfefrß गठित है, जो रजिस्टर्ड है। सभी कार्य निदेशक मंडल द्वारा नियमावली के अनुसार किया जाता हैं जो लखनऊ में स्थापित है। केवल स्वीकृत धनराशि पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, जो कि कोषाध्यक्ष है, द्वारा अवमुक्त कर सम्बन्धित स्थानों को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाता था।

(ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्णयोपरान्त ¼dk;ZoRr fnukad 24-07-2010 }kjk layXud&10-2½ पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष का स्थानान्तरण करते हुये पी.ए.सी. मुख्यालय लखनऊ में एक समेकित केन्द्रीय कोष की स्थापना की गयी है तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर उक्त कोष से सम्बन्धित समस्त धनराशि का खाता एवं अभिलेख पीएसी मुख्यालय स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

3- mRrj Áns'k [ksy&dwn fodkl dks"k

दिनांक 07.01.1998 ¼layXud&11½ को पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड की आम सभा में हुई चर्चा में निर्णयोपरान्त जीवन रक्षक निधि एवं शिक्षा कोष की तरह ही पुलिस विभाग में खेल व खिलाड़ियों के विकास हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस खेलकूद विकास कोष" की स्थापना अर्धशा.पत्र संख्याःबीस–खेलकूद विकास–98 दिनांक 29.10.1998 ¼layXud&11-1½ द्वारा की गई जिसमें प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्रतिमाह रु. 1.00 का स्वैच्छिक अंशदान दिया जाता है। प्राप्त धनराशि इस कोष में निम्न स्तर पर रखी जायेगीः–

(अ) जिला/वाहिनी/इकाई स्तर पर 30 प्रतिशत

(ब) जोनल स्तर पर 30 प्रतिशत

(स) उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद स्तर पर 40 प्रतिशत

उक्त संबंध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 09.03. 2009 को उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड की कार्यकारिणी समिति–08 की

आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से प्रतिमाह रुपया 01 के ऐच्छिक अंशदान की कटौती को रु. 01 से बढ़ाकर रु. 1.50 किया जाता है। इसके साथ ही साथ अंशदान में जमा धनराशि को भी निम्न प्रतिशत के अनुसार भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मध्य जोन, लखनऊ द्वारा परिपत्र दिनांक 11.08.2009 निर्गत गया हैः—

(अ)	जिला / वाहिनी / इकाई स्तर पर	30 प्रतिशत
(ब)	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र स्पोर्ट्स समिति को	20 प्रतिशत
(स)	सचिव, उ०प्र० पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड	50 प्रतिशत

fdu&fdu enk e 0;; gkxk

इकाई प्रभारी व अध्यक्ष जोनल स्पोर्ट्स समिति एवं सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के स्तर पर एकत्रित धनराशि का व्यय केवल निम्नलिखित तीन मदों में ही व्यय किया जायेगाः—

1. खिलाड़ियों को किट, खेल उपकरण एवं सामान अथवा उससे सम्बन्धित साज—सज्जा उपलब्ध कराने हेतु।
2. खिलाड़ियों को विशेष आहार प्रदान करने हेतु।
3. खेल मैदान के रख—रखाव हेतु।

इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में "उत्तर प्रदेश पुलिस खेलकूद विकास कोष" में एकत्रित धनराशि को किसी भी स्तर पर अन्य किसी भी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4& thou chek ;kstuk

1—उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में वर्ष 1992 से समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के कल्याणार्थ प्रत्येक वर्ष दुर्घटना बीमा योजना चलायी जा रही है। विगत वर्षों में प्रत्येक कर्मी से न्यूनतम रु. 57 / — व अधिकतम रु. 142 / — तक की प्रीमियम धनराशि लेकर उन्हें बीमित किया गया था, जिस पर बीमा कम्पनी द्वारा कर्मी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उनके लाभार्थी को न्यूनतम रु. 1,00,000 / — व अधिकतम रु. 2,05,000 / — की धनराशि भुगतान किया जाता रहा है। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं मृत कर्मियों को आश्रित परिवारों को लाभ अनुमन्य था, जिसकी मृत्यु दुर्घटना में होती थी। साधारण मृत्यु की दशा में उक्त योजना से स्व० कर्मी के आश्रित को किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं थी।

2— उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लगभग 650 ls 700 dfe;ksa dh मृत्यु प्रतिवर्ष होती है, जिसमें औसतन 170&200 deZpkjh@vf/kdkjh की मृत्यु दुर्घटना से होती है और हमारे यहाँ वर्ष 1992 से प्रचलित दुर्घटना बीमा योजना में मात्र दुर्घटना में मृत

पुलिस कर्मी के परिवारजनों को ही बीमा का लाभ प्राप्त होता है परन्तु वास्तविकता यह है कि दुर्घटना में होने वाली मृत्यु से कहीं ज्यादा मृत्यु अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हो रही है। औसतन एक वर्ष में सेवा काल में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या से लगभग तीन गुना से भी ज्यादा है। दृर्घटना मृत्यु से इतर अन्य प्रकार की मृत्यु में आश्रित परिवार को उक्त योजना का कोई लाभ नहीं मिलता था।

3– पुलिस विभाग के दुर्घटना में मृत पुलिसकर्मियों के साथ–साथ साधारण मृत्यु में भी आश्रित परिवार को बीमा धनराशि से लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। सभी स्थिति में (साधारण / दुर्घटना) मृत कर्मियों के आश्रित परिवार को बीमा धनराशि प्रदान किये जाने के संबंध में की गई पहल पर भारतीय जीवन बीमा निगम के सौजन्य से जीवन बीमा योजना विगत वर्ष 01.11.07 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत रु. 350 / – प्रति कर्मी की प्रीमियम धनराशि पर सभी प्रकार की मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवार को रु. 1.00 लाख व दुर्घटना में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवार को रु. 2.00 लाख का दोहरा बीमा कवर प्राप्त हो रहा था।

4– उक्त योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षो में भारतीय जीवन बीमा निगम को काफी हानि हुई, जिस पर बीमा कम्पनी ने रु. 350 / – प्रति कर्मी की प्रीमियम की धनराशि पर जीवन बीमा योजना चलाने में बीमा कम्पनी द्वारा असहमति व्यक्त की गई। चूँकि प्रश्नगत जीवन बीमा योजना पुलिस विभाग के कर्मियों के लिये अत्यन्त ही लाभकारी सिद्ध हुई है तथा इस योजना के अन्तर्गत उन सभी स्व.कर्मियों के आश्रित परिवार को लाभ मिल रहा है, जो अब तक बीमित होने के उपरान्त भी साधारण मृत्यु की स्थिति में बीमा धनराशि से वंचित हो जाते थे।

5– अतः उक्त स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम से विचार–विमर्श के उपरान्त रु. 320 / – प्रति कर्मी प्रीमियम की धनराशि पर साधारण / दुर्घटना दोनों ही स्थिति में बीमा दावा की धनराशि रु. 1.00 लाख पर, प्रश्नगत योजना को कर्मियों के हित को देखते हुये दिनांक 01.11.09 से एक वर्ष के लिये लागू किया गया, जिसकी अवधि समाप्त होने पर दिनांक 01.11.10 व दिनांक 01.11.11 से पुनः उक्त योजना का एक–एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किया गया है।

6– उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.11.07 से प्रचलित जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो में बीमित कर्मियों एवं मृत कर्मियों के सापेक्ष अनुमन्य बीमा दावों की धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

योजना	बीमित कर्मियों की संख्या	बीमा कम्पनी को हस्तगत कराई गई प्रीमियम की धनराशि	मृत कर्मियों के दावों की धनराशि	मृत कर्मियों की संख्या
01.11.2007	130654	4,57,28,900	5,41,00,000	421
01.11.2008	133747	4,68,11,450	5,67,00,000	447
01.11.2009	142156	4,54,89,920	4,86,00,000	486
01.11.2010	131751	4,21,60,320	4,03,00,000	403
01.11.2011 (31.01.12)	143854	4,60,33,280	26,00,000	26

5& iqfyl csfufQV Q.M **(P.B.F)**

पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक की सदस्यता के अधीन वर्ष 1950 में पुलिस बेनिफिट फण्ड की स्थापना की गई थी। जैसाकि पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत "बुकलेट आन फण्ड्स इन यू.पी.पुलिस वर्ष 1985" में उल्लिखित है पुलिस विभाग के निम्नलिखित पदधारकों से सेवा में भर्ती के समय केवल एक बार अंशदान लिया जाता है और सेवा अवधि में मृत्यु होने पर परिपत्र संख्याःअर्धशासकीय पत्र संख्याः23/पीबीएफ–97 दिनांक 21.05.1997 ¼lyXud&12½ के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार अनुमन्य धनराशि मृतक के आश्रित को भुगतान किया जाता हैः–

क्रमाँक	पदधारक	अंशदान एक बार	अनुमन्य धनराशि
1.	राजपत्रित अधिकारी	400.00	8000.00
2.	उपनिरीक्षक/निरीक्षक	200.00	6000.00
3.	आरक्षी/मुख्य आरक्षी	100.00	4000.00
4.	चतुर्थ श्रेणी	40.00	3000.00

पुलिस बेनीफिट फण्ड में समस्त कर्मियों से निर्धारित दर से अंशदान काटकर अभिदान की रसीदें सम्बन्धित कर्मियों के चरित्रपंजी/सेवा पुस्तिका में चस्पा किये जाने के आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जा चुके है।

निर्गत निर्देशों के अनुसार पुलिस बेनीफिट फण्ड के लाभार्थी को अनुमन्य आर्थिक सहायता की राशि जनपदों/इकाईयों द्वारा किसी निजी फण्ड से भुगतान कर दी जाती है और पुलिस बेनिफिट फण्ड से आर्थिक सहायता दिलाये जाने के लिये सूचनायें निर्धारित प्रारूप में अंशदान की रसीद के साथ पुलिस मुख्यालय को भेजी जाती है। उक्त

पत्रादि प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता अवमुक्त की जाती है।

पुलिस बैनिफिट फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन रजिस्ट्रेशन दिनांक 29.07.02 को कराया गया है, जिसका नवीनीकरण दिनांक 29.07.2007 से हुआ है, जो आगामी पाँच वर्ष के लिये प्रभावी है। उक्त फण्ड का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में नवीनीकरण संख्याः 1174 एवं फाइल संख्याः एएल–14754 है।

वर्तमान में पुलिस बैनिफिट फण्ड को समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है, जिसके सम्बन्ध में समस्त जनपदों/इकाईयों से अभिमत एवं सदस्यता ग्रहण करने वाले कर्मियों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है, जो समस्त जनपदों/इकाइयों से प्राप्त हो जाने पर पत्रावली उचित माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर निर्णय उपरान्त उक्त फण्ड को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों/इकाइयों को परिपत्र निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

6& måÁå ifyl oYkQ;j Q.M

इस निधि में शासन द्वारा वर्ष 1967 में रुपया 10 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी। इस निधि को ''कारपस फण्ड'' के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया लखनऊ में जमा कर दिया गया है तथा उससे अर्जित ब्याज की धनराशि से अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को उनकी गंभीर बीमारियों/विशेष चिकित्सा व्यय हेतु अथवा प्राकृतिक आपदा पर हुई क्षति पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में अपने नियुक्ति के जिले/ईकाई के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से विशेष कार्याधिकारी, कल्याण, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ को भेजना होता है। इन प्रार्थना पत्रों पर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा आर्थिक सहायता एक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। विशेष कार्याधिकारी, कल्याण, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याःडीजी–12–07 सी/ओ०एस०डी०'' वे ''2007, दिनांकः 21.4.11 के अनुसार रु. 30,95,000/– की धनराशि बैक खाते में जमा है।

7& ifyl cuhokyUV Q.M ¼efpx xkUV½

शासनादेश संख्या : 4590/आठ–7–327/75, दिनांक : 31.03.1975 ¼ifjf'k"V&14½ द्वारा पुलिस/पीएसी कर्मचारियों द्वारा सुख सुविधा हेतु चन्दे के रूप में एकत्रित की गयी धनराशि के के सापेक्ष रु. 12,75,000/– व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया।

शासनादेश सख्या : 4695/आठ–7–327/73, दिनांक : 08.11.1977 ¼ifjf'k"V&14-1½ द्वारा शासन द्वारा स्वीकृति अनुदान का 10 प्रतिशत पुलिस/पीएसी कर्मचारियों के खेल–कूद की व्यवस्था हेतु व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

समस्त कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने जनपदों/इकाई में स्वेच्छा से एक निर्धारित अंशदान कल्याणकारी निधि को जिलों/इकाईयों के कर्मचारियों को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जनपद/इकाई को इसी संकलित निधि के समतुल्य धनराशि पुलिस बेनीवोलेन्ट फण्ड (मैचिंग ग्राण्ट) वार्षिक अनुदान के रूप में दी जाती है। यह धनराशि पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण में रहती हैं, जिसका उपयोग सुख–सुविधा निधि की तरह किया जाता है।

&&&&&&&&&&

Hkkx&3

i'kujh ,o lok lfo/kk;

1- i'ku

दिनांक 06.08.1985 ¼lyXud&15½ के उपरान्त पेंशन प्रकरणों के निस्तारण (श्रेणी–1 के अधिकारियो को छोडकर) का कार्य पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निम्न प्रकार की पेंशन स्वीकृत की जाती हैः–

¼I½ vf/ko"kZrk i'ku½ प्रत्येक सरकारी सेवक जिसने अधिवर्षता आयु पूरी कर ली है सेवानिवृत्त किया जाता है। वर्तमान समय में सभी श्रेणी के सरकारी सेवको की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है।

¼II½ lokfuofRr i'ku: उपरोक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पेंशन दो प्रकार की होती है :–

(अ) ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

(ब) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

¼v½ ,fPNd lokfuofRr

ऐसे सरकारी सेवक जिन्होने कम से कम 20 वर्ष की नियमित सरकारी सेवा पूरी कर ली हो अथवा 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, स्वेच्छा से नियुक्त अधिकारी को 3 माह पूर्व नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। ऐसे सरकारी सेवकों को 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण कर लेने पर औसत परिलब्धियों/अन्तिम आहरित वेतन जो लाभप्रद हो, के आधे के बराबर पेन्शन का लाभ दिया जा सकता है।

¼c½ vfuok;l lokfuofRr

प्रत्येक सरकारी सेवक जिसने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तथा लगातार दुश्चरित्र लेख होने पर स्क्रेनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर नियुक्त अधिकारी द्वारा तीन माह का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(III) ikfjokfjd i'ku

सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। साधारण पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत हैं :–

शासनादेश संख्या–सा–3–1508/दस–2008–308–97 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 ¼lyXud&15-1½ के द्वारा पारिवारिक पेंशन की गणना अंकित अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि

रु. 3500/– प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 20% तक सीमित होगी। यह व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से लागू की गयी है।

c<h nj l ikfjokfjd isa'ku : शासनादेश संख्या–सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांकः 08.12.08 ¼lyXud&15-1½ के अनुसार मृत्यु की दशा में परिवार को अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए नियमों के तहत प्रथम दस वर्ष अथवा सरकारी सेवक की 65 वर्ष तक की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पहले होता है, सेवाकाल में मृत्यु के दौरान कर्मचारी के मूल वेतन का आधा अथवा साधारण पारिवारिक पेंशन का दोगुना इनमें से जो कम होता है, दिया जाता है।

(IV) v'kDrrk isa'ku %

सिविल सर्विज रेगुलेशन के प्रस्तर–441 एवं 447 ए एवं 447 बी ¼lyXud&15-2½ के अन्तर्गत सरकारी सेवक जो किन्ही कारणों से सरकारी सेवा करने में अक्षम हो जाता है, जिसे चिकित्सा परिषद द्वारा सरकारी कार्य करने के लिए अक्षम घोषित कर दिया जाता है, उसे अशक्तता पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

(V) vlk/kkj.k isa'ku %

पुलिस कर्मियों को यह पेंशन शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है। असाधारण पेंशन नियमावली 1961 एवं संशोधित नियमावली 1975 के प्राविधानों के तहत सरकारी कार्य के सम्पादन के दौरान मुठभेड़ में मारे गये एवं सेरीब्रल थ्राम्बोसिस तथा हृदय रोग से मृत्यु होने की दशा में शासनादेश संख्याः 6929पी/आठ–1000 (17) 65, दिनांकः 23.01.1980 ¼lyXud&15-3½ में निहित निदेशानुसार सम्बन्धित सेवक के परिवार को असाधारण पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इसमें मृतक के परिवार को पेंशन के रूप में मृत्यु के दिनांक को मृतक कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन एवं उस पर देय महँगाई भत्ता उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त होने तक दिया जाता है। तत्पश्चात् साधारण पारिवारिक पेंशन दी जाती है। असाधारण पेंशन प्रकरण में उपादान परिलब्धियों का आठ गुना दिया जाता है।

संशोधित शासनादेश संख्या–सा–3–1340/दस–88–916/88 दिनांक 19.08.88 ¼lyXud&15-4½ के द्वारा यह पेंशन निम्न कारणों से भी देय हैः–

1- fo'k"k tkf[ke dk dk;l djrs le; ejuk@?kk;y gkuk

(अ) डकैतों/बदमाशों से मुठभेड़

(ब) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष

(स) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़

(द) हिंसात्मक भीड़ को तितर–बितर करना तथा नियंत्रण करना।

2- nSoh vkinkvksa tSls&

(अ) भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय।

(ब) आपातकालीन आग बुझाते समय।

(स) जीवन रक्षा करते समय।

3- lfØ; lsok djrs le;

(अ) ट्रैफिक ड्यूटी

(ब) मोटर गाड़ी चलाते समय पहिया फिसलने के कारण।

(स) रेलवे क्रासिंग पर बिना रौशनी के रेल गाड़ी से टकराने पर।

(द) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी के बन्दूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से।

vlk/kkj.k isa'ku Ádj.k pSd fyLV

1. मृत्यु के परिस्थितियों का विवरण जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/इकाई प्रभारी के स्वयं के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित और उसमें असाधारण पेंशन की संस्तुति उनके द्वारा की गयी हो। उसमें स्पष्ट रूप से कर्मचारी की रवानगी का दिनांक एवं जी०डी० संख्या का उल्लेख अवश्य किया गया हो।
2. कर्मचारी की रवानगी की पुष्टि में रवानगी के दिनांक की सम्पूर्ण मूल जी०डी० (रपट नम्बर एक से अन्त तक) की प्रमाणित छाया प्रति। अधिकतर मूल जी०डी० में कर्मचारी का नाम अंकित नहीं होता है, जिसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अमुक कर्मचारी ड्यूटी पर रवाना किया गया था अथवा नहीं। अतः मूल जी०डी० प्रेषित की जाये।
3. मृत्यु का प्रमाण–पत्र
4. यदि कर्मचारी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है, तो चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण–पत्र जिसमे कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।
5. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट/पंचायत नामा की प्रमाणित पठनीय छाया प्रति।
6. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है तो पुलिस अधीक्षक अथवा राजपत्रित अधिकारी प्रमाणित करें कि किसी प्रकार मोटर वाहन एक्ट का उल्लंघन मृतक कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है।
7. फार्म–22 सी.एस.आर.।
8. एफ.आई.आर. की प्रमाणित छायाप्रति।
9. बन्ध पत्र (Indemnity Bond)

(VI) bUtjh i'ku ¼

शासनादेश संख्याःसा–3–1340/दस–88–916–88, दिनांकः19.8.1988 ¼lyXud&15-4½ द्वारा सरकारी कार्य सम्पादन के दौरान यदि किसी कर्मचारी का अंग–भंग हो जाता है, तो कर्मचारी को उसके सेवाकाल में ही शासन द्वारा इन्जरी पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। यह पेंशन भी शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2- mikknku dk Hkqxrku ¼xzP;qVh½

शासनादेश संख्याःसा–3–1713/दस–87–933/89, दिनांकः28.7.1989 ¼lyXud&15-5½ }kjk सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति होने पर उपादान दिया जाता है। मृत्यु प्रकरणों में यह उपादान की दर अधिक होती है। एक वर्ष के अन्दर मृत्यु होने पर परिलब्धियों के दुगुने पर उपादान दिया जाता है। एक वर्ष या इससे अधिक किन्तु पांच वर्ष तक की अवधि में मृत्यु होने की दशा में परिलब्धियों का 6 गुना दिया जाता है। 5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा के दौरान मृत्यु होने की दशा में परिलब्धियों का 12 गुना दिया जाता है। 20 वर्ष अधिक सेवा होने पर मृत्यु की दशा में प्रत्येक छमाही के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर उपादान दिया जाता है, जो अधिकतम परिलब्धियों का 33 गुना होता है, तथा अधिकतम धनराशि रु. 10.00 लाख होगी।

3- isa'kuj dks jkf'kdj.k dh lqfo/kk

प्रत्येक सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्त होता है, उसे अपनी पेंशन के अधिकतम 1/3 भाग तक राशिकरण कराये जाने की सुविधा प्राप्त थी, जिसे शासनादेश संख्या–सा–3–1508/दस–2008–308–97 दिनांक 08.12.2008 ¼lyXud&15-1½ द्वारा संशोधित कर दिया गया है। अब पेंशन के 40 प्रतिशत तक की धनराशि राशिकरण हेतु अनुमन्य होगी। राशिकरण कराये जाने के पश्चात भी महँगाई भत्ता व राहत पूर्ण पेंशन पर दिया जायेगा।

4– (अ) आसाधारण गजट संख्याः सा–3–379/दस–2005–301(9)–2003, दिनांकः28.03. 2005 ¼lyXud&15-6½ एवं सा–3–469/दस– 2005–201(9)–03, दिनांकः07.04.2005 द्वारा दिनांकः01.04.2005 या उसके पश्चात सेवा में आने वाले अधिकारियो/ कर्मचारियों के लिए नयी अंशदायी योजना लागू की गयी है।

(ब) शासनादेश संख्याः 3676पी/छः–पु–6–10–100(32)/2004, दिनांकः20.10. 2010 ¼lyXud&15-7½ के अनुसार दिनांकः01.04.2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद पुलिस कर्मियों की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान होने पर उनके आश्रितों को उ०प्र० पुलिस (असाधारण पेशन) नियमावली, 1961) प्रथम संशोधन 1975 ¼lyXud&15-8½ के प्रावधानों के अनुसार असाधारण पेंशन की सुविधा अनुमन्य होगी।

mikftZr vodk'k dk udnhdj.k

प्रत्येक कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 31 दिवस का उपार्जित अवकाश देय होता है।

(1) जनवरी से जून तक– 16 दिवस

(2) जुलाई से दिसम्बर तक– 15 दिवस

कुल योग– 31 दिवस

शासनादेश संख्या सा–4–393/दस–99–200/88, दिनांक:01.07.1999 ¼layXud&15-9½ के अनुसार प्रत्येक राज्य कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्त के समय उनके द्वारा अर्जित उपार्जित अवकाश जो देय हो उसके अधिकतम 300 दिवस का नकदीकरण अनुमन्य है।

4- lkefgd chek ;kstuk (G.I.S.)

उक्त योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा मृत अधि०/कर्मचारियों के आश्रितों को कर्मचारी के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती से एक हजार गुना धनराशि का भुगतान किया जाता है। शासनादेश संख्या:एसई 2314/दस–2008– बीमा–19/ 2002, दिनांक:08.12.2008 ¼layXud&16½ द्वारा दिनांक:01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामुहिक बीमा अच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरे लागू की गयी है :–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर (रु.)	बीमा निधि (रु.)	बचत निधि (रु.)	बीमा अच्छादन की धनराशि (रु.)
1	रु. 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000
2	रु. 2801 से रु. 5400 तक	200	60	140	2,00,000
3	रु. 2800 तक	100	30	70	1,00,000

5- lsokfuo`Rr@e`R;q ykHk dkMZ

सेवानिवृत्त कर्मी /मृत कर्मी के आश्रित को सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:12/ए–से०नि०/मृत्यु लाभ कार्ड–2011, दिनांक:जून 25,2011 ¼layXud&17½ द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है जो निम्नवत् है:–

(1) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड की दो प्रतियाँ बनायी जाये। एक प्रति सम्बन्धित

कर्मी/आश्रित को पालीथीन के कवर में रखकर हस्तगत करायी जाय, तथा एक प्रति उसकी पत्रावली पर रखी जाय।

(2) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड पर सभी सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।

(3) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड निर्गत करने की तिथि अंकित करते हुए पुलिस अधीक्षक/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अवश्य किये जाये।

(4) सेवानिवृत्त/मृत्यु लाभ कार्ड को जारी होने के उपरान्त समय–2 पर अध्यावधिक करते हुए अन्तिम कालम में दिनांक सहित सूक्ष्म हस्ताक्षर अवश्य किये जाये।

(5) सेवानिवृत्त कर्मी/मृत कर्मी के आश्रित को जो लाभ अनुमन्य नहीं हो उन बिन्दुओ के सामने स्पष्ट रूप से अकित किया जाये कि उक्त लाभ अनुमन्य नहीं है ताकि भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न न हो।

(6) यथाआवश्यक यदि अन्य कोई लाभ तत्समय देय हो तो उसे भी कार्ड में बिन्दु संख्या 15,16,17,18 इत्यादि पर स्पष्ट रूप में अंकित किया जाय।

6- thåihå,Qå l; lEc) chek **(Linked Insurance Scheme)**

शासनादेश संख्या–सा–4–152/दस–94–501–75, दिनांक 25 अप्रैल, 1994 ¼lyXud&18½ द्वारा भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर उनके परिवार के लिए अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से भविष्य निधि में जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिक्ंड इन्श्योरेन्स स्कीम) है जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियम दिये बीमा अनुरूप लाभ मिल सकेगा।

सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान के हकदार व्यक्ति को तुरन्त वितरित किये जाने की वितरण अधिकारी व्यवस्था करेगा।

1. मृत्यु के मास के पूर्ववती तीन वर्ष के दौरान अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ होः–

   (क) तीन वर्ष की अवधि के वृहत भाग में जिसके वेतन का अधिकतम रु. 4000.00 से अधिक न हो– रु. 12000.00

   (ख) जिसका वेतन का अधिकतम रु. 2900.00 या उससे अधिक किन्तु रु. 4000.00 से कम हो– रु. 7500.00

   (ग) जिसके वेतनमान का अधिकतम रु. 1151.00 किन्तु 2900.00 से कम

हो– रु. 4500.00

(घ) जिसका वेतन अधिकतम रु. 1151.00 से कम हो– रु. 3000.00

2. इस योजना के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि रु., 30000.00 से अधिक न होगी।

3. अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

4. औसत अतिशेष उस मास जिसमें मृत्यु हुई हो के पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायेगा।

7- thåihå,Qå l vfxe

सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को उसके जी०पी०एफ० खातें में जमा धनराशि के अन्तर्गत उसके समय–समय पर आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप जी०पी०एफ० नियमावली 1985 ¼lyXud&19½ के अधीन निम्नलिखित अस्थाई/स्थाई अग्रिम स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम के मुख्य दो खण्ड हैः–

(1) अस्थाई अग्रिम–जी०पी०एफ० नियमावली, 1985 के नियम–13 के अन्तर्गत देय है।

(2) स्थाई अग्रिम अथवा अन्तिम निष्कासन (प्रत्याहरण)–जी०पी०एफ० नियमावली 1985 के नियम–16 के अन्तर्गत देय है।

¼1½ vLFkkbZ vfxze& जी०पी०एफ० नियमावली 13(1), (2), (3), (4), (5), (6) व (7) में उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते हुए किसी अभिदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से अस्थाई अग्रिम दिया जा सकता है। विशेष कारणों के सिवाय अभिदाता के तीन मास के वेतन अथवा उसके खाते मे जमा राशि के आधे, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक देय नहीं होगा। कोई भी अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक स्वीकृति प्राधिकारी को समाधान न हो जाय कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ उसको न्यायोचित ठहराती हैं कि उसका व्यय उल्लिखित उद्देश्यों पर न कि अन्यथा किया जायेगा।

¼2½ LFkkbZ vfxze ¼vfre fu"dklu½& उक्त नियमावली के नियम–17 (एक) के अनुसार अभिदाता के जमा खातें में विद्यमान धनराशि से नियम 16 (एक) के खण्ड (क), (ग), (घ), व (ङ) मे विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय प्रत्याहरित कोई धनराशि साधारणतया खाते में जमा धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (अ) ऐसे उद्देश्य जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (ब) निधि मे उसके जमा

खाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुए, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के इतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है। यह अग्रिम 15 वर्ष व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्वीकृत किया जा सकता हैं।

8- vodk'k ;k=k lqfo/kk ¼,yåVhå lhå½

शासनादेश संख्या–सा–4–62/दस–96–604–82 दिनांक 18.03.1996 ¼lyXud&20½ में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को सेवाकाल के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के संबंध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

* यह सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कलेण्डर वर्ष के आधार पर प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा अवधि में एक बार अनुमन्य होगी। इस प्रकार 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवावधि में प्रथम बार 11 से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी बार 21 से 30 वर्ष की सेवा अवधि में तीसरी बार 30 वर्ष से अधिक की सेवा होने की स्थिति में चौथी बार अनुमन्य होगी।
* परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों को एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा अनुमन्य है।
* यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी।
* इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिवस उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।
* यदि पति पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हैं, तो यह सुविधा किसी एक को ग्राहय होगी।
* अग्रिम की अधिकतम धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए, व्यय की अनुमानित धनराशि का 4/5 भाग (80%) तक सीमित होगी।
* सरकारी सेवक द्वारा यात्रा करने के पूर्व अपने नियंत्रक अधिकारी को उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
* इस सुविधा के अंतर्गत गंतव्य स्थान की घोषणा पहले से ही की जानी चाहिए।
* यह सुविधा न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी।
* इस सुविधा के अंतर्गत रेल के वातानुकूलित कोच अथवा वायुयान से यात्रा नहीं की जा सकेगी।

-------0-------

Hkkx&4

lsok lEc/kh vU; 'kkldh; lqfo/kk;sa

1- fpfdRlk O;; dh Áfriwfr

1.1 शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना संख्या:2275/5–6–11–1082/ 87, दिनांक:20 सितम्बर, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 ¼layXud&21½ प्रख्यापित की गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः बारह/ए–चिकित्सा निर्देश–2011 दिनांक:अक्टूबर 8, 2011, द्वारा नियमावली मय निर्देशों के समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ०प्र०, को भेजी गयी है।

1.2 नियमावली के नियम–20 द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकार कार्यालयाध्यक्ष रु. 1.00 लाख तक, विभागाध्यक्ष रु. 2.50 लाख तक, सरकार का प्रशासकीय विभाग रु. 5.00 लाख तथा रु. 5.00 लाख से अधिक के दावे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग को प्रदान किये गये हैं।

1.3 नियमावली के संलग्नक–'क' में अंकित प्रोफार्मा में समस्त कर्मियों को ''हेल्थ कार्ड'' प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराया जाना है, ताकि समस्त कर्मियों द्वारा राजकीय चिकित्सालय में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा प्राप्त की जा सके। ''हेल्थ कार्ड'' में जहाँ फोटो चिपकानी है तथा कार्यालय की मोहर लगानी है वहाँ पर मोहर इस प्रकार लगाई जाए, कि मोहर का कुछ हिस्सा फोटो पर भी आए। ''हेल्थ कार्ड'' राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित कराये जा रहे हैं, शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराये जाएगें। ''हेल्थ कार्ड'' के प्रथम पृष्ठ पर कार्यालयाध्यक्ष के सूक्ष्म हस्ताक्षर किये जाए तथा द्वितीय पृष्ठ पर यथा स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर होंगे। कार्ड का नमूना संलग्न है।

1.4 नियमावली के नियम–15 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत 75 प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाये तथा नियमावली के संलग्नक–''घ'' में अंकित प्रारूप के अनुसार अग्रिम का रजिस्टर तैयार कराकर प्रत्येक प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये तथा प्रत्येक माह इसकी समीक्षा राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाये।

1.5 नियमावली के नियम–7(क) में अन्तः चिकित्सा हेतु वेतनमान के अनुसार

कर्मी को अनुमन्य वार्ड।

1.6 नियम–16 में दावा प्रस्तुत करने की अवधि उपचार समाप्ति के 3 माह के अन्दर निर्धारित की गयी है।

1.7 नियम–18 में दावे के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण।

1.8 नियम–19 में दावे के तकनीकी परीक्षण हेतु विस्तृत विवरण अंकित किये गये है। fpfdRlk nkok dk l{ke vf/kdkjh ls rduhdh ijh{k.k dk;kZy;k/;{k Lrj ls djk;k tk,xkA blls leLr dfeZ;ksa dks lEeyu es voxr djk fn;k tk,A

1.9 Ákbo\V vFkok fof'k"V fpfdRlk lLFkkuks es ¼Án'k ds vUnj o ckgj½ mipkj dh n'kk es fdlh Ádkj dh vfu;ferrk u gks blds fy, fu;e 13 dk dMkbZ ls vuqikyu fd;k tk,A

1.10 नियमावली में निहित नियमों का अनुपालन करते हुए चिकित्सा अग्रिम उदारता पूर्वक स्वीकृत किये जायें। जिन प्रकरणों में जीवन रक्षा निधि से पूर्व में ही कोई अग्रिम स्वीकृत किया गया है तो स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम से प्रथमतः जीवन रक्षा निधि का समायोजन कर लिया जाए।

1.11 नियमावली में निहित निर्देशों/नियमों के अनुसार चिकित्सा दावों का निस्तारण शीघ्र करके चिकित्सा अग्रिम का नियमानुसार समायोजन कर लिया जाये। चिकित्सा दावों का निस्तारण समय से सुनिश्चित कराना कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

1.12– स्वीकृतकर्ता अधिकारी हेतु चेकलिस्टः–

(I) अनिवार्यता प्रमाण–पत्र पर उपचार अवधि अंकित है अथवा नहीं?

(II) क्या दावा कालबाधित है? यदि हां तो स्वीकृति हेतु भेजने का औचित्य/कारण?

(III) समस्त बिल/वाउचर की मूल प्रति सम्बन्धित चिकित्सक से सत्यापित है अथवा नहीं?

(IV) अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोग का नाम, रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है अथवा नहीं?

(V) अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में अंकित उपचार अवधि के अनुसार ही बिल/वाउचर संलग्न है अथवा नहीं?

(VI) अनिवार्यता प्रमाण–पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है अथवा नहीं?

(VII) प्रतिहस्ताक्षकर्ता अधिकारी द्वारा देय धनराशि अनिवार्यता प्रमाण–पत्र

पर अंकित है अथवा नहीं? यदि हाँ तो कितनी?

(VIII) लाभार्थी द्वारा कोई अग्रिम लिया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ तो नियमानुसार समायोजन की कार्यवाही की जाए।

(IX) पेंशनर के मामले में सेवानिवृत्त की तिथि, पी०पी०ओ० नम्बर, कोषागार का नाम अंकित है अथवा नहीं?

1-13 fo'k"k&

(I) निजी चिकित्सक/चिकित्सालयों के उपचारी चिकित्सक से इस आशय का प्रमाण–पत्र कि उपचार तात्कालिक/आपात कालीन स्थिति में किया गया है।

(II) सक्षम तकनीकी परीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निजी उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की संस्तुति।

(III) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कराये गये निजी उपचार से संतुष्ट होने पर निजी उपचार पर व्यय धनराशि के प्रतिपूर्ति की संस्तुति करेंगे, ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली का दुरुपयोग न हो सके।

(IV) ऐसे उपचार हेतु कर्मी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथासमय शीघ्र, किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनाँक से 30 दिनों के भीतर सूचित किये जाना अनिवार्य होगा।

(V) इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि नियम–16 के प्रस्तर–2 में अंकित अंतरंग उपचार और बहिरंग उपचार से सम्बन्धित संलग्नक–'ङ' एवं 'च' चिकित्सा परिचर्या (नियमावली)–2011 में संलग्न नहीं किये गये हैं, अतः दावा पूर्व से प्रचलित अंतरंग उपचार हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र 'बी' व बहिरंग रोग उपचार हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र 'ए' ही में भरकर दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

(VI) निजी चिकित्सक/चिकित्सालयों में तभी उपचार कराया जाए जब उक्त उपचार सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो तथा सरकारी चिकित्सालय के सक्षम चिकित्सक द्वारा निजी चिकित्सालय में उपचार कराये जाने हेतु सन्दर्भित किया गया हो।

(VII) समस्त कार्यालयाध्यक्षों का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके स्तर से स्वीकृत होने वाले उपचार से सम्बन्धित दावों में उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। कार्यालयाध्यक्ष का यह भी उत्तर दायित्व होगा कि पुलिस मुख्यालय को अग्रसारित किये जाने वाले चिकित्सा दावों में भी उपरोक्तानुसार भली–भाँति परीक्षण करके अपेक्षित सूचना/प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। सूचना/प्रमाण–पत्र के अभाव में अपूर्ण चिकित्सा दावों को पुलिस

<u>मुख्यालय को अग्रसारित न किया जाए।</u>

2- måÁå ifyl ,o vkEM Qkslst lgk;rk laLFkku }kjk vkfFkd lgk;rk

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा (जारी पुस्तक) ¼lyXud&22½ आर्थिक सहायता प्रदेश में कानून व्यवस्था के रख–रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैवी आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य /दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों /आतंकवाद की घटनाओं में वीरगति प्राप्त हुए/स्थाई रूप से अपंग हुये मामलों में पुलिस/पीएसी कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो, के कल्याण हेतु संचालित योजनायें निम्नवत् हैः–

1. अनुग्रह अनुदान।
2. जीवन निर्वाह भत्ता हेतु आर्थिक सहायता।
3. लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता। (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो)
4. वार्षिक शिक्षा अनुदान।
5. चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति की सुविधा।

¼v½ vuqxg vuqnku%

¼1½ ohjxfr dks Áklr ekeys esa

क्रमांक		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24.04.95 तक के मामलों में (रु.)	दि० 25.04.95 से 31.03.98 तक के मामलों में (रु.)	दिनांकः01.04.98 से 31.12.03 तक के मामलों में (रु.)	दिनांकः01.01.04 से 12.11.09 उसके के बाद मामलों में (रु.)	दिनांकः13.11.09 व उसके के बाद मामलों में (रु.)
1	कमीशण्ड आफिसर	5000/–	50,000/–	75,000/–	1,50,000/–	2,50,000/–
2	जूनियर कमीशण्ड आफिसर	3,000/–	30,000/–	45,000/–	90,000/–	2,50,000/–
3	अन्य श्रेणी	2,000/–	20,000/–	45,000/–	90,000/–	2,50,000/–

¼2½ LFkk;h :Ik ls vaix ?kksf"kr ekeyksa esa

क्रमांक		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24.04. 95 तक के मामलों में (रु.)	दि० 25.04. 95 से 31. 03.98 तक के मामलों में (रु.)	दिनांकः01. 04.98 से 31.12.03 तक के मामलों में (रु.)	दिनांकः01. 01.04 से 12.11.09 उसके के बाद मामलों में (रु.)	दिनांकः13. 11.09 व उसके के बाद मामलों में (रु.)
1	कमीशण्ड आफिसर	2000/–	20,000/–	30,000/–	60,000/–	1,00,000/–
2	जूनियर कमीशण्ड आफिसर	1,500/–	15,000/–	22,000/–	45,000/–	1,00,000/–
3	अन्य श्रेणी	1,000/–	10,000/–	22,500/–	45,000/–	1,00,000/–

(नोटः– उपर्युक्तानुसार प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांकः13.11.2009 एवं उसके पश्चात् वीरगति को प्राप्त हुये अधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की धनराशि रु. 2,50,000/– समान रूप से तथा स्थायी रूप से अपंग घोषित अधिकारियों/कर्मियों को धनराशि रु. 1,00,000/– समान रूप से दिये जाने का निर्णय लिया गया)

¼c½ thou fuokZg gsrq&

क्रमांक		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24. 04.95 तक के मामलों में (रु.)	दि० 25.04. 95 से 31. 12.03 तक के मामलों में (रु.)	दिनांकः01.01. 04 से 12.11. 09 उसके के बाद मामलों में (रु.)	दिनांक :13. 11.09 व उसके के बाद मामलों में (रु.)
1	एक मुश्त एक बार हवलदार रैक तक के मामलों मे ही सहायता प्रदान की जाती है।	1,000/–	5,000/–	10,000/–	20,000/–

नोटः–यह सहायता केवल उन्हीं मामलों में प्रदान की जायेगी जिनकी आर्थिक

स्थिति ठीक न होने के कारण वास्तव में जीवन–यापन करना कठिन हो गया हो।

¼l½ yMfd;ksa dks fookg gsrq%&

क्रमांक		पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से 24.04.95 तक के मामलों में (रु.)	दि० 25.04.95 से 31.12.03 तक के मामलों में (रु.)	दिनाक :01.01.04 व उसके के बाद मामलों में (रु.)	दिनाकः13.11.09 व उसके के बाद मामलों में (रु.)
1	(जिनकी विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु हो) यह सहायता हवलदार रैंक तक के मामलों में ही प्रदान की जाती हैं। सिपाही, लान्सनायक, नायक एवं हवलदार एवं पुलिस पी.ए.सी. के समतुल्य रैंक।	1,500/–	15,000/–	30,000/–	60,000/–

नोटः–विवाह हेतु केवल वे ही प्रार्थना–पत्र भेजे जायें जिसमें विवाह की तिथि 13.11.2009 या उसके पश्चात की हो। इन मामलों में केवल 13.11.2009 से लागू दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित मामलों में नकद रूप में भुगतान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्रों के रूप में किया जायेगा। प्रार्थी को तद्नुसार निर्धारित प्रार्थना–पत्र में अपना विकल्प अंकित करना होगा। यह सहायता हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक तक के मामलों में ही अनुमन्य है।

¼n½ fo'ks"k fpfdRlk gsrq%&

जैसे–कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिक की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।

¼x½ okf"kZd f'k{kk vuqnku

संस्थान द्वारा उक्त योजना के लाभभोगियों के आश्रितों (भाई, बच्चे, बहन, मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे, जो उन पर पूर्णतया आश्रित हों) को सामान्य शिक्षा हेतु 22 वर्ष की आयु तक एवं प्राविधिक शिक्षा/मैनेजिरियल /व्यवसायिक /कृषि पाठ्यक्रम हेतु 25 वर्ष आयु तक के आश्रितों को वार्षिक शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले/इकाई के माध्यम से पुलिस/पीएसी मुख्यालय को संस्थान को प्रेषित करने हेतु भेजे जाते हैं। प्रार्थना पत्र वर्ष में 31 अक्टूबर तक संस्थान को पहुँच जाना चाहिए।

उक्त के सम्बन्ध में उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा दिनांकः11.12.2009 द्वारा निम्नानुसार सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी हैः–

1	9 से 10 तक	1600/–
2	11 से 12 तक	2000/–
3	बी०ए०/बी०काम०/बी०टी०सी०/बी०एस०सी०(ए०जी०)/बी०एड०/ एल०एल० बी०/बी०एस०सी०(लिब)/एल०टी०/एम० ए० तथा एम०काम०	2800/–
4	एम०एस०सी०/एल०एल०एम०/एम०एस०सी०(ए०जी०)/ एम०एस०डब्लू०/एम०एड० तथा एम०बी०ए०	3200/–
5	पी०एच०डी०, एल०एल०डी० तथा एम०फिल०(शोध कार्य में दी जाने वाली आर्थिक सहायता अब मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी)	20000/–
6	कोचिंग के लिए (प्रतियोगात्मक परीक्षा/उच्च शिक्षा) मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी।	4000/–

Ákfof/kd@eSuStfj;y@0;kolkf;d f'k{kk&

1	आई०टी०आई० सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल से नीचे या बराबर हो।	3200/–
2	सर्टीफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिए न्यून्तम योग्यता हाईस्कूल के ऊपर या उसके समकक्ष हो।	4000/–
3	डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे–बी०बी०एम०सी०/बी०डी०एस०/बी०यू०एम०एस/ बी०ए०एम०एस०/ बी०एच०एम०एस०।	6000/–
4	बी०टेक०, एम०टेक० तथा एम०बी०बी०एस०	10000/–
5	कम्प्यूटर शिक्षा हेतु डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन, डिपार्टमेन्ट आफ	20000/–

	इलेक्ट्रानिक (भारत सरकार) या किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में एक वर्ष या उससे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रति प्रतिक्षार्थी को आर्थिक सहायता अनुमन्य।	

¼3½ lLFkku d ykHkHkkfx;k ,o vud vkfJrk dk fpfdRlk 0;; Áfrifr dh lfo/kk nuk

संस्थान द्वारा केवल विशेष चिकित्सा जैसेः– कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु केवल सेना के हवलदार रैंक तथा पुलिस एवं पीएसी बल के सम्बन्धित समतुल्य रैंक तक के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों को किसी सरकारी अस्पताल, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज, जिन्हें भी मामले संदर्भित किये जायें, वहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सक की संस्तुति पर अनुमानित व्यय के 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

उल्लेखनीय है कि संस्थान द्वारा परिचालित उपरोक्त योजनाओं के लाभभोगियों के जो भी दावा प्रपत्र इस मुख्यालय को भेजे जायें, वे निर्धारित प्रपत्र में ही भेजे जायें तथा लाभभोगियों के दावा प्रपत्र को निम्नांकित चेक लिस्ट के अनुसार ही जाँच कर भेजे जायेंः–

¼d½ mRrj Án'k vkEM Qkl t lgk;rk lLFkku d vUrxr vuxg /kujkf'k gr vkonu i= d fy;½–

(अ) मृत घोषित मामलों मेंः–

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र
2. मृत घोषित किये जाने का डाक्टरी सर्टीफिकेट
3. पार्ट–II आदेश की प्रति पर सक्षम अधिकारी की संस्तुति/मुहर सहित।

(ब) स्थाई रूप से अपंग मामलों में (सेवानिवृत्त होने की दशा में)

1. स्थाई रूप से अपंग घोषित किये जाने का मेडिकल प्रमाण–पत्र
2. संबंधित रिकाड्र्स आफिस के द्वारा स्थायी रूप से अपंग घोषित किये जाने का प्रमाण–पत्र, जिसमें अपंगता का प्रतिशत एवं संबंधित सैन्य कर्मी की सेवानिवृत्ति होने की तिथि अंकित हो।

(ख) जीवन निर्वाह भत्ता हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र।
2. संस्थान तथा अन्य श्रोतों से अब तक प्राप्त की गयी आर्थिक सहायता का वर्षवार विवरण।
3. आश्रितों की संख्या, आयु सहित।

(ग) वार्षिक शिक्षा अनुदान

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र।
2. विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा।
3. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. शैक्षिक संस्था की प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट संलग्न की जाये।

(घ) शादी हेतु सहायता के लिए आवेदन पत्र

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र
2. आश्रिता जिसकी शादी होनी है, का जन्म प्रमाण पत्र
3. विवाह की सम्भावित तिथि
4. अन्य श्रोतों से इस सम्बन्ध में प्राप्त सहायता का विवरण यदि कोई मिला हो।

3- fodykax deZpkfj;ksa dks fy;s okgu O;; Áfrifrl HkRrk

शासनादेश संख्या.916/65–1–2000 दिनांक 19.06.2008 ¼lyXud&23-1½ के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 137/65–1– 2008–380/96, दिनांक:12.05.2008 ¼lyXud&23½ द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों में पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किया जाता है:–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर (रु. प्रतिमाह)
1	रु., 3049.00 तक	300.00
2	रु., 3050.00 से 5999.00 तक	400.00
3	रु., 6000.00 से अधिक	500.00

* उक्त वाहन भत्ते को "वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता" नाम से जाना जाएगा।

4- ifjokj fu;kstu oS;fDrd osru

चिकित्सा अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–प.क. 4601/16–11–79–9/155/79 दिनांक 23.02.1980 ¼lyXud&24-4½ ऐसे सरकारी सेवकों जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा है, कतिपय शर्तो के अधीन प्रोत्साहन के रूप में

एक वेतन वृद्धि के बराबर धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिनांक 01.01.1979 से स्वीकृत की गयी तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–1982 /दस–46(एम)1982, दिनांक 02.05.1982 के अनुसार उपरोक्त वैयक्तिक वेतन को दिनांक 08.12.2008 ¼lyXud&24½ के स्वीकृत नये वेतनमानों (वेतन बैण्ड) के आधार पर देने के आदेश जारी किये गये है।

क्र० सं०	दिनांकः01.01.1996 से प्रभावी वेतनमान	दिनांकः01–01–2006 से लागू वेतन बैण्ड	सादश्य ग्रेड–पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
1	2550–55–2660–60–3200	4440–7440	1300	210
2	2610–60–3150–65–3540	4440–7440	1400	
3	2650–65–3300–70–4000	4440–7440	1650	
4	2750–70–3800–75–4400	5200–20200	1800	
5	3050–75–3950–80–4590	5200–20200	1900	
6	3200–85–4900	5200–20200	2000	
7	4000–100–6000	5200–20200	2400	
8	4250–100–5150–125–6400	5200–20200	2800	250
9	4500–125–7000	5200–20200	2800	
10	4500–125–7250	5200–20200	2800	
11	5000–150–8000	9300–34800	4200	400
12	5500–175–9000	9300–34800	4200	
13	6500–200–10500	9300–34800	4200	
14	7450–225–11500	9300–34800	4600	450
15	7500–250–12000	9300–34800	4800	500
16	8000–275–13500	9300–34800	5400	550
17	8550–275–14600	15600–39100	5400	
18	10000–325–15200	15600–39100	6600	650

19	10650—325—15850	15600—39100	6600	
20	12000—375—16500	15600—39100	7600	750
21	14300—400—18300	15600—39100	8700	800
22	16400—450—20000	37400—67000	8900	900
23	18400—500—22400	37400—67000	10000	1000

* परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा अनुभाग—11 के शासनादेश संख्या 3258/16—11— 85—9(7)85 दिनांक 05.07.1985 के द्वारा वैयक्तिक वेतन स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया गया है :—

(1) जिन्होंने 40 वर्ष की आयु के पूर्व अपना परिवार दो बच्चों तक सीमित रखा हो और अपना या अपनी पत्नी की नसबंदी करा ली हो।

(2) अथवा 40 वर्ष से अधिक के ऐसे कर्मचारी जिनके परिवार दो बच्चों तक सीमित हों और सबसे छोटे बच्चें की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो।

(3) शासनादेश संख्या—वे०आ०—1—3148/दस—46(एम)/82, दिनांक 16.10. 1982 ¼lyXud&24-1½के अनुसार उक्त वैयक्तिक वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि तक मिलता रहेगा।

(4) शासनादेश संख्या—जी—2—1985/दस—2008—339/2008 दिनांक 11. 12.2008 ¼lyXud&24½ में यह सुविधा प्रदान की गयी की उपरोक्त स्वीकृत व्यैक्तिक वेतन को बढ़ाकर समकक्ष पद हेतु पुनरीक्षित वेतनमान जो 1 दिसम्बर 2008 से वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।

5- ifjokj fu;kstu ls lEcfU/kr fu;eksa dk lkjka'k

सरकारी सेवकों के अन्दर परिवार नियोजन की भावना जागृत करने हेतु तथा उसके प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की गयी हैः—

* गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार, मोटर साईकिल तथा स्कूटर अग्रिम आदि की स्वीकृति में अन्य सरकारी सेवकों की अपेक्षा उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने परिवार नियोजन करा लिया है।
* नसबन्दी ऑपरेशन कराने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
* महिला कर्मचारियों को लूप लगवाने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश की

सुविधा प्रदान की जाएगी।

* एक बार ऑपरेशन बिगड़ जाने पर दूसरी बार ऑपरेशन कराने हेतु भी विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
* महिला कर्मचारियों को गर्भपात कराने हेतु प्रत्येक बार 6 सप्ताह का पूरे वेतन पर विशेष प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। ऐसा अवकाश उनको अब सेवा काल में असीमित बार मिल सकता है किन्तु इसके लिए राजकीय महिला चिकित्सालय की मुख्य अधीक्षिका का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

l;yXu% Álfr vodk'k l;yXud

* उपरोक्त प्रसूति अवकाश के मध्य दो वर्ष के अन्तर होने की शर्त भी लागू नहीं होगी। (विज्ञप्ति संख्या सा–4–484/दस, दिनांक 03.05.1990)

6- vjkt if=r vf/kdkfj;k dk onh HkRrk dk Hkqxrku

शासनादेश संख्या 2826/छः–पु–1–11–151/09, दिनांक 20.10.2011 ¼l;yXud&25½ द्वारा क्रमशः निरीक्षक से सहायक उपनिरीक्षक तक तथा हे०कां०/कान्स० एवं चतुर्थ श्रेणी को निम्नवत दर से वर्दी भत्ता/वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य हैः–

पद नाम	प्रारम्भिक वर्दी भत्ता	नवीनीकरण भत्ता	धुलाई/अनुरक्षण भत्ता
निरीक्षक/उप निरीक्षक संवर्ग के अराजपत्रित अधिकारी	6000–00	6000–00 (प्रत्येक पांच वर्ष पर)	150–00 प्रतिमाह
हेड कान्स०/कान्स० संवर्ग के कर्मचारी	4800–00	1800–00 (प्रतिवर्ष)	150–00 प्रतिमाह
समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4000–00	1200–00 (प्रतिवर्ष)	12–00 प्रतिमाह

प्रत्येक वर्ष में जिन कर्मचारियो को वर्दी भत्ता की धनराशि देय हो अथवा पूर्व वर्षों में किन्हीं कारणों से भुगतान न किया गया हो, उनके अनुदान हेतु मांग–पत्र अलग–अलग प्रारूप में संकलित करके माह जुलाई तक के देय कर्मियों का मांग–पत्र 15 अगस्त तक तथा माह दिसम्बर तक के देय कर्मियों का मांग–पत्र 15 जनवरी तक अवश्य पुलिस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना होता है। मांग–पत्र भेजते समय कृपया इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी अराजपत्रित अधिकारी को देय मूल वर्दी भत्ता की गणना निम्न प्रकार करें:–

(क)	सीधी भर्ती के उप निरीक्षक ना०पु०	प्रशिक्षणोपरान्त एक वर्ष 7 माह पश्चात्
(ख)	रैंकर उपनिरीक्षक ना०पु० जो पीटीसी मुरादाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।	7 माह पश्चात्
(ग)	पैरा 191 आफिस मैनुअल के अन्तर्गत प्रोन्नति पाये हुये उपनिरीक्षक जो उपनिरीक्षक पद पर लगातार आफिसियेट कर चुके है।	7 माह पश्चात्
(घ)	लिपिकीय शाखा में अनुमोदित अभ्यर्थियों जो ए०एस०आई० (एम) के पद पर लगातार आफिसियेट कर चुके है।	7 माह पश्चात्

7 माह पश्चात् मूल वर्दी भत्ता के अतिरिक्त समस्त अराजपत्रित अधिकारियों को प्रति 05 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण वर्दी भत्ता देय होगा। कृपया इस तथ्य को ध्यान में रखकर वर्दी भत्ता की मांग वर्ष में दो बार प्रथम, 31 अगस्त तथा द्वितीय, 10 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप में पुलिस मुख्यालय अवश्य भेजें। वर्दी भत्ता की मांग टुकड़ों में नही की जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर यदि आप की मांग पुलिस मुख्यालय को नहीं प्राप्त हुई तो यह समझा जाता है कि आपकी मांग शून्य है तथा बाद में कोई भी धनराशि वर्दी भत्ता के अन्तर्गत आवंटित नहीं की जायेगी।

एल०आई०यू० शाखा में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों का मांग–पत्र अभिसूचना विभाग उ०प्र०, लखनऊ को विलम्बतम् 31 अगस्त तक अवश्य भेज दी जाय।

फायर सर्विस में नियुक्त एफ०एस०ओ०/एफ०एस०एस०ओ० के विषय में भी निर्धारित प्रारूप में सूचना अलग से संदर्भ किया जायेगा।

निलम्बित अधिकारियों के लिए वर्दी भत्ता की मांग नहीं की जायेगी। इसके लिए अलग से संदर्भ किया जायेगा।

यदि कोई अराजपत्रित अधिकारी वर्दी नवीनीकरण भत्ता के डेढ़ वर्ष के भीतर सेवानिवृत होने वाला हो अथवा उक्त भत्ता की देय तिथि को सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश पर हो तो उसे वर्दी भत्ता देय नहीं है।

मांग–पत्र भेजते समय बड़ी सावधानी से सेवाभिलेख की छानबीन के उपरान्त ही मांग–पत्र कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से पुलिस मुख्यालय भेजा जायेगा तथा अन्त में इस आशय का प्रमाण–पत्र भी अंकित किया जाय कि मांग–पत्र में अंकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित देय तिथि से वास्तविक रूप से देय है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। मांग–पत्र में उक्त प्रमाण–पत्र अंकित न होने की दशा में मांग–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

7- ifyl ind dk lkFk feyu okys HkRrs

पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक के साथ मिलने वाले अर्थिक भत्ता को संशोधित करते हुये भारत सरकार द्वारा संस्तुत पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के राजपत्रित व अरापजत्रित श्रेणी के पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 1142 पी/छः–पु–6–09–500 (56)/98 दिनांक 2 जुलाई, 2009 ¼lyXud&26½ से निम्नांकित बढ़ी दरों पर पदक भत्ते का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

1	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रु. 1500/– प्रति माह
2	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार	रु. 1500/– प्रति माह
3	वीरता हेतु पुलिस पदक	रु. 900/– प्रति माह
4	वीरता हेतु पुलिस पदक का बार	रु. 900/– प्रति माह

lyXud&1

संख्याः6597 / 8–7–265 / 81

प्रेषक,

श्री एस०एल०एस० कुमय्या,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद / लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–7 दिनांक :लखनऊः 7 फरवरी 1983

विषयः– पुलिस सुख–सुविधा निधि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के अ०शा० पत्र संख्याः12 / –315–81, दिनांक 15–12–1982 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीराज्यपाल पुलिस सुख–सुविधा के अन्तर्गत व्यय की वर्तमान अनुमोदित मदों में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) इस निधि के प्राविधान से शासन द्वारा अनुमोदित सुख–सुविधा की मदों के लिए आर्थिक सहायता पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग–घ के कर्मचारियों को सम्मिलित करके) को अनुमन्य होगी।

(2) सुख–सुविधा को वर्तमान मद संख्या (डी) में बीमारी के पश्चात कर्त्तव्यपालन के दौरान हुई घटना से मृत्यु या हानि शब्दों को जोड़ दिया जाए।

(3) वर्तमान मद संख्या (डी) (वी) में पुस्तकों शब्द के आगे ''लेखन सामग्री'' शब्द बढ़ा दिया जाए तथा शब्द ''हाईस्कूल तक'' हटा दिया जाए।

(4) वर्तमान मद संख्या (एल) में शब्द सिलाई मशीन के आगे ''बुनाई तथा कड़ाई के उपकरण / मशीन'' शब्द जोड़ दिये जाए।

(5) मद संख्या (के) अर्थात स्थानीय निकायों द्वारा पुलिस कान्स० / हेड कान्स० पर लगाये गये विभव एवं सम्पत्ति कर का भुगतान के मद को हटा दिया जाए।

(6) वर्तमान अनुमोदित मदों के सूची में निम्नलिखित नया मद (एल) बड़ा दिया जाएः–

''पुलिस लाइनों, पी०ए०सी० वाहिनियों तथा अन्य इकाईयों में कन्टीनों की सुविधा।

2. पुलिस कर्मचारियों के सुख–सुविधा निधि का वर्तमान बजट प्राविधान अपर्याप्त तथा उसे तुरन्त बढ़ाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः श्री राज्यपाल इस प्रयोजन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रु. 10,00,000/–(रु. दस लाख मात्र) का अग्रिम लेकर व्यय की स्वीकृति प्रदान करते है। अग्रिम की उक्त धनराशि प्रतिनियुक्त अनुपूरक अनुदान के माध्यम से यथासमय कर ली जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अधिनस्थ कर्मचारियों के सुख–सुविधा की उच्चतम प्राथमिकता के मदों पर किया जायेगा।

3. उपर्युक्त व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि के नाम डाला जायेगा और अन्तः लेखाशीर्षक'' 255–पुलिस–आयोजनेत्तर–झ–पुलिस कर्मचारी वर्ग का कल्याण–(1) पुलिस कर्मचारियों की सुख–सुविधा–अन्य व्यय तथा 260 अग्नि सुरक्षा तथा उसपर नियन्त्रण–क–सुरक्षा तथा नियंत्रण (1) मुख्य अन्य व्यय–(1) कर्मचारियों की सुविधा'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

ह०

(एस०एल०एस० कुमय्या)

सयुंक्त सचिव

वित्त विभाग

संख्याःई–12–सी–एफ–181/10–1993

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद को प्रेषितः–

भवदीय,

ह०./अ०

(एस०एल०एस० कुमय्या)

सयुंक्त सचिव

संख्याः6597(1)/8–7–265/81 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. वित्त(ई–12)–अनुभाग।
2. वित्त(बजट)अनुभाग–2।

आज्ञा से,

ह०./अ०

(एस०एल०एस० कुमय्या)

सयुंक्त सचिव

lyXud&1-1

e[;ky; iqfyl egkfun'kd mÙkj y[kuÅ&1

संख्याःडीजी–परिपत्र–एसएएफ–2005 दिनांक : जून 9, 2005

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

fo"k; :– राज्य सुख–सुविधा निधि शीर्षक के अन्तर्गत नीति/प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।

राज्य सुख सुविधा निधि से प्रतिवर्ष पुलिस की विभिन्न इकाईयों को काफी धन आवंटित किया जाता है जिसका उद्देश्य विभाग में स्थायी रूप से मनोरंजन एवं सुख–सुविधा हेतु विभिन्न उपकरण/साज–सज्जा के सामानों का क्रय किया जाना है, जिससे सामूहिक रूप से कर्मचारियों द्वारा मनोरंजन एवं सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। परन्तु यह देखने में आया है कि अधिकांश इकाईयों में राज्य सुख–सुविधा निधि की धनराशि उपरोक्त मदों में व्यय न करके आरक्षियों एवं अन्य कर्मचारियों को व्यक्तिगतरूप से धन स्वीकृत करके उक्त धनराशि का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिकांश कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अधिकारियों के कार्यालय/पेशी में तैनात होते हैं। इससे इस सुविधा का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। उपरोक्त प्रक्रिया अत्यन्त आपत्तिजनक है।

2– राज्य सुख–सुविधा निधि में आवंटित धनराशि से व्यय न करने के संबंध में शासनादेश 6597/आठ–7–265/81, दिनांक 07–02–1983 के द्वारा मदें निर्धारित की गई हैं। इनमें मुख्यतः निम्न मदों पर व्यय अधिकृत किया गया हैः–

(i) मनोरंजन कक्ष हेतु समाचार–पत्र, पुस्तिकायें, पुस्तकें, रेडियो, ट्रांजिस्टर सेट तथा टेलीविजन रेडियो।

(ii) उचित मामले में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु कपड़ों की व्यवस्था।

(iii) बच्चों के खेल के मैदान (चिल्ड्रेन पार्क) मनोरंजन कक्षों एवं क्लब में अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के बच्चों हेतु खेलकूद के सामान का प्रबन्ध।

(iv) बीमारी तथा अचानक आपत्तिकाल में पुलिस कर्मियों एवं उसके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाना। जैसे– दाह संस्कार हेतु, बाढ़/आग इत्यादि में उसकी सम्पत्ति हुई क्षति, लम्बी बीमारी, मृत अथवा दंगों के दौरान घायल

होने पर।

(v) पुलिस कल्याण केन्द्र में डाक्टरों की संस्तुति के अनुसार दवाईयों का क्रय।

(vi) अंशकालिक डाक्टरों/दाईयों के आनरेरिया का भुगतान।

(vii) पुलिस कर्मचारियों के परिवारों हेतु बुनाई, सिलाई, कढ़ाई सिखाने के लिये अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा बच्चों के स्कूलों हेतु अध्यापकों के आनरेरिया भुगतान पर किया जाना चाहिए।

3– उपरोक्त धनराशि के व्यय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

(1) यह ध्यान रखा जाय कि राज्य सुविधा निधि से उपरोक्त सभी मदों में आवश्यकतानुसार/समुचित रूप से व्यय किया जाय। विशेष रूप से थाने पर अखबार मंगाया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

(2) अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को बीमारी अथवा अन्य कारणों से आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाय कि इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को स्वीकृत धनराशि कुल अनुदान के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सुख–सुविधा निधि शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि उक्त निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाय तथा वर्ष 2006–07 के आगणन तैयार करने में उक्त नीति को ही आधार बनाया जाय।

4– उक्त आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक</u> : उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर

(यशपाल सिंह)

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

l;yXud&2

संख्याः6427 / आठ–7–187 / 80

प्रेषक,

श्री एस०एल०एस० कुमय्या,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद / लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–7 दिनांक :लखनऊः 12 जनवरी 1983

विषयः– उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण निधि पर अर्जित व्याज की धनराशि का पुलिस कल्याण की योजनाओं पर व्यय हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के अ०शा० पत्र संख्याः12–7–81, दिनांक 17–12–1982 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीराज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 1982–83 में संलग्न नियमावली में उल्लिखित पुलिस कल्याण की मदों पर रु. 61,80,000/– (रु. एकसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में लेखाशीर्षक ''255 पुलिस आयोजनेत्तर–झ–पुलिस कर्मचारियों का कल्याण(7) पुलिस कल्याण की योजनाओं पर व्यय'' के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याःई–12 / 110 / 10–83, दिनांक 18 जनवरी 1983 के द्वारा प्राप्त उसकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
ह० / एस०एल०एस० कुमय्या
सयुंक्त सचिव,

संख्याः6427(1)/आठ–7 तद् दिनांक

प्रतिलिपि संलग्न नियमावली के साथ निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–12

आज्ञा से,

ह०/एस०एल०एस० कुमय्या

सयुंक्त सचिव,

mRrj Án'k ifyl dY;k.k fuf/k ij vftr 0;kt dh /kujkf'k d mi;kx l lcf/kr fu;ekoyh%–

उत्तर प्रदेश कल्याण निधि पर अर्जित व्याज की धनराशि का उपयोग पुलिस कल्याण की योजनाओं/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिए व्याज की धनराशि के समतुल्य धनराशि का प्राविधान राजस्व शीर्षकः– 255–पुलिसः– के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. विधान मण्डल द्वारा बजट पारित किये जाने के पश्चात पुलिस कल्याण की योजनाओं मदों के लिए आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि निम्नलिखित कल्याण कारी कार्यक्रम पर व्यय हेतु पुलिस महानिरीक्षक के निस्तारण पर रख दी जायेगी।

(1) अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के भवनों जैसे–हास्टल, प्रसूतिगृह, मनोरंजन गृह, जिम्नास्टिक, पुलिस क्लब, बच्चों के लिए हास्टल, बच्चों के लिए पार्क आदि भवनों का निर्माण, सुधार, उनमें बिजली पानी की व्यवस्था, साज–सज्जा उपकरण तथा रख–रखाव आदि।

(2) अपंग/मानसिक रोग से ग्रस्त, विकलांग सेवारत पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता।

(3) सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के मृत्यु की दशा में जहॉ पर उनके परिवार की दशा अत्यन्त दयनीय हो, अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता।

(4) सेवारत/सेवानिवृत्त अराजपत्रित पुलिस/अग्नि कर्मियों के मेधावी बच्चों की शिक्षा।

ह०/

एस०एल०एस० कुमय्या

सयुंक्त सचिव,

l;yXud&3

Funds in U.P. Police

U.P. Police Education Fund

The U.P. Police Education Fund was created in the financial year 1966-67 vide G.O. No. 5423/VIII-E, dated January 24, 1967 with which a sum of Rs. 3,10,00 was received from Government as first instalment and later on a sum of Rs. 5,00,000 was received on March 30, 1967 vide G.O. No. 179/VIII-E-523/67, dated March 28, 1967. A corpus of Rs. 8,10,000 has been kept as fixed deposit in the State Bank of India, Lucknow. Besides, Govt. have also started giving a recurring annual grant of Rs. 1.2 lacs from the financial year 1982-83. The main purpose of this fund is to give better education to the children of serving non-Gazetted Government servant enrolled under the Police Act of 1861. In the year 1983, Government also decided to give scholarships and lump-sum grant to the meritorious children of non-IPS Gazetted Officers of Police Department.

2. The yearwise figures of financial help given from this fund are as follows :

Year	Number of Beneficiaries	Total amount sanctioned for Scholarship lump-sum grant
1966-67	94	16,725
1967-68	162	29,800
1968-69	142	62,000
1969-70	171	65,726
1970-71	118	57,874
1971-72	141	53,270
1972-73	162	28,272
1973-74	162	57,288
1974-75	137	65,400
1975-76	153	66,650
1976-77	143	67,215
1977-78	239	1,00,080
1978-79	255	73,275

1979-80	256	76,161
1980-81	268	79,634
1981-82	213	67,371
1982-83	309	1,64,940
1983-84	406	2,20,750
1984-85	378	2,21,480

3. The latest criteria of eligibility for financial help are as given in the guidelines. The scale of benefit fixed for the year 1984-85 is also enclosed.

4. The Managing Committee of the U.P. Police Education Fund consists of the following officers :-

(a)	The Director General of Police, U.P.	Chairman
(b)	The Inspector General of Police, PAC U.P.	Member
(c)	The Inspector General of Police, Lucknow Zone, Lucknow.	Member
(d)	The Dy. Inspector General of Police, Housing and Welfare, U.P., Allahabad.	Member
(e)	The Dy. Inspector Genl. of Police, C.B., CID	Member
(f)	The Dy. Inspector Genl. of Police, PAC HQ, U.P.	Member
(g)	The Dy. Inspector Genl. of Police, Int., U.P.	Member
(h)	The Director, Police Telecom, U.P.	Member Secretary-cum-Treasurer

4. The applications for scholarship/lump sum grant are invited every year by December 31 in the prescribed proforma. The annual meeting of the fund is generally held in the month of February and the applications are put up in the meeting for consideration. The sanctioned amount is disbursed through the Districts/Units concerned.

5. The accounts are audited regularly by the Audit Party of the U.P. Police Headquarters.

Guidelines for Award of Scholarships/Grants

Medical/Engg/Technical/Professional Courses

1. If a student has obtained admission in the 1st year of the Course

by a competitive examination, then scholarship will be given to him irrespective of marks obtained by him in the last academic examination.

2. If a student has acquired admission in the 1st year of the Course by any method other than competitive examination the scholarship will be given to him if he got 59.6 per cent marks or more in the last qualifying examination. If marks are 50 per cent or more but less than 59.6 per cent, he will be eligible for lump sum aid.

3. For subsequent years of the course, the student would be eligible for scholarship or lump sum aid irrespective of the marks obtained by him in previous year's professional examination. However, if a student was getting lump sum aid, but secures 59.6 per cent marks or more in the professional examination, he will be eligible for scholarship.

4. Post Graduate Diploma Courses in Computer Technology organised by the Engineering University will be considered as an Engineering Course.

5. Two years I.Sc. engineering course will be treated at par with 1st year and 2nd year of B.E. Course.

For Academic Courses (Non-Professional Type)

1. Students getting 59.6 per cent marks or more will get scholarship in Inter Science, B.Sc. and Post Graduation course in Arts and Commerce including M.Phil., MBA, M.Ed., etc.

2. Students getting 59.6 per cent marks or more, in Inter Arts and B.A./ B. Com. will get lump sum aid.

3. Students applying for scholarship for IInd year Intermediate course, marks of Inter Ist year will not be considered, but marks of High School examination will be considered as Inter Ist year is a home examination. Uttar Madhyamik examination course conducted by Sanskrit University, Varanasi will be treated as equivalent to Inter Course.

4. If a student has passed any Diploma or any other special course and thereafter joins B.A./B.Sc. or M.A./M.Sc. course, the marks of Diploma/special course will not be considered for scholarship lump sum aid, but the marks of the qualifying examination (i.e. the last examination necessary for admission) will be considered.

For Non-IPS G.O.s

From 1983 onwards, non-IPS Gazetted Officers are eligible for this help subject to the condition—total help to Gazetted Officers will not exceed Rs. 30,000 p.a. Criteria for help will be the same as above.

For Class IV Employees

Sons/Daughters of Class IV employees, securing 55% marks would be eligible for help.

Rates of Scholarship/Lump sum aid granted during Session 1984-85

		Scholarship	Lump sum aid
		Rs.	Rs.
1.	Graduate level Engg/ Medical Technology/Vet. Science	100 p.m.	350 p.a.
2.	Post Graduate level courses in Medical and Surgery.	100 p.m.	--
3.	Post Graduate courses in Engg. Technology and Vet. Science.	100 p.m.	--
4.	Diploma and post Diploma courses in Engg./Technology.	50 p.m.	250 p.a.
5.	Professional courses like B.Ed./B.Lib.Sc.	50 p.m.	300 p.a.
6.	Post Graduate courses	50 p.m.	--
7.	B.Sc.	50 p.m.	--
8.	B.A./B.Com./LLB	--	300 p.a.
9.	Inter Science	40 p.m.	--
10.	Inter Arts	--	200 p.a.

Note:- The rates of financial help are not fixed but are decided by the Committee every year in the annual meeting depending upon the amount available for help and the number of applications.

Rules of the "Committee of Management, Uttar Pradesh Police Education Fund" created in accordance with G.O. No. 5423/VIII-E, dated January 24, 1967

U.P. Police Education Fund Rules, 1966

1. **Name-** The name of the fund will be "The Uttar Pradesh Police Education Fund".

2. **Definitions—**In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) 'Committees' means the committee of management constituted under Rule 61; and

(b) 'Government' means the Government of Uttar Pradesh.

3. **Object—**(i) The fund will be used only for the purpose of giving better education to the children of serving non-gazetted police personnel (officers and ranks) including members of the ministerial staff enrolled under the Police Act, 1961.

(ii) The object referred to above will be furthered by--

(a) award of suitable scholarships to meritorious students;

(b) Sanction of lump sum grants for books and educational loans in exceptionally deserving cases;

(c) Meeting such other expenditure for educational purposes (except running of hostels and schools and undertaking of educational excursions and trips, holding of educational rallies and conferences and bringing out of books, magazines and periodicals) as may be considered necessary by the Committee.

4. **Finances—**The fund will be constituted by credit to it of an *ad hoc* grant of Rs. 8,10,000 from the Government of Uttar Pradesh.

(ii) Further grants and donations, if any, from Government; and grants and donations from non-Government agencies and individuals made to the Fund. The grants and donations from non-government agencies and individuals will, however, be accepted only with Government's approval.

(iii) All grants and donations accorded to the Fund shall be kept with the State Bank of India, Lucknow and invested either in Government securities or in fixed deposit with the State Bank or in both as the Managing Committee may decide.

(iv) The expenditure from the Fund shall be confined to the income accruing from interest earned on the deposit in the Fund including interest on Government Securities and the corpus of the fund shall always be maintained intact.

5. Accounts—(i) The accounts of the Fund shall be opened at the State Bank of India, Lucknow in the name of "The Committee of Management, Uttar Pradesh Police Education Fund" and operated jointly by the Chairman and the Treasurer.

(ii) The accounts shall be audited every year by a Chartered Accountant or a Gazetted Officer specially nominated by Chairman for this purpose. It shall however, be always open to the Government of Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India, to have the accounts audited by any officer who may be authorised by them/him in this behalf.

6. Management: (i) The management of the fund shall vest in the Committee consisting of the Chairman and the following members who will function in ex-office capacities :

1.	Director General of Police, U.P.	—Chairman
2.	Deputy Inspector General of Police, Criminal and Investigation Department, U.P.	—Member
3.	Deputy Inspector General of Police, Intelligence Department, U.P.	—Member
4.	Deputy Inspector General of Police, Pradeshik Armed Constabulary, U.P.	—Member
5.	State Radio Officer, U.P.	—Member and Secretary-cum-Treasurer.

(ii) The Committee shall ensure that accounts of the fund are maintained properly, all moneys are kept safely and invested properly and that they are utilised for the object for which the fund has been created.

(iii) The Committee shall--

(a) decide all matters connected with policy,

(b) sanction scholarships and grants,

(c) scrutinise the accounts, and

(d) pass the budget.

(iv) The Secretary-cum-Treasurer shall be the Chief Executive Officer of the fund and—

(a) Carry out the day to day business connected with the fund;

(b) cause the accounts to be maintained and audited;

(c) exercise control over the staff employed for the fund.

(v) The secretary-cum-Treasurer shall send a copy of the annual statement of accounts, duly audited, together with a copy of the Audit Report to Government in the Home (police) Department.

7. Meetings—(i) *Annual General Meeting*—The Committee shall meet at least once every year in July or August and the following business shall be transacted in the Annual General Meeting :--

(a) passing of Annual Report and Audited Accounts for the year ending 31st March;

(b) passing of the Budget for the ensuing year;

(c) Award of scholarships, grants and loans, *etc.* ;

(d) Any other business considered necessary for furthering the object of the fund.

(ii) *Extraordinary Meeting of the Committee;* may be called by the Secretary with the concurrence of the Chairman for transacting urgent business.

(iii) *Quorum*—The quorum necessary for the transaction of any business in a meeting shall be three members including the person presiding.

(iv) *President of meeting*--The Director General of Police and in his absence, the senior most member, shall preside in the meeting of the Committee.

(v) *Scholarships*—(1) Scholarships shall be awarded on the basis of merit alone after giving due oppotunity to all eligible candidates to apply for the same.

(2) The scholarships shall be awarded on such terms and conditions as the committee may, from time to time, prescribe.

(3) The scholarship shall be terminated if the awardee fails to make satisfactory progress or his conduct is unsatisfactory or his father is dismissed from service.

(4) The authority to select the course for which scholarships shall be awarded, to determine the number of scholarships and the tenure of each one of them, to award the scholarships to select individuals shall vest absolutely in the Committee.

(vi) *Loans*—Properly secured educational loans may be given to specially deserving candidates at such rates of interest as the Committee may, from time to time, decide. In each such case two reliable sureties for the full amount of the loan shall be furnished.

....

APPLICATION FORM

For Scholarship or lump-sum grant from the U.P. Police Education Fund

1. Name of the Applicant :

   Bank—

   Emoluments Total—

   Posting—

   Address—

2. Name of Student :

   Date of Birth of Student—

   Age on First July (in year)—

3. Relationship to the applicant :

4. Last Examination Passed : in the year :

   (a) Name of the last Institution attended

   (b) Marks obtained...................... out of .... Percentage

   (c) Division—

   (d) Position—

   (e) Awards, Scholarship, *etc* received during study—

5. Course of study for which Scholarship is applied for :

   (a) Class in which admission has been taken

   (b) Institution of study—

   (c) Whether recognized—

   (d) Duration of study—

   (e) Whether duly admitted—

   (f) Subjects offered—

   (g) In case of Medical/Technical/Professional Course, whether admission to the 1st year of the Course was through Competitive Examination?

6. Amount spent or to be spent on study :

   (a) Admission fees—

   (b) Books—

   (c) Stationery & Instruments—

   (d) Monthly fees—

7. Amount of Scholarship/Lump-sum Aid desired :

CERTIFICATE

I have attached the following documents :—

(i) Copy of Marks Sheet of last examination passed duly attested by the HEAD OF OFFICE under whom I am serving.

(ii) Character Certificate of my son/daughter from the Head of the Educational Institution in which he/she is studying.

(iii) If joined, Medical, Technical or Professional Course as a result of Competitive Examination, a Certificate to this effect from the Principal of the Institution of study.

I declare that I will abide by the rules framed for the award of Scholarship and that I will inform the Secretary-cum-Treasurer promptly if my son/daughter receives any other Scholarship or Financial Assistance from any other source during the pendency of this Scholarship.

Signature of Student *Signature of Applicant.*

FORWARDING NOTE BY THE HEAD OF OFFICE

1. The applicant is enrolled under the Police Act/Fire Service Act (in cases of Police & Fire Service personnel) or he is a Class IV employee of Police Department, U.P. The applicant is working under me. He is the father of.. who is wholly dependent on him.

2. I have satisfied myself that all the conditions prescribed under the Rules for the grant of Scholarship/Lump-sum Grant are fulfilled by the applicant.

3. I have checked up that all the required Certificates have been attached with the application and all columns of the application form have been filled in correctly.

Signature of the
Forwarding Officer
with Seal of Designation.

lyXud&3-1

m-Á- iqfyl f'k{kk fuf/k ls Nk=o`fRr@,deq'r vuqnku gsrq vkosnu i=

1. आवेदक/आवेदिका का नाम, पदनाम.................
   (बैज नं० यदि कोई हो)
2. नियुक्ति स्थान...
3. छात्र का नाम...
4. आवेदक से सम्बन्ध..................................
5. आवेदक की जाति..
6. शिक्षारत पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम, अवधि तथा अन्य विवरण :–
   - (अ) पाठ्यक्रम/व्यवसाय का नाम....................
   - (ब) पाठ्यक्रम/व्यवसाय की कुल अवधि...........
   - (स) संस्था का नाम जिसमें अध्ययनरत हैं........
   - (द) संस्था, किस संस्थान से मान्यता प्राप्त है/सम्बद्ध है...
   - (य) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का वर्ष (सत्र)............
   - (र) पाठ्यक्रम/व्यवसाय में प्रवेश का माध्यम................
     (प्रतियोगात्मक परीक्षा/मेरिट/प्रबन्धन कोटा/पेड सीट आदि में से जिसके द्वारा प्रवेश हुआ हो, वह लिखा जाय)
   - (ल) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम....
   - (व) वर्तमान शिक्षा सत्र में पाठ्यक्रम/व्यवसाय के किस वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत है
     (1) वर्ष....... (2) सेमेस्टर........
   - (श) गत शिक्षा सत्र (2004–05) में उत्तीर्ण परीक्षा नाम/परिणाम......
7. पाठ्यक्रम/व्यवसाय में अध्ययन पर व्यय की गयी/की जाने वाली धनराशि का विवरण :–
   - (अ) प्रवेश शुल्क............
   - (ब) पुस्तक व्यय............
   - (स) स्टेशनरी एवं उपकरणों पर व्यय.....
   - (द) मासिक शिक्षण शुल्क................
8. माँगी गयी छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान की धनराशि.........
9. संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र :–

(अ) चालू शिक्षा सत्र 2005–06 में अध्ययनरत रहने का निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र

(ब) गत शिक्षा सत्र में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र।

?kks"k.kk

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु उपबन्धित नियमों के पालन हेतु बाध्य हूँ तथा उसका पूर्णतया पालन करूंगा/करूंगी और ऐसी स्थिति में इस छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान सहायता हेतु आवेदन के लम्बित रहने के दौरान यदि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है अथवा उसे प्राप्त होती है तौ मैं सचिव एवं कोषाध्यक्ष, उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि को तत्काल इसकी सूचना दूँगा/दूंगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उ.प्र. पुलिस शिक्षा निधि से उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति/ एकमुश्त अनुदान हेतु परिपत्र में दिये गये निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लिया है जिसके अनुसार मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री समस्त वांछित अर्हताओं/शर्तो को पूर्ण करता/करती है। इस सम्बन्ध में मैंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत समस्त वांछित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

दिनांक :

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर) (आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)

(रैंक व बैज नं. सहित)

vxlkj.k vf/kdkjh dh vH;fDr

1. आवेदक/आवेदिका पुलिस एक्ट, पी.ए.सी. एक्ट, फायर सर्विस एक्ट (पुलिस, पी. ए.सी. व फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो लागू न हो उसे काट दें) के अन्तर्गत भर्ती है अथवा वह पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है। आवेदक/आवेदिका मेरे अधीन कार्यरत है तथा वह.. का/की पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक है जो कि पूर्णरूप से उसके ऊपर आश्रित है।

2. मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ कि आवेदक/आवेदिका उ.प्र. पुलिस छात्र निधि से छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान हेतु सभी शर्तो का पालन कर रहा है तथा उसने उसका अंकन आवेदन पत्र में कर दिया है।

3. मैंन जाँच लिया है कि आवेदक/आवेदिका ने आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है तथा आवेदन पत्र ठीक–ठाक व पूर्ण रूप से भरा हुआ है।

4. छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान के रूप में जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाय

वह आवेदक / आवेदिका को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से .... के नामे (आहरण / वितरण अधिकारी का नाम) भेजी जाय।

दिनांक : अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय मुहर सहित)

Áek.k i=

प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र ....इस सस्था .... (संस्था का नाम) में .... (पाठ्यक्रम / व्यवसाय का नाम यथा चिकित्सा, इन्जीनियरिंग अथवा प्रबन्धन, जिसमें अध्ययनरत हों) वर्ष .... से अध्ययनरत हैं।

इनका इस संस्था में प्रवेश .... संस्था द्वारा संचालित (संस्था का नाम लिखा जाय) प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा / मेरिट अथवा प्रबन्धन कोटा के अन्तर्गत पेड / अनपेड सीट पर हुआ है। पिछले सत्र .... में इन्होंने .... पाठ्यक्रम की .... सेमेस्टर / वर्ष की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। यह संस्था (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / विश्वविद्यालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / भारतीय चिकित्सा परिषद इत्यादि).. से मान्यता प्राप्त / सम्बद्ध है। यह पाठ्यक्रम / व्यवसाय... वर्षीय है।

संस्था के अभिलेखों के अनुसार इनका चाल–चलन संतोषजनक है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

कुलसचिव / सचिव / प्रधानाचार्य

या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर मय सील व मुहर

नोट : जो लागू न हों उसे काट दें / अथवा न लिखें।

l;yXud&4

संख्या:4805पी/आठ–6–1739/77

प्रेषक:–

श्री राधेश्याम माथुर,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद/लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ:दिनांक:5 दिसम्बर, 1977

विषय:– कर्तव्यपाल के दौरान मारे गये/घायल पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान समय में पुलिस के कठिन कर्तव्यों व दायित्वों को देखते हुए शासन यह अनुभव करता है कि जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कर्तव्यपालन के दौरान आक्रमण का शिकार होने के परिणाम स्वरूप मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं उनके परिवार को शासन द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाय, ताकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी यह महसूस करें कि शासन उनके एवं उनके परिवारों के हितों के प्रति जागरूक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि डाकुओं, अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से मुठभेड़ में या उत्तेजित और हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कर्तव्यपालन में लगी घातक चोटों के फलस्वरूप जो पुलिस कर्मचारी/अधिकारी मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाय, के आश्रितों को 5,000/– रुपये की आर्थिक सहायता तथा उन्हीं परिस्थितियों में जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हो जाय उन्हें 2,500/– रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता की स्वीकृति शासन द्वारा ही दी जायेगी।

2– इस सम्बंध में होने वाला व्यय मैदानी क्षेत्रों के सम्बंध में लेखाशीर्षक ''255–पुलिस –आयोजनेत्तर–च–जिला पुलिस (1) जिला पुलिस मुख्य–16–अन्य व्यय'' तथा पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बंध में लेखाशीर्षक 299–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र–पर्वतीय

क्षेत्र–क–निदेशन तथा प्रशासन (6) पुलिस–2–जिला पुलिस(मुख्य)–15–अन्य व्यय'' से वहन किया जायेगा।

3– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं०:ई–12/दस–3184, दिनांकः17 नवम्बर,1977 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/–

राधेश्याम माथुर

अनु सचिव

संख्याः4805पी/आठ–6–1739/77, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1–महालेखाकर, उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–गृह (पुलिस) अनुभाग–3/4/7/8

5–वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12

आज्ञा से

ह०/–

राधेश्याम माथुर

अनु सचिव

l;yXud&4-1

संख्याःसा–3–1340–दस–88–916–88

प्रेषक,

श्री बी०के० सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊःदिनांक 19 अगस्त,1988

विषयः– विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हुए विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। समय की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम भरे कार्यों का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैंः–

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय
(2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय
(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय
(4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर–बितर करते समय।
(5) दैवी आपदाओं जैसे–बाढ़, भूस्खलन, हिम स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा–आग–बुझाते समय अथवा जीवन

रक्षा करते समय।

(6) सक्रिय सेवा करते समय, उदाहरणतः–

(1) ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में।

(2) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु।

(3) लेबिल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु।

(4) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।

2– उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवकों द्वारा पूरी लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यों का सम्पादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यों से निपटने में सरकारी सेवकों का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यों के लिए उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता में समुचित वृद्धि किये जाने के लिए निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1– कर्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में बनाये रखने के योग्य न रह जायें और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहें तो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवकों को भी वही पेंशन दी जावेगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है। 100 प्रतिशत अक्षमता के लिए मेडिकल बोर्ड की संस्तुति और प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

2– सरकारी सेवकों की विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल III–एक के अन्तर्गत तात्कालिक एवं दीर्घकालीन राहत के रूप में अनुमन्य उपादान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त वर्ग 1,2,3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु., 40,000 रु., 30,000 रु. एवं 20,000 रु. अनुग्रह धनराशि के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम रु. 41,000 व अधिकतम रु. 1,05,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा।

श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि के भुगतान करने के लिए विभागाध्यक्ष प्राधिकृत किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

3— कर्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी केवल पुलिसजनों के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग—6 के शासनादेश संख्या:4805पी/अ/आठ—6—1739/77 दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 में रु. 2,500 की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। अब उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रु. 5,000(पांच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी, जिसे भुगतान करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा, किन्तु जो प्रशासकीय विभाग उचित समझे बिना वित्त विभागों की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते हैं परन्तु इसकी सूचना उन्हें वित्त (सामान्य) अनुभाग—3/सम्बन्धित वित्त(व्यय) नियंत्रण अनुभाग को भी देनी होगी।

4— उपर्युक्त सुविधायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से देय होंगी।

5— उक्त मद संख्या 2 (2) व 2 (3) में स्वीकृत सुविधाओं के लिये आवश्यक प्राविधान सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने आय—व्ययक में करायेंगे। मद संख्या 2(1) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के संगत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

ह०/—

(वी०के० सक्सेना)

प्रमुख सचिव।

संख्या:3239पी/छः—पु—6—90—1744/90,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3— विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।

4— गोपन अनुभाग—1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/23/88—सी०(एक्स), दिनांक 3 अगस्त 1988 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

ह०/—

गणेश दत्त दीक्षित,

उप सचिव।

l;yXud&4-2

संख्या:4466पी / आठ–6 / –88–1721 / 88

प्रेषकः–

एस०पी० वरधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ:दिनांक:29 दिसम्बर, 1988

विषयः– कर्तव्यपाल के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०:चार–2081–87 दिनांक:29 नवम्बर 1988 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभी तक गृह (पुलिस) अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या:4005पी / आठः–6–1739 / 77, दिनांक:05–12–1977 में सरकारी डियूटी के समय कर्तव्यपाल के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने वाले पुलिस जनों को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में रु. 2500 / –रुपये की आर्थिक सहायताा दिये जाने की व्यवस्था है। प्रश्नगत प्रकरण में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:सा–3–1340–दस–88–916–88, दिनांक:19–8–88 के द्वारा गृह(पुलिस)अनुभाग–6 के उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्यपाल के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को रु. 5,000 / –(पाँच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– अतएव शासन द्वारा गृह विभाग के अधीन कार्यरत पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों को, जो सरकारी डियूटी के समय कर्तव्यपालन के समय गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं, को रुपये 5,000 / –(पाँच हजार रुपये) की आर्थिक सहायता के रूप में तत्काल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु (विभागाध्यक्ष) पुलिस महानिदेशक उ०प्र० को प्राधिकृत किया जाता है।

3– यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

ह०/–

एस०पी० वरधान

संयुक्त सचिव

संख्याः4466पी/आठ–6ः–88–1721/88, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकर, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक

4–समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

5–वित्त(व्ययक–नियंत्रण)अनुभाग–12

6–वित्त(सामान्य)अनुभाग–3

7–गृह सचिव शाखा के समस्त अनुभाग

आज्ञा से

ह०/–

एस०पी० वरधान

संयुक्त सचिव।

l;yXud&4-3

<u>संख्या:3239पी/छः–पु–6–90–1744/90</u>

प्रेषक,

पी०के० शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ० प्र०, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 6 फरवरी, 1991

विषयः– पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बन्धित विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्याःसा–3–1340/ 10–88–916–88 दिनांक 19 अगस्त, 1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अक्षम को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की गुरुतर समस्या से निपटने में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते समय प्राणों की आहूति तक देनी पड़ती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि, जो वर्तमान में वर्ग–1/2/3 एवं 4 के सरकारी कर्मियों के लिये क्रमशः रुपये 50,000/–, 40,000/–, 30,000/– एवं 20,000/– है, को दो गुना किये जाने अर्थात क्रमशः 1,00,000/–, 80,000/–, 60,000/– एवं रु. 40,000/– किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार केवल पुलिस कर्मियों के मामले में उ०प्र० सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली

के अन्तर्गत देय उपादान एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम 61,000/– रु. व अधिकतम 1,50,000 रु. मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा।

2– उक्त बढ़ी हुई दर पर अनुग्रह धनराशि केवल उन पुलिस कर्मियों के परिवारों को अनुमन्य होगी, जो पुलिस कर्मी विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति (मृत्यु) को प्राप्त होंगे। ऐसे अवसर/परिस्थितियाँ निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:–

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ के समय

(2) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़ के समय

(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय

(4) हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर–बितर करते समय।

(5) दैवी आपदाओं जैसे–बाढ़, भूस्खलन, हिम स्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा–आग–बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।

3– वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर–1(6) में उल्लिखित सक्रिय सवा करते समय/विशेष जोखिम की परिस्थिति में मृत होने पर वित्त विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश में निर्धारित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश में प्रदत्त सुविधा से लाभान्वित न होने वाले पुलिस कर्मियों पर पुरानी दर पर यथावत लागू रहेगी।

4– दोगुनी दर पर एतद्द्वारा स्वीकृत यह अनुग्रह धनराशि मुख्य सचिव को अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मामले में अंतिम निर्णय ले लिये जाने के उपरान्त ही स्वीकार की जायेगी। इस समिति के सदस्यों में गृह सचिव, वित्त सचिव तथा पुलिस महानिदेशक उ०प्र० होंगे।

5– एतद्द्वारा स्वीकृत सुविधा इस आदेश के जारी होने की तिथि को या इसके पश्चात घटित घटनाओं के सम्बन्ध में ही देय होगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याःसा–3–49/दस–1991 दिनांक 2–2–91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/–

(पी०के० शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्याः3239पी / छः—पु—6—90—1744 / 90,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम / आडिट प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।

2— पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

4— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—12

5— गृह (पुलिस) अनुभाग—1 / 7

भवदीय,

ह० / —

(पी०के० शर्मा)

संयुक्त सचिव।

l;yXud&4-4

संख्याः4343पी/छः–पु०–6–99–1198/99

प्रेषकः–

श्री रुद्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊःदिनांकः3 दिसम्बर 1999

विषयः– पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः3239पी/छः–पु–6–90–1744/90, दिनांकः06–02–1991 तथा शासनादेश संख्याः3566पी/छः–पु–6–93–1154/93, दिनांकः15–01–1994 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों से सम्बंधित विशेष जोखिम पूर्ण कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु होने जाने पर सरकारी सेवकों व उनके परिवार को उत्तर प्रेदश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०ःसा–3–1340/ 10–88–916–88 दिनांक 19 अगस्त, 1988 के द्वारा घायलों को आर्थिक सहायता 100 प्रतिशत अक्षम को असाधारण पेंशन तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि आदि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की गुरूतर समस्या से निपटने में पुलिस कर्मियों को विशेष जोखिम की परिस्थितियों का सामना करते समय प्राणों की आहूति तक देनी पड़ती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ऐसे विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकः6 फरवरी 1991 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि, जो वर्तमान में वर्ग–1/2/3 एवं 4 के सरकारी कर्मियों के लिए क्रमशः रु. 1,00,000/–रु. 80,000/–रु. 60,000/–एवं रु. 40,000/– को दो गुना किए जाने अर्थात कमशः रु. 2,00,000/–रु. 1,60,000/–रु. 1,20,000/–एवं रु. 80,000/–की स्वीकृति प्रदान

करते हैं।

2— उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा उसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। शेष शर्तें उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित यथावत रहेंगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्याःजी—3—1127/दस—99, दिनांकः25—11—1999 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०/—

रुद्र कुमार गुप्ता

संयुक्त सचिव

संख्याः4343(1)पी/छः—पु०—6—99, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।

2— अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

4— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2

5— वित्त (व्ययक—नियंत्रण) अनुभाग—12

6— गृह (पुलिस) अनुभाग—1, 4, 7 व 12

7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह०/—

रुद्र कुमार गुप्ता

संयुक्त सचिव।

l;yXud&4-5

संख्या:2624पी / छः–पु०–6–2000–1198 / 99

प्रेषकः–

श्री रुद्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ:दिनांक:29 नवम्बर, 2000

विषयः– पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश शासनादेश संख्या:3239पी / छः–पु–6–90–1744 / 90, दिनांक:06–02–1991 तथा शासनादेश संख्या:3566पी / छः–पु–6–93–1154 / 93, दिनांक:15–01–1994 एवं शासनादेश संख्या:4343पी / छः–पु–6–99–1998 / 99, दिनांक:03–12–1999 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक:03, दिसम्बर 1999 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि जो वर्तमान में वर्ग 1 / 2 / 3 / 4 – कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए क्रमशः रु. 2,00,000 / –(दो लाख) रु. 1,60,000 / –(एक लाख साठ हजार मात्र) रु. 1,20,000 / –(एक लाख बीस हजार मात्र) एवं रु. 80,000 / –(अस्सी हजार मात्र) अनुमन्य है के स्थान पर मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को चार श्रेणियों में विभाजित करने के बजाय एक ही श्रेणी में मानते हुए अर्थात बिना श्रेणी भेदभाव के उन्हें प्रदान की जाने वाली अनुग्रह धनराशि रु. 2,50,000 / –(दो लाख पचास हजार मात्र) दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याःसा—3/1122/दस—2000, दिनांकः24—11—2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

ह०/—

रुद्र कुमार गुप्ता

संयुक्त सचिव

संख्याः2624पी/छः—पु०—6—2000, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—समस्त जिला मजिस्ट्रेट।

2—महालेखाकर, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।

3—अपर पुलिस समहानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4—वित्त (सामान्य) अनुभाग—3(पाँच प्रतियों में)।

5—वित्त (आयव्ययक) अनुभाग—2

6—वित्त (व्ययक—नियंत्रण) अनुभाग—12

7—गृह (पुलिस) अनुभाग—1,27 व 12

8—गृह (पुलिस) सेवायें— अनुभाग—1/2

9—गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह०/—

रुद्र कुमार गुप्ता

संयुक्त सचिव

lyXud&4-6

संख्याः3382पी / छः—पु०—6—2001 / 1198 / 99

प्रेषकः—

श्री रुद्र कुमार गुप्ता,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग—6 लखनऊःदिनांकः9 नवम्बर, 2001

विषयः— पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः3239पी / छः—पु—6—90—1744 / 90, दिनांकः06—02—1991 तथा शासनादेश संख्याः3566पी / छः—पु—6—93—1154 / 93, दिनांकः15—01—1994 एवं शासनादेश संख्याः4343पी / छः—पु—6—99—1998 / 99,दिनांकः03—12—1999 एवं संख्याः 2624पी / छः—पु०—6—2000—1198 / 999 दिनांकः29 नवम्बर 2000 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकः29 नवम्बर 2000 द्वारा अनुमन्य रु. 2,50,000 / —(रु. दो लाख पचास हजार मात्र) को बढाकर रु. 5,00,000 / —(रु. पाँच लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः सा—3 / 1762 / दस—2001, दिनांकः08, नवम्बर, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

ह० / —

रुद्र कुमार गुप्ता

संयुक्त सचिव

संख्याः3382पी / छः–पु०–6–2001, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०।

2–महालेखाकर, लेखा एवं हकदारी, प्रथम / आडिट, प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–अपर पुलिस समहानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4–वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 (पाँच प्रतियों में)।

5–वित्त (आयव्ययक) अनुभाग–2

6–वित्त (व्ययक–नियंत्रण) अनुभाग–12

7–गृह (पुलिस) अनुभाग–1,2,7 व 12

8–गृह (पुलिस) सेवायें– अनुभाग–1 / 2

9–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह० / –

रुद्र कुमार गुप्ता

संयुक्त सचिव।

l;yXud&4-7

<u>संख्याः3382पी/छः–पु०–6–2001/1198/99</u>

प्रेषकः–

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र०, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊःदिनांकः5 दिसम्बर, 2005

विषयः– पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः3239पी/छः–पु–6–90–1744/90, दिनांकः06–02–1991 तथा शासनादेश संख्याः3566पी/ छः–पु–6–93–1154/93, दिनांकः15–01–1994 एवं सशासनादेश संख्याः4343पी/छः–पु–6–99–1998/99, दिनांकः03–12–1999 एवं संख्याः 2624पी/छः–पु०–6–2000–1198/999 दिनांकः29 नवम्बर 2000 तथा शासनादेश संख्याः3382पी/छः–पु०–6–2001/ 1198/99, दिनांकः9–11–2001 के अनुक्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त शासनादेश दिनांकः9 नवम्बर 2001 द्वारा अनुमन्य रु. 5,00,000/–(रु. पाँच लाख मात्र) को बढाकर रु. 10,00,000/–(रु. दस लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि दिनांकः21 अक्टूबर 2005 से तथा उक्त तिथि के पश्चात होने वाली घटनाओं में देय होगी। उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याःसा–3/1182/ दस–2005, दिनांकः05, दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
हस्ताक्षर
कमल सक्सेना,
विशेष सचिव

संख्या:3590पी/छः–पु०–6–05, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।

3– अपर पुलिस समहानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 (पाँच प्रतियों में)।

5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2

6– वित्त (व्ययक–नियंत्रण) अनुभाग–12

7– गृह (पुलिस) अनुभाग–1,2,7/10

8– गृह (पुलिस) सेवायें– अनुभाग–1/2

9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/–

कमल सक्सेना,

विशेष सचिव,

l;yXud&4-8

<u>संख्या:3639पी / छः–पु०–6–05–1198 / 99</u>

प्रेषकः–

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र०, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊःदिनांकः6 दिसम्बर, 2005

विषयः– नक्सल प्रभावित जनपदों में तैनात पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने के फलस्वरूप, अनुग्रह धनराशि की आर्थिक सहायता दिए जाने की सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याःबारह / ए–अनु०धन०–2004 दिनांकः8 जुलाई, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को शासनादेश संख्याः3590पी / छः–पु०–6–05–1198 / 99, दिनांकः5 दिसम्बर 2005 के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि रु. 10,00,000 / –(रु. दस लाख मात्र) नक्सली आतंक में मारे गये पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रित परिवार को भी दी देय होगी।

भवदीय,
ह० / –
कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,

l[;k%3669¼1½ih@N%&iå&6&05] rnfnukd

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

2— महालेखाकर, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट, प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

4— अपर पुलिस समहानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

5— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2

6— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—12

7— गृह (पुलिस) अनुभाग—1,2,7/10

8— गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग—1/2

9— गार्ड

आज्ञा से,

ह०/—

कमल सक्सेना,

विशेष सचिव

l;yXud&4-9

वित्त (सामन्य) अनुभाग–3

संख्याःसा–3–1287/दस–2010

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2010

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय सरकारी सेवकों की मृत्यु पर उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज(असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम–10 सपठित शासनादेश संख्याःसा–3–1340–दस–88–910–88, दिनांकः19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर–2 में वर्ग 1,2,3, एवं 4 के कर्मचारियों के लिए क्रमशः रु. 50,000/– रु. 40,000/– रु. 30,000/– एवं रु. 20,000/– दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

2– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1–1–2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्याःसा–3–1508/दस–2008, दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुग्रह धनराशि की दरें निम्नानुसार संशोधित की जा चुकी है।

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुघर्टना में मृत्यु हो जाती है।	<u>रुपया</u> 10,00 लाख
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गति विधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु।	10,00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/ अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15,00 लाख
(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊंचाइयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर।	15,00 लाख

उक्त कार्यालय–ज्ञाप में यह व्यवस्था भी की गयी है कि संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3– तद्नुसार शासनादेश दिनांक 19–8–88 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
ह०/–
अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याःसा–3–1287/दस–2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकर,उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।

3–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद ,उ०प्र० सचिवालय।

4–समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

5–निदेशक, कोषागार उ०प्र० लखनऊ।

6–निदेशक, पेंशन निदेशाालय,उ०प्र० लखनऊ।

7–समस्त कोषागार,उ०प्र०।

आज्ञा से

ह०/–

(नील रतन कुमार)

lyXud&4-10

mRrj Áns'k iqfyl eq[;ky;] bykgkckn

संख्याः12/ए–अनुग्रह धनराशि–2003 दिनांक : जनवरी 20, 2003

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

2–समस्त कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

विषयः– कर्तब्यपालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि व घायल कर्मी को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में त्वरित, सुस्पष्ट एवं पूर्ण प्रस्ताव भेजने विषयक।

महोदय,

पुलिस मुख्यालय में प्राप्त अनुग्रह धनराशि के प्रकरणों की समीक्षा करने पर यह पाया गया किः–

(i) अनुग्रह धनराशि कितनी तथा किस प्रकार के मामलों में देय है एवं इस सम्बंध में क्या क्या शासनादेश हैं की पूर्ण जानकारी सम्भवतः प्रकरण अग्रसारित करने वाले अधिकारियों को नहीं है।

(ii) वीरता प्रदर्शित करने वाले मामलों में भी वर्ष–1988 के शासनादेश के अनुरूप संस्तुति कर दी जाती है, जो कि ठीक नहीं है।

(iii) जो भी प्रकरण पुलिस मुख्यालय भेजे जाते हैं उनके साथ आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहते हैं, जिनसे प्रकरण को बल मिल सके।

(1) मृत्यु की परिस्थितियों को विवरण (citation) स्पष्ट एवं to the point नहीं रहता है

(1) प्रकरण विलम्ब से अग्रसारित किये जाते हैं।

2– आपको अवगत कराना है कि विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण शासनादेश संख्याः3239पी/छः– पु–6– 90–1744/90 दिनांकः6–2–1991 के अनुरूप प्रेषित किये जाने हैं, न कि शासनादेश संख्याः सा–3–1340 /दस–88–916/88 दिनांक 19–8–1988 के अनुसार।

3– ऐसे प्रकरणों के सम्बंध में शासनादेश संख्याःसा–3–1340/ दस–88–916/88 दिनांक 19–8–1988 के क्रम निम्नलिखित शासनादेश समय–समय पर निर्गत हुए हैः–

1– शासनादेश संख्याः3239पी/छः–पु–6–90–1744/90, दिनांक : 06–02–1991

2– शासनादेश संख्याः4343पी/छः–पु–6–99–1998/99, दिनांक : 03–12–1999

3– शासनादेश संख्याः 2624पी / छः–पु०–6–2000–1198 / 999 दिनांक : 29–11–2000

4– शासनादेश संख्याः 3382पी / छः–पु०–6–2001 / 1198 / 99, दिनांक : 9–11–2001

4– शासनादेश संख्या : 3239पी / छः–पु–6–90–1744 / 90, दिनांक : 06–02–1991 में उन पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह धनराशि अनुमन्य की गयी है, जो पुलिस कमी विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति (मृत्यु) को प्राप्त होंगे। इस शासनादेश में ऐसे अवसर / परिस्थतियाँ निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड के समय।

(2) आंतकवादी तत्वों से मुठभेड के समय।

(3) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के समय।

(4) हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करना एवं तितर वितर करते समय।

(5) दैवी आपदाओं जैसे बाढ़–भू–स्खलन, हिम स्खलन, भूकम्म इत्यादि में सेवा करते समय तथा अन्य आपातकाल यथा आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।

5– तदुपरान्त शासनादेश संख्याः4343पी / छः–पु–6–99–1998 / 99, दिनांकः 03–12–1999, शासनादेश संख्याः2624पी / छः–पु०– 6–2000–1198 / 999, दिनांकः 29–11–2000, शासनादेश संख्याः3382पी / छः–पु०–6–2001 / 1198 / 99, दिनांकः 9–11–2001 में विभिन्न श्रेणियों में अनुमन्य राशियों में वृद्वि की गयी है। उक्त शासनादेशों के अनुसार घटना के दिनांक एवं वर्ष के अनुसार निम्नानुसार धनराशि देय होगीः–

श्रेणी	दि० 06–02–91 से 2–12–99 के मध्य की घटना GO32 39-P/CHHA-PU-6-90-1744/90, dt 6-2-91	दि० 03–12–99 से 28–11–2000 के मध्य की घटना GO 4343-P/CH HA-PU-6-99-1198/ 99,dt 3-12-99	दि० 29–11–2000 से 8–11–01 के मध्य की घटना GO2624-P/CH HA -PU-6-2000-1198/99, dt 29-11-2000	दि० 09–11–01 के बाद की घटना GO 33 82-P/CH HA -PU-6-2001/1198/ 99, dt 9-11-01
श्रेणी–1	1,00,000 / –	2,00,000 / –	2,50,000 / –	5,00,000 / –
श्रेणी–2	80,000 / –	1,60,000 / –	2,50,000 / –	5,00,000 / –
श्रेणी–3	60,000 / –	1,20,000 / –	2,50,000 / –	5,00,000 / –

श्रेणी–4	40,000/–	80,000/–	2,50,000/–	5,00,000/–

6– सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु अथवा कर्तव्य पालन के दौरान घायल होने के प्रकरणों में अनुग्रह धनराशि, शासनादेश संख्याः सा–3–1340 /दस–88–916/88 दिनांक 19–8–1988 के अनुरूप देय होगी, जिसमें सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु के निम्नलिखित उदाहरण दिये गये हैंः–

(1)ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में।

(2)मोटरगाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु।

(3)लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु।

(4)प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।

7– इस शासनादेश के अनुरूप सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु तथा कर्तव्यपालन के दौरान घायल होने की स्थिति में अनुग्रह धनराशि निम्नानुसार अनुमन्य की गयी हैः–

श्रेणी	सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु की स्थिति में अनुमन्य धनराशि	कर्तव्य पालन के दौरान घायल होने की स्थिति में अनुमन्य अनुग्रह धनराशि
श्रेणी–1	50,000/–	5,000/–
श्रेणी–2	40,000/–	5,000/–
श्रेणी–3	30,000/–	5,000/–
श्रेणी–4	20,000/–	5,000/–

8– विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस एवं कौशल का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप वीरगति (मृत्यु) के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य संलग्न किये जायंः–

a. अधिकारी/कर्मचारी की रवानगी पुष्टि में रवानगी की जीडी की नकल रपट एवं रवानगी के दिनांक की पूरी जीडी (प्रारम्भ से अन्त तक) की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

b. यदि अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त सूचना पर घटनास्थल पर पहुँचता है तो नियंत्रण कक्ष की उस दिन की लाग बुक की तीन की तीन प्रमाणित पठनीय तीन छाया प्रतियां, ताकि अधिकारी/ कर्मचारी के घटनास्थल के लिए रवाना होने एवं घटनास्थल पर होने की

पुष्टि होती है।

c. घटना से वापस आये कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गयी वापसी रिपोर्ट, जिसमें घटना का तस्करा हो, की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

d. प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

e. पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

f. शव–परीक्षण की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

g. वरि० पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण, जिसमें स्पष्ट रूप से घटनाक्रम (Sequence of events) का उल्लेख किया गया हो एवं उनकी स्पष्ट संस्तुति।

h. ऐसे प्रकरणों में जिनमें गोपनीयता बनाये रखने के लिए न तो नियंत्रण कक्ष को सूचना/लोकेशन दिये गये हों और तत्परता से मौके पर पहुँचने के लिए रवानगी की औपचारिकता न निभाई गई हो, तो वापसी का तस्करा ही पर्याप्त होगा। वरि० पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की संस्तुति में ये परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

9– सक्रिय सेवा समय मृत्यु के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जायं:–

1– अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय डियूटी पर होने का प्रमाण–पत्र। डियूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जीडी उपस्थिति रजिस्टर तथा डियूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धीरणों की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

2– सक्रिय सेवा के दौरान अन्य कारणों से हुई मृत्यु के मामलों में मृत्यु प्रमाण–पत्र, जिसमें मृत्यु के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, की, एवं पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

3– यदि शव–परीक्षण कराया गया हो, तथा शव–परीक्षण रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां।

4– यदि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है एवं विसरा सुरक्षित नहीं है तो विसरा की तीन प्रमाणित छायाप्रतियाँ।

5– यदि घटना के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना में जीडी का उल्लेख किया गया है, तो जीडी की और यदि यदि इस सम्बंध में प्रारम्भिक जाँच करके जाँच रिर्पोट प्रेषित की गयी है तो जाँच आख्या की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

6– पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां और यदि शव परीक्षण किया गया है तो शव–परीक्षण की पंचायतनामा की तीन प्रमाणित पठनीय

छायाप्रतियां।

7– मृत्यु की परिस्थति का संक्षिप्त विवरण।

10– कर्तव्य पालन के दोरान घायल होने के प्रकरणों में उक्त के अतिरिक्त तथाः

1– अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु के समय डियूटी पर होने का प्रमाण–पत्र। डियूटी पर होने की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख यथा जीडी, उपस्थिति रजिस्टर तथा डियूटी रजिस्टर इत्यादि के उद्धरणों की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

2– इंजरी रिपोर्ट की तीन पठनीय प्रमाणित छाया प्रतियां।

3– यदि घटना के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की, यदि घटना का जीडी में उल्लेख किया गया है तो तो जीडी की और यदि इस संबंध में प्रारम्भिक जाँच करके जाँच रिर्पोट प्रेषित की गयी है तो जाँच आख्या की तीन–तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

4– यदि प्रथम सूचना दर्ज हुई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां।

11– आप सहमत होंगे कि मृतक के आश्रितों को भरण पोषण हेतु तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में यह अनुग्रह धनराशि दी जाती है, अतः यह नितांत आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रकरणों में कोई विलम्ब न हो एवं पुलिस कर्मियों का अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये मनोबल बना रहे। अतः निर्देशित किया जाता है कि पुलिस कर्मियों की उक्त परिस्थतियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि के प्रस्ताव पुलिस कर्मी की मृत्यु की तिथि से 15 दिन के अन्दर सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/सेक्टर की संस्तुति सहित पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया जाय, ताकि अनुग्रह धनराशि शीघ्र स्वीकृत करायी जा सके। प्रस्ताव पूर्ण होने चाहिए। अधूरे प्रस्ताव प्रेषित करने से अनावश्यक पत्राचार तथा विलम्ब होता है, जो कदापि उचित नहीं है।

ह०/–

(जी० एल० शर्मा)

अपर पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ।

2–विभाग–4/20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

l;Xud&5

<u>संख्याःबी–3–7178/दस–96–4–(1)86–अनु०निधि०,</u>

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रकाश वैरिया,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनभाग–3 लखनऊःदिनांकः20 मार्च,1997

विषयः– सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्याःबी–3–540/दस–96– 4–(1)86–अनु०निधि०, दिनांकः14 जून, 1996, जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता विषयक संशोधित नियमवाली तथा निर्धारित प्रार्थना–पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

अतः नियमावली तथा प्रार्थना–पत्र के प्रारूप की एक प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे सम्बंधित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा नियमानुसर पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को ही निर्धारित प्रार्थना पत्र के प्रारूप में अपेक्षित सूचनाओं के साथ अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या/संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के विचारार्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

ह०/–

प्रेम प्रकाश वैरिया,

विशेष सचिव

संख्याःबी–3–7178/दस–96–4–(1)86–अनु०निधि०, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकर, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–महालेखाकर, प्रथम/द्वितीय (आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।

5–राज्यपाल सचिवालय।

6–निबन्धक, उच्च न्यायालय उ०प्र०, इलाहाबाद।

आज्ञा से

ह०/–

प्रेम प्रकाश वैरिया,

विशेष सचिव।

l;yXud&5-1

<u>संख्याःबी–3–3046/दस–98–4–(1)86–अनु०निधि०</u>

प्रेषकः–

के०सी०मिश्र,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊःदिनांकः 1 सितम्बर, 1998

विषयः– सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्याःबी–3– 3046/दस–98–4–(1)86–अनु०निधि०, दिनांकः 20–03–1997 के साथ प्रेषित की गयी उ०प्र० अनुकम्पा निधि नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए उक नियमावली के नियम–7 यथा स्थान पर निम्नलिखित अंश जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

"दिनांकः1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर दिनांकः1 जनवरी 1996 के बाद मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूरू वेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूल वेतन के बराबर धनराधि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी।"

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

3– यह आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावित होगा।

4– उ०प्र० अनुकम्पा निधि नियमावली को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

के० सी० मिश्र,

विशेष सचिव।

संख्याःबी–3–3046 / दस–98–4–(1)86–अनु०निधि०, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, प्रथम / द्वितीय(लेखा) उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–महालेखाकार, प्रथम / द्वितीय(आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–विधान सभा सचिवालय।

5–विधान परिषद सचिवालय।

6–राज्यपाल सचिवालय।

4–निबन्धक, उच्च न्यायालय उ०प्र०, इलाहाबाद।

आज्ञा से

ह० / –

के० सी० मिश्र,

विशेष सचिव।

l;yXud&5-2

<u>संख्याःबी–3–3065 / दस–2000–4(1)86–अनु०निधि०</u>

प्रेषकः–

डा० ब्रज मोहन जोशी,

सचिव,

उ०प्र० शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊःदिनांकः30 अगस्त, 2000

विषयः– सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्याःबी–3–3046 / दस–98–4–(1) 86–अनु०निधि०, दिनांकः 20–03–1997 जिसमे सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता विषयक संशोधित नियमावली तथा निर्धारित प्रार्थना–पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। अतः नियमावली की संशोधित प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे सम्बंधित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या / संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के विचारार्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह० / –

डा० ब्रज मोहन जोशी,

सचिव।

संख्याःबी–3–3046 / दस–98–4–(1)86–अनु०निधि०, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकर, प्रथम / द्वितीय(लेखा) उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–महालेखाकर, प्रथम / द्वितीय(आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–विधान सभा सचिवालय।

5–विधान परिषद सचिवालय।

6–राज्यपाल सचिवालय।

4–निबन्धक, उच्च न्यायालय उ०प्र०, इलाहाबाद।

आज्ञा से

ह० / –

के० सी० मिश्र

विशेष सचिव।

lyXud&5-3

संख्याःबी–3–3790/दस–2001–4(1)86–अनु०निधि०

प्रेषकः–

डा० बी०एम० जोशी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊःदिनांकः18 अक्टूबर, 2001

विषयः– सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्याःबी–3–3065/दस–2000–4(1)86–अनु०निधि०, दिनांकः30 अगस्त, 2000 का कृपया संदर्भ लें जिसके द्वारा नियमावली की संशोधित प्रति प्रेषित की गई थी।

उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तार–7 की पंक्ति ''किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषितक की न्यूनतम राशि 20,000/– रुपये तथा अधिकतम राशि 75,000/– रुपये होगी।के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जायः–

''किसी एक व्यक्ति के मामले में देय अनुतोष की न्यूनतम राशि 25,000/– रुपये तथा अधिकतम राशि 1,00,000/– रुपये होगी।''

3– शासनादेश दिनांकः30 8,2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,

ह०/–

डा० बी०एम० जोशी,

सचिव।

संख्या:बी–3–3046/दस–98–4–(1)86–अनु०निधि०, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय(लेखा) उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय(आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय।

5–राज्यपाल सचिवालय।

6–निबन्धक, उच्च न्यायालय उ०प्र०, इलाहाबाद।

आज्ञा से

ह०/–

शिवा नन्द गिरि

विशेष सचिव।

mRrj Án'k vu|dEik fuf/k fu;ekoyh

अनुकम्पा निधि का उद्देश उत्तर प्रदेश के राजस्व के वेतन वाले राज्य कर्मचारियों के उन परिवारों करना है जो ऐसे व्यक्ति की, जिस पर वे पालन पोषण के लिए निर्भर थे, असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं।

टिप्पणीः—इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द परिवार में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बंधियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेगे जो मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे—पत्नी, पति,वैध संतान,सौतेली संतान, पिता और माता। संतान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। अविवाहित पुत्री तथा बेराजेगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25 वर्ष रहेगी। पत्नी को छोड़कर पति अथवा संतान के सेवायोजन की स्थिति में वे (पति/संतान) आश्रित नहीं माने जायेगे। अतः उनके द्वारा आवेदन करने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

2— निधि की वार्षिक अनुदान अधिकतम धनराशि 80 लाख रुपये तक होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपयुक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।

3 सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए ''उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति'' नामक एक समिति नियुक्त की है। प्रमुख सचिव,वित्त अथवा वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होगे तथा चार सदस्य और होगे जिसमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव होगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव तथा उसे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा।

4— जब तक अन्यथा कार्यवाही की न्यायोचित ठहाराने वाली आपवादिक परिस्थितियां न हो तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नही करेगी जिनमेंः—

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष के पश्चात दिया गया हो।

5— मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना—पत्र निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके अधीन मृत कर्मचारी अन्तिम समय तक कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष/

विभागाध्यक्ष प्रार्थना–पत्र भाग–2 में अपेक्षित सूचना सावधानी पूर्वक भरकर प्रार्थना–पत्र को शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी सम्बंधित अभिलेख तथा प्रार्थना–पत्र के भाग–3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(1) समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और आवश्यकतानुसार समय–समय पर किसी एक मामले में कई बैठकें बुलाई जा सकती है।

(2) समिति नियम–7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से आनुतोषिक प्रदान किये जाने के सम्बंध में प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करेगी।

7– किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 20,000 रुपये तथा अधिकतम राशि 75,000 रुपये होगी। ठीक–ठीक राशि में सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 1 जनवरी 1996 से पूर्व के प्रकरणों में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 5 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 25 माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी 1996 के बाद के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूलवेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि के नियमानुसार अनुमन्य सहायता राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8– सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति सम्बंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक लाभार्थी के नाम अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट वित्त विभाग द्वारा बनवाकर सीधे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष बैंक ड्राफ्ट को संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराके उसकी पावती रसीद शीघ्रातिशीघ्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा देंगे और इसकी सूचना विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग को भी भेजेंगे। बैंक ड्राफ्ट भेजने की तिथि से एक

माह के अन्दर यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्बंधित लाभार्थी से पावती रसीद प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लाभार्थी को धन उपलब्ध कराकर पावती रसीद को वित्त विभाग को समय से न उपलब्ध करा पाने के कारणों की जानकारी प्राप्त करके बिलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कार्यालयाध्यक्ष से वांछित पावती रसीद यथाशीघ्र प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें।

9— अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक द्वारा तथा शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होगे।

10— निधि से स्वीकृत किये जाने वाली आनुतोषितक की विनियात्मक शर्तें निम्नलिखित हैंः—

(1) अन्य बातों के रहते हुए ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए, जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन पा रहे हों।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्तव्यपालन करते हुए होती है और जिन्हें अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान दूसरे विभागीय नियमों/आदेशों में है, के मामले में इस निधि से सामान्यतया सहायता नहीं दी जायेगी।

(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामले तक सीमित रहते हैं।

(4) ऐसी मृत्यु जो कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावन रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की माँग बलवती जो जाती है।

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए अनेक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पेंशन नहीं प्राप्त कर पाये हैं।

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले पर जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, निधि से सहायता देने के लिए विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के भीतर मृत्यु हो जाये और व अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो। परन्तु अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेगे। उदाहरणार्थ ऐसी परिस्थितियों में जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और वह उसके बाद ही मर गया हो और अपनी बीमारी के कारण अपने

परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा परविार को निराश्रित छोड़ गया हो।

(7) इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायं जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाय।

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय।

(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा।

l;yXud&5-4

संख्याःबी–3–1648 / दस–2011–20–(14)11–अनु.निधि.

प्रेषकः–

डा० बी०एम० जोशी,

सचिव, वित्त

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊःदिनांकः26 जुलाई, 2011

विषयः– सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रित को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याःबी–3–3065 / दस–2001–4–(1)86–अनु० निधि०, दिनांकः30 अगस्त,2000 द्वारा परिचालित की गई उ०प्र० अनुकम्पा निधि नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर 2 एवं प्रस्तर–7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान प्रस्तर	एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
ÁLrj&2 निधि की वार्षिक अनुदान अधिकतम धनराशि रु. 80,00,000 / – लाख रुपये तक होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।	ÁLrj&2 निधि की वार्षिक अनुदान अधिकतम धनराशि रु. 1,00,00,000 / – लाख रुपये तक होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपयुक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।
ÁLrj&7 किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषितक की न्यूनतम राशि रु. 25000 रुपये तथा अधिकतम राशि रु. 1,00,000 रुपये होगी। ठीक–ठीक राशि में सभी मामलों में परिवार के	ÁLrj&7 किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषितक की न्यूनतम राशि रु. 25000 रुपये तथा अधिकतम राशि रु. 1,00,000 रुपये होगी। ठीक–ठीक राशि में सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले

सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 1 जनवरी 1996 से पूर्व के प्रकरणों में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के पाँच गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 25 माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी 1996 के बाद के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूलवेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि के नियमानुसार अनुमन्य सहायता राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।	की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 1 जनवरी 1996 से लागू वेतनमान (पुराना वेतनमान) के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक की मृत्यु के समय के मूलवेतन (महँगाई वेतन को छोड़कर) के दो गनु के बराबर, दो आश्रित होने पर उक्त मूलवेतन के चार गुने के बराबर और इसी प्रकार 05 आश्रित होने पर उक्त मूलवेतन के 10 गुने के बराबर धनराशि तथा दिनांकः1–1–2006 के बाद के प्रकरण में दिनांकः 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक की मृत्यु के समय वेतन बैण्ड में वेतन के दो गुने के बराबर, दो आश्रित होने पर वेतन बैण्ड में वेतन के 4 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर वेतन बैण्ड में वेतन के दस गुने के बराबर धनराशि निर्धारित करते हुए उपर्युक्त निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूल वेतन में से ग्रेड वेतन को घटाकर होगा। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि के नियमानुसार अनुमन्य सहायता राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

2– यह आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

3– उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4– जिन मामलों में पूर्व में उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है उन्हें इस आदेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री–ओपेन नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
ह०/–
बी०एम० जोशी,
सचिव।

संख्याःबी–3–1648/दस–2011–20–(14)11–अनु.निधि, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–प्रधान महालेखाकर, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय।

5–राज्यपाल सचिवालय।

6–महानिबन्धक, मा.उच्च न्यायालय उ०प्र०, इलाहाबाद।

आज्ञा से
ह०/–
नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव।

l;yXud&5-5

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा कोष से अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारूप

भाग 1 आवेदक द्वारा भरा जायेगा

1. मृत सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद नामः–...
2. कार्यालय का पता जहाँ मृत्यु के समय वह कार्यरत थाः–................................
3. मृत्यु का कारणः–...
4. मृत्यु की तारीखः–...
5. आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से सम्बन्धः–...
6. निवास स्थान का पूरा पताः–...
   (क) स्थाईः–..
   (ख) पत्र व्यवहार का पताः–..
7. आवेदक का पहचान चिन्हः–..
8. आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा परिवार की आर्थिक स्थितिः–.... ....
9. मृतक द्वारा छोड़ी गयी चल/अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आयः–......................................
10. मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/स्थिति..............
11. उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशिः–.............................
12. भुगतान का स्थानः–...
13. मृतक कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरणः–

क्रमांक	नाम	आयु	मृतक कर्मचारी से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			

14– यदि पुत्र या पुत्रियाँ अध्ययनरत हो तो उनके विवरणः–

क्रमांक	नाम	आयु	मृतक कर्मचारी से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			

दिनांक..........................सन् आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं...पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री स्व. श्री/श्रीमती. ....यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि जो विवरण ऊपर दिये गये है, मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना–पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे मेरी स्थाई अथवा अस्थाई सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक................................ *आवेदक के हस्ताक्षर*

<u>भाग 2 कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा</u>

1. मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम...
2. मृत्यु के समय का वेतन...
3. सेवा की अवधि..................................वर्ष...................माह.....................दिन............
4. स्थाई अथवा अस्थाई..
5. मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि–अंशदायी (कन्ट्रीब्यूटरी) में जमा वास्तविक अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति...
6. मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स) स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति..................
7. मृतक के परिवार को प्रस्तावित/स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की धनराशि तथा उनके भुगतान की स्थिति..........
8. मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक की वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति................................ ....
9. मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण से प्राप्त/प्राप्य

वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसमें भुगतान की स्थिति..................................
....

10. मृतक के परिवार के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्य धनराशि का भुगतान की स्थिति............

11. मृतक के परिवार की यदि किसी वैभागिक परोपकारी कोष से सहायता स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत होने की आशा हो तो उसका पूर्ण विवरण............................ ....

12. मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान कोई राजकीय ऋण/अग्रिम लिया हो तो ब्याज सहित उसकी वसूली की स्थिति.......................................

13. उ०प्र० सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा में लिया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण एवं उसकी मासिक परिलब्धियाँ, यदि नहीं, तो क्यो ?....... ....

14. प्रस्तावित अनुदान की राशि संस्तुति करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति.................. ....

दिनांक.. ई०

संस्तुति करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और पद नाम

प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक... ई०

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

टिप्पणीः–

(क) प्रार्थना–पत्र के कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम 5 से 10 तक में अपेक्षित धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना–पत्र के अग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुये भुगतान होने वाली अनुमानित धनराशि का उल्लेख कर दिया जाय।

(ख) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिए अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से सलंग्न कर दिया जाय।

(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जायें।

l;yXud&6

No.1/Police(L)/2011(1)-2291-2345

INTELLIGENCE BUREAU

(Ministry of Home Affairs)

Government of India.

New Delhi, the ...

18 AUG 2011

MEMORANDUM

Sub: Grant of Scholarship out of Police Memorial Fund for the academic year 2011 - 12.

Applications in the prescribed proforma (enclosed) are invited from the children of non-gazetted policemen killed on duty for the grant of scholarships for pursuing **professional courses** like MBBS, BE, B.Tech, MBA, MCA etc. @ Rs. 15,000/- p.a. and other **general academic university courses** viz., B.Sc., B.Com., M.Sc., M.A., etc. @ Rs. 5,000/- p.a. on regular basis in various disciplines.

2. Total number of scholarships under both the categories would be 15 (Professional - 5 & General University Courses - 10). In case more than 15 applications are received, merit will determine the grant of scholarships. The Screening Committee will take the Fund position and number of appilcations into consideration while deciding the scholarship under each category. The Committee, while recommending the cases, would be guided by the academic records of the applicant and the status of the course as well as the status/prestige of the educational institution.

3. The applications must be accompanied by:-

i) Certified copies of the mark-sheets of all the examinations passed from 10+2 level onwards.

ii) A certificate from the concerned Educational Institution certifying that the applicant is a regular bonafide student of the institution during the academic year 2011-12 and that the institute is recognized by the local University/U.G.C.

4. Duly filled in applications should be recommended by an Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police/Commandant or equivalent under whom the applicant's father was last posted when he expired. The Officer

while recommending should, inter-alia, mention the brief circumstances of the death of the applicant's father.

5. A 'Check list' to ensure that the aplication being forwarded to us is complete in all respects is being sent herewith, which may be filled up and submitted along-with each application.

6. The application must reach Shri P.R. Kapoor, Assistant Director, IB (MHA), Govt. of India, 35, Sardar Patel Marg, New Delhi latest by 10.11.2011 positively. **Incomplete applications and applications received after 10.11.2011 will not be entertained.**

(K C Meena)
Joint Director &
Secretary, PMF

Directors General of Police	:	Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand & West Bengal.
Director General	:	BPR&D, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NIA, NDRF & CD, NCB, NCRB, NSG, RPF & SSB.
Inspectors General of Police	:	Chandigarh, Daman & Diu and Puducherry.
Director	:	CBI, DCPW, NICFS, SPG and SVPNPA, Hyd.
Secretary	:	R & AW, New Delhi.
Commissioner of Police	:	Delhi, Kolkata & Mumbai.
Commissioner of Security (CA)	:	BCAS.

APPLICATION FOR GRANT OF SCHOLARSHIP OUT OF POLICE MEMORIAL FUND FOR THE ACADEMIC YEAR 2011-12

1. Name of Applicant :
2. Father's Name :
3. Date of Birth :
4. Present Postal Address :
5. Class/Course being Studied **(on regular basis)** and duration of the course. :
6. Name of the Educational Institution where the said course is being pursued. :
   (Please attach a bonafide certificate from the Head of the Institution certifying inter-alia that the institution is recognised by the University/UGC.
7. Board/University examination passed last :
   Please attach a certified copy of the marks sheet):
8. Details of Educational qualifications (10+2 level onwards) :

Name of Examination Passed	Board/University	Year of Passing	Division & % of marks obtained

(Please attach attested copies of the certificates and marks-sheets of all the examinations passed)

9. Whether the applicant is in receipt of any other scholarship, if so, please mention the name of the schlarship and its amount p.a. : :
10. Name of office/unit (with rank) where the applicant's father was posted last. :
11. Brief circumstances of father's death. :
12. a) Details of the members of the deceased's Family. :
    b) Annual income of the family from all sources.:

Place :

Date :

Signature of the applicant

To be filled by a police officer not below the rank of Commandant/ Superintendent of Police under whose jurisdiction the applicant's father was posted last.

i) Circumstances in brief of the death of the applicant's father. :

ii) Recommendation of the Competent authority forwarding the application. :

Certified that the facts given by the appliant have been verified and found correct.

Signature &
Designation
alongwith office SEAL.

CHECK LIST

1.	Whether all the column in the Application form have been properly filled up.	Yes/No
2.	Whether certified copies of the mark sheets of all the exams Passed (10+2 onwards) have been enclosed.	Yes/No
3.	Whether certificate from the concerned Education Institution certifying that the applicant is a bonafide student of the institution during 2011-12 has been enclosed.	Yes/No
4.	Whether the Institute is recognized by the local University/UGC.	Yes/No
5.	Whether the application has been recommended by the competent Police Officer.	Yes/No
6.	Whether the brief circumstances of the death of the applicant's father has been mentioned.	Yes/No
7.	Whether the application has been signed by the applicant and competent Police Officer.	Yes/No

l;yXud&7

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या–665(1)/छः–पु०–1–24/93

लखनऊः दिनांकः फरवरी, 3 ,1994

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे आरक्षी और उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर को, जिन्होंने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया हो, मनोबल और साहस बढ़ाने के लिए क्रमशः मुख्य आरक्षी पद पर और निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश देने का निदेश हुआ हैः–

(1) अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस बल के उक्त कर्मियों को यथास्थिति आरक्षी से मुख्य आरक्षी तथा उपनिरीक्षक से निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के निःसंवर्गीय पद पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, यथास्थिति, मुख्य आरक्षी या निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर के निःसंवर्गीय पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर दिया जा सकेगा।

(3) पुलिस बल के ऐसे आरक्षी या उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मी की कोटि में आयेंगे, जिन्होंने कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उनकी गिरफ्तारी साहस और शौर्य प्रदर्शित किया हो या अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो।

(4) उक्त निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति पुलिस महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के उपरांत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) यह आदेश इस विषय पर समय–समय पर जारी आदेशों में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

(6) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/

(सुरेन्द्र मोहन)

प्रमुख सचिव, गृह

संख्या–665(1) / छः–पु०–1–24 / 93 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेन्ज।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, लखनऊ।

l;yXud&7-1

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या–665/छः–पु०–1–24/93

लखनऊः दिनांकः फरवरी, 3 ,1994

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे मुख्य आरक्षी को जो अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करें, यथास्थिति उपनिरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के अधीन निम्नलिखित आदेश देने का निदेश हुआ हैः–

(1) अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले मुख्य आरक्षियों के लिये समय–समय पर होने वाली उपनिरीक्षक /प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थियों से भरी जाने वाली रिक्तियों में अधिकतम पांच प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा।

(2) ऐसे मुख्य आरक्षी अदम्य साहस एवं शौर्य प्रर्दशन करने वाले मुख्य आरक्षी की कोटि में आयेंगे जिन्होने कुख्यात आतंकवादी या जघन्य अपराधी के साथ मुठभेड़ या उनकी गिरफ्तारी में अदम्य साहस और शौर्य प्रदर्शित किया हो या अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य किया हो।

(3) उक्त कोटि के मुख्य आरक्षियों का यथास्थिति उपनिरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति हेतु आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा। यह नियुक्ति अनन्तिम एवं अस्थायी होगी।

(4) खण्ड (3) के अन्तर्गत नियुक्त उपनिरीक्षक /प्लाटून कमाण्डर को नियुक्ति के पश्चात अगले आयोजित उपनिरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और प्रशिक्षण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की जायेगी और उसके ज्येष्ठता क्रम का निर्धारण परीक्षा में प्राप्त क्रम के आधार पर किया जायेगा।

(5) खण्ड (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे ये सम्बन्धित हैं यथा यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके अनुसूचित जाति के कोटे में रखा जायेगा।

(6) इस कोटि के लिये आरक्षित रिक्तियों को अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(7) यह आदेश इस विभाग पर समय–समय पर जारी आदेशों में किसी अन्य बात के होते हुये भी प्रभावी होगा।

(8) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/
(सुरेन्द्र मोहन)
प्रमुख सचिव गृह

संख्या–665(1)/छःपु०–1–24/93 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेन्ज।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह०/
(दिनेशचन्द्र)
संयुक्त सचिव,

lyXud&8

<u>उत्तर प्रदेश सरकार</u>

नियुक्ति विभाग

अनुभाग–4

अधिसूचना

7 अक्टूबर, 1974 ई०

सं० 6–12/1973–नियुक्ति–(4)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों को आश्रितों की भर्ती की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैः

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के
आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

1– lf{kIr uke rFkk ÁkjEHk––(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2– ifjHkk"kk,& जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में––

(क) 'सरकारी सेवक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो–

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण––'नियमित रूप से नियुक्त' का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाने से है;

(ख) 'मृत सरकारी सेवक' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय;

(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगेः–

(1) पत्नी या पति;

(2) पुत्र;

(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ।

(घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस

कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3– fu;ekoyh dk ykxw fd;k tkuk– यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोकसेवाओं में और पदों पर मृत सकरारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4– bl fu;ekoyh dk v/;kjkgh ÁHkko–इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5– e`rd ds dqVqEc ds fdlh lnL; dh Hkrh–यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों की शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशाक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

6– lsok;kstu ds fy, vkosnu&i= dh fo"k;&oLrq– इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन–पत्र में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगीः–

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था;

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे;

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा; और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

7– ÁfØ;k tc dqVqEc ds ,dkf/kd lnL; lsok;kstu pkgrs gksa––यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायगा।

8& vk;| rFkk vU; vi{kkvk e f'kfFkyrk&&(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा, इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायगी।

9– I kekU; vgrkvk d I EcU/k e fu;fDr Ákf/kdkjh dk I ek/kku–किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि–

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है;

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेगे।

(ख) वह मानसिक तथा शरीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

dfBukb;k dk nj dju dh 'kfDr

10– राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे व्यवहार या लोक–हित में आवश्यक या समीचीन समझें।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12-1973-Niyukti-4, dated October 7, 1974:

No. 6/12-1973-Niyukti-4

October 7, 1974

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following special rules regulating the recruitment of the dependants of Government servants dying in harness:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS RULES, 1974.

1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from December 21, 1973.

2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Government servant" means a Government servant employed in connection with the affairs of Uttar Pradesh who-

(i) was permanent in such employment; or

(ii) though temporary had been regularly appointed in such employment; or

(iii) though not regularly appointed, had put in three years continuous service in a regular vacancy in such employment.

Explanation- "Regularly appointed" means appointed in accordance with the procedure laid down for recruitment to the post or service, as the case may be;

(b) "deceased Government servant" means a Government servant who dies while in service;

(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:

(i) Wife or husband;

(ii) Sons;

(iii) Unmarried and widowed daughters;

(d) "Head of Office" means Head of Office in which the deceased Government servant was serving prior to his death.

3. Application of the rules-These rules shall apply to recruitment of dependants of the deceased Government servants to public services and posts in connection with the affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Publice Service Commission.

4. Overriding effect of these rules- These rules and any orders issued thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any rules, regulations or orders in force at the commencement of these rules.

5. Recruitment of a member of the family of the deceased- In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules, provided such member fulfils the educational qualifications prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government service. Such employment should be given without delay and, as far as possible, in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.

6. Contents of application for employment-An application for appointment under these rules shall be addressed to the appointing authority in repect of the post for which appointment is sought but it shall be sent to the Head of Office where the deceased Government servant was serving prior to his death. The application shall, inter alia, contain the following information:

(a) The date of the death of the deceased Government servant; the department in which he was working and the post which he was holding prior to his death;

(b) names, ages and other details pertaining to all the members of the family of the deceased, particularly about their marriage, employment and income;

(c) details of the financial condition of the family; and

(d) the educational and other qualifications, if any, of the applicant.

7. Procedure when more than one member of the family seeks employment—If more than one member of the family of the deceased Government servant seeks employment under these rules, the Head of Office shall decide about the suitability of the person for giving employment. The decision will be taken keeping in view also the overall interest of the welfare of the entire family, particularly the widow and the minor members thereof.

8. Relaxation from age and other requirements—(1) The candidate seeking appointment under these rules must not be less than 18 years at the time of appointment.

(2) The procedural requirements for selection, such as written test or interview by a selection committee or any other authority, shall be dispensed with, but it shall be open to the appointing authority to interview the candidate in order to satisfy itself that the candidate will be able to maintain the minimum standards of work and efficiency expected on the post.

(3) An appointment under these rules shall be made against an existing vacancy only.

9. Satisfaction of appointing authority as regards general qualifications.— Before a candidate is appointed, the appointing authority shall satisfy itself that:

(a) The character of the candidate is such as to render him suitable in all respect for employment in Government service**;**

(b) He is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties, for which the candidate shall be required to appear before the appropriate medical authority and to produce a certificate of fitness in accordance with the rules applicable to the case; and

(c) In the case of a male candidate, he has not more than one wife living and in the case of a female candidate, she has not married a person already having a wife living

Note—Persons dismissed by the Union Government or by any State Government or by a Local Authority or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall be deemed to be ineligible for appointment to the service.

10. Power to remove difficulties-The Government may, for the purpose of

removing any difficulty (of the existence of which it shall be the sole judge) in the implementation of any provision of these rules, make any general or special order as it may consider necessary or expedient in the interest of fair dealing or in the public interest.

आज्ञा से,

ह०/–

गुलाम हुसेन,

आयुक्त एवं सचिव।

lyXud&8-1

संख्या–146 / छः–पु–10 / 2008–1200(173) / 07

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र०, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–10 लखनऊ दिनांकः 24.01.2008

विषयः– फर्जी मृतकाश्रित सेवा योजन प्राप्त किये कपितय कर्मियों के संदर्भ मे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने योजित याचिका संख्या–11505 / 06 अवनीश कुमार बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7.8.06 का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–61 / 6–पु–10–08–1200(173) / 07 दिनांकः08.01.06 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक को अभिदिष्ट जांच के संदर्भ में पुलिस महानिरीक्षक स्थापना के पत्र दिनांकः23.01.08 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त जाँच आख्या में की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैः–

1– प्रश्नगत पाँचों फर्जी मृतकाश्रित सेवा योजन के प्रकरणों में अपराधिक संलिप्तता के बारे में एस.टी.एफ. की विवेचना के आधार पर किये गये अभियोजन का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

2– यद्यपि प्रकरण में जनपदीय अधिकारियों की संलिप्तता परिलक्षित नहीं हुयी किन्तु पुलिस मुख्यालय स्तर पर तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) एवं उनके अधीनस्थ पुलिस अधीक्षक (स्थापना), अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना), पुलिस उपाधीक्षक (स्थापना) (यथास्थिति) के द्वारा यह चूक अवश्य होना चाहिए था जहाँ से संबंधित पुलिस कर्मी का मृत होना बताया गया था अथवा जहाँ से तथाकथित रूप से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस बारे में तत्कालीन अधिकारियों का चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

3– मृतक आश्रित सेवा योजन की प्रक्रिया को और अधिक फूलप्रूफ बनाया जाय एवं हर स्तर दायित्व निर्धारित किया जाय।

4— चूंकि संदर्भगत सेवायोजना पत्रावलियों में नोटशीट उपलब्ध नहीं है अतः भविष्य में ऐसी पत्रावलियों में नोटशीट को व्यवस्थित रूप से रखने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का तत्काल एवं सम्यक अनुपालन करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०
(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव।

संख्या—146(1)/छः—पु—10/2008, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।

2— पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह०
(के० एस० त्रिवेदी)
सचिव

lyXud&8-2

e`rd vkfJr lsok;kstu fu;ekoyh esa la'kks/ku

नियमावली एवं उनके संशोधन निम्नवत् हैः–

मूल नियमावली शासनादेश संख्याः6 / 12–1973, नियुक्ति–(4) दिनांक 07.10.1974	प्रथम संशोधन शासनादेश संख्या–4 / 7 / 1979– कार्मिक–2 लखनऊ दिनांक–28.02.1981

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 1– संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ––(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी। (2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। 2– परिभाषाएं– जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–– (क) ' सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो– (1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था; या (2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या (3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है। स्पष्टीकरण––'नियमित रूप से नियुक्त' का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार	उ०प्र० सेंवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम–5 निम्न तथ्य बढ़ाये गयेः– "नियम–5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली को इस नियमावली के उपलब्ध पुलिस या पीएसी के ऐसे बाइस कार्मिकों के जिनकी मृत्यु मई–1973 में उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के मामलें में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार व इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं– शेष पूर्ववत्

नियुक्त किए जाने से है; (ख) 'मृत सरकारी सेवक' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय; (ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगेः– (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3)अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ। (घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था। 3– नियमावली का लागू किया जाना– यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोकसेवाओं में और पदों पर मृत सकरारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी। 4– इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव––इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा। 5– मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती––यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभित्वाधीन या	

उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों की शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशाक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। 6— सेवायोजन के लिए आवेदन—पत्र की विषय—वस्तु— इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन—पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन—पत्र में, अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगीः— (क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था; (ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे; (ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा; और (घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं,	

यदि कोई हों।

7– ÁfØ;k tc dVEc d ,dkf/kd InL; lok;ktu pkgr gk––यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायगा।

8& vk;q rFkk vU; vis{kkvk e f'kfFkyrk&&(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा, इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायगी।

9– सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान–किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि–

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी

प्रकार से उपयुक्त है; टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेगे। (ख) वह मानसिक तथा शरीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी। (ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। dfBukb;k dk nj djus dh 'kfDr 10— राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे व्यवहार या लोक—हित में आवश्यक या समीचीन समझें।	
द्वितीय संशोधन शासनादेश संख्या—6/12/1973—कार्मिक—2 लखनऊ दिनांक— 12.08.1991	तृतीय संशोधन शासनादेश संख्या—6/12/73—का०—2/93 दिनांक, लखनऊ —16.04.1993

1. उ०प्र० सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवाकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम–3 में निम्न संशोधन किया गयाः– "3– यह नियमावली उन सेवाओं एवं पदों को छोड़कर, जो उ०प्र० लोकसेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उ०प्र० लोकसेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी। 2. उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम–8 के उपनियम–3 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया हैः– "इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी, प्रतिबन्ध यह हो कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिये सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"	उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली–1974 के नियम–5 में निम्न तथ्य बढ़ाये गयेः– 5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के समान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्तिः– (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो। (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है : परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। (2) ऐसी नौकरी यथासम्भव उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

चतुर्थ संशोधन शासनादेश संख्या–6/12/73–का०–2/1994 लखनऊ दिनांक–21.04.1994	पंचम संशोधन शासनादेश संख्या–6/12/73–का०–2/1999 दिनांक– 20.01.1999
उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली–1974 के नियम–5(1) के स्थान पर निम्न संशोधित नियम प्रतिस्थापित किया गया हैः– 5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के समान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्तिः– (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता पूरी करता हो, (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है : परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन	उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम–5 के स्थान पर निम्न प्रकार संशोधित नियम प्रतिस्थापित किया गया हैः– 5–(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का परिवार या पत्नी जैसी भी स्थिति में हो, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के समान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्तिः– (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता पूरी करता हो, (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है : परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो

करने के लिये नियत समयसीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। (2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समयसीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। (2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।
छठवाँ संशोधन शासनादेश संख्या–6/12/73–का०–2/2001 दिनांक– 12. 10.2001	सातवाँ संशोधन अधिशूचना संख्या संख्या–6/12/73/कार्मिक–2/2006 लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2006
उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम–2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड–ग के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया गया हैः– (ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगेः– 1. पत्नी या पति, 2. पुत्र, 3. अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ, 4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। 2. उक्त नियमावली के नियम–5 में वर्तमान उपनियम–2(2) में निम्न उपनियम बढ़ाया जायेगा। "(3) उपनियम(1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी	5– यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी (1) सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः– (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी

कि उपनियम(1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।" 4. जहाँ उपनियम(1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के अनुशरण में समाप्त की जा सकती है।	करता हो, (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:– *ijUrq ;g vkSj fd mi;qDr ijUrqd ds Á;kstu ds fy;s lEc) 0;fDr dkj.kksa dks Li"V djsxk vkSj vkosnu djus ds fy;s fu;r le; lhek ds volku ds Ik'pkr lsok;kstu ds fy;s vkosnu djus ds foyEc ds dkj.k ds lEcU/k esa ,sls foyEc ds leFkZu esa vko';d vfHkys[kksa@lcwr lfgr fyf[kr esa leqfpr vkSfpR; nsxk vkSj ljdkj foyEc ds dkj.k ds fy;s lHkh rF;ksa ij fopkj djrs gq, leqfpr fu.kZ; ysxhA* (2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी

	सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में अपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

l;yXud&8-3

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–6/12/73/कार्मिक–2/2006

लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2006

अधिसूचना

————

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 क परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1– यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(1)

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का का प्रतिस्थापन — 2– उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1– में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–1 (विद्यमान नियम)		स्तम्भ–1 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5– यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी (1) सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्दीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5– यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी (1) सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगत के अधीन

राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये भर्ती के किसी सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर , ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः—

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो,

और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट

पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः—

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो,

और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैः—

मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।	
(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था। (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।	<u>ijUrq ;g vkj fd mi;qDr ijUrqd d Á;ktu d fy; lEc) 0;fDr dkj.kk dk Li"V djxk vkj vkonu dju d fy; fu;r le; lhek d volku d Ik'pkr lok;ktu d fy; vkonu dju d foyEc d dkj.k d lEcU/k e ,lk foyEc d leFku e vko';d vfHky[kk@lcr lfgr fyf[kr e lefpr vkfpR; nxk vkj ljdkj foyEc d dkj.k d fy; lHkh rF;k ij fopkj djr g, lefpr fu.k; yxhA</u>
(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश	(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का

सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में अपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
(उमेश सिन्हा)
सचिव।

lyXud&9

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश

——————————————————————

समस्त पुलिस महानिरीक्षक,जोन,

उत्तर प्रदेश

——————————————————————

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ.प्र.

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

प्रभारी जनपद, उ.प्र.

——————————————————————————————

दिनांक 13.05.1997 को पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. की अध्यक्षता में लखनऊ में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की बैठक रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त निदेशानुसार सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक में लिये निर्णयों से भली–भाँति अवगत कराते हुए अनुपालन तदनुसार सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित की जाती है।

संख्या–डीजी–तीन–12(18)97

दिनांकःलखनऊ, मई 16,1997

हस्ताक्षर–15.05.97

(जे.एस.पाण्डेय)

पुलिस महानिदेशक के सहायक,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि समस्त राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.1997 को अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों की हुयी बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 13.05.1997 को लखनऊ में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर तक के लगभग 100 अधिकारियों की एक बैठक रेडियो मुख्यालय, लखनऊ में हुयी जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने की। इस बैठक में पुलिस नेतृत्त तथा पुलिस कार्य–प्रणाली में सुधार लाने के सम्बन्ध में विस्तृत औपचारिक तथा अनौपचारिक चर्चाएं हुयी तथा पुलिस अधिकारियों ने निर्णय

लिया कि भूतकाल में जो भी कमियां रही हो उनका सब लोग मिलकर निराकरण करेंगे तथा भविष्य में अच्छी छवि व नेतृत्व प्रस्तुत करेंगे ताकि पुलिस कार्य–पद्वति में सर्वागीण सुधार आये और जनता को अच्छी सेवा मिल सके।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1- O;kolkf;drk

¼1½ v/;;u euu o fu;ktu

किसी भी कार्य को व्यावसायिक ढंग से करने के लिये यह आवश्यक है।

¼2½ ifjJe o dk;l d Áfr lei.k

यह प्रत्येक कार्य पर लागू होता है चाहे वह हाई–प्रोफाइल हो या लो–प्रोफाइल।

¼3½ fu"i{krk

संकीर्ण प्रतिबद्वताओं अथवा भ्रष्टाचार के कारण यह स्थिति आती है।

¼4½ lgh o rjUr fu.k; yu dh {kerk

यह नेतृत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कमी का अधीनस्थों की कार्यकुशलता पर भी प्रभाव पड़ता है।

¼5½ ekufld o dk;l Lrj ij lPpkb

यह निष्पक्षता का ही एक सकारात्मक पहलू है।

¼6½ ekuo o vU; llk/kuk dk lgh mi;kx

प्रबन्ध कौशल का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है अतः उपलब्ध संसाधनों का महत्तम प्रयोग पुलिस विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किया जाय।

2- dk;l lLÑfr

¼1½ in dh xfjek dk gkl u gku nuk

ऐसे पदों की गरिमा के अनुकूल कार्य एवं आचरण न होने पर होता है।

¼2½ ÁR;d dk;l dh egRrk dk le>uk

हाई–प्रोफाइल पदो ंके अतिरिक्त शेष पदों का भी अपना महत्व है तथा उनमें समर्पित ढंग से कार्य करने की पूरी सम्भावनाएं है।

¼3½ ikjnf'krk

अधिकारियों की कथनी व करनी में अन्तर का उनके प्रति अधीनस्थों और सामान्य जन की धारणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

¼4½ vu'kklukRed dk;lokgh

अधीनस्थों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच में अथवा उनके दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील/रिवीजन आदि के निस्तारण में विलम्ब अथवा उनके पक्षपात या बेइमानी से अनुशासन में कमी आती है क्योंकि अधीनस्थों में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का उनके वास्तविक कार्य व आचरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

¼5½ dk;ky; e le; l miyC/k gkuk

इसका प्रभाव कार्यालय की सामान्य उपस्थिति एवं उसमें होने वाले कार्य पर भी पड़ता है।

¼6½ onh] ijM] vn;yh :e vkfn

एक अनुशासित बल के प्रबन्धन से जुड़ी हुयी यह व्यावसायिकता आज भी प्रासंगिक है अतः इसकी ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये। पुलिस उपमहानिरीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को इसका अनुश्रवण करना चाहिए। अधिकारीगण को भी अपने टर्न–आउट के विषय में जागरूक रहना चाहिये, मेडल व बेल्ट आदि साफ होने चाहिए तथा केश निर्धारित रूप से कटे हुये होने चाहिये। अधिकारियों का टर्न–आउट उनके नेतृत्व का अभिन्न अंग है।

¼7½ p;u lfefr;k d dk; dk egRo le>uk

इसमें बड़े मनोयोग एवं उत्तरदायित्व की भावना से कार्य होना चाहिए क्योंकि इसमें होले वाली गल्तियों का अधीनस्थों के कैरियर पर कुप्रभाव पड़ सकता है तथा उन्हें पुलिस नेतृत्व की निष्पक्षता पर शक हो जाता है।

¼8½ okf"kd er0; le; l fy[kk tkuk

इनके समय से न लिखे जाने पर पदोन्नति, मेडल आदि के मामलों में अनेकों अधिकारी/कर्मचारी अपने किसी दोष के बिना ही पीछे रह जाते हैं। ऐसे दृष्टांत भी आये है जब अधिकारियों ने न केवल वार्षिक मंतव्य ही अंकित नहीं किए बल्कि चरित्र पंजिका भी वापस नहीं भेजी।

¼9½ LFkkukUrj.k gr ckgjh ncko u Mkyuk o mudk le; l vuikyu djuk

स्वयं अधिकारियों को भी इस हेतु अपने सहकर्मियों से सिफारिश आदि नहीं करानी चाहिये।

3- vkpj.k

¼1½ vokNuh; rRok@vijkf/k;k l ey tky@lkBxkB ij jkd

अपने संकीर्ण स्वार्थो के लिये अवाँछनीय तत्वों से किसी प्रकार का लाभ

उठाने से ऐसे तत्वों की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, उदाहरण के लिये भू–माफियाओं के माध्यम से भूखण्डों का क्रय।

¼2½ u'k dh c<rh ÁofRr ij vd'k

सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान तथा नशे की हालत में पाया जाना एक अधिकारी के लिये शोभनीय नहीं है।

¼3½ vo/k ;ku lEcU/k l i.k ijgt

ऐसा आचरण समाज में अधिकारी की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, जिसका कुप्रभाव उसकी कारगुजारी पर भी पड़ता है।

¼4½ ifjokj d lnL;k }kjk vokNuh; dk;@vkpj.k ij vd'k

अपने परिवार के सदस्यों पर पुलिस अधिकारियों का नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा जन–साधारण में यह धारणा बलवती होती है कि ऐसे सदस्यों के विरुद्ध जानबूझकर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती।

¼5½ prFk J.kh o vU; dfe;k dk n#i;kx

अधिकारियों द्वारा निर्धारित से अधिक संख्या में पुलिस कर्मियों को अपने निजी कार्यो में लगाये जाने का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि पुलिस/पी.ए.सी. लाइन्स की मेसों में आवश्यक संख्या में कमी नहीं रह पाते। लखनऊ में तैनात अधिकारियों के लखनऊ के अन्दर ही स्थानान्तरण होने की दशा में उनके साथ नियुक्त अर्दली तथा उनसे सम्बद्व टेलीफोन, वाहन आदि पूर्ववत् रहने की व्यवस्था पर विचार करने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षण कराया जाएगा।

¼6½ ofj"B vf/kdkfj;k d nkjk e 0;oLFkk

अधिकारियों को पाँच सितारा होटलों में टिकाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। दौरों के समय अपेक्षित व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाएगा ताकि इस विषय में कोई शंका न रहे।

¼7½ okguk d n#i;kx ij vd'k

निजी उपयोग के लिये सरकारी वाहनों का प्रयोग इस हेतु निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए।

4- lR;fu"Bk

¼1½ Fkkuk dh dfFkr fcØh dk mUeyu

यह पुलिस नेतृत्व के लिये कलंक की बात है कि सामान्य जन में अभी भी ऐसी धारणा रहे।

¼2½ vU; lkrk l vo/k dekb ij jkd

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भी ऐसे आरोप लगे है कि उनके द्वारा आबकारी, लाटरी, प्रापर्टी डीलिंग आदि से जुड़े हुये अवाँछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों से सीधे उत्कोष ग्रहण किया जा रहा है।

¼3½ v/khuLFkk l lok lc/kh ekeyk e vo/k ekx ij jkd

अब तक ऐसे आरोप केवल लिपिक वर्ग के कुछ कर्मचारियों पर लगाये जाते थे, परन्तु विगत कुछ समय से अधीनस्थों के अवकाश, यात्रा भत्तों और यहाँ तक कि सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती के मामलों में भी अधिकारियों द्वारा उत्कोष प्राप्त करने की शिकायतें मिल रही है।

¼4½ Qke gkm l e ifyl dfe;k l dke u fy;k tkuk

निजी संसाधनों से फार्म हाउस स्थापित करने में कोई एतराज नहीं है परन्तु पुलिस जनशक्ति का प्रयोग कर उसमें खेती या अन्य व्यवसाय करना निश्चय ही आपत्तिजनक है।

5- dY;k.k

¼1½ dY;k.kdkjh ;kstukvk ij /;ku

अधीनस्थों के कल्याण के प्रति जागरूक रहना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है परन्तु विगत कुछ वर्षो में इसकी ओर अधिकारियों द्वारा वाँछित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

¼2½ ifyl ekMu Ldy

यह निर्णय लिया गया है कि लखनऊ एवं कतिपय पी.ए.सी. वाहिनियों में खोले गये स्कूलों की भाँति प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाय। फिलहाल एक स्थान पर एक स्कूल ही खोला जाय। यदि यहाँ पी.ए.सी. वाहिनी उपलब्ध है तो वाहिनी में अन्यथा जनपदीय पुलिस के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण इस हेतु ऐसी व्यवस्था करा रहे है कि माह जुलाई में अगला सत्र प्रारम्भ होने पर अन्य स्कूल क्रियाशील हो सकें।

¼3½ dfdx xl

पी.ए.सी. वाहिनियों में कुकिंग गैस एजेन्सीज खोले जाने का प्रयोग सामान्य रूप से अत्यन्त सफल रहा है अतः इसे अन्य जगहों पर भी स्थापित कराया जाय। इस पर अधिकारियों का पर्यवेक्षण आवश्यक होगा।

¼4½ ih-lh-vk-

पी.ए.सी. वाहिनियों में पी.सी.ओ. की स्थापना अत्यन्त उपयोगी ही नहीं लाभकारी भी सिद्व हुयी है। इसे भी अन्य स्थानों में लागू कराया जा सकता

है।

¼5½ thou j{kd fuf/k

पुलिस कर्मचारियों को कतिपय प्रमुख इलाजों के लिये आवश्यक धनराशि सुलभ कराने के लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि पुलिस महानिदेशक के नियन्त्रण में देने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं फिलहाल पी.ए.सी. की भाँति जनपदों में भी इस हेतु प्राइवेट फण्ड स्थापित कर दिया जाय।

6- vU;

¼1½ vkoklks dk [kkyh fd;k tkuk

अल्पावधि में स्थानान्तरण हो जाने के कारण आवासों का खाली न हो पाना एक बड़ी समस्या बन गया है। विशिष्ट मामलों में इन्हें खाली कराने के लिये दंडात्मक किराया लिये जाने तथा भर्त्सना प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। लखनऊ स्थित ट्रांजिट हास्टल के आवंटन तथा इसमें जारी अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिये श्री आर.सी. शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार करके एक सप्ताह के अन्दर संस्तुतियां दे दी जायेंगी।

¼2½ fofHkUu foHkkxh; dk;ZØeks esa mifLFkfr

अधिकारियों के इस तरह के कार्यक्रमों जैसे खेल–कूद, विदाई पार्टी आदि में उपस्थित न होने से आपसी मेलजोल एवं टीम भावना में कमी आती है अतः ऐसे कार्यक्रमों में सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

¼3½ ekuoh; laosnuk,a

विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सभी अधिकारियों द्वारा अपनी कार्यप्रणाली को मानवीय संवेदनाओं पर आधारित रखना चाहिए ताकि सामान्य जनता तथा अधीनस्थों की समस्याओं को उनके द्वारा प्रभावी रूप से दूर किया जा सके।

हस्ताक्षर–15.05.97

(जे.एस.पाण्डेय)

पुलिस महानिदेशक के सहायक,

उत्तर प्रदेश।

l;yXud&9-1

ओ.पी.एस. मलिक,
पुलिस महानिरीक्षक,भवन/कल्याण।

अ०र्द्धशा०पत्र संख्या:23/जीवनरक्षक निधि–97
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
दिनांकःइलाहाबादःजुलाई 24 ,1997

प्रिय महोदय,

कृपया दिनांक 13.05.1997 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की गोष्ठी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त गोष्ठी के कार्यवृत्त के प्रस्तर–5 कल्याण के सहायक प्रस्तर–5 "जीवन रक्षक निधि" के अन्तर्गत पी.ए.सी. की भाँति समस्त जनपदों में भी प्राइवेट फण्ड स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. पुलिस महानिदेशक महोदय ने इलाहाबाद पुलिस लाइन में जवानों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से सुविचारित मत माँगे थे। सभी ने एक मत होकर इसका समर्थन किया था कि पी.ए.सी. की भाँति उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याणार्थ "जीवन रक्षक निधि" का गठन किया जाय।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जनपदों के सम्बन्धित जोनल पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से आख्यायें भी प्राप्त की गई थी और उन्होंने इस निधि की स्थापना के लिये अपनी सहमति व्यक्त की थी। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि पी.ए.सी. के कई कर्मचारीगण, जो बहुत गम्भीर बीमारी से पीड़ित थे, जिन्हें तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, इस निधि से लाभान्वित हुये हैं और उनको समय से धनराशि उपलब्ध कराकर उनकी जान बचायी जा सकी है।

5. यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों/इकाइयों में (पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी (आई.पी.एस.अधिकारियों सहित) से स्वेच्छा से रुपया–5/– प्रतिमाह की दर से उनके वेतन से काट लिया जाय। यदि कोई कर्मी अवकाश पर अथवा निलंबित हो तो भी अंशदान लिया जायगा। इस प्रकार जिले स्तर पर एकत्रित की गई धनराशि का 30 प्रतिशत अंशदान जनपदीय खाते में जमा किया जायगा तथा 70 प्रतिशत धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा "जीवन रक्षक निधि, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय" के नाम से खोले गये खाते में जमा करने हेतु भेजी जायगी।

6. उक्त निधि से निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचार हेतु धन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैः–

(1) कैंसर

(2) गुर्दा प्रत्यारोपण

(3) हृदय प्रत्यारोपण/बाई पास सर्जरी/ओपन हार्ट सर्जरी

(4) गाल ब्लेडर सर्जरी

(5) कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण/कास्मेटिक सर्जरी

(6) दुर्घटना अथवा कर्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने पर गम्भीर उपचार की आवश्यकता।

(7) अन्य कोई गम्भीर बीमारी जिसके उपचार के लिये कम से कम रुपया 10,000/– एक मुश्त आवश्यकता हो।

7. उक्त निधि का गठन दो स्तर पर (1) जनपद (पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) व (2) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद दिया जायगा। संकलित की गई धनराशि का 30 प्रतिशत जिला स्तर पर तथा 70 प्रतिशत पुलिस मुख्यालय स्तर से व्यय किया जायेगा।

8. पुलिस मुख्यालय संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य इकाइयों जैसे सी.आई.डी., अभिसूचना, ई.ओ.डब्लू., भ्रष्टाचार निवारण संगठन, खाद्य प्रकोष्ठ, सहकारिता विभाग इत्यादि–इत्यादि का पूरा अंशदान पुलिस मुख्यालय को भेजा जायेगा।

9. उक्त निधि की स्थापना हेतु रुपया–5/– प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से जुलाई 1997 के वेतन से, जो माह अगस्त 1997 में देय होगा, नियमित कटौती अवश्यमेव प्रारम्भ कर दी जाय। जिला/इकाई (पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) स्तर पर उक्त निधि के पर्यवेक्षण हेतु एक मासिक रिटर्न निर्धारित की गई है। इसी संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की कटौती का 70 प्रतिशत एवं अन्य इकाइयों का सम्पूर्ण अंशदान बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, इलाहाबाद पर देय होगा, भेजा जाना सुनिश्चित करें। यह बैंक ड्राफ्ट "जीवन रक्षक निधि" उ० प्र० पुलिस मुख्यालय के नाम से बनेगा जो पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–23 में प्रत्येक माह 15 तारिख तक विलम्बतम् आ जाना चाहिए। इस निधि का संचालन पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

10. "जीवन रक्षक निधि" उ०प्र० पुलिस मुख्यालय की नियमावली आपको अलग से भेजी जा रही है।

संलग्नक:एक

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश,
(पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर)

भवदीय,
हस्ताक्षर दि० 24.07.97
(ओ.पी.एस.मलिक)

l[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः—

1. पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सर्तकता अधिष्ठान, उ०प्र० लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक नागरिक सुरक्षा/होमगार्डस, उ०प्र० लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक के सहायक को पुलिस महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपने संस्थानों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार कटौती कर सम्पूर्ण धनराशि पुलिस मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने की कृपा करें।

l[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, राज्य विद्युत परिषद/विशेष जाँच/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि पुलिस मुख्यालय संवर्ग के सभी राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि संकलित कर बैंकर्स चेक के माध्यम से अनुभाग—23 को समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. पुलिस महानिदेशक/मुख्यालय, लखनऊ व पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के समस्त अनुभाग अधिकारी।

वे कृपया अपने अधीनस्थ कर्मियों को उक्त योजना से अवगत करा दें।

l[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगण।

जीवन रक्षक निधि

——————————————

.... जनपद/ इकाई का नाम लिखें

वेतन .... 199 से सम्बन्धित विवरण पत्र

....

1. व्यक्तियों की संख्या जिनसे अंशदान लिया गया –

2. व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अंशदान नहीं दिया –

3. गत माह के अन्त में कोष में उपलब्ध राशि रु.

4. आलोच्य माह के अंशदान से एकत्रित धन रु.

5. योग कुल उपलब्ध धनराशि रु.

6. जनपद/इकाई में रखी गई धनराशि रु.

7. पुलिस मुख्यालय भेजी गई धनराशि रु.

<u>cid MkQV lyXu djs rFkk fuEu fooj.k ns %&</u>

(क) जारी करने वाले बैंक तथा शाखा का नाम

(ख) जारी होने की तिथि

8. इलाहाबाद में किस बैंक व शाखा पर देय होगा – भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, इलाहाबाद।

9. अंशदान के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आलोच्य माह में प्राप्त धनराशि रु.

10. आलोच्य माह में जनपद/इकाई की निधि से जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई, उसका विवरणः–

frfFk	jSd@uke	/kujkf'k	chekjh	foLr`r fooj.k ifyl e[;ky; dk fdl frfFk dks Hkstk x;k rFkk i= la[;k

संलग्नकः बैंक ड्राफ्ट उपरोक्त

कालम– 8 के अनुसार

प्रभारी जनपद/इकाई

हस्ताक्षर एवं मोहर

l¡yXud&9-2

mRrj Án'k iqfyl thou j{kd fuf/k _.k ;kstuk

<table>
<tr><th>ey fu;ekoyh</th><th>ÁFke l¡'kks/ku fnukad%30-06-05</th></tr>
<tr><td>

1- ifjHkk"kk ,oa Á;kstu

पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को कतिपय गम्भीर बीमारियों तथा दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की अवस्था में उच्चस्तरीय उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये ßmåÁå iqfyl thou j{kd fuf/kÞ की स्थापना की गई है, जिसको अब "उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि ऋण योजना" कहा जायेगा।

शासन की नीति है कि सरकारी सेवक को विशिष्ट उपचार के लिये अग्रिम दिया जा सकता है। इस निधि का उद्देश्य गम्भीर बीमारियों एवं घायल होने की दशा में सम्बन्धित कर्मी को शासन से अग्रिम प्राप्ति में होने वाले विलम्ब की पूर्ति हेतु उपचार में होने वाले धन की एकमुश्त आवश्यकता को ऋण के रूप में पूरा कराना है। इस निधि की स्थापना दो स्तरों पर की गई है।

* tuin bdkbZ Lrj इस निधि का नाम "उ०प्र० पुलिस .... जनपद जीवन रक्षक निधि ऋण योजना" होगा। (उदाहरणार्थ "उ०प्र०पुलिस इलाहाबाद जनपद जीवन रक्षक निधि")
* iqfyl eq[;ky; Lrj इस निधि का नाम "उ०प्र० पुलिस मुख्यालय जीवन रक्षक निधि ऋण योजना" होगा।

2- vk; dk lzksr rFkk ijLij fofue; dk lkekstL;

पुलिस बल में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की स्वेच्छा से इस योजना के लिये प्रतिमाह उनके वेतन से रु.–5/–

</td><td>

<table>
<tr><th>पूर्व में प्रचलित व्यवस्था</th><th>वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था</th><th>संलग्नक</th></tr>
<tr><td>जीवन रक्षक निधि कि नियमावली के अनुसार अभी तक केवल अशंदायी कर्मियों को ही इसका लाभ अनुमन्य था।</td><td>जीवन रक्षक निधि की नियमावली में संशोधित करते हुए अशंदायी कर्मी के अतिरिक्त उनकी पत्नी/पति को भी सम्लित कर लिया गया है।</td><td>संलग्नक–9.3</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

अंशदान के रूप में काट लिया जाएगा। अंशदान निलम्बन काल एवं बिना वेतन के अवकाश की अवधि के लिये भी देय होगा। कुल जमा अंशदान का 30 प्रतिशत भाग सम्बन्धित जनपद की निधि में रखा जायेगा तथा 70 प्रतिशत भाग बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जायेगा। सभी इकाईयों से 100 प्रतिशत अंशदान सीधे पुलिस मुख्यालय बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जायेगा। बैंक ड्राफ्ट ßmåÁå i;fyl e[;ky; thou j{kd fuf/kÞ के नाम से इलाहाबाद में देय होगा। कर्मचारियों/अधिकारियों से लिया गया अंशदान अपरिवर्तनीय (Non-refundable) होगा तथा इसका व्यक्तिगत लेखा–जोखा नहीं रखा जायेगा।

3- fuf/k dk y[kk&tk[kk rFkk j[k&j[kko

(1) जनपदों में एकत्रित अंशदान के 30 प्रतिशत भाग का राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोलकर "उ०प्र० पुलिस जीवन रक्षक निधि जनपद" के नाम जमा किया जायेगा तथा शेष 70 प्रतिशत भाग बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय को "उ०प्र० पुलिस जीवन रक्षक निधि" पुलिस मुख्यालय के नाम से भेजा जायेगा।

(2) पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले अंशदान को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा।

(3) प्रत्येक जनपद तथा पुलिस मुख्यालय में इस निधि की पृथक से कैशबुक खोली जायेगी।

4& fuf/k dk Á;kx

इस निधि से निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचार हेतु ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगीः–

(अ) कैंसर

(ब) गुर्दा प्रत्यारोपण

(स) हृदय प्रत्यारोपण/बाई पास सर्जरी/ओपेन हार्ट सर्जरी।

(द) ब्रेन/न्यूरो सर्जरी

(य) कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण।

(र) दुर्घटना अथवा कर्तव्य पालन में गम्भीर रूप से घायल होने पर उच्चस्तरीय उपचार की आवश्यकता।

(ल) अन्य गम्भीर बीमारी जिसके लिये कम से कम रु. 50,000/– तक की एक मश्त आवश्यकता हो तथा मुख्यालय की समिति उचित समझे।

5& ykHkkfUor fd;s tkus okys O;fDr

इस योजना के अन्तर्गत केवल पुलिस बल के सेवारत अधिकारियों व कर्मचारियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। कालान्तर में इस निधि में जमा होने वाली धनराशि में यदि वृद्वि होती है तो इस निधि से कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्य यथा पति–पत्नी अव्यस्क पुत्र व अविवाहित पुत्री एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को भी लाभान्वित करने पर विचार किया जायेगा।

6& fuf/k ls /ku fu"dklu dh ÁfØ;k

(अ) इस निधि से जनपद या पुलिस मुख्यालय द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता बतौर ऋण होगी।

(ब) जनपद प्रभारी अपने जनपद के पात्र व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में किसी कैलेण्डर वर्ष में सिर्फ एक बार अधिक से अधिक रु. 10,000.00 तक की आर्थिक सहायता ऋण के रूप में स्वीकृत कर सकते है। सूची के अतिरिक्त अन्य बीमारियों में जहाँ एक मुश्त रु. 50,000/– की

आवश्यकता है और जीवन को तात्कालिक खतरा है वही मामले पुलिस मुख्यालय ऋण हेतु भेजे जायेंगे। (स) कर्मचारी/अधिकारी अपने उपचार हेतु शासन से अग्रिम प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय भेजेंगे जिसे शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। साथ ही तात्कालिक आर्थिक सहायता के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर उसकी औपचारिकतायें पूरी करके ऋण की स्वीकृति हेतु पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। शासन से स्वीकृति के बाद दिये गये ऋण का समायोजन किया जायेगा। (पुलिस मुख्यालय से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है।) (द) अराजपत्रित अधिकारियों को दिये गये ऋण का भुगतान राजपत्रित अधिकारी के समक्ष किया जायेगा। (य) जनपद/इकाई के प्रभारी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपनी संस्तुति सहित पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। धन की आवश्यकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से किसी एक की संस्तुति व आगणन की आवश्यकता होगी। (1) राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक। (2) मुख्य चिकित्साधिकारी (3) मेडिकल कालेजों के उल्लिखित बीमारी से	

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष

(र) पुलिस मुख्यालय में उपरोक्त मामले प्राप्त होने पर एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगेः–

(1)	अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।	अध्यक्ष
(2)	पुलिस महानिरीक्षक,भवन / कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।	सचिव / कोषाध्यक्ष
(3)	पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य

यदि कर्मचारी / अधिकारी आवेदन पत्र देने की स्थिति में नहीं है तो प्रभारी पुलिस अधीक्षक अपनी ओर से ऋण हेतु अनुरोध कर सकते हैं और अन्य औपचारिकतायें की प्रतीक्षा किये बिना समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

7- LohÑfr ,oa Áfrifrl dh ÁfØ;k

इस निधि से दी जाने वाली प्रत्येक सहायता चाहे वह जनपद द्वारा स्वीकृत की गई हो अथवा पुलिस मुख्यालय, बतौर ऋण के रूप में दी जायेगी और कर्मचारियों / अधिकारियों से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्राप्त कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद पूर्व स्वीकृत ऋण की धनराशि समायोजित करके उसे जनपद या पुलिस मुख्यालय की धनराशि में जमा कर लिया जायेगा जिसके लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(क) कर्मचारियों को यह ऋण ब्याज रहित

दिया जायेगा किन्तु 12 महीने के बाद यदि प्रतिपूर्ति नहीं होती तो सम्पूर्ण वेतन योग का अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से ऋण के सापेक्ष कटौती आरम्भ कर दी जायेगी। राजपत्रित अधिकारियों को 12 महीने तक ब्याज रहित ऋण दिया जायेगा। यदि इस अवधि में प्रतिपूर्ति नहीं होती तो कटौती आरम्भ कर दी जायेगी और उनसे सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर से एवं एक प्रतिशत और ब्याज लिया जायेगा। किश्तों की अवधि सामान्यता 36 होगी। यदि शेष सेवा अवधि कम है तो उसी अवधि के अन्दर किश्तों का निर्धारण किया जायेगा। जैसे ही शासन से चिकित्सा व्यय अग्रिम/प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है उस स्थिति में काटी गई धनराशि को समायोजित करते हुये अग्रिम कार्यवाही भुगतान हेतु की जायेगी। (ख) जब तक प्रथम ऋण की पूरी धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं हो जाती है, सामान्यता दूसरा ऋण नहीं दिया जायेगा। (ग) यदि कर्मचारी/अधिकारी उपचार हेतु ऋण लेने के बाद उपचार का उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 माह में नहीं देता तो उस स्थिति में उससे पूरी धनराशि वापस लेकर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस मुख्यालय तुरन्त वापस करेंगे। (घ) प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा दिये गये आगणन का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 3.00 लाख की सीमा तक ऋण दिया जायेगा।	

(ड़) यदि कर्मचारी/अधिकारी का चिकित्सा व्यय अग्रिम/प्रतिपूर्ति प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से परीक्षण करने के बाद ऋण से कम का प्राप्त होता है तो उस स्थिति में कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से शेष बची धनराशि की वसूली एकमुश्त/किश्तों में की जायेगी और उसे बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय प्रतिमाह भेजा जायेगा।

(च) यदि कर्मचारी/अधिकारी ऋण लेने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ऋण की पूरी धनराशि उनके ग्रेच्युटी व अन्य देयों से काटकर बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय समायोजन हेतु भेजा जायेगा। यदि प्रतिपूर्ति प्रस्ताव दे दिया हैं तो शासन से स्वीकृति के बाद वह धनराशि कर्मचारी/अधिकारी को भुगतान कर दिया जायेगा।

(छ) यदि शासन से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दिये गये ऋण से कम की प्राप्त होती है तो शेष धनराशि कर्मचारी/अधिकारी के वेतन व अन्य देयों से किश्तों/एकमुश्त वसूल करके बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय भेजा जायेगा।

(ज) स्वीकृत ऋण की वसूली की स्थिति की जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक 3 महीने में समीक्षा करेंगे।

8- fofo/k

(1) इस योजना में वही अधिकारी/कर्मचारी आच्छादित होंगे जो जुलाई 1997 के पूर्व नियुक्त किये गये हैं और 1997 से आज तक रु. 5/- प्रति माह की दर

से स्वेच्छा से अंशदान दे रहे हैं एवं जो कर्मचारी/अधिकारी 1997 के बाद नियुक्त किये गये हैं वह नियुक्ति की तिथि से अब तक का अंशदान देंगे। साथ ही कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण वेतन व अन्य भत्ते जो उनके द्वारा आहरित किये जा रहे हैं को भी आवेदन पत्र में अंकित किया जायेगा। (2) यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत ऋण रु. 10,000/– तक की सहायता इस निधि के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी तो उसकी वसूली हेतु सम्बन्धित जनपद प्रभारी उत्तरदायी होंगे। (3) जनपद/इकाई स्तर के निधि के पर्यवेक्षण हेतु एक मासिक रिटर्न अंशदान भेजने के सम्बन्ध में निर्धारित किया गया है। प्रारूप संलग्न है। (4) जनपद के प्रभारी द्वारा इस धन का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये दूसरे फण्डों की तरह किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। (5) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को जब भी इस निधि से ऋण स्वीकृत किया जायेगा उसकी एक प्रति अनुभाग–एक, पुलिस मुख्यालय को दी जायेगी जो सम्बन्धित अधिकारी के व्यक्तिगत पत्रावली में रखेंगे ताकि अदेयता प्रमाण पत्र देते समय ऋण का चेकअप हो सके। (6) प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को यदि ऋण स्वीकृत किया जाये उसके लिये यह आवश्यक होगा कि सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी उनके एक जनपद/इकाई से दूसरे	

जनपद/इकाई में स्थानान्तरण के समय उनके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख कर दिया जाये ताकि वसूली व समायोजन में कठिनाई न हो, साथ ही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करा दिया जाये।

(7) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के अधीनस्थ नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक विधान सभा सुरक्षा, लखनऊ, शासन में लम्बित अग्रिम/प्रतिपूर्ति के प्रकरणों के निस्तारण कराने हेतु "नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे।

(8) इस निधि का आडिट यथा सम्भव प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुलिस मुख्यालय के सम्प्रेक्षकों द्वारा कराया जायेगा।

(9) जनपदों में चल रही इस निधि का लेखा-जोखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का 30 अप्रैल तक पुलिस मुख्यालय निम्न प्रारूप में भेजा जायेगा।

माह का नाम	कर्मियों की संख्या	कुल प्राप्त अंशदान	पीएचक्यू भेजी गई धनराशि
1	2	3	4

जनपद में रोकी गई धनराशि	जनपद स्तर पर स्वीकृत ऋण का विवरण	जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि	वसूली की स्थिति
5	6	7	8

(10) राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, की अध्यक्षता में त्रैमासिक मीटिंग नियमित रूप से होगी जिसमें समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण व पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उत्तर प्रदेश, के साथ–साथ जोनल पुलिस महानिरीक्षक भी भाग लेंगे। संख्याःजी०र०नि० (मु.पत्रा.) 97–2004 दिनांकः इलाहाबाद : मई, 2004 (वी० के० बी० नायर) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :– 1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। 2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। 3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश। 4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश। 5. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।	

द्वितीय संशोधन दिनांक:01.2010			तृतीय संशोधन दिनांक:09.12.2010		
पूर्व में प्रचलित व्यवस्था	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था	संलग्नक	पूर्व में प्रचलित व्यवस्था	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था	संलग्नक
जीवन रक्षक निधि कि नियमावली के अनुसार अभी तक केवल अशंदायी कर्मियों के अतिरिक्त पत्नी/पति को ही इसका लाभ अनुमन्य था।	जीवन रक्षक निधि की नियमावली में संशोधित करते हुए अशंदायी कर्मी के अतिरिक्त अवयस्क पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को भी सम्लित कर लिया गया है।	संलग्नक– 9.4	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 2.00 लाख एवं विशेष परिस्थिति में रु. 1.00 लाख अर्थात् कुल रु. 3.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम की धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 3.00 लाख एवं विशेष परिस्थितियों पुनः माँग किये जाने पर रु. 2.00 लाख अर्थात् कुल रु. 5.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	संलग्नक – 9.5

mRrj Án'k ifyl thou j{kd fuf/k

.... जनपद/ इकाई ....

वेतन माह .... 199 से सम्बन्धित विवरण पत्र

1.	व्यक्तियों की संख्या जिनसे अंशदान लिया गया	–
2.	व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अंशदान नहीं दिया	–
3.	गत माह के अन्त में कोष में उपलब्ध राशि	रु.
4.	आलोच्य माह के अंशदान से एकत्रित धन	रु.
5.	योग कुल उपलब्ध धनराशि	रु.
6.	जनपद/इकाई में रखी गई धनराशि	रु.
7.	पुलिस मुख्यालय भेजी गई धनराशि	रु.
cid MkÝV lyXu djs rFkk fuEu fooj.k ns%&		
(क)	जारी करने वाले बैंक तथा शाखा का नाम	

(ख)	जारी होने की तिथि	
8.	इलाहाबाद में किस बैंक व शाखा पर देय होगा	– भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, इलाहाबाद।
9.	अंशदान के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आलोच्य माह में प्राप्त धनराशि	रु.
10.	आलोच्य माह में अन्य स्रोतो से उक्त निधि में प्राप्त धनराशि का ब्यौराः–	

frfFk	jkd@uke	/kujkf'k	chekjh	foLr`r fooj.k ifyl e[;ky; dk fdl frfFk dk Hkstk x;k rFkk i= la[;k

संलग्नकः बैंक ड्राफ्ट उपरोक्त

कालम– 8 के अनुसार

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक

हस्ताक्षर/ मोहर

नोटः– (1) यह विवरण पत्र बैंक ड्राफ्ट सहित आलोच्य माह के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(2) ड्राफ्ट की रकम बैंक खाता में प्राप्त होने के बाद आंकिक पुलिस मुख्यालय द्वारा पक्की रसीद परिपत्र द्वारा समस्त जनपद/ इकाई के लिये जारी की जायेगी।

(3) उपरोक्त क्रमाँक 9 के बारे में विस्तृत विवरण।

tuin@bdkbZ }kjk iqfyl eq[;ky; ls thou j{kd fuf/k ls _.k dk :i esa vkfFkZd lgk;rk mipkj grq Ákir djus dk vkosnu i=

1. जनपद/इकाई का नाम

2. आवेदक का नाम व पद

3. आवेदक की जन्म तिथि

4. कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण वेतन व अन्य भत्तो का योग जो प्रत्येक माह बनता है।

5. क्या कर्मचारी/अधिकारी नियमित रूप से अंशदान दे रहा है (जनपद/इकाई के प्रभारी स्वयं समोहर प्रमाण पत्र दें)

6. क्या कर्मचारी/अधिकारी स्वयं का उपचार करायेगा और क्या बीमारी उपचार इस निधि की नियमावली के प्रस्तर 4 के अन्तर्गत है।

7. बीमारी/उपचार का विवरण तथा चिकित्सालय का नाम जहाँ पर उपचार होना है। क्या चिकित्सक इस निधि की नियमावली के प्रस्तर 6(य)1,2,3 के अन्तर्गत आते हैं। उपचार से सम्बन्धित सम्भावित व्यय आगणन मूल रूप में संलग्न करें।

8. प्रदेश के बाहर यदि चिकित्सा होनी है तो उस स्थिति में रिफर करने वाले चिकित्सक का पुत्र व प्रार्थी का आवेदन पत्र होना चाहिये ताकि शासन से अनुमति प्राप्त की जा सके, भी संलग्न करें।

9. आर्थिक सहायता की माँग के सम्बन्ध में इस निधि की नियमावली के प्रस्तर 6(य)1,2,3 में अंकित किसी एक चिकित्सक की संस्तुति होनी चाहिये।

10. माँग की गई धनराशि

11. जनपद/इकाई द्वारा इस निधि से स्वीकृत धनराशि का विवरण, यदि कोई हो तो

12. जनपद/इकाई के प्रभारी की संस्तुति (यह संस्तुति उनके स्वयं के हस्ताक्षर से होनी चाहिये। संस्तुति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस धनराशि हेतु संस्तुति की जा रही है वह गम्भीर बीमारियों/घायल होने की श्रेणी में आती है या नहीं।

13. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी इस उपचार हेतु पुलिस मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से मय डाक्टरी प्रमाण पत्र के उपस्थित हुआ है या नहीं।

14. प्रभारी अधिकारी परीक्षण कर अवगत कराये कि जीवन रक्षक निधि की इस माँग करने के पूर्व जी०पी०एफ० व अन्य किसी श्रोत से कितना धन उपचार में व्यय किया जा चुका है और

आर्थिक स्थिति कैसी है।

15. कर्मचारी/अधिकारी ने यदि दोबारा अग्रिम की माँग की है तो अवगत करायें कि पूर्व में स्वीकृत ऋण का उपयोग पूर्णरूप से कर लिया गया है और ऋण का पूरा समयोजन हो गया है।

?kks"k.kk i=

मै यह घोषणा करता हूँ कि यदि मैं निर्धारित अवधि में अपने उपचार का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति नहीं देता या शासन से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एक वर्ष में नहीं आती तो नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मुझे दिये गये ऋण की धनराशि यदि मेरे वेतन व अन्य अनुमन्य देयों से काट ली जाती है तो उसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

समोहर प्रभारी अधिकारी
के हस्ताक्षर

l'kkf/kr thou j{kd fuf/k] ifyl e[;ky;] bykgkckn ls Lohd`r vfxze vkfFkd lgk;rk _.k gsrq vkosnu i=A

1. जनपद/इकाई का नाम
2. आवेदक का नाम व पद
3. आवेदक की जन्म तिथि
4. कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण वेतन व अन्य भत्तों का योग जो प्रत्येक माह बनता है।
5. क्या कर्मचारी/अधिकारी नियमित रूप से अंशदान दे रहा है(जनपद/इकाई के प्रभारी स्वयं समोहर प्रमाण पत्र दें)
6. क्या कर्मचारी/अधिकारी अपने पति/पत्नी/ पुत्र/पुत्री का उपचार

करायेगा और क्या बीमारी/उपचार इस निधि की नियमावली के प्रस्तर–4 के अर्न्तगत है।

7. पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री का नाम
(पुत्र/पुत्री की दशा में उनके नाबालिग/ अविवाहित होने का प्रमाण पत्र)

8. बीमारी/उपचार का विवरण तथा चिकित्सालय का नाम जहां पर उपचार होना है। क्या चिकित्सक इस निधि की नियमावली के प्रस्तर–6(य) 1, 2, 3 के अन्तर्गत आते है। उपचार से सम्बन्धित सम्भावित व्यय आगणन मूल रूप में संलग्न करें, जिसमें यह अंकित हो कि उपचार कितने समय तक चलेगा और प्रथम चरण में कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

9. प्रदेश के बाहर यदि चिकित्सा होनी है तो उस स्थिति में रिफर करने वाले चिकित्सक का पत्र व प्रार्थी का आवेदन पत्र होना चाहिये ताकि शासन से अनुमति प्राप्त की जा सके(संलग्न करें)

10. आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में इस निधि का नियमावली के प्रस्तर–6 (य) 1, 2, 3 में अंकित किसी एक चिकित्सक की संस्तुति होनी चाहिये।

11. मांग की गई धनराशि

12. जनपद/इकाई द्वारा इस निधि से स्वीकृत धनराशि का विवरण, यदि कोई हो।

13. जनपद/इकाई के प्रभारी की संस्तुति (यह संस्तुति उनके स्वयं के हस्ताक्षर से होनी चाहिये। संस्तुति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस धनराशि हेतु संस्तुति की जा रही है वह गम्भीर बीमारियों/घायल होने की श्रेणी में आती है या नहीं।

14. प्रभारी अधिकारी परीक्षण कर अवगत करायें कि जीवन रक्षक निधि की इस माँग करने के पूर्व जी०पी०एफ० व अन्य किसी श्रोत से कितना धन उपचार में व्यय किया जा चुका है और आर्थिक स्थिति कैसी है।

15. कर्मचारी/अधिकारी ने यदि दोबारा मांग की है तो अवगत करायें कि पूर्व में स्वीकृत ऋण का उपयोग पूर्ण रूप से कर लिया गया है और ऋण का समायोजन हो गया है।

?kk"k.kk&i=

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मैं निर्धारित अवधि में उपचार का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रस्ताव नहीं देता/देती या शासन/विभाग से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एक वर्ष में नहीं आती तो नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिये गये ऋण की धनराशि यदि मेरे वेतन व अन्य अनुमन्य देयों से काट ली जाती है तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नही है।

dekpkjh@vf/kdkjh ds gLrk{kj
in uke lfgr

lekgj ÁHkkjh vf/kdkjh ds gLrk{kj

l yXud&9-3

जीरनि / महत्वपूर्ण

1- leLr ofj"B@ifyl v/kh{kd] mRrj Án'kA

2- leLr ifyl v/kh{kd] jyo] mRrj Án'kA

3- leLr ÁHkkjh vf/kdkjh] bdkbZ ¼ih,lh NkM+dj½ mRrj Án'kA

दिनांक 11.06.2005 को ßmRrj Án'k ifyl thou j{kd fuf/kÞ से सम्बन्धित उच्च स्तरीय गोष्ठी का आयोजन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में ße[;ky; ifyl egkfun'kd] mRrj Án'k] y[kuÅÞ के सभागार में किया गया था, जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ निम्न दो निर्णय भी लिये गये है।

(1) "सक्रिय ड्यिूटी में नियुक्त कर्मियों को गोली लगने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में तत्काल उपचार हेतु अग्रिम (ऋण) की आवश्यकता होती है। भविष्य में ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उनके कार्यालयाध्यक्ष की माँग पर बिना औपचारिकतायें पूरी कराये अग्रिम तुरन्त दे दिया जाये और बाद में औपचारिकतायें पूरी कराई जायेंगी। इस प्रकार के मामलों में प्रतिपूर्ति का जो 12 महीने का बन्धन नियमावली के अनुसार है, विशिष्ट परिस्थितियों में उसे शिथिल करने का अधिकार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को होगा। यदि शासन / विभाग द्वारा अग्रिम के सापेक्ष कम धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत होती है, उस स्थिति में इस प्रकार के मामलों में शेष धनराशि को माँफ करने का भी अधिकार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को होगा।"

2. अतः कृपया भविष्य में उक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(2) "नियमावली के अनुसार अभी तक केवल सेवारत कर्मचारियों / अधिकारियों को ही उपचार हेतु जीवन रक्षक निधि से अग्रिम दिया जाता रहा है किन्तु अब पति / पत्नी दोनों को इस योजना में वर्तमान निर्धारित अंशदान पर ही सम्मिलित किया जायेगा।

3. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में यदि पति / पत्नी के उपचार से सम्बंधित मामले होते है तो कर्मचारी / अधिकारी संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप को भर कर उसकी औपचारिकतायें पूरी कर प्रभारी / अधिकारी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय भेजेगा और नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पति / पत्नी के मामलों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो सेवारत कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए है, और उसी आधार पर अग्रिम "ऋण" स्वीकृत किया जायेगा। कृपया इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों / अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वह इस योजना का लाभ उठा सकें।

4. कृपया इन संशोधनों के लिये इस पत्र को "उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक

निधि” नियमावली के साथ सम्बद्व करने का कष्ट करें ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के लिये संदर्भ उपलब्ध रहे।

संलग्नकः प्रारूप आवेदन पत्र

हस्ताक्षर दि० 30.06.05

अशा०पत्रांक:23/जीरनि(गोष्ठी)2005 (एस० के० रिज़वी)

दिनांकःइलाहाबादःजून 30, 2005 अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यख/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
3. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक, के सहायकउ०प्र० लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5. अनुभाग–12ए, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

layXud&9-4

<u>thou j{kd fuf/k dk f}rh; la'kks/ku</u>

1- leLr iqfyl miegkfujh{kd] mRrj Áns'kA
2- leLr ofj"B@iqfyl v/kh{kd] mRrj Áns'kA
3- leLr iqfyl v/kh{kd] jsyos] mRrj Áns'kA
4- <u>leLr ÁHkkjh vf/kdkjh] bdkbZ ¼ih,lh NkSM+dj½ mRrj Áns'kA</u>

जैसा कि आप भली–भाँति अवगत हैं कि जीवन रक्षक निधि से गम्भीर बीमारियों/घायल होने की दशा में उपचार हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके पत्नी/पति को अग्रिम आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। इस संबंध में दिनांक 10.12.09 को "उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि" से सम्बन्धित उच्च स्तरीय गोष्ठी का आयोजन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में किया गया, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया हैः–

> "नियमावली के अनुसार अभी तक केवल सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनके पति/पत्नी को ही उपचार हेतु "जीवन रक्षक निधि" से अग्रिम दिया जाता रहा है, किन्तु अब उनके आश्रित अवयस्क पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो/अविवाहित पुत्री को भी प्रचलित मासिक अंशदान रु. 5/– पर ही इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु एक परिवार को एक समय में एक ही व्यक्ति के लिये अग्रिम प्राप्त होगा, उसके चुकता होने पर ही यदि आवश्यकता हुई तो वह परिवार नया अग्रिम प्राप्त कर सकता है।

2. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में यदि आश्रित अवयस्क पुत्र एवं एक अविवाहित पुत्री के उपचार से सम्बन्धित मामले होते हैं तो कर्मचारी/अधिकारी संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप को भरकर उसकी औपचारिकतायें पूरी करके प्रभारी अधिकारी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय भेजा जायेगा और जीवन रक्षक निधि की नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अवयस्क पुत्र/एक अविवाहित पुत्री के मामलों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समय में परिवार के एक ही सदस्य को यह सहायता प्राप्त होगी। जब एक सदस्य के लिये, दिया गया अग्रिम चुकता हो जायेगा तब ही वह परिवार पुनः ऋण प्राप्त करने के लिये सक्षम होगा। कृपया इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके।

3. कृपया प्रश्नगत संशोधन को "उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि" की नियमावली के साथ रखने का कष्ट करें ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के लिये

संदर्भ उपलब्ध रहे।

हं०/–

(एस० पी० श्रीवास्तव)

vij ifyl egkfun'kd] e[;ky;]

mRrj Án'kA

अशा० पत्रांकः 23/जीरनि(गोष्ठी) 09

दिनांकःइलाहाबादःजनवरी 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–12ए, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

lyXud&9-5

<u>thou j{kd fuf/k dk r'rh; l'kk/ku</u>

1- leLr ifyl miegkfujh{kd] mRrj Án'kA
2- leLr ofj"B@ifyl v/kh{kd] mRrj Án'kA
3- leLr ifyl v/kh{kd] jyo] mRrj Án'kA
4- leLr ÁHkkjh vf/kdkjh] bdkbl ¼ih,lh NkMdj½ mRrj Án'kA

जैसा कि आप भली–भाँति अवगत हैं कि जीवन रक्षक निधि से गम्भीर बीमारियों/घायल होने की दशा में उपचार हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके पत्नी/पति व उनके आश्रित अवयस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री को अग्रिम आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। इस संबंध में दिनांक 29.11.2010 को "उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि" से सम्बन्धित उच्च स्तरीय गोष्ठी का आयोजन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में किया गया, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया हैः–

"जीवन रक्षक निधि की नियमावली प्रस्तर–7(घ) एवं परिपत्र दिनांक 25.11.04 के प्रस्तर–2(ब) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत "जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 2.00 लाख एवं विशेष परिस्थिति में रु. 1.00 लाख अर्थात् कुल रु. 3.00 लाख ही स्वीकृत किया जा सकता है" में नियमानुसार संशोधन करते हुये निम्न प्रकार का प्रावधान किया गया है।

iol e Ápfyr 0;oLFkk	orZeku 0;oLFkk
जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 2.00 लाख एवं विशेष परिस्थिति में रु. 1.00 लाख अर्थात् कुल रु. 3.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।	जीवन रक्षक निधि से माँग की गई अग्रिम की धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 3.00 लाख एवं विशेष परिस्थितियों पुनः माँग किये जाने पर रु. 2.00 लाख अर्थात् कुल रु. 5.00 लाख स्वीकृत किया जा सकता है।

2. कृपया उक्त सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके। कृपया प्रश्नगत संशोधन को "उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि" की नियमावली के साथ रखने का

कष्ट करें ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के लिये संदर्भ उपलब्ध रहे।

हह०/–

¼ fnyhi f=osnh ½

vij iqfyl egkfuns'kd]eq[;ky;]

mRrj Áns'kA

अशा० पत्रांकः 23/जीरनि(गोष्ठी) 09

दिनांकःइलाहाबादःदिसम्बर 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–12ए, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

l;yXud&10

ओ.पी.एस.मलिक,
पुलिस महानिरीक्षक, भवन/ कल्याण।

अर्द्धशा० पत्र संख्याः23/ पु०मा०स्कूल–97
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
दिनांकःइलाहाबादःजुलाई 24 ,1997

प्रिय महोदय,

कृपया दिनांक 13.05.1997 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ एवं कतिपय पी.ए.सी. वाहिनियों में खोले गये स्कूलों की भाँति प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी पुलिस माडर्न स्कूल खोले जायें जिससे पुलिस कर्मियों के अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। प्रदेश की राजधानी में पुलिस माडर्न स्कूल खुल जाने के बाद अब जोनल एवं परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। जैसे–जैसे धन एकत्रित होता जायेगा, शनैः–शनैः इसी प्रकार के स्कूल अन्य जनपदों में भी खोले जायेंगे।

2. प्रस्तावित स्कूलों का स्तर उच्चकोटि का होगा जो किसी अन्य पब्लिक स्कूल के स्तर से कम नहीं होगा। पी.ए.सी. में शिक्षा निधि का गठन इसी प्रयोजन के लिये किया गया है। 16 पी.ए.सी. वाहिनियों में पुलिस माडर्न स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं जिनके शिक्षा स्तर में लगातार सुधार कर उनको लखनऊ स्थित पुलिस माडर्न स्कूल के स्तर पर लाया जा रहा है। इस निधि में पी.ए.सी. में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से स्वेच्छा से योगदान लिया जा रहा है।

3. पुलिस महानिदेशक महोदय ने पुलिस लाइन, इलाहाबाद में जवानों के सम्मेलन में उक्त बिन्दु पर सभी के विचार जानने चाहे थे। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने पी.ए.सी. की भाँति पुलिस बल के कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन हेतु पुलिस माडर्न स्कूल स्थापित करने हेतु सहर्ष सहमति प्रकट की थी।

4. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि जिला/इकाई स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों (आई.पी.एस. संवर्ग के अधिकारियों सहित)/कर्मचारियों से स्वेच्छा से रुपया–10/– प्रतिमाह की दर से अंशदान उनके माह जुलाई 1997 के वेतन से, जो उन्हें अगस्त 1997 को देय होगा, नियमित कटौती प्रारम्भ की जाये।

5. जिला/इकाई (पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर) स्तर पर एकत्र की गई धनराशि "उ.प्र. पुलिस शिक्षा कोष........" (जनपद/इकाई का नाम) के नाम से जानी जायेगी। प्रत्येक माह–एकत्र की गई धनराशि का 30 प्रतिशत अंशदान जिला स्तर पर खोले गये शिक्षा कोष में जमा होगा और शेष 70 प्रतिशत भाग पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं

कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जायेगा। पुलिस मुख्यालय के संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य इकाइयों जैसे सी.आई.डी., अभिसूचना, ई.ओ.डब्लू., भ्र.नि.सं., खाद्य प्रकोष्ठ, सहकारिता विभाग इत्यादि–इत्यादि का पूरा अंशदान पुलिस मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट से भेजा जायेगा। अपेक्षित बैंक ड्राफ्ट उ.प्र. पुलिस शिक्षा कोष, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के नाम से बनेगा जो स्थानीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर देय होगा। अधिकारियों/कर्मचारियों से लिया गया अंशदान वापस नहीं किया जायेगा। कोष का संचालन पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा। इसके कोषाध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद होंगे।

6. उपरलिखित बैंक ड्राफ्ट के साथ एक रिटर्न, जिसका प्रारूप संलग्न है, भरकर भेजा जाना नितान्त आवश्यक है। यह बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक माह की 15 तारिख तक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–23 में अवश्यमेव आ जाना चाहिए।

संलग्नकः एक

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,	भवदीय,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश,	हस्ताक्षर दि० 24.07.97
(पी.ए.सी. वाहिनियों को छोड़कर)	(ओ.पी.एस.मलिक)

l[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सर्तकता अधिष्ठान, उ०प्र० लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक नागरिक सुरक्षा/होमगार्डस, उ०प्र० लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक के सहायक को पुलिस महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपने संस्थानों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार कटौती कर सम्पूर्ण धनराशि पुलिस मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने की कृपा करें।

l[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, राज्य विद्युत परिषद/विशेष जाँच/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5. पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि पुलिस मुख्यालय संवर्ग के सभी राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि संकलित कर बैंकर्स चेक के माध्यम से अनुभाग–23 को समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

6. पुलिस महानिदेशक/मुख्यालय, लखनऊ व पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के समस्त अनुभाग अधिकारी।

वे कृपया अपने अधीनस्थ कर्मियों को उक्त योजना से अवगत करा दें।

l[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगण।

उ.प्र. पुलिस शिक्षा कोष में जनपद/इकाई स्तर पर एकत्रित की गई धनराशि

वेतन माह.. 199 से सम्बन्धित विवरण पत्रः—

....

1. व्यक्तियों की संख्या जिनसे अंशदान लिया गया —

2. व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने अंशदान नहीं दिया —

3. गत माह के अन्त में कोष में उपलब्ध राशि रु.

4. आलोच्य माह के अंशदान से एकत्रित धन रु.

5. योग कुल उपलब्ध धनराशि रु.

6. जनपद/इकाई में रखी गई धनराशि रु.

7. पुलिस मुख्यालय भेजी गई धनराशि रु.

<u>cSd MªkV lyXu djs rFkk fuEu fooj.k ns %&</u>

(क) जारी करने वाले बैंक तथा शाखा का नाम

(ख) जारी होने की तिथि

8. इलाहाबाद में किस बैंक व शाखा पर देय होगा — भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, इलाहाबाद।

9. अंशदान के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आलोच्य माह में प्राप्त धनराशि रु.

10. आलोच्य माह में अन्य स्रोतो से उक्त निधि में प्राप्त धनराशि का ब्यौराः—

frfFk	vuqnku nsus okys O;fDr dk iwjk uke o irk	/kujkf'k

संलग्नकः बैंक ड्राफ्ट उपरोक्त

कालम— 7 के अनुसार

जनपद/इकाई के प्रभारी

का हस्ताक्षर एवं मोहर

lyXud&10-1

mRrj Án'k ifyl dh fofHkUu bdkb;k e ßifyl ekMu Ldyþ dh LFkkiukA

ÁLrkouk

वर्ष 1994 में गोमती नगर, लखनऊ में "पुलिस माडर्न स्कूल" की स्थापना की गई थी, जिसमें पुलिसजनों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है। यह स्कूल सी.बी.एस.ई. की पद्वति पर आधारित है। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है।

शिक्षा की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये लखनऊ में स्थापित पुलिस माडर्न स्कूल की तरह अन्य स्थानों पर ऐसे स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है। इन स्कूलों को स्थापित करने एवं चलाने हेतु पुलिस कर्मियों द्वारा अपने वेतन से प्रतिमाह रु. 10/– स्वेच्छा से अंशदान देने की भी सहमति व्यक्त की गई।

ifyl ekMu Ldy dh LFkkiuk

वर्तमान समय में पी.ए.सी. की 16 वाहिनियों में पुलिस माडर्न स्कूल चल रहे हैं। इसी तरह पहले जोनल एवं परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में स्कूल खोले जायेंगे। इसके उपरान्त शनै–शनै प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस माडर्न स्कूलों की स्थापना की जायेगी। पुलिस माडर्न स्कूल के दो विंग होंगे– (1) जूनियर विंग क्लास 1 से 5 तक तथा (2) सीनियर विंग क्लास 6 से 12 तक होगा।

Ldy dk ekMy

यह स्कूल "पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ" की पद्वति पर आधारित होंगे तथा उसी स्कूल का सिलेबस एवं यूनीफार्म आदि इन पर भी लागू होंगे।

fun'kd e.My ,o ÁcU/k lfefr

ये सभी स्कूल "उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा समिति" के अधीन कार्य करेंगे। इन स्कूलों के संचालन हेतु केन्द्रीय स्तर पर निदेशक मण्डल एवं स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध समिति रहेंगी, जिसका गठन निम्न प्रकार होगाः–

¼1½ fun'kd e.My

1.	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	v/;{k
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	lnL;
3.	अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	lnL;
4.	अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	lnL;

5. पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ I nL;

6. पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ inu lfpo

7. पुलिस उपमहानिरीक्षक, भवन/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद। dk"kk/;{k

निदेशक मंडल की प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक होनी चाहिये।

¼2½ ÁcU/k lfefr

1. संरक्षक & जोनल पुलिस महानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष & पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय/अनुभागीय पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष & वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी/सेनानायक, पी०ए०सी० वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्धक & वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी/सेनानायक, पी०ए०सी० वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव & अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद पुलिस लाइन/उप–सेनानायक, पी०ए०सी० वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
6. संचालक & क्षेत्राधिकारी, जनपद पुलिस लाइन/सैन्य सहायक, पी०ए०सी० वाहिनी, उत्तर प्रदेश।
7. कोषाध्यक्ष & आंकिक, जनपद पुलिस कार्यालय/ वाहिनी कार्यालय।
8. सदस्य & जनपद/ वाहिनी में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन/ शिविरपाल पी०ए०सी० वाहिनी तथा प्रधानाचार्य पुलिस माडर्न स्कूल।

यदि पी.ए.सी. वाहिनी में स्कूल स्थापित किया जाता है तो प्रबन्ध समिति के पदाधिकारीगण पी०ए०सी० से सम्बन्धित ऊपर आंकिक प्रबन्ध समिति के अधिकारी होंगे। इसी तरह यदि जनपद पुलिस लाइन में स्कूल स्थापित किया जाता है तो प्रबन्ध समिति के पदाधिकारीगण जनपद पुलिस से सम्बन्धित होंगे। अतएव वाहिनी या जनपद पुलिस लाइन में पुलिस माडर्न स्कूल की स्थापना के आधार पर प्रबन्ध समिति की संरचना ऊपर अंकित अधिकारियों में से बनेंगी।

ÁcU/k lfefr d: inkf/kdkfj;ksa d: dk;Z ,oa mRrjnkf;Ro

laj{kd

1. अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त पुलिस माडर्न स्कूलों का पर्यवेक्षण व समन्वय करेंगे ताकि प्रत्येक स्कूल का स्टेन्डर्ड एक समान ऊँचा रखा जा सके।
2. प्रबन्ध समिति का मार्गदर्शन।
3. कठिनाईयों का निराकरण कराना।
4. अन्य कार्य जो स्कूल के हित में हो।

v/;{k

1. प्रबन्ध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. स्कूल का सही ढंग से संचालन सुनिश्चित करना।
3. परिक्षेत्र/अनुभाग के समस्त स्कूलों में समन्वय बनाना।
4. अन्य कार्य जो निदेशक मण्डल संरक्षक द्वारा समय–समय पर दिये जाये।

mik/;{k

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. स्कूल के संचालन में सहयोग करना।
3. प्रधानाचार्य का मार्गदर्शन करना तथा उनकी कठिनाइयों का बराबर निराकरण कराते रहना।
4. अन्य कार्य जो अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

ÁcU/kd

1. स्कूल के प्रबन्धन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व।
2. अन्य कार्य जो जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें।

lfpo

1. स्कूल के प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख–रखाव।
2. स्कूल से सम्बन्धित पत्राचार करना।
3. अन्य कार्य जो प्रबन्धक/ अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

lapkyd

1. स्कूल के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न मामालों की जिम्मेदारी, जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाय।

   (क) भवनों का निर्माण, सामान्य रख–रखाव तथा दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयों का निराकरण।

(ख) फर्नीचर व अन्य सामग्री का क्रय, समुचित रख–रखाव में प्रधानाचार्य की सहायता करना तथा मरम्मत आदि समय से कराना।

(ग) स्कूल की दैनिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति।

(घ) अन्य कार्य जो सचिव/प्रबन्धक द्वारा समय–समय पर दिये जायें।

dk"kk/;{k

स्कूल के कोष के रख–रखाव एवं समुचित संचालन कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व।

lnL;

1. आहूत विभिन्न बैठकों में सम्मिलित होकर अपनी सुविचारित राय एवं सुझाव देना।
2. स्कूल के प्रबन्धन में सचिव/प्रबन्धक की आवश्यकतानुसार सहायता करना।
3. अन्य कार्य जो सचिव/प्रबन्धक/अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

p;u lfefr

स्कूल के स्टाफ के चयन हेतु प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों की निम्नलिखित समितियाँ होंगीः–

Á/kkukpk;Z dk p;u

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. प्रबन्धक
4. सचिव
5. अन्य शिक्षाविद, जिसे समिति विशेषज्ञ के रूप में नामित करना चाहें।

f'k{kdk dk p;u

1. उपाध्यक्ष
2. सचिव
3. स्कूल प्रधानाचार्य
4. अन्य विशेषज्ञ शिक्षाविद, जिसे समिति नामित करना चाहें।

प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के चयन के उपरान्त चयन समिति द्वारा निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

vU; LVkQ

1. प्रबन्धक

2. सचिव
3. प्रधानाचार्य
4. संचालक

foKkiu vkfn

स्टाफ के चयन हेतु स्थानीय स्तर पर तथा समाचार माध्यमों द्वारा पर्याप्त समय देते हुये निर्धारित अर्हतायें रखने वालों से आवेदन–पत्र समय पर आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त प्रार्थना पत्रों का सम्पूर्ण विवरण सचिव द्वारा तैयार कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाया करेगा।

Ldy ;fuQke

प्रत्येक जनपद/वाहिनी के पुलिस माडर्न स्कूल की वही यूनिफार्म होगी, जो पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ की है। पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ में अभी निम्नलिखित यूनीफार्म प्रचलित हैः–

विवरण		छात्र		छात्रायें
गर्मी	1.	हल्के नीले रंग की कमीज टेरीकाट	1.	लाइट ब्लू ब्लाउज टेरीकाट
	2.	ग्रे हाफ पैन्ट	2.	ग्रे रंग की स्कर्ट
	3.	मैंचिक टाई/बेल्ट	3.	मैचिंग टाई/बेल्ट
	4.	काले जूते/मोजे	4.	काले जूते/मोजे
सर्दी	1.	तदैव	1.	तदैव
	2.	नेबी ब्लू ब्लेजर	2.	नेबी ब्लू स्वेटर

fo|ky; dk le;

स्कूल के समय का निर्धारण प्रधानाचार्य द्वारा प्रबन्धक की राय से समय–समय पर किया जायेगा।

Ldy dh Qhl

पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ में जो फीस निर्धारित है वही फीस अन्य स्कूलों में भी होगीं। पुलिस माडर्न स्कूल, लखनऊ में फीस निम्न प्रकार हैः–

(क) वार्षिक शुल्कः–

1. प्रवेश शुल्क 200/–

2.	परीक्षा शुल्क (दो बार में रु. 50/– प्रत्येक)	100/–	
3.	खेल शुल्क	50/–	
4.	रजिस्ट्रेशन शुल्क	50/–	
5.	चिकित्सा शुल्क	50/–	
6.	मैंगजीन शुल्क	20/–	
	योग	440/–	प्रति छात्र

(ख) मासिक शुल्क रु. 200/–

उपरोक्त मासिक शुल्क में पुलिस विभाग के मुख्य आरक्षी तथा आारक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को 50 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी तथा उपनिरीक्षक तथा उससे उच्च स्तर के उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों के बच्चों को मासिक शिक्षा शुल्क में 25 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी। प्रत्येक शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर, फीस के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

ctV ,oa foRrh; Jksr%

स्कूल के लिये आर्थिक व्यवस्था का श्रोत तथा व्यय छात्र/छात्राओं से लिया जाने वाला शुल्क तथा अन्य विभिन्न प्रकार के अंशदानों से वहन किया जायेगा। इस धनराशि का संचालन प्रबन्धक द्वारा कोषाध्यक्ष के माध्यम से किया जायेगा। प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित धनराशि कार्य चलाने के लिये अग्रिम के रूप में दी जायेगी। फीस एवं स्कूल में प्राप्त/व्यय की धनराशि का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा रखा जायेगा। धनराशि को प्रबन्धक द्वारा निर्धारित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा में रखा जायेगा।

mRrj Ánš'k iqfyl f'k{kk dks"k%

चूँकि सम्बन्धित जनपद के स्कूल से प्राप्त होने वाली फीस एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान) स्कूलों के संचालक के लिये पर्याप्त नहीं होगी, अतः समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से रु. 10/– प्रति व्यक्ति प्रतिमाह स्वैच्छा अंशदान जुलाई 1997 के वेतन (जो अगस्त 1997 में आहरित होगा) से लिये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त होने वाली धनराशि का नाम ßmRrj Ánš'k iqfyl f'k{kk dks"kÞ होगा। प्रत्येक माह कुल जमा अंशदान बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन एवं कल्याण) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जायेगा। बैंक ड्राफ्ट ßmRrj Ánš'k iqfyl f'k{kk dks"kÞ के नाम से पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में देय होग। अधिकारियों/कर्मचारियों से लिया गया अंशदान उन्हें वापस नहीं किया जायेगा।

dk"k dk lapkyu

इस कोष का नाम "उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष" होगा और इसका संचालन उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के स्तर पर किया जायेगा। जनपद स्तर पर इसका नाम "उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष (जनपद का नाम/शाखा का नाम) होगा।

dk"k dk y[kk& tk[kk rFkk j[k&j[kko

(1) जनपदों में एकत्रित अंशदान की राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाा में खाता खोलकर "उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष" (जनपद का नाम/शाखा का नाम) के नाम जमा किया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन एवं कल्याण) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को "उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष" के नाम भेजा जायेगा।

(2) पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एवं पुलिस की अन्य शाखाओं, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त होने वाले अंशदान को "उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष" में जमा किया जायेगा।

(3) पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले अंशदान को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा।

पुलिस मुख्यालय में इस कोष की पृथक से कैश बुक खोली जायेगी तथा इसका पर्यवेक्षण पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन/कल्याण), पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

dk"k dk mi;kx

इस कोष से विभिन्न जनपदों/वाहिनियों के पुलिस माडर्न स्कूल हेतु एकमुश्त बिना लौटाये जाने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जा सकेगा–

(1) पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय

(2) विज्ञान व प्रयोगशाला से सम्बन्धित सामग्री व उपकरणों का क्रय।

(3) फर्नीचर का क्रय

(4) भवन

(5) अन्य कोई मद जो स्कूल में हित में हो पर निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

dk"k l /ku d vkonu dh ÁfØ;k

जनपद/ वाहिनी के पुलिस माडर्न स्कूल के संचालक के लिये पुलिस मुख्यालय से धनराशि की मांग करते समय (1) स्कूल प्रबन्ध की कारिणी समिति की संस्तुति (2)

मांगी गई धनराशि का पूर्ण औचित्य भेजेंगे।

पुलिस मुख्यालय में धनराशि का मांग–पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक (भवन एवं कल्याण), पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार धनराशि आवंटित की जायेगी।

fofo/k

(1) पुलिस मुख्यालय को कोई संस्तुति भेजने के पूर्व पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/सेनानायक, पी०ए०सी० यह प्रमाणित करेंगे कि उनके जनपद/वाहिनी का स्कूल सुचारू रूप से कार्यरत है तथा जनपद/वाहिनी के कर्मी नियमित रूप से प्रत्येक माह अंशदान दे रहे हैं।

(2) इस नियमावली में समय–समय पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संशोधन निदेशक मंडल द्वारा किया जायेगा।

संख्याःप्रनि/सीए–3–12–94/4308

दिनांकःलखनऊःअगस्त 06 ,1997

gå@&

¼ Jhjke v#.k ½

ifyl egkfun'kd]

mRrj Án'k]

y[kuÅ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोनल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोनल पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, अनुभाग पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सेनानायक, पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

lyXud&10-2

dk;kZy; lfpo] måÁå iqfyl f'k{kk lfefr] y[kuÅA

पत्र संख्याःसचिव–उ०प्र०पु०शि०स०–कार्यवृत्त(24.7.2010)

दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 2010

प्रेषक,

भानु प्रताप सिंह,

पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन,

एवं सचिव, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ०प्र० लखनऊ

2– अपर पुलिस महानिदेशक, डॉ०भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।

3– अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

4– अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

5– पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र०, लखनऊ।

6– परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर/लखनऊ/मेरठ/मुरादाबाद/बरेली/आगरा/गोरखपुर।

7– जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पूर्वी जोन/मध्य जोन/पश्चिमी जोन।

8– परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, देवीपाटन/बस्ती/सहारनपुर/झाँसी।

9– अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी, वाराणसी, मुरादाबाद/लखनऊ/मेरठ/कानपुर/ आगरा/बरेली।

10– पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–लखनऊ/आगरा/बरेली।

11– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, इटावा, बदायूँ, रामपुर, झाँसी, सिद्वार्थनगर, बहराइच, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कौशाम्बी।

12– सेनानायक, 6वीं वा० पी०ए०सी०, मेरठ, 08वीं वाहिनी पी०ए०सी०, बरेली, 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर, 15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा, 41वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद, 45वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़, चतुर्थ वी० पीएसी, इलाहाबाद, 09वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद, 12वीं वाहिनी पीएसी, फतेहपुर, 20वीं वाहिनी पीएसी, आजमगढ़, 25वीं वाहिनी पीएसी, रायबरेली, 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर, 28वीं वाहिनी पीएसी, इटावा, 30वीं वाहिनी पीएसी, गोण्डा, 33वीं वाहिनी पीएसी, झाँसी, 34वीं वाहिनी पीएसी,

वाराणसी, 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ, 36वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी, 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर, 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़, 39वीं वाहिनी पीएसी, मीरजापुर।

महोदय,

कृपया पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्याःडीजी–तीन12(10)2009, दिनांकः10.09.2010 के साथ दिनाकंः27.07.2010 के कार्यवृत्त की एक प्रति उपलबध कराते हुए अवगत कराया कि पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा उक्त कार्यवृत्त अनुमोदित कर दिया गया है।

2– अनुरोध है कि पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०/अध्यक्ष उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय निदेशक मण्डल, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति की गोष्ठी दिनांकः24.07.2010 के कार्यवृत्त की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नःयथोपरि। ह०/–

(भानु प्रताप सिंह)

पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पूर्वी जोन

एवं सचिव, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

lUnHk fcUn

क्र०सं०	विषय	पैरा संख्या
1	प्रबन्धन शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	अ
2	महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति का सशक्तिकरण	व(1–10)
3	विद्यालय संसाधनों का सदुपयोग	ब–1
4	स्कूल मे कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्युनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण	ब–2
5	अधिवर्षता आयु को प्राप्त शिक्षको के सेवा विस्तार के सम्बन्ध मे निर्णय	ब–3
6	पुलिस कर्मियों की शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्ति	ब–4
7	स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन	ब–5
8	वेतन एवं शिक्षण शुल्क का निर्धारण	ब–6

9	कर्मचारी भविष्य निधि (ई०पी०एफ०)	ब–7
10	प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था	ब–8
11	अनुशासनात्मक कार्यवाही	ब–9
12	विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी निर्णय	ब–10
13	प्रकिया का सरलीकरण	स(01–03)
14	केन्द्रीय कोष का गठन	स–1
15	अवसंरचना का विकास	स–2
16	नये भवनों का निर्माण	स–3
17	अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय	द(01–07)
18	स्थानीय प्रबन्ध समिति के गठन मे संरचनात्मक परिवर्तन	स–1
19	उ०प्र० पुलिस कल्याण शिक्षा समिति की सदस्यों को नामित किया जाना (संलग्नक–1)	स–2
20	सचिव, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति के पद पर नियुक्ति	स–3
21	छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बरतने पर जोर	स–4
22	मेघावी छात्रों हेतु स्कालरशिप की व्यवस्था	स–5
23	Success Stories	
24	पुलिस माडर्न स्कूलों में कम्प्यूटर की सम्पूर्ति	स–7
25	प्रदेश में प्रचलित पुलिस माडर्न स्कूल द्वारा प्रषित एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु–1–17

iqfyl egkfuns'kd] måÁå dh v/;{krk e! ihå,ålhå e|[;ky; fLFkr lHkkxkj e! dsUnzh; funs'kd e.My] måÁå iqfyl f'k{kk lfefr dh fnukad 24-07-2010 dks lEiUu xks"Bh dk dk;Zo`RrA

गोष्ठी का प्रारम्भ श्री ए०एस०गणेश, सेनानायक 35वीं वाहिनी पीएसी/सचिव केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्वागत के साथ किया गया एवं पुलिस माडर्न स्कूल के विभिन्न बिन्दूओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

श्री करमवीर सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० एवं अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा माडर्न स्कूल के गठन एवं उसके उद्देश्य को पुनः स्मरण कराते हुए यह कहा कि पुलिस माडर्न स्कूल के स्थापना का मूलभूत उद्देश्य पुलिस परिवार के बच्चो को Qualitative Education प्रदान करना है। यह एक Welfare Measure है न कि Profit Venture। कर्मचारी इस योजना के सक्रिय भागीदार भी है और लाभार्थी भी है। इनके बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना योजना का सर्वोपरि उद्देश्य है।

इस गोष्ठी में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया:–

1	कर्मवीर सिंह, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	5	दिलीप त्रिवेदी, अपर पुलिस महानिदेशक, भ०/क० उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।	कोषाध्यक्ष
2	श्री डी० के शर्मा, पुलिस महानिदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित सदस्य	6	श्री ए०के०डी० द्विवेदी, पुलिस महानिरीक्षक, एवं पुलिस महानिदेशक, के सहायक, उ०प्र०।	सदस्य
3	श्री आर० के० तिवारी, पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य	7	श्री हरिशचन्द्र कश्यप, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ० प्र० लखनऊ।	विशेष आमत्रित सदस्य
4	श्री मुमताज अहमद, अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ०प्र०, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित सदस्य	8	श्री अरुण कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्यजोन, उ०प्र० लखनऊ।	विशेष आमत्रिंत सदस्य

9	श्री भानु प्रताप सिह, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन, उ०प्र०, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित सदस्य	12	श्री ए०एस०गणेश, सेनानायक, 35 वी वाहिनी एवं सचिव निदेशक, मण्डल, लखनऊ।	सदस्य (कार्यवाहक सचिव)
10	श्री आर० पी० सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पश्चिमी जोन, मुरादाबाद	विशेष आमंत्रित सदस्य	13	श्रीमती दीप्ति दीक्षित, केन्द्रीय कार्यालय, पुलिस मार्डन स्कूल, महानगर, लखनऊ।	ओ०एस०डी०
11	श्री प्रभात कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ	विशेष आमंत्रित सदस्य			

निदेशक मण्डल, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त इस गोष्ठी में मुख्य रूप से निम्नवत् नितिगत निर्णय लिये गयेः–

¼v½ ÁcU/ku 'kfDr;ksa dk fodsUnzhdj.k&

पुलिस मार्डन स्कूल प्रबन्धन की मौजूदा व्यवस्था अत्यन्त केन्द्रीकृत है, अतः विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया। केन्द्रीय निदेशक, मण्डल एक नीति निर्धारित करने वाली निकाय (Body) है। दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए स्थानीय प्रन्बध समितियों को सशक्त एवं अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों के शुल्क निर्धारण, अध्यापको के वेतन/भत्तों का निर्धारण, अध्यापको की संख्या निर्धारित करने एवं विद्यालय के अनुरक्षण एवं साज–सज्जा से संबंधित निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया गया। उपरोक्त विषयों में निर्णय लेने के लिए स्थानीय प्रबन्ध समितियाँ स्वत्रंत एवं सक्षम होगीं। इस प्रक्रिया में यह शर्त होगी की उक्त समस्त कार्यो हेतु केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा शिक्षा निति से किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जायेगा। स्थानीय प्रबन्ध समिति द्वारा उपरोक्त समस्त खर्चो का वहन स्वयं किया जायेगा। यह व्यय विद्यालय को होने वाली आय (शिक्षण शुल्क) से वहन किया जायेगा।

¼c½ egRoiw.kZ fu.kZ; ysus gsrq LFkkuh; ÁcU/k lfefr dk l'kfDrdj.k&

1& fo|ky; lalk/kuks dk lnqi;ksx–

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि कर्मचारियों के अंशदान से सृजित कोष के पैसे से विभिन्न विद्यालयों को स्थापित किया गया है इनका

पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करना स्थानीय प्रबन्ध समिति की जिम्मेदारी है जिसके निर्वाहन में निम्न बिन्दुओ पर स्थानीय प्रबन्ध समिति का ध्यान आर्कषित किया जाता हैः–

- Optimum utilization of Teaching Staff प्रत्येक स्कूल में आवश्यकता अनुरूप शिक्षक नियुक्त हो। प्रत्येक शिक्षक से निर्धारित संख्या में व्याख्यान लिया जाना चाहिए। उच्च कक्षाओं के अध्यापक यदि उपलब्ध हो तो उनके ठीक Junior Wing के classes लिये जा सकते है। हर दशा में प्रत्येक शिक्षक निर्धारित संख्या में व्याख्यान ले, इसको सुनिश्चित करना प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

- Optimum utilization of School Building. प्रत्येक स्कूल के भवन के कक्षाओं की क्षमता आंकलन कर प्रत्येक कक्षा की Scating capacity का अधिकतम उपयोग अवश्य निश्चित किया जाय। विद्यालय के शैक्षणिक स्तर के गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिससे अधिक संख्या में अभिभावक/ छात्र आकर्षित हो सके।

- Tapping additional sourees of income. प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होते है। इनके केन्द्रो को परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था मानदेय प्रदान करती है। यह आय पुलिस माडर्न स्कूल के अनुरक्षण के कायां e mi;kx dh tk ldrh gA blds fy, **L.M.C** dk **proactive** gkus dh vko';drk gA

2& Ldy e dfe;k dh fu;fDr gr U;ure 'kf{kd ;kX;rk dk fu/kkj.k&

विभिन्न पुलिस माडर्न स्कूलों में शिक्षको की नियुक्ति के सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया जाता है कि वह इस सम्बन्ध में सी०बी०एस०ई० उपनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वत्रंत है।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्थानीय प्रबन्ध समिति को पुलिस माडर्न स्कूल की आवश्यकतानुसार शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की संख्या घटने एवं बढ़ाने हेतु भी पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया है। विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किस पद श्रेणी में की जाये, के सम्बन्ध में सी०बी०एस०ई० उपनियम (बाइलाज) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति सक्षम एवं स्वतंत्र होगी। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ने पर उनके वेतन पर होने वाले व्यय को स्कूल स्वयं वहन करेगा। केन्द्रीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता इस आशय हेतु प्रदान नहीं की जायेगी।

3& vf/ko"kZrk vk;q dk ÁkIr f'k{kdk d lok foLrkj d lEcU/k e fu.kZ;–

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकीय एवं गैर अध्यापकीय स्टाफ के लिए अधिवर्षता आयु सी०बी०एस०ई० नियमावली के अनुसार निश्चित की जाय। यदि किसी कर्मचारी को उसकी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त भी स्कूल हित मे रखा जाना आवश्यक हो तो उसे अनुबन्ध के आधार पर क्रमशः एक–एक वर्ष के लिए रखा जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया गया है। स्थानीय प्रबन्ध समिति अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षक को एक वर्ष की संविदा पर नई नियुक्ति हेतु केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित करेगी जिस पर अन्तिम निर्णय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा लिया जायेगा।

4& ifyl dfe;k dh 'k{kf.kd dk;Z grq fu;fDr&

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन पुलिस माडर्न स्कूलों मे अपेक्षाकृत अच्छे स्तर के शिक्षक नहीं मिल पा रहे है वहाँ पर स्थानीय प्रबन्ध समिति पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी को निःशुल्क शिक्षण कार्य हेतु एवं अन्य शिक्षाविद् जो शिक्षण कार्य में रुचि रखते हो, को honorarium पर विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग कर सकते है।

5& Ldhfuax VsLV dk vk;kstu&

वर्ष–2009 में पुलिस माडर्न स्कूलों में नियुक्त अध्यापकीय स्टाफ को नया वेतनमान दिये जाने के लिए स्कीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमें सफल अभयर्थियों को नया वेतनमान दिया गया था तथा असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को पुराने वेतनमान पर इस शर्त के साथ रखा गया था कि यदि वे भविष्य में होने वाले स्कीनिंग टेस्ट में सफल होते हैं तो उन्हें नया वेतनमान दे दिया जायेगा।

इस संबंध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्थानीय प्रबन्ध समिति को अधिकृत किया गया कि वे अपने स्तर से किसी शिक्षाविद् की सहायता लेकर अपने–अपने पुलिस माडर्न स्कूलों में स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन एक माह के भीतर करा लें तथा उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नया वेतनमान दिये जाने पर अपने स्तर से निर्णय लें।

6& osru ,o f'k{k.k 'kqYd dk fu/kkZj.k&

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि केन्द्रीय स्तर से लागू वेतनमान को दिये जाने में कई स्कूलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय स्तर से लागू किये गये मूल वेतन संरचना यथावत रहेगा, परन्तु इसे इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि समस्त पुलिस माडर्न स्कूल में निर्धारित मूल वेतनमान एकसमान होगा तथा महँगाई, भत्ता से संबंधित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को समाप्त कर अपने स्तर से निर्धारित करने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति को

अधिकृत किया जाता है। स्थानीय प्रबन्ध समिति को स्कूलों मे अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ को दिये जाने वाले को स्थनीय परिस्थितियों के अनुसार एवं स्कूल की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये जाने का अधिकार दिया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ को दिये जाने वाले वेतन एवं विद्यालय के अनुरक्षण, साज–सज्जा इत्यादि पर होने वाले व्यय का स्कूल को शिक्षण शुल्क से होने वाली आय से करनी होगी। इसमें केन्द्रीय स्तर पर सामान्य परिस्थिति में किसी प्रकार की काई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

7& de|pkjh Hkfo"; fuf/k ¼bå ihå ,Qå½&

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा प्रदेश में प्रचलित समस्त पुलिस माडर्न स्कूलों में ई०पी०एफ० की सुविधा लागू किये जाने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में वित्त नियत्रंक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/ कल्याण को इस समिति में दो अन्य सदस्य अपनी सुविधानुसार नामित करने के अधिकृत किया गया है जिसमें की एक सदस्य भविष्य निधि संगठन विभाग में होना आवश्यक है। यह समिति 01 माह में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी। इस पर अन्तिम रूप से केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा लिया जायेगा, तदोपरान्त स्थानीय प्रबन्ध समिति द्वारा इसे अमल में लाया जायेगा।

8& ÁHkkoh Ik;|o{k.k dh 0;oLFkk&

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूल के हित में स्थानीय प्रबन्ध समिति प्रत्येक माह के प्रथम पक्ष में गोष्ठी आयोजित करेगी तथा उस गोष्ठी का कार्यवृत्त सचिव केन्द्रीय निदेशक मण्डल को उपलब्ध कराएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि स्थानीय प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक प्रत्येक सप्ताह किसी कार्य दिवस में सबंधित पुलिस माडर्न स्कूल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होंगे तथा स्कूल की प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

9& vu|'kklukRed dk;|okgh–

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष पुलिस माडर्न स्कूलों में कार्यरत अध्यापकीय एवं गैर अध्यापकीय स्टाफ के विरुद्ध अनुशसनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि अधिकतर पुलिस माडर्न स्कूल सी०बी०एस०ई० बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, अतः अध्यापकीय एवं गैर अध्यापकीय स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सी०बी०एस०ई० बोर्ड की नियमावली के अनुसार ही की जाये, जो विद्यालय सी०बी०एस०ई० बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, वे भी अपने अध्यापकीय एव गैर अध्यापकीय स्टाफ के विरुद्ध सी०बी०एस०ई० बोर्ड की नियमावली के अन्तर्गत

अनुशासत्मक कार्यवाही कर सकेंगें।

10& fo|ky; esa Áos'k lEcU/kh fu.k;–

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि पुलिस कर्मचारियों के बच्चो के अंक प्रतिशत कम होने के कारण उन्हें पुलिस माडर्न स्कूल में दाखिला नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ``Denial of right to admission on basis of merit should not be done for first time"

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूल में किसी भी पुलिस कर्मचारी के बच्चें को किसी भी परिस्थिति में प्रथम बार दाखिले से न रोका जाय। यदि किसी छात्र के प्रदर्शन में लगातार गुणात्मक सुधार नहीं होता है तो उसके सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति स्वतंत्र होगी। यदि प्रथम बार दाखिले से किसी पुलिसकर्मी के बच्चे को रोका जाता है तो सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सभी पुलिस माडर्न स्कूलों के प्रबन्धक इस संबंध में अपने–अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यो को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दें।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस माडर्न स्कूल का व्यापक प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाये, जिससे विद्यालय में अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देकर गुणात्मक शिक्षा दी जा सके। इसके लिए नये शिक्षण सत्र में प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित भी करायी जाये।

¼l½ Áfd;k dk ljyhdj.k

1& dsUnzh; dks"k dk xBu&

वर्तमान में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं पीएसी मुख्यालय, लखनऊ में दो अलग–अलग निधियों/ कोष प्रचलित है। इन दोनो निधियों के विलय की आवश्यकता को महसूस करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पीएसी मुख्यालय, लखनऊ में एक समेकित केन्द्रीय कोष की स्थापना की जाये। इसके लिए पुलिस महानिदेशक/ अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी उ०प्र० को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कोष का संचालन पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

2& volajpuk dk fodkl ¼**Infrastructure Development**½

(अ) सामान्यतः किसी भी पुलिस माडर्न स्कूल में संरचानात्मक विकास पर होने वाले व्यय का खर्च केन्द्रीय कोष द्वारा वहन किया जायेगा, जिसमें नये भवनों का निर्माण, मौजूदा भवनो का विस्तार, प्रयोगशालाओं इत्यादि का निर्माण, वृहद मरम्मत आदि शामिल होगा।

(ब) सामान्यतः किसी भी पुलिस माडर्न स्कूल में मरम्मत कार्य, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य उपकरणों पर होने वाले व्यय, स्थानीय प्रबन्ध समिति वहन करेगी, जो निर्धारित वित्तीय सीमा के अधीन होगा। विशेष परिस्थितियों में इन खर्चो का वहन स्कूल आय से न कर पाने की दशा में स्थानीय प्रबन्ध समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर अन्तिम रूप से निर्णय केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा लिया जायेगा।

(स) केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा विभिन्न पुलिस माडर्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के बिन्दु पर सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल को निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़े एकत्रित कर एक विस्तृत प्रस्ताव अगामी केन्द्रीय निदेशक मण्डल की त्रैमासिक गोष्ठी में प्रस्तुत करेंगे।

3& u;s Hkouksa dk fuekZ.k&

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष स्कूलों के भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण के लिए किसी कार्यदायी संस्था को कार्य आंवटित कराये जाने पर विचार विमर्श हुआः–

- पुलिस महानिदेशक, पीएसी द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि वर्तमान प्रकिया में यूनिट प्रभारी द्वारा आगणन तैयार कराकर प्रस्ताव केन्द्रीय निदेशक मण्डल को प्रेषित करते है, जिसे तकनीकी परीक्षण हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा जाता है। तकनीकी परीक्षण के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति एवं धन सम्बन्धी यूनिट को अवमुक्त किया जाता है तदोपरान्त यूनिट प्रभारी अपने स्तर से स्वीकृति कार्य के सम्पादन हेतु टेन्डर आमंतित्र कर न्युन्तम टेण्डर डालने वाले से कार्य सम्पादित कराते है। इस पूरी प्रकिया में व्यवहारिक रूप से अत्यधिक समय लगता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि PWD के Schedule of rates के रिवीजन के फलस्वरूप पूर्व में स्वीकृत धनराशि में कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता है, जिसका पुनः रिवार्डज्ड एस्टीमेट भेजा जाता है। अतः इस प्रक्रियात्मक विलम्ब एवं Project cost escalation से बचने के लिए किसी कार्यदायी संस्था (सरकारी/गैर सरकारी) को अधिकृत किये जाने की आवश्यकता है। यह संस्था आगणन से लेकर निर्माण तक सम्पर्ण कार्य करेगी।
- अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा किसी एक सस्था को उपरोक्त कार्य हेतु अधिकृत न किये जाने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि वर्तमान व्यवस्था को ही सुचारू रूप से संचालित करना उपयुक्त होगा, क्योंकि इससे competitive bidding के आधार पर project cost पर न्यूनतम खर्च आयेगा।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रकरण की महत्ता के

अनुसार LMC भवनों के निर्माण सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। LMC को यह स्वतंत्रता होगी कि प्रस्तावित भवन का आगणन तैयार कर तकनीकी परीक्षण एवं बजट स्वीकृति प्राप्त कर भवन का निर्माण किसी कार्यदायी संस्था या टेण्डर के माध्यम से सम्पादित कराये। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उक्त प्रक्रिया में भवन निर्माण की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो।

¼n½ vU; egRoiw.kZ uhfrxr fu.kZ;&

1& LFkkuh; ÁcU/k lfefr dk xBu ea lajpukRed ifjorZu&

पुलिस माडर्न स्कूल की हैण्ड बुक के अध्याय–2 में स्थानीय प्रबन्ध समिति में पुलिस महानिरीक्षक जनपदीय जोन/पीएसी जोन को पुलिस माडर्न स्कूल का संरक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्रीय/पीएसी अनुभाग को पुलिस माडर्न स्कूल का अध्यक्ष नामित किया गया है।

चूँकि प्रदेश में जोनल पुलिस महानिरीक्षक के पद समाप्त कर दिये गये है। अतः ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र स्तर पर नियुक्त अधिकारी (पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस उपमहानिरीक्षक) पुलिस माडर्न स्कूल के संरक्षक एवं अध्यक्ष दोनों पदों के कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे। पीएसी वाहिनियों में स्थित पुलिस माडर्न स्कूलों के लिए पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी।

2& måÁå iqfyl dY;k.k f'k{kk lfefr dh lnL;kvksa dks ukfer fd;k tkuk&

केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष उ०प्र० पुलिस परिवार कल्याण शिक्षा समिति की मा० सदस्याओं को नामित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा संलग्नक–1 में नामित सदस्यों को उ०प्र० पुलिस परिवार कल्याण शिक्षा समिति के पदाधिकारी के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया।

3& lfpo] dsUnzh; funs'kd e.My ds in ij fu;qfDr&

सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल का पद दिनांकः31.08.2009 से पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, उ०प्र० के पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण रिक्त है। अतः ऐसी स्थिति में पुलिस माडर्न स्कूलों के महत्वपूर्ण कार्य लम्बित है। वर्तमान समय में इस कार्य हेतु सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया। मौजूदा व्यवस्था में पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार पदेन सचिव का कार्य करते हैं। केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा सचिव पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध मे प्राविधानित नियमों को शिथिल करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस पद पर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०/अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के किसी अधिकारी को नामित किया जायेगा।

इस गोष्ठी में अध्यक्ष, केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी

पूर्वी जोन, उ०प्र० लखनऊ को सचिव, केन्द्रीय निदेशक मण्डल के पद पर नामित किया गया है।

4& Nk=ks d Áfr lonu'khyrk cjruk ij tksj&

केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्तावित पारित किया गया कि प्रदेश में प्रचलित पुलिस माडर्न स्कूलों में बच्चों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न (शारीरिक अथवा मानसिक) न होने पाये। यदि किसी स्कूल में इस प्रकार की शिकायत पायी जाती है तो वहाँ के प्रधानाचार्य इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। केन्द्रीय निदेशक मण्डल ने अपेक्षा की है कि इस निर्णय का विशेष रूप से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस सम्बन्ध मे सभी पुलिस माडर्न स्कूलों के प्रबन्धक अपने–अपने स्कूलों के प्रधानाचार्य को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दें।

5& es/kkoh Nk=ksa gsrq Nk=ofRr dh O;oLFkk&

ऐसे मेघावी छात्र, जिन्होंने कक्षा–9 से 12 तक की शिक्षा पुलिस माडर्न की किसी भी शाखा से प्राप्त किया है, के उच्च शिक्षा हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं यथा इन्जीजिनयरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन आदि में चयनित होकर किसी सरकारी संस्था में प्रवेश पाने की स्थिति में एकमुश्त धनराशि उत्साहवर्धन हेतु केन्द्रीय कोष में एकत्रित धन पर प्राप्त व्याज से प्रदान की जाएगी। इसके लिए स्थानीय प्रबन्ध समिति स्कालरशिप का प्रस्ताव केन्द्रीय निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगी, जिस पर अन्तिम निर्णय केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा लिया जायेगा।

6- **Success Stories**

निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस माडर्न स्कूल की दसवीं एवं बारहवी कक्षा के छात्र–छात्राओं जिन्होंने इंजीनियरिंग, एम०बी०बी०एस० एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ठ श्रेणी का प्रदर्शन किया है, उनकी सफलता की कहानी को पुलिस मैगजीन में छापा जाय ताकि दूसरे छात्र–छात्राओं के लिए वे प्रेरणा का श्रोत बन सके। अतः समस्त स्थानीय प्रबन्ध समिति को निर्देशित किया जाता है कि विगत 05 वर्षो के ऐसे मेधावी छात्रों का वितरण सचिव निदेशक मण्डल को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

7& iqfyl ekMuZ Ldwyksa esa dEI;wVj dh lEiwfrZ&

उ०प्र० प्रदेश पुलिस के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों में जो कम्प्यूटर पुराने हो गये है, अथवा जिनकी आवश्यकता नहीं रह गयी है, उनको नियमानुसार शिक्षण कार्य हेतु पुलिस माडर्न स्कूल को प्रदान किये जायें। इसके लिए उपलब्धता एवं प्रदान किये जाने की प्रक्रिया का आँकलन कर 01 माह के भीतर अवगत कराये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को निर्देशित किया गया।

Án'k e Ápfyr ifyl ekMu Ldy }kjk Áf"kr , t.Mk fcUn

, t.Mk fcUn&1

चतुर्थ वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद को पुलिस माडर्न स्कूल में कक्षा–9 व 10 के अतिरिक्त कक्षों तथा प्रैक्टिकल, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री लैब प्रयोगशाला के निर्माण हेतु पुलिस मुख्यालय से परीक्षणोपरान्त आगणन धनराशि रु. 22.70 लाख का प्रस्ताव सेनानायक, चतुर्थ वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद से अनुदान स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है।

<u>fu.k;%&</u> उपरोक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा चतुर्थ वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल में कक्षा–9 व 10 के अतिरिक्त कक्षों तथा पैक्टिकल, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री लैब प्रयोगशाला के निर्माण हेतु धनराशि रु. 22.70 लाख को केन्द्रीय कोष से अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

, t.Mk fcUn&2

छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ के पुलिस माडर्न स्कूल की साज–सज्जा हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 3,58,283/– की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

<u>fu.k;%&</u>छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ के पुलिस माडर्न स्कूल की साज–सज्जा हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 3,58,282/– की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान कर दी गयी। उपरोक्त धनराशि का व्यय पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ अनुभाग, मेरठ के निकट पर्यवेक्षण में किया जाय।

, t.Mk fcUn&3

छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ में पुलिस माडर्न स्कूल के प्रथम तल पर मैथ लैब का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के परीक्षणोपरान्त धनराशि रु. 2,58,696/– का वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है।

<u>fu.k;%</u> छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ के पुलिस माडर्न स्कूल के प्रथम तल पर मैथ लैब का निर्माण कराये जाने हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 5,58,696/– की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान कर दी गयी। उपरोक्त धनराशि का व्यय पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ अनुभाग, मेरठ के निकट पर्यवेक्षक में किया जाय।

, t.Mk fcUn&4

पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उ०प्र० पीएसी मुख्यालय, लखनऊ ने नवीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल की बाउण्ड्रीवाल का आगणन पुलिस मुख्यालय से तकनीकी परीक्षण कराने के उपरान्त धनराशि रु. 1,82,700/– को पुलिस माडर्न

स्कूल फण्ड से व्यय करने की अनुमति हेतु उपलब्ध कराया है।

fu.k;|&केन्द्रीय निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह आया है कि उक्त विद्यालय वाहिनी परिसर में स्थित है। अतएव इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इस कार्य को सरकारी कोष से कराया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में सेनानायक, नवी वाहिनी पीएसी मुरादाबाद से एक प्रस्ताव अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ताकि यह सरकारी निर्माण कार्य शीघ्र कराया जा सके।

, t।.Mk fcUn|&5

पुलिस माडर्न स्कूल, पुलिस लाइन, मथुरा में 02 अदद प्रयोगशाला, 01 पुस्तकालय तथा 01 अदद कम्प्यूटर कक्ष तथा निर्मित कक्षाओं को अवशेष निर्माण हेतु रु. 83.2 लाख का प्रस्ताव मय आगणन के प्राप्त हुआ है।

fu.k;|&उपरोक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा पुलिस माडर्न स्कूल, पुलिस लाइन, मथुरा में 02 अदद प्रयोगशाला, 01 पुस्तकालय तथा 01 अदद कम्प्यूटर कक्ष तथा निर्मित कक्षाओं के अवशेष निर्माण हेतु रु. 83.2 लाख को केन्द्रीय कोष से अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। यह कार्य पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र अपने निकट पर्यवेक्षण में करायें।

, t।.Mk fcUn|&6

पुलिस माडर्न स्कूल मथुरा के प्रधानाचार्य को हटाये जाने के बिन्दु पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पु०मा० स्कूल मथूरा के स्थानीय प्रबन्ध समिति केक संरक्षक, अध्यक्ष तथा प्रबन्धक को अधिकृत किया गया कि वह नियमानुसार विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए यथोचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं।

, t।.Mk fcUn|&8

अपर पुलिस महानिदेशक, डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद द्वारा कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

fu.k;|&इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय पृष्ठ संख्या–4 के शीर्षक ब(3) अधिवर्षता आयु को प्राप्त शिक्षकों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय, में अंकित है, तद्नुसार स्थानीय प्रबन्ध समिति कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

, t।.Mk fcUn|&9

47 वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल को पुलिस लाइन्स गाजियाबाद स्थित पुलिस माडर्न स्कूल में संविलीन किये जाने संबंधी प्रस्ताव को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। चूँकि यह एक नीतिगत निर्णय

था अतः इस पर केन्द्रीय निदेशक मण्डल, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

अतः उक्त प्रस्ताव को मा० समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया जिसे मा० समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया।

, t.Mk fcUnq&10

नवी वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल की कक्षाओं मे प्रकाश व्यवस्था एवं कम्प्यूटर रूम हेतु आवाज रहित जनरेटर (75के०वी०ए०) क्रय किये जाने हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 1,33,000/– की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

<u>fu.k;%</u>&नवीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद के पुलिस माडर्न स्कूल की कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था एवं कम्प्यूटर रूम हेतु आवाज रहित जनरेटर (75के०वी०ए०) क्रय किये जाने हेतु पुलिस माडर्न स्कूल फण्ड से रु. 1,33,000/– की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति केन्द्रीय निदेशक उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति द्वारा प्रदान कर दी गयी।

, t.Mk fcUnq&11

पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी द्वारा पुलिस माडर्न के आस–पास कोई स्तरीय स्कूल/कालेज न होने के कारण पुलिस के अधिकारियों/ कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अतएव जनपद कौशाम्बी के पुलिस लाइन्स परिसर में इण्टर मीडिएट तक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एक पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया हे कि पुलिस माडर्न स्कूल हेतु उनके पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है।

<u>fu.k;%</u>&इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता का परीक्षण कर, आगणन तैयार कराकर एक विस्तृत प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत करें।

, t.Mk fcUnq&12

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी ने पुलिस माडर्न स्कूल के संचालन में आय से अधिक व्यय होने, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने बच्चों को पुलिस माडर्न स्कूल में पढ़ाने मे रुचि न होने, छात्र संख्या कम होने के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस माडर्न स्कूल का संचालन बन्द करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

<u>निर्णयः–</u> इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र विद्यालय बन्द किये जाने के औचित्य का परीक्षण कर, अपनी स्पष्ट आख्या प्रेषित करें।

, t.Mk fcUn&13

केन्द्रीय निदेशक मण्डल उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति के समक्ष 10 वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी में पुलिस माडर्न स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया।

<u>fu.k;</u>&इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन विद्यालय खोने जाने की आवश्यकता का परीक्षण कर, आगणन तैयार कराकर एक विस्तृत प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत करें।

, t.Mk fcUn&15

छठी वाहिनी पीएसी के पुलिस माडर्न स्कूल में फिजिकल एजूकेशन टीचर तथा फाइन आर्ट टीचर को टी०जी०टी० ग्रेड में रखे जाने प्रस्ताव रखा गया।

<u>fu.k;</u>&इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय पृष्ठ संख्या–3 के शीर्षक ब(2) स्कूल में कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण, में अकिंत है, तद्नुसार स्थानीय प्रबन्ध समिति कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

, t.Mk fcUn&16

निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य आया कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत कतिपय पुलिस माडर्न स्कूल शिक्षा समिति की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः निदेशित किया गया कि समस्त स्थानीय प्रबन्ध समिति, पंजीकरण नवीनीकरण करना सुनिश्चित करें, तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र सचिव, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति को 15 दिवस में प्रेषित करें, कि पंजीकरण नवीनीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

, t.Mk fcUn&17

निदेशक मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य आया कि विभिन्न पुलिस माडर्न स्कूलों में नियुक्त कतिपय कर्मियों का संविदा नवीनीकरण कई वर्षो से नहीं किया गया है। अतः प्रबन्धक स्थानीय प्रबन्ध समितियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त कर्मियों का संविदा नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। इस आशय का एक प्रमाण–पत्र सचिव, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति को 15 दिवस में प्रेषित करें कि संविदा नवीनीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

ह०	ह०
(दिलीप त्रिवेदी)	(आर० के० तिवारी)
अपर पुलिस महानिदेशक, भ०/क०	पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।	पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(कोषाध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक मण्डल)	(सदस्य केन्द्रीय निदेशक मण्डल)

ह०	ह०
(ए०एस०गणेश)	(ए०के०डी० द्विवेदी)
सेनानायक,	पुलिस महानिरीक्षक, एवं
35 वी वाहिनी एवं	पुलिस महानिदेशक, के सहायक,
(सचिव, केन्द्रीय निदेशक, मण्डल)	(सदस्य केन्द्रीय निदेशक मण्डल)

(संलग्नक–1)

उ०प्र० पुलिस शिक्षा कल्याण समिति

1–	श्रीमती रेवा सिंह धर्मपत्नी श्री करमवीर सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०	अध्यक्ष
2–	श्रीमती ऊषा तिवारी धर्मपत्नी श्री आर० के० तिवारी, पुलिस महानिदेशक, पीएसी	उपाध्यक्ष
3–	श्रीमती सुमन कुमार शर्मा धर्मपत्नी श्री विपन कुमार शर्मा, ए०डी०जी० प्रशिक्षण	उपाध्यक्ष
4–	श्रीमती दीप्ति दीक्षित, विशेष कार्याधिकारी	प्रभारी अधिकारी शिक्षा समिति
5–	श्री दिलीप त्रिवेदी, अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण	कोषाध्यक्ष
6	श्रीमती दीपा अरुण धर्मपत्नी श्री अरुण कुमार पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मध्य जोन	सदस्य
7–	श्रीमती प्रीति सिंह धर्मपत्नी श्री आर० पी० सिंह पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र	सदस्य
8–	सलाहकारः	
1–	श्रीमती मधु धुॅगेश धर्मपत्नी श्री जी०एस० धुॅगेश से०नि० पुलिस महानिदेशक	
2–	श्रीमती नीता शर्मा धर्मपत्नी श्री डी० के० शर्मा, से०नि० पुलिस महानिदेशक	
9–	सचिवः	
1–	पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन, उ०प्र० लखनऊ	

I;yXud&11

पुलिस महानिरीक्षक, पी०टी०सी०–I, II एवं III मुरादाबाद/सीतापुर।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी०टी०सी० सीतापुर/पी०टी०सीसी० सीतापुर/पी०टी०एस० गोरखपुर/उन्नाव/मुरादाबाद/ मेरठ।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीएस मेरठ/सेनानायक आरटीसी चुनार मिर्जापुर।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनियाँ उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीडा नियंत्रण परिषद की वार्षिक गोष्ठी, जो कि दिनांकः7–1–98 को पुलिस रेडियो मुख्लया महानगर, लखनऊ के सभागार में आहुत हुई कार्यवृत्त की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकःयथोपरि।

ह०/–
(शैलजा कांत मिश्र)
सचिव,
उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीडा नियंत्रण परिषद,
एवं
पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी लखनऊ सेक्टर लखनऊ।

अशा० पत्रांकःएससीबी–92/97,

दिनांकःलखऩऊ, जनवरी, 14,1998

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कार्यवृत्ति की एक कप्रति सहित सूचनार्थ प्रेषितः–

1– समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

2– समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।

fnukad 7&1&98 dks mRrj Áns'k iqfyl ØhMk fu;=.k ifj"kn dh vk;kftr xks"Bh dk dk;Zo`Rr

श्री श्रीराम अरुण, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० एवं अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 07–1–1998 को उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की गोष्ठी सम्पन्न हुई। श्री अजय राज शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र० जो उ० प्र० पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी है, के अतिरिक्त पुलिस सप्ताह में आये विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में यह आम सभा आहूत की गयी थी। सर्वप्रथम सचिव, उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद द्वारा वार्षिक उपलब्धियों के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गयी। इस बैठक में एजेण्डा में अंकित बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निर्णय लिए गये।

बिन्दु–1 विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती।

बिन्दु–2 अखिल भारतीय पुलिस स्तर/राष्ट्रीय स्तर/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आऊट आफ टर्न पदोन्नति प्रदान किया जाना।

सदन को अवगत कराया गया कि इन दोनों बिन्दुओं के संबंध में दिनांक 13–12–97 को ''पीएसी दिवस'' के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मौखिक सहमति पहले ही प्रदान कर दी है। केवल शासनादेश निर्गत होना शेष है। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० श्री श्रीराम अरुण द्वारा इस संबंध में शासन स्तर पर शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु आश्वासन दिया गया है।

बिन्दु–3 शिक्षा निधि एवं जीवन रक्षा निधि के अनुसार प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के

वेतन से रु. 1/– उ०प्र० पुलिस के खेल स्तर को ऊँचा करने हेतु कटौती किया जाना।

शिक्षा निधि एवं जीवन रक्षक निधि के अनुसार उ०प्र० पुलिस खेल विकास कोष बनाये जाने हेतु सदन द्वारा निर्णय लिया गया। इस संबंध में विगत वर्ष आम सभा की गोष्ठी में लिए गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए यह तय किया गया कि प्रदेश के प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से रु. 1/– (एक रुपया) प्रतिमाह की ऐच्छिक कटौती उ०प्र० पुलिस खेल विकास कोष के नाम से की जाए। इस धन के उपयोग के संबंध में पिछले वर्ष यह निर्णय लिया गया था कि इसमें से 5 प्रतिशत धन सचिव, उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद को भेजा जाए। इस निर्णय पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त सदन ने इस धन के उपयोग के संबंध में निम्न संशोधन किया:–

(क) सम्पूर्ण कटौती का जनपद/वाहिनी स्तर पर रखा जायेगा 30 प्रतिशत

(ख) सम्पूर्ण कटौती का संबंधित जोनल समिति के अध्यक्ष को भेजा जायेगा 30 प्रतिशत

(ग) उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद के सचिव को भेजा जायेगा 40 प्रतिशत

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० एवं पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद श्री श्रीराम अरुण ने इस संबंध में सचिव, उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद से अपेक्षा की कि वे इस निधि के बनाये जाने तथा उसके उपयोग के संबंध में आदेश का एक प्रारूप तत्काल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध करायें तथा अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय से यह अपेक्षा की गयी कि यह आदेश इसी माह निर्गत कर माह जनवरी से ही इस निधि के संबंध में कटौती राज्य स्तर पर करवा दी जाए।

बिन्दु–4 वायरलेस प्रशिक्षण केन्द्र महानगर में तरणताल के निर्माण को पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

इस संबंध में श्री श्रीराम अरुण, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० एवं उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद ने अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से अपेक्षा की कि इस पत्रावली को तत्काल उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिससे कि अग्रिम निर्णय तरणताल के संबंध में लिया जा सके।

बिन्दु–5 अखिल भारतीय पुलिस डियूटी सीट में आयोजित स्पधाओं की टीमों के लिए प्रशिक्षण कार्य

उपरोक्त संबंध में चर्चा की गई तथा सभी संबंधित से अपेक्षा की गई कि भविष्य में विभिन्न खेल संबंधी आयोजनों में राजपत्रित अधिकारियों के स्तर पर पर्याप्त रुचि खेलों में ली जाए।

बिन्दु–7 वर्ष 1998 हेतु कार्यकारिणी समिति का गठन।

सदन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि पूर्व की भाँति निम्नलिखित 4 पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति में रहेंगे तथा अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र० जो कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी हैं, वे तीन अन्य अधिकारियों को अस्थायी सदस्य के रूप में नामित करने की कार्यवाही करेंगेः

1. अध्यक्ष	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष	अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी० उत्तर प्रदेश
3. सचिव/सदस्य	पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी०ए०सी० लखनऊ सेक्टर लखनऊ
4. सदस्य	प्रादेशिक क्रीड़ा अधिकारी (पुलिस)

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० एवं अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस क्रीडा नियंत्रण परिषद ने अपने सम्बोधन में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं की और सदन का ध्यान आकर्षित किया जिनपर निम्न निर्णय लिए गयेः–

1. भविष्य में खेल प्रमाण पत्रों को जारी करते समय पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० के स्थान पर सम्बन्धित प्रमाण–पत्र पर उपाध्यक्ष के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ० प्र० द्वारा हस्ताक्षर किया जाय।

2. वर्ष 1997 से जो अन्तर जोनल प्रतियोगितायें आयोजित हुई हैं, देखने में आया है कि उनका नम्बर प्रथम अंकित किया गया जबकि उ० प्र० पुलिस का इतिहास बहुत पुराना है अतः यह निर्णय लिया गया कि पूर्व परिक्षेत्रीय संख्या के अनुरूप वर्ष 1998 से आरम्भ होने वाले जोनल प्रतियोगिताओं की संख्या का अंकन किया जाय।

3. भविष्य में पदोन्नति हेतु होने वाली प्रतियोगिताओं में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को खेल सम्बन्धी अंक दिये जाने के विषय में इस सम्भावना पर विचार कर लिया जाय कि समान अंक प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पर दिये जाने की अपेक्षा खिलाड़ी की उपलब्धि के अनुरूप अंक प्रदान किया जाय। इस पर सदन में अन्तिम निर्णय नहीं हो सका। यह अपेक्षा की गई कि पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद स्तर पर इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

4. पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० एवं अध्यक्ष, उ० प्र० पुलिस क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद ने खिलाड़ियों को अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में दुबारा पिछले वर्ष लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की जिसे सदन ने अनुमोदित किया। खिलाड़ियों को निम्नवत् अवकाश प्रदान किये जायेंगे :–

(1)	अन्तर जनपदीय/वाहिनी स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने पर	2 दिन
(2)	अन्तर जोनल स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने पर	3 दिन
(3)	अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर	5 दिन

ह०/–

(शैलजा कान्त मिश्र)

सचिव,

उ० प्र० क्रीड़ा नियन्त्रण परिषद एवं

पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी,

लखनऊ सेक्टर, लखनऊ।

lyXud&11-1

विजय शंकर,
अपर पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद–211001

फोन : 023666 (आफिस)
: 640900 (आवास)

फैक्सः 0532 – 622031

अर्धशा०पत्र सं०:बीस–खेलकूद–विकासकोष–98

दिनांकःअक्टूबर 29 , 1998

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में गौरवमयी इतिहास रहा है। वर्ष 1951 में जब प्रथम एशियाड दिल्ली में आयोजित हुये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर विभाग का नाम उज्जवल किया। इसके उपरान्त भी अनेकों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर विभाग एवं प्रदेश का नाम उज्जवल किया तथा प्रदेश व देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों से सम्मानित हुये।

2. राष्ट्र के कुछ प्रान्तीय पुलिस बलों के साथ–साथ केन्द्रीय पुलिस बलों में उदयीमान खिलाड़ियों को सामान्य अहर्ताओं में छूट प्रदान कराते हुये अपने यहां भर्ती की व्यवस्था कराकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण उपलब्ध कराने के साथ–साथ विशेष आहार (स्पेशल डाइट) देने की व्यवस्था की है, जिससे इन संस्थाओं की टीमों का खेल स्तर उच्चकोटि का हो गया।

3. प्रदेश पुलिस ने भी इस ओर विशेष ध्यान दिया तथा गत 5–6 वर्षो में आधुनिकतम खेल उपकरण उपलब्ध कराये तथा सीमित संसाधनों के होने से खिलाड़ियों को अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिताओं के आयोजनों से पूर्व केवल कुछ अवधि तक विशेष आहार भी प्रदान किया जाता है। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड के वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर व अखिल भारतीय पुलिस खेल आयोजनों हेतु पारित निर्देशों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश पुलिस की विभिन्न टीमों की संख्या भी बढ़ी है तथा उन्हें अधिक अवधि तक एकत्रित कर प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। इन टीमों के प्रशिक्षण शिविर चलाये जाते हैं किन्तु धनाभाव के कारण प्रदेश पुलिस स्तर पर एकत्रित टीमों के खिलाड़ियों को अभ्यास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपकरण व विशेष आहार (स्पेशल

डाइट) दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे राष्ट्र के अन्य पुलिस बलों की टीमों की तरह प्रदेश पुलिस की टीमों का खेल स्तर ऊँचा नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति वाहिनी/जनपद स्तर पर व जोनल स्तर पर बन जाती है। यह केवल प्रदेश पुलिस के खेल स्तर को ऊँचा करने की बात नहीं है अपितु इसका सीधा सम्बन्ध प्रदेश पुलिस, प्रदेश व देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है।

4. दिनांक 07.01.98 को पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में उ०प्र० पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड की आम सभा में उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों की चर्चा हुई तथा यह निर्णय लिया गया कि जीवन रक्षा निधि एवं शिक्षा निधि की तरह ही विभाग में ही खेल व खिलाड़ियों के विकास हेतु ßmåÁå i¡fyl [k¡ydn fodkl dk"k¼ की स्थापना की जाये तथा प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी से प्रतिमाह रु. 1/– ऐच्छिक कटौती की व्यवस्था की जाय, जिसका 30 प्रतिशत वाहिनी/जनपद/इकाई स्तर पर, 30 प्रतिशत पुलिस महानिरीक्षक/जोनल स्पोर्टस समिति को तथा 40 प्रतिशत सचिव, उ०प्र० पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड एवं पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी०, लखनऊ सेक्टर, लखनऊ को भेजा जाय। vr% vkil s vu¡jk/k g S fd bl dVkSrh dk ekg vDVwcj 98 ds osru l s dkVuk vkjEHk dj nsA

fdu&fdu enk s e s 0;; gksxk

5. वाहिनी/जनपद/इकाई व अध्यक्ष जोनल स्पोर्ट्स समिति एवं सचिव उ०प्र० पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड के स्तर पर एकत्रित धनराशि का व्यय केवल निम्नलिखित तीन मदों में ही व्यय किया जायगाः–

1. खिलाड़ियों को किट, खेल उपकरण एवं खेल सामान उपलब्ध कराने हेतु।
2. खिलाड़ियों को विशेष आहार प्रदान करने हेतु।
3. खेल मैदान के रख–रखाव हेतु।

इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में "उ०प्र० पुलिस खेलकूद विकास कोष" में एकत्रित धनराशि को किसी भी स्तर पर अन्य किसी भी मद में व्यय नहीं किया जायगा।

0;; dh xbZ /kujkf'k dk 0;; fooj.k o Lis'ky vkfMV

1. वाहिनी/जनपद/इकाई/अध्यक्ष, जोनल स्पोर्ट्स समिति स्तर पर जमा धनराशि का सम्पूर्ण व्यय विवरण प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक सचिव, उ०प्र. पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड के कार्यालय में भेजा जाएगा।
2. वाहिनी/जनपद/इकाई/अध्यक्ष, जोनल स्पोर्ट्स समिति पुलिस महानिरीक्षक, जोन व सचिव, उ०प्र. पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी०ए०सी०, लखनऊ अनुभाग, लखनऊ के द्वारा व्यय की गई धनराशि का स्पेशल आडिट पुलिस मुख्यालय, उ०प्र०, इलाहाबाद की आडिट पार्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल/मई में किया जायगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस खेल विकास कोष की नियमावली की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

भवदीय,

ह०/–

(विजय शंकर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,उ०प्र०

समस्त पुलिस अधीक्षक,उ०प्र०।

समस्त सेनानायक, पी०ए०सी० वाहिनी,उ०प्र०।

अन्य समस्त प्रभारी पुलिस शाखा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।
5. पुलिस महानिदेशक के सहायक उ०प्र०, लखनऊ।
6. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

lyXud&11-2

mRrj Án'k ifyl [ky fodkl dk"k fu;ekoyh
ÁLrkouk

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल का स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करने हेतु इस कोष का सृजन किया गया है।

(2) उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के लिये प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने वेतन से एक रुपया प्रति का ऐच्छिक अंशदान दिया जायेगा। प्रत्येक माह के अंशदान से प्राप्त धनराशि इस कोष में निम्न स्तरों पर रखा जायेगाः–

1. जोनल/वाहिनी/इकाई स्तर पर	30 प्रतिशत
2. जोनल/मुख्यालय स्तर पर	30 प्रतिशत
3. उ०प्र० पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद के स्तर पर	40 प्रतिशत

fun'kd eMy

(3) पुलिस खेल विकास कोष के राज्य, जोन, जिला/इकाई स्तर पर निदेशक मण्डल का गठन निम्नवत किया जायेगा।

jkT; Lrj ij fun'kd e.My

उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ही निदेशक मण्डल का कार्य करेगी।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	v/;{k
पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी लखनऊ अनुभाग, लखनऊ	lfpo@dk"kk/;{k

tkuy Lrj ij fun'kd e.My

पुलिस महानिरीक्षक, जोन/ पीएसी/ ट्रेनिंग/ तकनीकी सेवायें/ जी०आर०पी०	v/;{k
पुलिस उपमहानिरीक्षक	lnL;
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पी०ए०सी० वाहिनी (दो इकाईयों से)	lnL;
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पी०ए०सी० वाहिनी (जोनल मुख्यालय से)	lfpo@dk"kk/;{k

ftyk@okfguh@bdkb Lrj ij fun'kd e.My

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक (प्रभारी इकाई)	v/;{k
अपर पुलिस अधीक्षक/ उपसेनानायक	lnL;
क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/सहायक सेनानायक	lnL;
प्रतिसार निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक	lfpo@dk"kk/;{k

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स हेतु इस समय 12 जोन प्रचलित हैं। यही जोन इस कोष के लिये भी कार्य–रूप प्रदान करेंगे। अतः जोनल स्तर पर निम्नवत होगाः–

1. पुलिस महानिरीक्षक, जोन	7
2. पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० जोन	2
3. पुलिस महानिरीक्षक, जीआरपी लखनऊ	1
4. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, लखनऊ	1
5. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, लखनऊ	1
कुल योगः–	12

(5) जोनल स्तर के निदेशक मण्डल का गठन पुलिस महानिरीक्षक, जोन (अध्यक्ष) के द्वारा किया जायेगा। उनका कर्तव्य होगा कि वे अपने मण्डल के शेष सभी सदस्यों को नामित करके उसकी सूचना सचिव/निदेशक मण्डल (राज्य) को उपलब्ध करायें।

(6) इकाई स्तर के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष सम्बन्धित इकाई का प्रभारी होगा, जो अपने मण्डल के शेष सदस्यों को नामित करेगा तथा उसकी सूचना अपने जोनल मण्डल के सचिव को उपलब्ध करायेगा।

(7) सभी इकाईयां उसी प्रकार अपने–अपने जोन से सम्बन्धित रहेंगी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्टस हेतु सम्बद्व की गयी हैं।

(8) सभी स्तरों पर निदेशक मण्डल की बैठक सम्बन्धित स्तर के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार की जायेगी व आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे।

dk"k dk j[k&j[kko

इस कोष के रख–रखाव के लिये कोई स्टाफ अलग से नहीं रखा जायेगा, यह कार्य राज्य/जोन/जिला स्तर पर सम्बन्धित कार्यालय के आंकिक शाखा अथवा पत्र व्यवहार शाखा में किसी एक कर्मचारी के सुपुर्द किया जायेगा। उसे इस अतिरिक्त कार्य के लिये मानदेय राज्य स्तर पर रु. 500.00 प्रतिमाह जोन स्तर पर रु. 200.00 प्रतिमाह

एवं जिला स्तर पर रु. 100.00 प्रतिमाह दिया जा सकता है, जो इसी कोष से दिया जायेगा।

(9) जनपद/ वाहिनी/इकाई स्तर पर रखे गये खेल विकास कोष, वाहिनी/इकाई के प्रभारी के नियंत्रण में रहेगा, जोनल मुख्यालय स्तर पर रखे गये खेल विकास कोष जोनल पुलिस महानिरीक्षक, के नियंत्रण में तथा राज्य स्तर पर यह कोष अध्यक्ष पुलिस कन्ट्रोल बोर्ड के नियंत्रण में रहेगा। सभी स्तरों पर यह कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता खोल कर रखा जायेगा।

0; ;

(10) इस धनराशि का उपयोग/व्यय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी के विवेकानुसार निम्न कार्य/मदों पर किया जायेगाः–

(अ) ऐसे खिलाड़ियों को किट, खेल उपकरण अथवा खेल का सामान अथवा उससे सम्बन्धित साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु जो अन्तर जोनल स्तर पर भाग ले रहे हैं अथवा विगत 3 वर्षो में भाग ले चुके है, अथवा जिन्हें अन्र्तजोनल स्तर पर भाग लेने के लिये तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) उपरोक्त "अ" में आने वाले खिलाड़ियों के लिये विशेष आहार प्रदान करने के लिये आवश्यक धनराशि प्रदान करने हेतु इस सम्बन्ध में खेल विकास कोष के नियंत्रण अधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जो धनराशि दी जा रही है उसका सद्पयोग हो रहा है।

(स) खेल मैदान अथवा कोर्ट अथवा ट्रेक अथवा स्वीमिंग पूल के रख–रखाव अथवा उच्चीकरण करने हेतु।

(द) अन्तप्रान्तीय स्तर/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चकोटि का प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार देने हेतु।

(य) खिलाड़ियों को उच्चकोटि के स्तर पर तैयार करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण पर व्यय।

(र) अन्र्तजनपदीय, अन्र्तजोनल/अन्र्तप्रान्तीय अथवा अन्र्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेते समय खेल के कारण आई चोटों पर हुये उपचार पर होने वाले व्यय। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान इससे नहीं किया जायेगा, बल्कि जो धनराशि की प्रतिपूर्ति इससे नहीं हो सकती है, उसका भुगतान इससे किया जायेगा।

(ल) प्रतिष्ठित प्रशिक्षको (कालेज) की सेवायें लेने के लिये उनका मानदेय उसकी योग्यतानुसार एवं प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(व) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य मद पर इस कोष से व्यय करना आवश्यक समझा जाये तो अध्यक्ष, उ०प्र० क्रीड़ा नियंत्रण परिषद की अनुमति प्राप्त करने

के उपरान्त ही किया जाय।

(11) इस कोष को व्यय करने वाली नियंत्रित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि जो धनराशि किसी शासकीय अनुदान के तहत व्यय की जा सकती है, उसे सम्बन्धित शासकीय अनुदान से व्यय किया जाये। परन्तु यदि शासकीय अनुदान नहीं प्राप्त हो पाता है अथवा कम पड़ जाता है तब नियंत्रण अधिकारी के विवेकानुसार इस कोष को व्यय किया जा सकता है एवं इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उ०प्र०, खेल विकास परिषद को दिया जायेगा।

(12) इस कोष से तीनों स्तरों पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिमाह में मासिक विवरण इस प्रयोजन के लिये निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक इकाई/जोन द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद को भेजा जायेगा।

I kekU;

(13) सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद से यह अपेक्षित होगा कि वे इस कोष के प्रत्येक शाखा का पर्यवेक्षण करते रहे तथा इनका मार्गदर्शन करते रहे। प्रत्येक वर्ष के प्राप्ति तथा व्यय के औचित्य के सम्बन्ध में एक नोट अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद को प्रेषित किया जाये तथा इसकी प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय को भी भेजी जाये।

(14) प्रति वर्ष एक बैठक प्रदेश स्तर पर आयोजित की जायेगी जिसमें आलोच्य वर्ष की अवधि की उपलब्धियां व भविष्य की योजनाओं पर विचार किया जायेगा और धनराशि के व्यय का विवरण भी सचिव द्वारा प्रस्तुत करते हुए इस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(15) निदेशक मण्डल का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करें कि जो धनराशि इस कोष से दी जा रही है, उसका सदुपयोग हो रहा है।

दिनांक:25.11.98

ह०/–
(आलोक बिहारी लाल)
पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

l;yXud&12

हर प्रसाद शुक्ला,
पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय।

अर्द्धशा० पत्र संख्याः23 / पीबीएफ–97
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
दिनांकःइलाहाबादःमई 21 ,1997

प्रिय महोदय,

सेवाकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों से पुलिस बैनिफिट फण्ड के अन्तर्गत अनुमन्य अभिदान की धनराशि लेने एवं सेवाकाल के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उसके लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में आप कृपया पुलिस मुख्यालय के अ०शा० परिपत्र सं० तेईस–1–92 दिनांक फरवरी 11, 1992 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. पुलिस महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.97 को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.5.97 या इसके उपरांत सेवाकाल में मृत्यु होने पर पुलिस बेनीफिट फण्ड के अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं अभिदान की दरें निम्नानुसार संशोधित कर दी गई हैः–

क्रमाँक	श्रेणी	1.5.97 से पुलिस बेनीफिट फण्ड के अभिदान की संशोधित दर	1.5.97 या इसके पश्चात् मृत कर्मियों के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की संशोधित दर
1–	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीगण	40 / –	3,000 / –
2–	कान्स० / हेड कान्स०श्रेणी के कर्मचारीगण	100 / –	4,000 / –
3–	सब इन्स० / इन्स०श्रेणी के कर्मचारीगण	200 / –	6,000 / –
4–	राजपत्रित अधिकारी (आई.पी.एस. / पी.पी.एस.संवर्ग को सम्मिलित करते हुये)	400 / –	8,000 / –

53 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों द्वारा पुलिस बेनिफिट फण्ड का अभिदान पूर्ववत् ही रहेगा।

3. 1.5.97 से पूर्व मृत कर्मियों के लाभार्थियों को पुरानी दर से ही आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

4. पुलिस बेनिफिट फण्ड का अभिदान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से काटा जाना सुनिश्चित करें। अभिदान की रसीदें सम्बन्धित कर्मियों की चरित्र पंजिका/सेवा पुस्तिका (जैसी स्थिति हो) चस्पा कर दी जाय।

5. यह देखने में आ रहा है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद/इकाईयों को भेजे जाने वाले बैंक ड्राफट यदा–कदा असावधानी से गुम हो जाते हैं, इससे धनराशि के गबन की भी सम्भावना हो सकती है एवं बैंक ड्राफ्ट की द्वितीय प्रति बनवाने में भी काफी समय लग जाता है। अतः अब भविष्य में पुलिस बेनीफिट फण्ड के अन्तर्गत आपको सभी बैंक ड्राफ्ट "एकाउन्ट पेयी" ही भेजे जायेंगे। आप इन्हें अपने पदनाम से खुले खाते में जमा करके पुनः आहरित करें।

6. आप अपने कार्यालय में रखे जा रहे पुलिस बेनीफिट फण्ड के रजिस्टर को अद्यावधिक करने के उपरान्त उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति पुलिस मुख्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं भविष्य में जब भी नए सदस्य बनाए जायें, उनकी भी सूची यथासमय एवं चन्दे की रसीद भी अभिलेख हेतु भिजवायें।

7. पुलिस बेनीफिट फण्ड के वर्तमान दावा प्रारूप में यथाकिंचित संशोधन कर दिया गया है, इस संशोधित प्रारूप की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित है। भविष्य में आप कृपया दावे इसी प्रारूप में ही भेजा करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, हस्ताक्षर दि० 21.05.97

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश, (हर प्रसाद शुक्ला)

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

बहुधा यह देखा जा रहा है कि स्व.कर्मियों के पुलिस बेनीफिट फण्ड के प्रकरण बहुत विलम्ब से जिलों/इकाइयों द्वारा भेजे जाते हैं। अतएव कर्मी की मृत्यु के एक माह की अवधि में प्रकरण पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–23 में अवश्यमेव उपलब्ध करा दिया जाय।

कृपया अपने स्तर से भी समय–समय पर यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन आपके अधीनस्थ जिलों/इकाइयों द्वारा किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

हस्ताक्षर दि० 21.05.97

(हर प्रसाद शुक्ला)

l;yXud&13

No.1/Police(L)/2011(1)-2291-2345

INTELLIGENCE BUREAU

(Ministry of Home Affairs)

Government of India.

New Delhi, the ...

18 AUG 2011

MEMORANDUM

Sub: Grant of Scholarship out of Police Memorial Fund for the academic year 2011 - 12.

Applications in the prescribed proforma (enclosed) are invited from the children of non-gazetted policemen killed on duty for the grant of scholarships for pursuing **professional courses** like MBBS, BE, B.Tech, MBA, MCA etc. @ Rs. 15,000/- p.a. and other **general academic university courses** viz., B.Sc., B.Com., M.Sc., M.A., etc. @ Rs. 5,000/- p.a. on regular basis in various disciplines.

2. Total number of scholarships under both the categories would be 15 (Professional - 5 & General University Courses - 10). In case more than 15 applications are received, merit will determine the grant of scholarships. The Screening Committee will take the Fund position and number of appilcations into consideration while deciding the scholarship under each category. The Committee, while recommending the cases, would be guided by the academic records of the applicant and the status of the course as well as the status/prestige of the educational institution.

3. The applications must be accompanied by:-

i) Certified copies of the mark-sheets of all the examinations passed from 10+2 level onwards.

ii) A certificate from the concerned Educational Institution certifying that the applicant is a regular bonafide student of the institution during the academic year 2011-12 and that the institute is recognized by the local University/U.G.C.

4. Duly filled in applications should be recommended by an Officer not

below the rank of Deputy Superintendent of Police/Commandant or equivalent under whom the applicant's father was last posted when he expired. The Officer while recommending should, inter-alia, mention the brief circumstances of the death of the applicant's father.

5. A "Check list" to ensure that the aplication being forwarded to us is complete in all respects is being sent herewith, which may be filled up and submitted along-with each application.

6. The application must reach Shri P.R. Kapoor, Assistant Director, IB (MHA), Govt. of India, 35, Sardar Patel Marg, New Delhi latest by 10.11.2011 positively. **Incomplete applications and applications received after 10.11.2011 will not be entertained.**

(K C Meena)
Joint Director &
Secretary, PMF

Directors General of Police	:	Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand & West Bengal.
Director General	:	BPR&D, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NIA, NDRF & CD, NCB, NCRB, NSG, RPF & SSB.
Inspectors General of Police	:	Chandigarh, Daman & Diu and Puducherry.
Director	:	CBI, DCPW, NICFS, SPG and SVPNPA, Hyd.
Secretary	:	R & AW, New Delhi.
Commissioner of Police	:	Delhi, Kolkata & Mumbai.
Commissioner of Security (CA)	:	BCAS.

APPLICATION FOR GRANT OF SCHOLARSHIP OUT OF POLICE MEMORIAL FUND FOR THE ACADEMIC YEAR 2011-12

1. Name of Applicant :
2. Father's Name :
3. Date of Birth :
4. Present Postal Address :
5. Class/Course being Studied (on regular basis) and duration of the course. :
6. Name of the Educational Institution where the said course is being pursued. :
   (Please attach a bonafide certificate from the Head of the Institution certifying inter-alia that the institution is recognised by the University/UGC.)
7. Board/University examination passed last :
   Please attach a certified copy of the marks sheet)
8. Details of Educational qualifications (10+2 level onwards) :-

Name of Examination Passed	Boad/University	Year of Passing	Division & % of marks obtained

(Please attach attested copies of the certificates and marks-sheets of all the examinations passed)

9. Whether the applicant is in receipt of any other scholarship, if so, please mention the name of the schlarship and its amount p.a. : :
10. Name of office/unit (with rank) where the applicant's father was posted last. :
11. Brief circumstances of father's death. :

12. a) Details of the members of the deceased's family. :

b) Annual income of the family from all sources.:

Place :

Date :

Signature of the applicant

To be filled by a police officer not below the rank of Commandant/Superintendent of Police under whose jurisdiction the applicant's father was posted last.

i) Circumstances in brief of the death of the applicant's father. :

ii) Recommendation of the Competent authority forwarding the application. :

Certified that the facts given by the appliant have been verified and found correct.

Signature &
Designation
alongwith office SEAL.

CHECK LIST

1.	Whether all the column in the Application form have been properly filled up.	:	Yes/No
2.	Whether certified copies of the mark sheets of all the exams Passed (10+2 onwards) have been enclosed.	:	Yes/No
3.	Whether certificate from the concerned Education Institution certifying that the applicant is a bonafide student of the institution during 2011-12.	:	Yes/No
4.	Whether the Institute is recognized by the local University/UGC.	:	Yes/No
5.	Whether the application has been recommended by the competent Police Officer.	:	Yes/No
6.	Whether the brief circumstances of the death of the applicant's father has been mentioned.	:	Yes/No
7.	Whether the application has been signed by the applicant and competent Police Officer.	:	Yes/No

lyXud&13-1

måÁå ifyl oyQ;j Q.M l vkfFkd lgk;rk d fy, ÁkFkuk&i=

1. प्रार्थी का नाम, नम्बर तथा पद..............................

   नियुक्ति का स्थान...

2. प्रार्थी की आय

   (क) मासिक वेतन/पेंशन एवं भत्ते से.................

   (ख) अन्य साधनों से ....

Hkkx&,d

3. प्रार्थी के आश्रितों के नाम आयु, व्यवसाय तथा मासिक आय आवश्कयतानुसार यह सूचना अलग कागज पर दी जा सकती है।

4. आर्थिक सहायता किस निमित्त माँगी जा रही है

   (1) विशेष चिकित्सा के लिए या

   (2) अपंग के पुनर्वाव के लिए या

   (3) मृत्यु अथवा दैवी अपदा के कारण उत्पन्न विपन्नता के निवारणार्थ

5. यदि आर्थिक सहायता प्रार्थी द्वारा किसी आश्रित की विशेष चिकित्सा अथवा पुनर्वास के लिए माँगी जा रही हो तो

   (1) रुग्ण/अपंग आश्रित का नाम और प्रार्थी से सम्बन्ध

   (2) आश्रित/आश्रिता की आयु

   (3) आश्रित/आश्रिता का व्यवसाय तथा मासिक आय

6. रुग्ण/अपंग व्यक्ति के स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था कहाँ–कहाँ, कब–कब और क्या चिकित्सा हो चुकी है, अब क्या उपचार संस्तुति किया गया है, यह उपचार कहाँ होना है और उस पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है।

7. अब तक हुए उपचार पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है। बाउचर्स, कैशमेमो आदि की मूल प्रतियाँ, प्रमाण–स्वरूप संलग्न करें।

8. यदि मृत्यु तथा दैवी आपदा (जैसे–भूकम्प, बाढ़ दर्शाया जाये) राजस्व अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

9. क्या अपेक्षित आर्थिक सहायता निजी आय अथवा अन्य स्त्रोतों से पूरी हो सकती है। यदि नहीं तो उन परिस्थितियों का विवरण दें, जिनमें वाँछित सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ी।

10. न्यूनतम कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इससे पूर्व इस निमित मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस वेलफेयर फण्ड से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर

vLirky d ÁHkkjh fpfdRld dh Vhdk vkj lLrfr

Hkkx&nk

1. रुग्ण व्यक्ति का रोग/अपंगता क्या है।
2. क्या यह रोग/अपंगता असाध्य अथवा चिरस्थाई है। यदि नहीं तो क्या उसकी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सम्भव है।
3. क्या रोगी को विशेष विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है। यदि हाँ तो इस प्रकार की चिकित्सा कहाँ पर होगी और उस पर क्या अनुमानित व्यय सम्भावित है।
4. क्या रोगी/अपंग को किसी वाह्य उपकरण जैसेः—ट्राइसिकिल, कृत्रिम अवयव आदि की आवश्यकता है, यदि हों तो उस पर अनुमानित व्यय क्या होगा।
5. यदि रोगी की किसी अस्पताल में चिकित्सा हो चुकी है तो व अस्पताल कौन सा था, रोगी यहाँ पर कब भर्ती हुआ और कब मुक्त हुआ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह केस विशेष चिकित्सा/एक अपंग के पुर्नवास/लम्बी बीमारी का है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैश मीमोज ही ऐसा अथवा कुल रुपया....................................वाउचर्स/कैश मीमोज ही ऐसी चिकित्सा/पुर्नवास से सम्बन्धित है। मैंने प्रस्तुत प्रमाण—पत्र भी देख लिये है वे सभी ठीक और सही है।

दिनांक सील मोहर सहित

चिकित्सक के हस्ताक्षर

vxlkj.k vf/kdkjh dh fVIi.kh

Hkkx&rhu

1. क्या रोगी सरकारी व्यय पर निःशुल्क चिकित्सा की अधिकारी है। यदि हाँ तो आर्थिक सहायता माँगने का क्या औचित्य है?
2. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा इस निमित्त कितनी आर्थिक सहायता किसी निधि से कब—कब दी जा चुकी है यदि ऐसी को सहायता नहीं की गयी है तो न देने का कारण क्या था?
3. क्या पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन किसी निधि से अपेक्षित सहायता प्रदान करना सम्भव है यदि नहीं तो कारण का उल्लेख करें।
4. पुलिस वेलफेयर फण्ड से पहले कब—कब और कितनी—कितनी तथा किस—किस

निमित्त आर्थिक सहायता प्रार्थी को दी जा चुकी है?

5. यदि रुग्णता/अपंगता आसाध्य/चिरस्थाई है तो मरीज के पुर्नवास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा प्रस्तावित है?

6. यदि रोगी क्षय रोग से पीड़ित है तो उसे चिकित्सार्थ सेनीटोरियम भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जा रही है?

7. पुलिस वेलफेयर फण्ड से न्यनतम कितनी आर्थिक सहायता की आप संस्तुति करते हैं, औचित्य सहित उसका उल्लेख करें।

दिनांक

हस्ताक्षर पद
सील/मोहर सहित

ÁcU/k lfefr d vkn'k

1. सहायतार्थ स्वीकृत धनराशि
2. शर्त यदि कोई लगाये जाये
3. प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत

सेक्रेटरी कम ट्रेजरी के
हस्ताक्षर एवं मोहर

l;yXud&14

संख्या:4590 / आठ–7–327 / 75

प्रेषक,

श्री कृष्ण मुरारी लाल गुप्ता

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

गृह(पुलिस)अनुभाग–7 दिनांकःलखनऊः31 मार्च 1975

विषयः– पुलिस तथा पी०ए०सी० कर्मचारियों द्वारा सुख–सुविधा हेतु चन्दे के रूप में एकत्र की गयी धनराशि के समतुल्य धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या:12 / –1502–66, दिनांक 7–8–1974 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस तथा पी०ए०सी० कर्मचारियों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु शासन ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों द्वारा चन्दें के रूप में सुख–सुविधा हेतु जितनी धनराशि एकत्र की गयी है उसके समतुल्य धनराशि (मैचिग ग्रान्ट) शासन द्वारा उनकी सुख–सुविधा हेतु इस वर्ष दे दी जाए। अतः श्रीराज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1974–75 में पुलिस / पी०ए०सी० कर्मचारियों के सुख–सुविधा पर 3,98,000 / – (रु. तीन लाख अठानवे हजार मात्र) तक अतिरिक्त व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

2. इस धनराशि से शासन द्वारा स्वीकृत मदों पर ही व्यय उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार सुख–सुविधा के लिए हेतु किये गये 12,75,000 / – रु. के प्राविधान से व्यय किया जाता है।

3. इस मद पर होने वाला व्यय लेखाशीर्षक ''255–पुलिस आयोजनेत्तर(ज) पुलिस कर्मचारियों का कल्याण के अन्तर्गत एक नये प्राथमिक इकाई (2) ''पुलिस कल्याण निधि (बेनेबोलेन्ट फण्ड) के लिए अनुदान'' के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश शासकीय संख्या:ई–12–736 / दस–75 दिनांक 24 मार्च,1975 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की अनुमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह०

कृष्ण मुरारी लाल गुप्ता

lyXud&14-1

संख्या:4695 / आठ–7–327 / 73

प्रेषक,

श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग–7 दिनांक:लखनऊः 8 नवम्बर 1977

विषय:– पुलिस बेनीबोलेन्ट फण्ड के लिए स्वीकृत अनुदान में से पुलिस कर्मचारियों के खेल–कूद की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:12–1502–66, दिनांक 31 अगस्त 1977 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा वर्णित परिस्थिति में राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या:4590 / आठ–7–327 / 1973, दिनांक 31 मार्च, 1975 के प्रस्तर–2 में निहित आदेश के क्रम में पुलिस बेनीबोलेन्ट फण्ड के लिए शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत पुलिस / पी०ए०सी० कर्मचारियों के खेल–कूद की व्यवस्था पर भी व्यय करने की अनुमति प्रदान करते है।

2. यह आदेश अशासकीय संख्या:ई–12 / 2954 / दस–77, दिनांक 2 नवम्बर 1977 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह० / सुरेश चन्द्र दीक्षित,
उप सचिव,

संख्या:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–12

आज्ञा से,
ह० / सुरेश चन्द्र दीक्षित,
उप सचिव,

l;yXud&15

संख्या–सा–3–1446 / दस–912–85

प्रेषक,

डा० जे०पी०सिंह,

वित्त सचिव,

उ०प्र०शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊः दिनांक– 6 अगस्त,1985

विषय– पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या–सामन्य–3–1338 / दस–912–85, दिनांक–16 जुलाई, 1985 के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि महालेखाकार के स्तर से पेंशन प्राधिकार पत्र तथा पेंशन संबंधी अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी,पेंशन के राशिकरण आदि का प्राधिकार पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्राधिकार पत्रों को निर्गत करने की कार्यवाही का विकेन्द्रीकरण किया जाय और यह कार्य अब महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा किया जाय। इस प्रणाली को आपके विभाग में 31–7–85 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हाने वाले सभी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संबंध में प्रयोगात्मक रूप से लागू किया जायगा। इस प्रणाली की विस्तृत रूप रेखा निम्नवत् होगी –

(1) इस प्रणाली के अर्न्तगत उपरोक्त विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ संलग्न मुख्य लेखाधिकारी अथवा उनके स्तर के अन्य अधिकारी(यदि पद नाम में अन्तर हो) पेंशन,ग्रेज्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के उन अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके वेतन अधिष्ठान बिल पर आहरित किये जाते हैं। ऐसे अधिकारी जो स्वयं बिल बनाकर सीधे कोषागार से अपना वेतन आहरित करते हैं,के संबंध में फिलहाल यह प्रणाली लागू नहीं की जायेगी। राजस्व विभाग में यह योजना केवल उन अधिकारियों / कर्मचारियों के लागू समझी जायेगी जो

राजस्व परिषद के अधीन कार्यरत हैं।

(3) यह प्रणाली ऐसे अधिकारियें/कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होगी जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त प्राप्त करेंगे अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जायेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत अशक्तता,पारिवारिक पेंशन तथा असाधारण पेंशन भी उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू समझी जायेगी जो 31–7–85 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। 31–7–85 के पूर्व जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को ही भेजे जायेंगे और वे ही उनके पेंशन, ग्रेज्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति देयों से संबंधित प्राधिकार पत्रों को निर्गत करेंगे।

(5) इस प्रणाली के अन्तर्गत संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन संबंधित भी मामलों का निस्तारण किया जायेगा जैसे पेंशन की स्वीकृति, ग्रेज्युटी की स्वीकृति, पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति अथवा पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति आदि।

(6) बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि, भविष्य निर्वाह निधि के अर्न्तगत मिलने वाली धनराशि तथा सेवानिवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण से संबंधित मामले इस योजना से आच्छादित नहीं होगे। इनके संबंध में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत जो प्रक्रियायें निर्धारित हैं वही यथावत् लागू समझी जायेंगी।

(7) इस प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन प्रपत्रों को तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय–सारणी के अनुसार किया जायेगा जैसी वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–सा–3–2085/दस–907'76, दिनांक–13–5–77 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा बांछित पेंशन प्रपत्र अब महालेखाकार को भेजने के बजाय प्रमुख विभागाध्यक्ष के साथ संलग्न मुख्य लेखा अधिकारी को भेजे जायेंगे। मुख्य लेखाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे उसे 6 माह की अवधि में ,जो उन्हें पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण कर पेंशन निर्धारित करने हेतु मिलेगी, पेंशन प्रपत्रों का भली–भांति परीक्षण कर लें और यदि उनमें कोई त्रुटि/कमी हो तो उसे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से समय रहते ठीक करवा लें और सेवानिवृत्ति के एक माह पहले ही पेंशन, ग्रेज्युटी तथा राशिकरण के भुगतान आदेश उस कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें जहां से पेंशनर ने पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया हो अथवा जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ हो और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को भेज दें। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्रेज्युटी के

राशिकरण की धनराशि का भुगतान संबंधित पेंशनर के सेवानिवृत्ति के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाय तथा पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाय।

(8) इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने हेतु पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों की प्रतियां शासन द्वारा मुद्रित करवायी जायेगी और संबंधित अधिकारियों को भेजी जायेगी।

(9) संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार महालेखाकार से सत्यापित करवाकर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से रजिस्ट्री से प्रेषित कर दें। इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी। अपने विभाग के कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों के उपयोगार्थ वे अपने हस्ताक्षर प्रमुख विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवायेंगे और उन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उसके उपरान्त एक मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यभार छोडने पर वह अपने उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर परिचालनार्थ प्रमाणित कर देंगे।

(10) संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी/कोषाधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भेजे जाने वाले अपने नमूने हस्ताक्षरों पर तथा पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों पर अपनी एक इम्बोंसिंग सील लगायेंगे। इस स्पेशन सील का व्यास लगभग 2 इंच होगा। संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस सील को अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखेंगे और स्वीकृति संबंधित हस्ताक्षर करते समय प्रपत्रों पर लगायेंगे।

2— इस उद्देश्य से कि नयी प्रणाली के कार्यान्यवन में मुख्य लेखा अधिकारियों को संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से पेंशन प्रपत्र आदि मंगवाने में कठिनाई का सामना न करना पडे ,उपरोक्त विभागों के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रणाली के लागू करने हेतु समन्वय अधिकारी के रूप में नामित करेंगे। उपरोक्त विभागों के कार्यालयाध्यक्ष प्रतिवर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची तैयार करेंगे जो अगले 24 से 30 माह तक सेवानिवृत्त होने वाले हों तथा उसकी एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी को तथा एक प्रति उपरोक्तानुसार नामित प्रशासनिक अधिकारी को भेजेंगे। यदि सूचा शून्य हो तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष मुख्य लेखा अधिकारी को शून्य सूचना भेजेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे इन सूचियों में उल्लिखित नामों को अपने कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र (फार्म—1) पर एक रजिस्टर में अंकित कर लें। यह रजिस्टर मास्टर रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा तथा पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति तथा निर्गमन संबंधी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। जो पेंशन प्रपत्र प्राप्त होंगे उन्हें उपरोक्त रजिस्टर के अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म—2) में दर्ज किया

जायेगा। यह रजिस्टर पेंशन चेक रजिस्टर कहलायेगा और स्वीकृति संबंधी पूर्ण सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी बीड नहीं किया जायेगा और इसी रजिस्टर को भविष्य में संदर्भ हेतु तथा समय–समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। पेंशन प्राधिकार पत्रों पर भी इस रजिस्टर के नम्बर का संदर्भ होगा और यही संदर्भ संबंधित पेंशनर के संबंध में भविष्य में उपयोग में लाया जायेगा। पुलिस विभाग संदर्भ संख्या के पहले शब्द पुलिस का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार सिंचाई ,सार्वजनिक निर्माण तथा राजस्व विभाग शब्द सिंचाई सानिवि तथा राजस्व का प्रयोग करेंगे। बाद में यदि किसी व्यक्ति के पेंशन प्रपत्र निर्धारित समय–सारणी के अनुसार प्राप्त न हों तो मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन प्रपत्र भेजने के संबंध में पत्र भेंजे। यदि फिर भी किसी कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन प्रपत्र प्राप्त न हों तो उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

3– संबंधित पेंशन प्राधिकार पत्र के कोषाधिकारी के स्तर पर तथा ग्रेच्युटी / राशिकरण संबंधी प्राधिकार पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी उन्हें एक रजिस्टर जो वित्त हस्त पुस्तिका भाग–पांच,खण्ड दो के फार्म संख्या–51 (प्रारूप संलग्न)में निर्धारित है पर दर्ज कर लेंगे। कोषाधिकारी इसी रजिस्टर के क्रमांक को पेंशन प्राधिकार पत्र (दोनों प्रतियों) पर दर्ज करेंगे और कोषाधिकारी के कार्यालय में डिस्वर्सर्स हाफ को ढूंढने में उसका उपयोग करेंगे।

4– पेंशन प्रपत्रों के प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में निम्न कार्यवाही अपेक्षित होगी :–

(1) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेंशन–प्रपत्र हर प्रकार से पूर्ण हैं।

(2) सेवा–पुस्तिका में सेवा संबंधी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण हैं तथा वे उचित स्तर से प्रमाणित की गयी हैं। यदि सेवा पुस्तिका में कुछ अवधि / अवधियां सत्यापित न हो तो संबंधित सरकारी सेवक से, शासनादेश संख्या सा–3–1998 / दस / 932 / 80 दिनांक– 16 जनवरी, 1981 के पैरा 3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक शपथ पत्र प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन हेतु अर्ह सेवा मान लेंगे।

(3) यदि अभिलेख पूर्ण हो तों निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक 10 माह पूर्व का औसत वेतन आगणित करेंगे और सेवा पुस्तिका की सहायता से उसकी अर्हकारी सेवा आगणति करेंगे। इन आंकणों के आधार पर पेंशन नियम एवं शाासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर पेंशन का आगणन करने पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगें।

(4) इसी प्रकार के पेंशन नियमों में एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और

दरों पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी तथा पेंशन की राशिकरण की धनराशि का आगणन करेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार पत्रनिर्गत करेंगे।

(5) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उक्त पत्रों पर निर्धारित सभी सूचना सही सही भर दी गई है। जिससे संबंधित कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को उसका भुगतान करने में कठिनाई न हो।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा की अवधि बाहय सेवा की है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन प्रपत्र भेजने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि बाहय सेवायोजक द्वारा संबंधित अवधि के अवकाश एवं पेंशन अंशदान उन्हें भेज दिये गये हैं, अथवा/नहीं और यदि भेजे गये हो तो पेंशन प्रपत्रों के साथ उनकी चालान संख्या तथा कोषागारों के नाम तथा उस धनराशि की सूचना संलग्न करनी होगी जिनके माध्यम से अवकाश वेतन,अंशदान एवं पेंशन अंशदान जमा किये गये हों। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध न हो तो पेंशन प्रपत्रों को भेजे जाने में बिलम्ब न किया जाये बल्कि कार्यालयाध्यक्ष यथा शीघ्र उसके बाद ऐसी सूचना एकत्रित करके मुख्य लेखाधिकारी को उपलब्ध करा दें। यदि फिर भी पेंशन स्वीकृति के संबंध में उक्त सूचना उपलब्ध न हो पाये तो मुख्य लेखाधिकारी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्य में ऐसी सूचना प्राप्त न होने के कारण बिलम्ब न करें किन्तु कार्यालयाध्यक्ष से निरंतर पत्र व्यवहार करके वांछित सूचना प्राप्त कर लें।

5— यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश बाहर किसी अन्य प्रदेश के कोषागार के माध्यम से पेंशन आहरति करना चाहता है तो उसके लिये उसे फार्म संख्या—25 सी०एस०आर० की तीन प्रतियां भेजनी चाहिये। मुख्य लेखाधिकारी पेंशन आदि की स्वीकृति प्रदान कर फार्म संख्या—25 सी०एस०आर० की दो प्रतियां महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय उ०प्र० को पेंशन स्वीकृति संबंधी अन्य प्रपत्रों के साथ इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वे संबंधित महालेखाकार को उसकी पेंशन के वितरण करने हेतु संबंधित कोषाधिकारी को अधिकृत कर दें। महालेखाकार उ.प्र० संबंधित महालेखाकार को भेजे गये ऐसे पत्र की एक प्रति मुख्य लेखाधिकारी तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भी भेजेंगे।

6— यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में ही पेंशन का भुगतान अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से लेना चाहता है तो मुख्य लेखाधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र उस जिले के कोषाधिकारी को भेज देंगे और कवरिंग पत्र की एक प्रति कार्यालयाध्यक्ष को तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भेजेंगे।

7— इस प्रणाली के अर्न्तगत उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखाधिकारी द्वारा निर्गत किये गये पेंशन प्राधिकार पत्रों पर पहले तथा उसके उपरान्त किये जाने वाले मासिक भुगतान उस जिले के कोषाधिकारी द्वारा किये जायेंगे जहां से संबंधित पेंशनर अपनी पेंशन लेना चाहता हो। यदि कोई पेंशनर कोषागार के स्थान पर उप कोषागार से पेंशन आहरित

करना चाहता है तो पेंशन प्राधिकार पत्र जिले के कोषाधिकारी को भेजे जायेंगे तथा वे ही पेंशन आहरण करने हेतु संबंधित उप कोषागार को अधिकृत करेंगे। मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, तथा पेंशन के राशिकरण की धनराशियों का भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं किया जायेगा बल्कि संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस प्रकार के भुगतानों के प्राधिकार पत्र उस आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे जहां से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो। यदि पेंशन का राशिकरण पेंशन स्वीकृति के साथ नहीं कराया गया है तो पेंशन राशिकृति धनराशि का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा पेंशनर की पेंशन कोषाधिकारी द्वारा तद्नुसार घटा दी जायेगी।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरोक्त भुगतानों के आहरण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनायेंगे और उन्हें कोषागार से पारित करवाकर संबंधित व्यक्ति को उसका भुगतान कर देंगे। यदि भुगतान नियुक्ति के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से किये जाने हेतु आवेदन किया जाये तो उस दशा में संबंधित व्यक्ति को बैंक डाप्ट के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। सिचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में चेक प्रणाली लागू है अतः संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की ग्रेज्युटी एवं पेंशन के राशिकरण के भुगतान हेतु बिल बनाकर उन्हें कोषागार को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

8— पेंशन एवं अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत करने के उपरान्त एक अन्य अधिकारी द्वारा जो पेंशन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्र्तगत कार्यरत होंगे तथा उन्हीं को सीधे उत्तरदायी होगे सभी प्राधिकार पत्रों की शत प्रतिशत कार्योत्तर संपरीक्षा की जायेगी। कार्योत्तर संपरीक्षा किये जाने के उपरान्त ऐसे अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सूचना पेंशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि कार्योत्तर संपरीक्षा के उपरान्त पेंशन अथवा अन्य देयों के संबंध में त्रुटि पायी गई हो तो मुख्य लेखा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे त्रुटि सुधार करके प्रश्नगत पत्र पुनः निर्गत करें। अधिक भुगतान होने की दशा में कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी संबंधित पेंशनर से अधिक भुगतान हुई धनराशि की वसूली की कार्यवाही करेंगे। पेंशन में अधिक भुगतान होने की दशा में यह वसूली किस्तों में की जा सकती है। अन्य भुगतानों के संबंध में सबंधित पेंशनर को अधिक भुगतान की धनराशि को एक मुश्त कैश में जमा करना होगा। इस हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशनर को भुगतान किये जाने के पूर्व एक इन्डेमिनिटी बान्ड (फार्म—3) भरवा लेंगे जिस पर कार्यालय के दो अधिकारी एवं कर्मचारी का साक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

9— यदि किसी कारणवश सेवानिवृत्त के दिनांक से एक मास पूर्व किसी व्यक्ति की पेंशन अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी के संबंध में प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो पाये तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे शासनादेश संख्या—सा—3—2085/दस—907—76 दि० 13—12—77 एवं सा—3—1797/दस—921—84 दिनांक— 13—2—85 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्ति को अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेज्युटी स्वीकृत कर दें एवं शासनादेश संख्या—सा—3—2921/दस—भ०ले०—7—78

दि०27–1–79 के अन्तर्गत निर्धारित संलग्नक –1 पर आवश्यक सूचना महालेखाकार के स्थान पर विभाग के मुख्य लेखाधिकारी को प्रेषित कर दें और उसका आहरण पेंशन मामले में सेवानिवृत्ति के एक माह के बाद के माह की पहली तिथि से प्रारम्भ कर दें तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी की धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के माह से अगले माह की पहली तिथि को ही कर दें।

10– मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन तथा अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनके निर्णय में कोई विवाद उत्पन्न किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जो विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्णय हेतु शाासन को प्रेषित किया जायेगा।

11– भारत के संविधान के अनुच्छेद–283(2) के अर्न्तगत राज्यपाल द्वारा बनाये गये ट्रेजरी रूल्स में प्राविधान है कि कोषाधिकारी सामान्य प्रकार से भुगतान करने हेतु अधिकृत नहीं है,जब तक ऐसा भुगतान नियमों के अर्न्तगत किया जाना अपेक्षित न हो अथवा उनके लिये महालेखाकार का प्राधिकार पत्र उपलब्ध न हो। ट्रेजरी रूल्स–22 में यह प्राविधान है कि सरकारी सेवकों को मिलने वाली पेंशन की दरें महालेखाकार द्वारा कोषाधिकारी को सूचित की जायेगी। उपरोक्त प्रणाली को लागू करने हेतु संबंधित ट्रेजरी रूल्स को संशोधित करना होगा जिसमें समय लगने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियमों के संशोधन के औपचारिक आदेश निर्गत होने के पूर्व इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उन्हें संशोधित माना जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये भुगतान प्राधिकार पत्रों पर भुगतान करने हेतु अधिकृत समझे जायेंगे।

12– उपरोक्त कार्य के लिए संबंधित विभागों में निम्नलिखित अस्थायी पदों के 28 फरवरी–1986 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

		सहायक लेखा अधिकारी (690–1420)	लेखाकार (570–1100)	टंकक (354–550)	रिकार्डकीपर (430–685)	चपरासी (305–390)	योग
1	पुलिस विभाग	1	6	1	1	1	10
2	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1	4	1	1	1	8
3	सिंचाई विभाग	1	5	1	1	1	9

		सहायक लेखा अधिकारी (690–1420)	लेखाकार (570–1100)	टंकक (354–550)	रिकार्डकीपर (430–685)	चपरासी (305–390)	योग
4	राजस्व विभाग	1	5	1	1	1	8
						कुल योग	35

उपरोक्त पदों में से निम्न पद संबंधित विभाग द्वारा वर्तमान स्टाफ में से भरे जायेंगे शेष पदों की सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से भरा जायेगा।

	लेखाकार
पुलिस विभाग	2
सार्वजनिक निर्माण विभाग	2
सिंचाई विभाग	2
राजस्व विभाग	2

उपरोक्तानुसार स्वीकृत सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी सीधे मुख्य लेखा अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करेंगे और उन्हीं को उत्तरदायी होंगे। वही उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करने हेतु अधिकृत होंगे।

13– उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बीच सभी पेंशन नियमों तथा शासनादेशों का अध्ययन कर लें जिससे पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने में कठिनाई न हों।

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रणाली का भली प्रकार अध्ययन कर लें और उसे अपने विभाग में 4–8–85 से लागू करने की कृपा करें।

भवदीय

ह०/–

Mkå tåihå flg]

वित्त सचिव।

संख्याःसा–3–1446(1)/दस–912–85

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग, लखनऊ।

2– महालेखाकार, (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय, महालेखाकार (आडिट) तृतीय एवं चतुर्थ इलाहाबाद।

3– निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।

4– प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त।

5– प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।

6– प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

7– पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष।

8– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद।

9– पेंशन अधिकारी, विधान भवन, लखनऊ।

10– सचिव, कार्मिक विभाग, लखनऊ।

11– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

12– निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।

आज्ञा से,

ह०/–

on Ádk'k vxoky]

संयुक्त सचिव।

l;yXud&15-1

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–1508 / दस–2008–308–97

लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर 2008

dk;kZy; & Kki

fo"k;% वेतन समिति उ०प्र०, 2008 की संस्तुतियो को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिको की पेन्शन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेन्शन एवं राशिकरण की दरो का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियो को स्वीकार करते हुये राज्य सरकार के सिविल पेन्शनरो / पारिवारिक पेन्शनरो के पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन / ग्रेच्युटी एवं पेन्शन राशिकरण की दरो को निम्नप्रकार संशोधित किये जाने का आदेश दिये है। यह आदेश दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी समझे जायेगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निधारण / समायोजन किया जायेगा।

2& यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेन्शनरो / पारिवारिक पेन्शनरो पर (जो उ०प्र० लिब्लराइज्ड पेन्शन रूल्स 1961, उ०प्र० रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, तथा शासनादेश संख्याःसा–3–969 / दस–933 / 85, दिनाँकः08.08.1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थाई निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगे।

2&¼1½ ÁHkkoh gksus dh frfFk&

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाएं उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांकः01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मृत हुए हैं। दिनांकः01.01.2006, के पूर्व सेवानिवृत्त / मृतसरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन क पुनरीक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2&¼2½

जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांकः01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त

पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणें में ऐसे पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3&¼1½ ifjyfC/k;k&

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों(सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोडकर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3 &¼2½

''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008, की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में पे बैण्ड तथा लागू ग्रेड पे से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन तथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

3&¼3½

सेवानिवृत्त/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महॅगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा।

4&i`'ku

पेंशन की गणना पूर्व की भांति, औसत परिलब्धियों पर दिये जाने के साथ–साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में पुर्नस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा पे ग्रेड के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो अनुमन्य होगा, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु.3500/–प्रतिमाह से कम तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनांक:01.01.2006) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तद्रनुसार राज्य सरकार की पेंशन की पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशाधित समझी जायेगीं।

4&¼1½

सिवित सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद–474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों जो दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

4&¼2½

वर्तमान में राज्य सरकार में पूर्ण पेंशन प्राप्त प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33

वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है, परन्तु तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि सरकारी सेवक को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा, सेवा करना अनिवार्य है जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के आधार पर जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी।

4&¼3½

ऐसे सरकारी सेवक जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते हैं तथा पेंशन पाने के पात्र हैं , उन्हें भी उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पेंशन स्वीकृत की जायेगीं।

4&¼4½

उपरोक्त प्रस्तर–4(2) एवं 4(3) की व्यवस्था इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा उन सरकारी कार्मिकों पर लागू होंगे जो उक्त दिनांक को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। जो सरकारी सेवक दिनांकः01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु इस कार्यालय–ज्ञाप के जारी होने के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं उन पर पेंशन संबंधी वही नियम लागू होंगे जो इस कार्यालय – ज्ञाप के जारी होने की तिथि के पूर्व लागू थे।

4&¼5½

पेन्शन की न्यून्तम धनराशि की सीमा रु. 3500/– प्रतिमाह तथा अधिकतम सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत की धनराशि से अधिक नही होगी।(राज्य सरकार में दिनांकः 01.01.2006 से अधिकतम वेतन की धनराशि रु. 80,000/–है)।

4&¼6½

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स की संबंधित व्यवस्थाएं उपरोक्त प्रस्तर–1 से 5 में पुनरीक्षित व्यवस्था के अनुसार संशोधित समझी जाएगी, शेष व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगी।

4&¼7½

वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन की अनुमन्य की जाएगीः–

i'kuj dh vk;q	vfrfjDr i'ku dh /kujkf'k
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष की आयु	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह

से कम	
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष से अधिक आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेन्शन स्वीकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेन्शन प्राधिकार–पत्र में पेन्शनर की जन्म तिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेन्शन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पी०पी०ओ० में अतिरिक्त पेन्शन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी उदाहरण तथा यदि पेन्शनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेन्शन की धनराशि रु. 10,000.00 प्रतिमाह है तो उसकी मूल पेन्शन रु. 10,000/– तथा (ख) के अतिरिक्त पेन्शन रुपया 10,000.00 (ख) अतिरिक्त पेन्शन रुपया 3,000 प्रतिमाह होगी।

5& x:P;|Vh

5&¼1½

सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख होगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 को सम्वन्धित नियम को दिनांक 01.01. 2006 से संशोधित समझा जाएगा तथा नियम के अधीन सेवानिवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख से अधिक नही होगी।

6& vgdkjh l: vfrfjDr l:ok dh x.kuk

उपरोक्त प्रस्तरो 1 से 5 में उल्लिखित पेन्शन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के प्ररिप्रेक्षय में अतिरिक्त सेवा को पेन्शन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा सम्वन्धित नियम तद्नुसार संशोधित समझा जाएगा।

7& ub! ikfjokfjd iU'ku ;kstuk 1965

पारिवारिक पेन्शन की धनराशि सभी प्रकरणो में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन के 30 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम 24,000/– होगी।

7&¼1½

वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी सेवक / पेन्शनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा सामान्य पेन्शन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में अनुमन्य पेन्शन की धनराशि से अधिक नही तक

पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य होती है। दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेन्शनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि में कोई संशोधन नही होगी। पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए।

7&¼2½

वृद्व पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

ikfjokfjd isa'kuj dh vk;q	ikfjokfjd isa'ku dhvfrfjDr /kujkf'k
80 वर्ष परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से परन्तु 90 वर्ष से से कम	मूल पेंशन पारिवाकर पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पारिवाकर पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यवाही उपरोकत प्रस्तर–4 (7) के अनुसार की जायेगीं।

7&¼3½

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु पारिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगाः–

oxZ&1

¼d½ विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुर्नविवाह जो भी पहले हो,

¼[k½ पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुर्नविवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

oxZ&¼11½

¼x½ अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग–1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुर्नविवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

¼?k½ ऐसे माता–पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं होतीं हैं। आश्रित माता–पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक

पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग–11 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री अथवा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार उसी ऐसी कोई सन्तान नहीं है जो विकलांग हों। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उसकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

7&¼4½

उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महॅगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7&¼5½

सन्तानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुर्नविवाह के उपरान्त भी किया जायेगा। परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणें में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक छः माह पर एक प्रमाण–पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी श्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

8&i'ku d ,d Hkkx dk jkf'kdj.k

8&¼1½

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी का राशिकरण करा ले।

9&¼2½

पेंशन राशिकरण की तालिका संबद्व है तथा इस हेतु उत्तर प्रदेश कम्युटेशन आफ पेंशन रूल्स को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

8&¼3½

पेंशन राशिकरण से संबंधित पुनरीक्षित तालिका उन सभी प्रकरणें में प्रभावी होगी जिनमें इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त राशिकरण कराया गया है जिन प्रकरणों में पेंशन राशिकरण की कार्यवाही इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने से पूर्व संपन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्व तालिका में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनांकः–01.01.2006

से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा ले इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का राशिकरण का भुगतान पेंशन राशिकरण की नई तालिका में निर्धारित की गयी दरों के आधार पर किया जायेगा। इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त राशिकरण के प्रकरणों में नई तालिका के अनुसार धनराशि आगणित की जायेगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रकाश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

9& ,Dl&xzfl;k ,d eq'r dEiUlsku

वर्तमान व्यवस्था के अधीन जिन सरकारी सेवको की मृत्यु सरकारी कार्य के दायित्वो के निर्वहन के फलस्वरूप हो जाती है उन्हे राज्य सरकार द्वारा एक्स–ग्रसिया की धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से पूर्व निर्धारित दरो में निम्नलिखित संशोधन किया जाता हैः–

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10]00 yk[k
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजकतत्वों की गतिविधियो में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	10]00 yk[k
(ग)	देश की सीमा पर अन्तराष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओ/अथवा लडाकू/आतंकवादियों अथवा अविादी आदि की गतिविधियो के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15]00 yk[k
(घ)	अति दुलर्भ पहाडी ऊचाँइयों/दुलर्भ सीमा अथवा प्रकृतिक विपदाओ अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुये मृत्यु होने पर	15]00 yk[k

संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

10– ऐसे कार्मिको जिन्होने दिनांक 01.01.2006 से लागू नये वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवद्यि के अन्दर सेवानिवृत्त हो जाते है उनकी पेन्शन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगीः–

(क) पुनरीक्षित वेतनमान/निर्धारित पे–बैण्ड तथा ग्रेड पे में आगणित धनराशि।

(ख) शेष अवधि के लिये दिनांक 01.01.2006 से पूर्व में अवधि में आहरित मूलवेतन/महगाँई वेतन तथा वास्तविक महगाँई भत्ता जो कि दिनांक 01.01.2006 को प्रभावी थे तथा संगत अवधि में आहरित किया गया है।

<u>सरकारी सेवक जिन्होने दिनांक 01.01.2006 से पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प दिया है, के सम्वन्ध में विशेष व्यवस्थाः–</u>

12– ऐसे सरकारी सेवक जिन्होने दिनांक 01.01.2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प दिया है और अब दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे है उनकी पेन्शन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत्

किया जायेगाः—

(1) ''परिलब्धियाँ'' शव्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9(21)(ए)(1) तथा उस पर महँगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 तक अनुमन्य महँगाई राहत (वर्ष 1982=100 के आधार पर) पर आगणित होगी।

(2) पेन्शन की गणना परिलब्धियो के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियाँ, जो भी अधिक लाभप्रद, पर की जायेगी।

(3) मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्त 12(1) में परिभाषित परिलब्धि तथा उस पर इन आदेशो के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अनुमन्य महँगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की अधिकतम् सीमा रु. 3,50,000/— (तीन लाख पचास हजार) से अधिक नही होगी।

(4) पेनशन राशिकरण की दरे वही होगी जैसा की इन आदेशो के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थें।

(5) पारिवारिक पेन्शन की गणना/स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशो के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थी एवं उसी गणना दिनांक 01.01.2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूलवेतन के आधार पर की जायेगी। उपरोक्त गणना हेतु AICPI-536 (वर्ष 1982=100 के आधार पर) निर्धारित महँगाई राहत, जैसी कि शासनादेश संख्याः सा—3—1746/दस— 308/05 दिनांक 02.12.2005 में बताई गई है को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेन्शन की धनराशि पर AICPI-536 औसत के उपरान्त ही महँगाई राहत की गणना की जायेगी।

(6) उपरोक्त सन्दर्भित संशोधनो के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स/उत्तर प्रदेश रिटायर मेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961/उ०प्र० लिब्रालइज पेन्शन रूल्स 1961/उ०प्र० असाधारण पेन्शन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेन्शन स्कीम के आधीन यथाआवश्यक नियम/व्यवस्थाये संशोधित समझे जायेगें तथा शेष नियम व्यवस्थाये पूर्ववत् रहेगी।

(7) इस कार्यालय—ज्ञाप के आधार पर आगणित/अनुमन्य पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन पर AICPI-536 के औसत के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाला महँगाई राहत अनुमन्य होगा।

¼8½ vo'k"k Hkqxrku dh ÁfØ;k

दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.11.2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008—09 में, 40 प्रतिशत भाग वित्तिय वर्ष 2008—10 तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तिय वर्ष 2010—11 में किया जाये। पेन्शनरो/पारिवारिक पेन्शनरो को विभिन्न वित्तीय वर्षो में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाय। 80 वर्ष या उससे

अधिक आयु के पेन्शनरो/पारिवारिक पेन्शनरो को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय। पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

किसी पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्व एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाय।

ह०

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

(2) समस्त कोषाधिकारी उ०प्र०।

(3) समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०।

स्थानीय पेन्शनरो के संघटनो को देने हेतु
इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ
(कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाय)
(प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु 05 प्रतियाँ)

l[;k lk&3&1508¼1½@10&2008 rnfnukd

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1—	सचिवालय के समस्त अनुभाग	प्रत्येक को एक प्रति
2—	सचिव विधान सभा, परिषद, विधान भवन लखनऊ	05 प्रतियाँ
3—	निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3 इन्दिरा नगर लखनऊ	05 प्रतियाँ
4—	निदेशक, पेन्शन, उत्तर प्रदेश इन्दिरा भवन लखनऊ	05 प्रतियाँ
5—	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रचारार्थ	05 प्रतियाँ
6—	मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	05 प्रतियाँ
7—	मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा विभाग उ०प्र० इलाहाबाद	05 प्रतियाँ

8– वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र० कानपुर 05 प्रतियाँ

9– उपभूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद
उ०प्र० लखनऊ 05 प्रतियाँ

10– इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ 05 प्रतियाँ

11– मुख्य लेखाधिकारी, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग,
विक्रीकर 05 प्रतियाँ

विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वनविभाग लखनऊ। नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्त सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ०प्र० लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, महानिरीक्षक होमगार्डस, उ०प्र०, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रमविभाग, कानपुर, लोकसेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद, परिवहन विभाग उ०प्र० लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज आगरा, मेडिकल कालेज इलाहाबाद, मेडिकल कालेज कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

आज्ञा से

ह०अस्पष्ट

(शिव प्रकाश)

विशेष सचिव।

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year"s purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year"s purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year"s purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.186	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262

27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.190	61	8.194		

l;yXud&15-2

CIVIL SERVICE REGULATIONS

INVALID PENSION ¼v'kDrrk isa'ku½

441. An invalid pension is awarded, on his retirement from the public service, to an officer who by bodily or mental infirmity is permanently incapacitated for the public service, of for the particular branch of it to which he belongs.

Rules regarding Medical Certificates

442. An officer applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity in the manner specified below;

(a) If the officer submitting the application is on leave elsewhere than in India then the examination shall be arranged through the Indian Missions aboard by a Medical Board consisting of a Physician, a Surgeon and an Ophthalmogist, each of them having the status of a consultant. The services of doctors approved for the officers and staff of the Mission concerned shall be utilised for this purpose, provided they fulfill the above conditions. A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

(b) If the officer submitting the application is in India, then the examining medical authority shall be:

(1) A Medical Board, in the case of all *Gazetted* Government servants and those *non-Gazetted* Servants whose pay, as defined in Fundamental rule 9 (21) exceeds Rs.400 per mensem.

(2) A Civil Surgeon or a Medical Officer of equivalent status in other cases.

(c) Except in the case of the officer on leave elsewhere than in India, no medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show the head of his office or department is aware of his intention to appear before the Medical Officer. The Medical Officer shall also be supplied by the head of the office or department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the applicant's age. Where the applicant has a service book,

the age recorded there should be reported.

443.(a) A succinct statement of the medical case, and of the treatment adopted, should, if possible, be appended.

(b) If the examining Medical Officer, although unable to discover any specific disease in the officer, considers him incapacitated for further service by general debility while still under the age of fifty-five years, he should give detailed reasons for his opinion, and, if possible a second medical opinion should always in such a case be obtained.

(c) In a case of this kind, special explanation will be expected from the head of the office or department on the grounds on which it is proposed to invalid the officer.

444. A simple certificate that inefficiency is due to old age or mental decay from advancing years, is not sufficient in the case of an officer whose recorded age is less than fifty five years, but a Medical Officer is at liberty, when certifying that the officer is incapacitated for further service by general debility to state his reasons for believing them to be understood.

Form of Medical Certificate elsewhere than India

445. The form of medical certificate given by the Medical Board arranged by the Indian Mission abroad, respecting an officer applying for Invalid pension while on leave elsewhere than India, shall be as follows:

> "We have carefully examined................................. taking into account all the facts of case as well as his present condition, we consider that he is incapable of discharging the duties of his situation, and that such incapability is likely to be permanent. His incapacity does not appear to us to have been caused by irregular or intemperate habits".

Note- If the incapacity is obviously the result of intemperance, substitute for the last sentence; "In our opinion his incapacity is the result of irregular or intemperate habits".

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following additon should be made).

> "We are of the opinion that A/B, is fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing (or may after resting for........... months, be fit for further service of a less laborious character

than that which he has been doing.)"

446. If any doubt arises regarding the validity of a certificate by the Medical Board arranged by the Indian Mission abroad, the Audit Officer must not of his own motion reject the certificate as invalid but must submit the matter for the decision of the State Government.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE IN INDIA

447. (a) The form of the certificate to be given respecting an officer applying for pension in India is as follows:

"Certificate that I(we) have carefully examined AB son of CD, a………… in the………… His age is by his own statement………….. years, and by appearance about…………….year. I(we) consider AB, to be completely and permanently incapaciated for further service of any kind (or in the Department to which he belongs) in consequence of (here state disease or cause). His incapacity does not appear to me(us) to have been caused by irregular or intemperate habits."

Note- If the capacity is the result of irregular or intemperate habits, the following with be substituted for the last sentence :

"In my (our) opinion his incapacity is directly due to………… has been accelerated or aggravated by irregular or intemperate habits."

If the incapacity does not appear to be complete and permanent the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made:

I am (we are) of opinion that A B is fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing (or say after resting for………….. months, be fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing).

(b) The object of the alternative certificate (of partial incapacity), is that an officer should, if possible, be employed even on lower pay, so that the expense of pensioning him may be avoided. If there is no means of employing him even on lower pay, then he may be admitted to pension; but it should be considered whether, in view of his capacity for partially earning a living, it is necessary to grant to him the full pension admissible under rule.

lyXud&15-3

संख्या–6929पी / आठ–1000(17)65

सेवा में,

महालेखाकार (तृतीय)

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।–211001

गृह (पुलिस विभाग) 23 जनवरी,1980

विषयः– उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1961 जैसा कि इसे वर्ष 1975 में संशोधित किया गया है, के नियम–3 की व्याख्या स्व० कान्स० श्री विजय बहादुर सिंह के आश्रितों को उत्तर प्रदेश (असाधारण पेंशन) नियमावली–1961 के अन्तर्गत पेंशन दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याःपी०आर०आई० / IV/174436/78-79/2418, दिनांक 7–12–1978 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन)नियमावली–1961 का नियम–3 जैसा कि इसे अधिसूचना संख्याः1406पी / आठ–6–1000(17) / 65, दिनांक 7 जुलाई, 1971 द्वारा संशोधित किया गया था, के अनुसार ऐसे सभी मामलों में उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत "एवार्ड" देय होगा, जिनमें कि उन नियमों से आच्छादित होने वाला पुलिस अधिकारी / कर्मचारी कर्तव्यपालन के दौरान मारा जाय या उसकी मृत्यु हो जाय। कर्तव्यपालन के दौरान यदि मृत्यु हृदय रोग अथवा सेरीब्रल थ्राम्बोसिस से हो जाय तो भी उनका मामला इन नियमों की परिधि में आयेगा।

इस सम्बन्ध में यह कहना भी अप्रसांगिक न होगा कि 12वीं बटालियन पी०ए०सी० फतेहपुर के कान्सटेबिल स्व० श्री रामायण सिंह की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान बीमार होने के परिणामस्वरूप हुई थी और डाक्टरों द्वारा उसकी मृत्यु का कारण "सेरीब्रल थ्राम्बोसिस" बताया गया था। इस मामले में आपने उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली–1961 के अन्तर्गत "एवार्ड" स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव अपने पत्र संख्याःपी०आर०आई० / 111–ए– 174021 / 78–79 / 1781, दिनांक 22–9–1978 में संस्तुति सहित भेजा था और लोक सेवा आयोग ने भी "एवार्ड" देय बताया था। शासन ने एवार्ड की ग्राह्यता के बारे में विधिक परामर्श प्राप्त किया था, जो निम्नप्रकार हैः–

"The constable in this case will be said to have died in the course of performance of his duty within the meaning of rule 3 and as such he is entitled to

benefit therein the operation of the rule is confined to case where a member of police force is killed. It also extends to a case where such a person dies in the course of performance of duty even without an encounter with dacoits or armed criminals etc.

अतः स्व० कान्स० विजयबहादुर सिंह स्व० कान्सटेबिल ड्राइवर राधे प्रसाद, स्व० कान्स० वीरेन्द्र सिंह तथा स्व० श्री के०सी० जोशी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मथुरा के मामलों में तद्नुसार विचार करके अपनी राय सहित शासन को प्रस्ताव भेजने की कृपा करें। यह प्रस्ताव आपको अलग से लौटाये जा रहे है।

भवदीय,
ह०/–
श्री लाल शुक्ल,
संयुक्त सचिव।

<u>संख्याः6929(1)पी/आठ–6–1000(17) तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि गृह(पुलिस सेवायें)अनुभाग–सचिवालय,लखनऊ को स्व० श्री के०सी० जोशी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक,मथुरा के मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह०/–
श्री लाल शुक्ल,
संयुक्त सचिव।

l;yXud&15-4

संख्याः—सा—3—1340 / दस—88—916—88

Á"kd]

श्री बी०के० सक्सेना,

प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख

कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांकः 19 अगस्त, 1988

fo"k;%&विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवको को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यो का पालन करते हुये विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवको तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेन्शन) नियमावली के अर्न्तगत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। समय की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम के कार्यो का क्षेत्र काफी बढ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओ में भी वृद्वि हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितिया हो सकती हैः—

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड,

(2) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष,

(3) आतंकवादी तत्वो से मुठभेड,

(4) हिंसात्मक भीड को नियुंत्रित करना अथवा तितर—बितर करते समय,

(5) दैवी आपदाओ जैसे बाढ, भू—स्खलन हिमस्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते हुये तथा अन्य आपातकाल यथा आग बुझाते समय अथवा रक्षा करते समय।

(6) सक्रीय सेवा करते समय— उदाहरणतः—

(i) ट्रेफिक नियंत्रण करते समय किसी गाडी की चपेट में आने की स्थिति में–

(ii) मोटर गाडी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु–

(iii) लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाडी से टकराने के कारण मृत्यु–

(iv) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रेनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु–

2– उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवको द्वारा पूरी लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यो का संपादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यो से निपटने में सरकारी सेवाको का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेनशन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यो के लिये उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता से समुचित वृद्वि किये जाने के लिये निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है–

(1) कर्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में वनाये रखने के योग्य न रहे जाये और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहे तो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवको को भी वही पेन्शन दी जायेगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेन्शन के नियम 10 के अर्न्तगत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है। 10 प्रतिशत अक्षमता के लिये मेडिकल बोर्ड की संस्तुति/प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(2) सरकारी सेवको को विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल 111 –एक अर्न्तगत तात्कालिक एवं दीर्घकालीन राहत के रूप में अनुमन्य उपादान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त वर्ग 1,2,3, एवं 4, के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु. 40,000 रु. 30,000 एवं 20,000 अनुग्रह राशि के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह को मिलाकर न्यूनतम रु. 41,000 व अधिकतम रु. 1,05,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायेगा। श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्वन्ध में अनुग्रह राशि के भुगतान करने के लिये विभागाध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियो के सम्वन्ध में शासन के प्रशासकीय विभागो को प्राधिकृत किया जाता है।

(3) कर्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते है उन्हे तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी केवल

पुलिस जनो के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग–6 के शासनादेश संख्याः 4805 पी/अ/आठ–6–1739/77, दिनांक 05 दिसम्बर, 1977 में रु. 2500 की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। अब उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुये कर्तव्य–पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुये समस्त विभागो के कर्मचारियों को रु. 5000 (रु. पाँच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसे भुगतान करने का अधिकार प्रशासकीय विभागो को होगा, किन्तु जो प्रशाकीय विभाग उचित समझे बिना वित्त विभागो की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते है परन्तु इस की सूचना उन्हें वित्त (सामान्य अनुभाग–3/सम्वन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग को भी देनी होगी।

3– उपर्युक्त सुविधाये इस आदेश के जारी होनी की तिथि से देय होगी।

4– उक्त मद संख्या 2 (2) व 2(3) में स्वीकृत सुविधाओ के लिये आवश्यक प्राविधान सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने आय–व्ययक में करायेंगे मद संख्याः 2(1) के सम्वन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेन्शन नियमावली के सुसंगत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथा समय अलग से जारी किये जायेगे।

भवदीय,
ह०/–
बी०के० सक्सैना,
प्रमुख सचिव।

lyXud&15-5

संख्या सा–3–1713/दस–87–933/89 दिनांकः28 जुलाई,1989

प्रेषक,

डॉ० वी० के० सक्सेना,

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

दिनांकः28 जुलाई,1989

Hkkx&6

[k.M&1 ¼fu;e rFkk ÁfØ;k½

6& xzP;qVh&

¼d½ lsokfuo`fRr xzP;qVh&

दिनांक 01.01.1986 के उपरान्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य है जिन्होंने पाच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। सेवानिवृत्ति गेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अंतिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी जिसका अधिकतम परिलबि्धियों के साढे सोलह गुने के बराबर अथवा रुपये एक लाख, जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगी। उदाहरणार्थ यदि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित वेतन रु. 1660/–है और पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष है तो सेवानिवृत्ति गेच्युटी

=1x4x1660x60=24,900/- होगी।

¼[k½ e`R;q xzP;qVh

मृत्यु ग्रेच्युटी की दरें निम्न प्रकार हैंः–

क्र०	सेवा अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
1–	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दोगुना
2–	एक वर्ष अथवा उससे अधिक किंन्तु पांच वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना

3–	पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
4–	20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रुपये एक लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

7– ग्रेच्युटी भुगतान हेतु परिवार की परिभाषाः–

परिवार में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैंः–

(क) पत्नी/पति

(ख) पुत्र

(ग) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ

(घ) 18 वर्ष की आयु से कम भाई, अविवाहित तथा विधवा बहनें (ऐसी सौतेली और गोद ली गयी सन्तानें भी)

(सौतेले भाई, बहन भी)

(ड) पिता/माता

(च) विवाहित पुत्रियां(सौतेली पुत्रियां भी)

(छ) पूर्व मृत पुत्र की सन्तान भी

lyXud&15-6

सरकारी गजट

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य)अनुभाग–3

संख्याःसा–3–379/दस–2005–301(9)2003

लखनऊ, 28 मार्च, 2005

––––

अधिसूचना

iåvkå&124

राज्य सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हिता और केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया हैः–

(1) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं /राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नयी भर्ती पर 01 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्यरूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवायें 01 अपैल, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो , भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(2) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और महँगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। तथापि सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं /निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वंय सक्षम न हो जांय। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा। जो पेंशन टियर–1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

(3) चूंकि नई भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन एक–टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो–टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापित, सेवायोजक टियर–दो खाते में कोई अंशदान नहीं होगा। दो–टियर खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक –टियर खाते के लिए है। तथापि कर्मचारी अपने धन के "द्वितीय टियर" के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(4) यदि कोई कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के समय प्रणाली के टियर–1 को सामान्यता छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्यरूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करे और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करे जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता–पिता तथा उसके विवाहित के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी, जिसे वे किसी भी रीति में उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर–एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(5) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से विगत कार्य–कलाप के बारे में असानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2– नवीन पेंशन प्रणाली के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक : 1 अप्रैल, 2005 होगी।

आज्ञा से,

ह०/–

रीता शर्मा,

वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

lyXud&15-7

संख्या–3676पी / छः–पु–6–10–1000(32)2004

प्रेषक,

हृदय नारायण,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

गृह(पुलिस)अनुभाग–

लखनऊःदिनांकःअक्टूबर 20, 2010

विषयः– दिनांकः01–04–2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान होने पर उनके आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

––––––

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्याःचार–1600–2004, दिनांकः अक्टूबर 15, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांकः01–04–2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों की मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान होने पर उनके आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन का लाभ नही मिल पा रहा था। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, यह निर्णय लिया गया है कि अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांकः01–04–2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों के आश्रितों को उ०प्र० पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961(प्रथम संशोधन–1975) के प्रावधानों के अनुसार असाधारण पेंशन की सुविधा अनुमन्य होगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याःसा–3–1139 / दस–2010, दिनांकःअक्टूबर 20, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह० /

(हृदय नारायण)

संयुक्त सचिव,

l¡yXud&15-8

अधिसूचना संख्या—1406—पी० / आठ—अनु०—6—1000(17)—65

दिनांकः जुलाई 7, 1975

<u>विषयः</u> उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन)(प्रथम संशोधन) नियमावली 1975।

Subject: U.P.Police (Extra Ordinary Pension) (First amendment) Rules, 1975.

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

mRrj Án'k ifyl ¼vlk/kkj.k i'ku½ ¼ÁFke l'kks/ku½ fu;ekoyh 1975

1- lf{kIr uke vkj ÁkjEHk¼&

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 कहलाएगी।

(2)यह 1 अप्रैल, 1972 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2- fu;e 3 rFkk 5 dk l'kks/ku¼&

उत्तर प्रदेश पुलिस(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिए गए नियमों के

स्थान पर, स्तम्भ—2 में दिए गए नियम रख दिये जाय।

	LrEHk&1 ¼orZeku fu;e½		LrEHk&2 ¼,rn}kjk ÁfrLFkkfir fu;e½
3	यह नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन ऐसे समस्त अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगी चाहे वह स्थायी रूप से सेवायोजित हों अथवा अस्थायी रूप में, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों अथवा विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में मारे जायें।	3	यह नियमावली राज्यपाल के बनाए नियम से नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप से सेवायोजित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्यों का पालन करने के दौरान मारे जायं या जिनकी मृत्यु हो जाय।
4	प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय	4	प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया

	नहीं दिया गया हो, उ०प्र० सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायेगा और न यू०पी० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू०पी० कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फन्ड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायेगा।		गया हो, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जाएगा और न यू०पी० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू०पी० कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फन्ड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायगा।
5	ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अभिनिर्णय नहीं लिया जायगा, को किसी रोग से अथवा ऐसे कारण से हुई हो, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में चोट लगने से भिन्न हो।	5	कोई अभिनिर्णय नियम 3 में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नहीं दिया जाएगा।

l;yXud&15-9

mRrj Án'k 'kklu

l[;k lk&4&393@nl&99&200@88

वित्त(सामान्य) अनुभाग–4 (लखनऊः दिनांकः 1 जुलाई, 1999)

dk;kZy;&Kki

fo"k;&सेवानिवृत्ति आदि मामलो में सरकारी सेवको के अवकाश लेखो में जमा अर्जित अवकाश के अदले में धनराशि का नकद भुगतान।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवको को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने पर, सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुये सेवानिवृत्त होने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निवन्धनो एवं शर्तो के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्योजन की समाप्ती पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे के लिये पूर्णतया और स्थाई स्प से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा कार्यालय–ज्ञाप संख्याः जी–4–1002/दस–200–77 दिनांक 26 अप्रैल, 1978, संख्याः सामान्य–4–1327/दस–200–77, दिनांक 18 जून, 1979, संख्याः– सामान्य–4–1687/दस–83–200/77–टी०सी०– दिनांक 25 जुलाई, 1983 तथा संख्याः– सा–4–1283/दस–200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में निहित शर्तो के अर्न्तगत 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

2& उपर्युक्त के सम्वन्ध में वेतन समिति, उ०प्र०, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशो में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 240 दिन के स्थान पर 300 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

3& शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–1283/दस–200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में सेवानिवृत्ति के दिनाक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था हैः–

सेवानिवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते समतुल्य––––––––––––	240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनांक को सम्वन्धित नकद सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या 30

उक्त प्रस्तर–2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 240 दिन के स्थान पर 300 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

4& यह आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

5& सम्वन्धित अवकाश नियमो में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही प्रथक से की जायेगी।

ह०/–
मु० हलीम खॉ
सचिव।

l;yXud&15-10

<u>संख्या– सा–3–489 / दस–91387</u>

प्रेषक,

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 16 मई, 1987

विषयः– पेन्शनर की मृत्यु हो जाने पर उनके जीवन–कालीन पेन्शन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्याः ए–1–1428 / दस–3(4) / 1962, दिनांक 23 मई, 962 संख्या सा–3– 1660 / दस–2013–83, दिनांक 22 दिसम्बर, 1983(प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में अब भी ऐसे मामले आ रहे है जिनमें पेन्शनर द्वारा अपनी जीवनकालीन पेन्शन हेतु कोई नामांकन नही किया गया है जिससे पेन्शनरो के परिवार को कठिनाई होने के साथ–साथ अनावश्यक पत्र व्यवहार भी करना पडता है। सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेन्शन स्वीकृति के लिये भरे जाने बाले प्रपत्रो में प्रपत्र संख्या 30 में उपरोक्त नामांकन के सम्वन्ध में आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध है और पेन्शन प्रकरणो को अग्रसारित करते समय इस आवश्यक चेक कर लिया जाना चाहिये। इसी प्रकार उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 में जारी आदेशो के अनुसार वर्तमान पेन्शनरो से, यदि उन्होने नामांकन पत्र नही भरा है, तो नामांकन कराया जा सकता है।

2– अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 तथा 22 दिसम्बर, 1983 में जारी आदेशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह० / –
वेद प्रकाश अग्रवाल
संयुक्त सचिव,

संख्याः सा–3–489(1)/दस–913–87

Áfrfyfi: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1) निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश

3) महालेखाकार, द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से

ह०/–

(वेद प्रकाश अग्रवाल)

संयुक्त सचिव।

I yXud&15-11

<u>पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिए पेंशन प्रपत्र</u>

<u>Hkkx&1</u>

सेवा में,

....(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

....

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. नाम...

2. पिता/पति का नाम...

3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पताः–
   (क) स्थायी निवास स्थान..
   (ख) पत्र व्यवहार का पता..

4. जन्म तिथि..

5. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि...

6. सेवा निवृत्ति का तिथि...

7. अन्तिम पद जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम तथा कार्यालय/विभाग का नाम एवं पता..............................

8. मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे जीवन कालीन अवशेष का भुगतान किया जाय.........

9. पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है.......................
   ....

10. भुगतान का विवरणः–

क्र०	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/अविवाहित	पता
1					
2					
3					

भवदीय/भवदीया

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

?kk"k.kk

मैं एततद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा अनुतोषिक, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली–भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना–पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गई धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होंगी। मैं वचन देता/देती हूँ की मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा/दूँगी।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये(यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ से सेवानिवृत्त हुये)

1. नाम...............
   हस्ताक्षर..........
   पदनाम.............
   पता.................

2. नाम..........
   हस्ताक्षर......
   पदनाम........
   पता..........

भाग– पारिवारिक पेंशन तथा म्त्यु ग्रेच्युटी के लिए

प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

....(कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता)

....

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्यूटी स्वीकृत करने की कृपा करें।

1– मृत सरकारी सेवक का नाम..

2– मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम......................................

3– मृत सरकारी सेवक द्वारा अन्तिम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम व पता.................................

4— क्या मृत सरकारी सेवक पेंशन पा रहा था? यदि हाँ तोः—

(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक................................

(ख) पेशन भुगतानादेश संख्या.................................

(ग) पेशन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता.......................

5— प्राथी काः—

(क) नाम..

(ख) पिता/पति का नाम.........................

(ग) जन्मतिथि...

(घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध.............

6— मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे पारिवारिक पेशन स्वीकृत की जायेगीः—

(क) स्थायी निवास स्थान...........................

(ख) पत्र व्यवहार का पता.............................

7— सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण—पत्र संलग्न है)

8— मृतक सरकारी सेवक का विवरणः—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित	अविवाहित पता
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

9— कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित है।

10. अन्तिम पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि कोई हों)

(क) पारिवारिक पेंशन

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी

प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

¼III½

<u>घोषणा</u>

मैं...पत्नी/पति,पुत्र/पुत्री स्व० ....की (विभाग/कार्यालय का नाम)...द्वारा दी जाने वाली परिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुये यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य परिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रृटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

<u>दो साक्षियों के हस्ताक्षर</u> *प्रार्थी के हस्ताक्षर*

1. नाम..
   पदनाम..
   पता...
2. नाम ....
   पदनाम ....
   पता ....

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

<u>भाग–3 प्रार्थी का विवरण</u>

1. सरकारी सेवक का नाम पदनाम तथा कार्यालय का नाम
2. सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध
3. नमूने के हस्ताक्षरः–
   (क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे).............
   (ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे) ....
4. यदि सरकारी सेवक या उसकी (पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी, अग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें अंगूठे एवं अंगुलियों के निशानः–
   (क) सरकारी सेवक के ....
   (ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के ....
5. वैयक्तिक पहचान

(क) सरकारी सेवक/परिवारिक पेंशनर की ऊँचाई ....

(ख) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह ....

6. सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार में संयुक्त फोटो/मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना (फोटो की तीन प्रतियाँ दी जायेंगी) जिसमें से दो फार्म्स पर चिपकाई जायेंगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी। प्रदेश के बाहर पेंशन लेने पर पाँच प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी, जिनमें से चार फार्मस् पर तथा पाँचवीं एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेंगी।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद का नाम

¼**IV**½

<u>भाग–4 सेवा का इतिहास</u>

सरकारी सेवक का नाम..

क्रमांक...

कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायें).................................

पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदवनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधियां भी इंगित की जायें ....

स्तम्भ–3 में दर्शाई गई अवधि का प्रकार ....

यदि कोई अवधि पेंशनयुक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय ....

हस्ताक्षर

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पद)

<u>भाग–5 कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु</u>

1. सरकारी सेवक का नाम ....
2. सरकारी सेवक की जन्मतिथि ....
3. सेवा में आने का दिनांक ....

4. सेवानिवृत्ति का दिनांक ....

5. कुल अवधि (4.3).........................वर्ष ....माह ....दिन.................

6. सैन्य सेवा जो पेंशन के लिए अर्ह है, की अवधि..

7. अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया................................

8. पेंशन अनर्ह सेवाः—

   (क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व के सेवा...

   (ख) सेवा में विच्छेद...

   (ग) पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि...

   (घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो (कारण सहित उल्लेख किया जाय)

   योग वर्ष....................माह..............................दिन.............................

   पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5+6+7-8) या..................छमाही

10. पेंशन का प्रकार...........................प्रतिकर/अशक्तता/रिटायरिंग/अधिवर्षता

11. सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूलनियम 9 (21) (1) में परिभाषित वेतन

12. औसत परिलब्धियों का आगणन

vfUre nl ekl eaÁkIr ifjyfC/k;k

धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	परिलब्धियाँ मूल नियम 9 (21)(1) में परिभाषित	अन्य
1	2	3	4	5

योग (स्तम्भ–4 का) ÷ 10 = रु.

13. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन......................

   (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य)

14. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन..................................

15. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)................

16. शुद्ध सेवा निवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की...................................

17. परिवारिक पेंशन का आगणनः—

   (क) सामान्य दर...........................

   (ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक................... से रु.... ....

18. पेंशन/परिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक ....

19. पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है.......................

20. राशिकृत मूल्य का अगणन...

21. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि रु......................................

22. कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा/मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे..........

23. अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन (यदि कोई स्वीकृति की गई हो)......................... ....

24. अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृति की गई हो)...................... ....

25. पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक (ये तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व होनी चाहिये) तक ....

1. भवन निमार्ण में रु.............................की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है:

2. मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु......................... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

3. किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु.............................की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

4. सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक.................तक रु................की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक...... ....तक रु.................और देना शेष रह जायेगा।

5. आडिट के परिणाम रु.............................की धनराशि देय है/ कोई धनराशि शेष नहीं है।

6. विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रु............की धनराशि देय है/कोई धनाराशि देय नहीं है।

7. अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) रु.,............................की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

8. श्री..............................(सरकारी सेवक का नाम के विरुद्ध कोई न्यायिक / विभागीय अथवा प्रशासनिक जाँच लम्बित नही हैं। यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचार के दोषी हों तो उसका विवरण दिया जाय।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद नाम

l;yXud&16

संख्या–एस०ई०–2314 / दस–2008–बीमा–19 / 2002

प्रेषक

श्री अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर 2008

विषय : वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजनाओं के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे०आ०–2–1313 / दस–2008–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	रु. 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000

2.	रु. 2801 से रु. 5400 तक	200	60	140	2,00,000
3.	रु. 2800 तक	100	30	70	1,00,000

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधीन लागू किया जायेगा:–

(क) उक्त आदेश दिनांक 01.12.2008 से प्रभावी माने जायेंगे।

(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।

(ग) वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरुद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गो के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
ह०/–
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–एस०ई०–2314(1)/दस–2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री राज्यपाल, सचिवालय।
2– विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– निदेशक कोषागार व लेखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकासदीप, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ।
6– पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
ह०/–
(भगवान दास)
उप सचिव।

lyXud&16-1

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का नामांकन पत्र

मैं..एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो शासनादेश संख्याः बीमा– 56/दस–85–3–1981 दिनांक 10 जनवरी 1986 में दी गयी सूची के अनुसार मेरी सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर सामूहिक जीवन बीमा योजना के अधीन देय धनराशि अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उक्त योजना के अधीन मुझे प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त धनराशि को प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूँ।

नाम व्यक्ति/ व्यक्तियों का अवैध हो का/के नाम व पूरा पता	अधि० /कर्म० से संबंध	नामित व्यक्तियों की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश	आकस्मिकतायें जिनके पर नामांकन जाएगा।	उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, आयु, देय अंश तथा पता/पते जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों के मृत्यु के दशा में नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त हो जायेंगें।	यदि कालम(1) व कालम (6) में नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों में से कोई अवस्यक हो तो प्राकृतिक संरक्षक का आयु, पता व अवस्यक से संबंध।
1	2	3	4	5	6	7

नोट : यदि कालम (1) व (6) में नामित किये गये व्यक्तियों में कोई अवस्यक हो तो उनकी आयु के साथ–साथ उनकी जन्मतिथि अंकित की जाए।

दिनांक :

स्थान :

साक्षी	(1)	हस्ताक्षर	नाम	पता प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर व सील कार्यालय/ विभागाध्यक्ष दिनांक	सहकारी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर पद विभाग
	(2)					

l;yXud&16-2

<u>सेवानिवृत्त / सेवा से पृथक होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों / अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावों के प्रेषण हेतु प्रपत्र</u>

<u>जी०आई०एस० फार्म संख्या–28</u>

(यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सभी स्तम्भों को सम्बोधित कार्यालय द्वारा भरकर सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित करना हैं)

(सेवा निव्त अथवा सेवा से पृथक होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों / अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

निदेशक
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या   दिनांक................................

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अर्न्तगत सेवा से पृथक होने का अधिकारी / कर्मचार (मृत्यु को दशा छोड़कर) का दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ।

(1) अधिकारी / कर्मचारी का नाम ....

(2) पिता / पति का नाम ....

(3) पद नाम..

(4) राजपत्रित / अराजपत्रित..

(5) वेतनमान..

(6) राजपत्रित के मामलें :–

(अ) समूह क में आने का दिनांक..

(ब) समूह ख में आगे का दिनांक...

(7) (क) विभाग कायालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद लखनऊ

(ख) विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(8) जन्मतिथि...

(अ) अंको में...

(ब) शब्दों में...

(9) (अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक

(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक..

(10) (अ) रु. 5 प्रमिमाह अभि० देने की अवधि.....................से........................तक

(ब) रु. 10 प्रमिमाह अभि० देने की अवधि....................से........................तक

(स) रु. 15 प्रमिमाह अभि० देने की अवधि....................से........................तक

(द) रु. 30 प्रमिमाह अभि० देने की अवधि....................से........................तक

(य) रु. 60 प्रतिमाह अभि० देने की अवधि....................से.......................तक

(11) योजना निर्गमन की तिथि...

(12) योजना के निर्गमन का कारण..

(13) (अ) लाभग्रही का नाम...

(ब) पता...

(स) संबंध...

¼1) प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी अल्पकालीन रिक्तियों अथवा सीजनल कार्य के लिये नियुक्ति नहीं था।

(2) प्रमाणित किया जाता है अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी कटौती नियमित रूप से एवं निर्धारित पद के अधिकारी/ कर्मचारी की अधिवर्षता से अन्यथा पृथक होने तक की गयी है।

(3) प्रमाणित किया जाता है अधिकारी/कर्मचारी की जन्म तिथि का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर लिया गया है।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी के दावें का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है और इससे पूर्व अधिकारी/कर्मचारी को देय सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(5) मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है और उक्त विवरणों के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूँ मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्राही से रसीदी स्टैम्प लगी भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूंगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित कर दूंगा।

दिनांक .... कार्यालयाध्यक्ष

आहरण एवं वितरण अधिकारी के

स्थान.............................. हस्ताक्षर.................................

बैंक का नाम .... हस्ताक्षरकर्ता का नाम.................

खाता संख्या .... हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम............

कार्यालय मोहर.........................

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

lyXud&17

.... यहाँ से मोड़िए ....

lokfuoRr@eR;q ykHk dkMZ

पत्रावली संख्याः

कार्यालय

नाम लाभार्थी

पिता / पति का नाम

PNO

ग्रामः–

थाना

जनपद

lsokfuoRr@ e`rd dfeZ;ksa ds vkfJrksa dk fooj.k

क्र०सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्मतिथि	विवरण
1		आश्रित पिता		
2		आश्रित माता		
3		आश्रित पत्नी		
4		आश्रित पुत्र/पुत्री		
5				
6				
7				
8				
9				
10	आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण			

नोटः– सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण यथा प्रस्ताव भेजे जाने की तिथि पुलिस मुख्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही व अद्यतन स्थिति का पूर्ण विवरण पत्र संख्या व दिनांक सहित अंकित किया जाय।

अधिकारी का नाम...पिता / पति का नाम............................PNO…..........
दिनांक मृत्यु / सेवानिवृत्त........................ दिनांक / भर्ती...............................

सेवानिवृत्त / मृत्यु की परिस्थिति...

मद	पत्रावली संख्या	अनुमन्य धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	दिनांक भुगतान सीओ नं०	शेष धनराशि	दिनांक अन्तिम भुगतान मय सीओ नं०
1– अवशेष वेतन						
2– उपार्जित अवकाश का नगदीकरण						
3– अवशेष यात्रा भत्ता						
4– मेस एडवांस की वापसी						
5– बोनस						
6– आसाधारण / परिवारिक पेशन						
7– उपादान (गेच्युटी)						
8– अनुग्रह धनराशि (एक्स–ग्रेसिया)						
9– अनुकम्पा निधि से सहायता						
10– उ०प्र० पुलिस आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान से सहायता						

11– सामूहिक बीमा योजना						
12– सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का अन्तिम निष्कासन						
13– सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से सम्बद्व बीमा योजना						
14– दुर्घटना बीमा योजना						
15–						
16–						
17–						
18–						

हस्ताक्षर

दिनांकः–

पुलिसअधीक्षक / कार्यालयाध्यक्ष

l;yXud&18

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या–सा–4–152/दस–94–501–75

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 1994

—————————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय : भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी की यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यपाल महोदय ने उनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना (Deposit Linked Insurance Scheme) जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियम दिए बीमा के अनुरूप लाभ मिल सके, वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या–सा–4–209/दस–501–75, दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 द्वारा लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग 1979–80 की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर–3, (iii) (क) में उल्लिखित सेवा समूहों के वेतनमान को वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–553/दस–85–501–79, दिनांक 4 अप्रैल, 1985 द्वारा संशोधित किया गया था। इस योजना के उदारीकरण के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उपर्युक्त दोनों राजाज्ञा के प्रस्तर–3 में आंशिक संशोधन करते हुए उसे निम्न रूप में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को निम्नलिखित पैराग्राफ(3) की शर्तों के अधीन उस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकार की जाएगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि योजना के अन्तर्गत किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की अधिकतम सीमा 30,000 रु. से अधिक नहीं होगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि (सी०पी०एफ०) के मामले में केवल अभिदाता के अभियान की धनराशि तथा उसपर अनुमन्य ब्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिए अवशेष धनराशि मानी जाएगी।

(3) उपरोक्त लाभ निम्न शर्तो के पूरी होने पर ही प्राप्त होगाः–

(क) मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षो के दौरान ऐसे अभिदाता के खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न हुआ होः–

	राशि रु.
(एक) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पदधारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रु. या अधिक हो।	12,000
(दो) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पदधारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रु. या उससे अधिक किन्तु 4,000 रु. से कम हो।	7,500
(तीन) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पदधारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रु. या उससे अधिक किन्तु 2,900 रु. से कम हो।	4,500
(चार) अभिदाता जिसने उपर्युक्त 3 वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पदधारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रु. से कम हो।	3,000

(ख) इस योजना के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रु. से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2– उक्त 5 दिसम्बर, 1979 की राजाज्ञा की शेष शर्ते पूर्ववत् लागू रहेंगी।

3– यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4– सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस राजाज्ञा से अविलम्ब अवगत करा दें।

ह०/–

अनूप मिश्र,

विशेष सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या–सा–4–152(1)/दस–94–501–75, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शासन के समस्त सचिव।

2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3– सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश।

4– प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– महालेखाकार(लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह०/–
गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव।

lyXud&19

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश,

उत्तर प्रदेश सरकार,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या जी०–4 / 890–10–502–1985,

लखनऊ, 29, अक्टूबर, 1985

निधि से अग्रिम

निधि से अग्रिम 13–(1) द्वितीय अनुसूची में विनिदिष्ट समूचित प्राधिकारी के विवेक पर, उप नियम(2) (3) (4) (5) (6) या (7) में उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है।

टिप्पणीः–आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र संलग्नक ''क'' में दिये गये है।

(2) कोई अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान न हो जाय कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती है और कि उसका व्यय निम्नलिखित उद्देश्य पर न कि अन्यथा किया जायेगा, अर्थात––

(एक) बिमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के सम्बन्ध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहॉ आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किस अन्य व्यक्ति का यात्रा व्यय भी हो, की पूर्ति परः

(दो) उच्च शिक्षा के व्यय की पूर्ति पर जिसके अन्तर्गत जहा आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का निम्नलिखित दशाओं में यात्रा व्यय भी है अर्थात,–

(क) हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षिक, प्राविधिक वृत्तिक या व्यायवासयिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(ख) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम।

(तीन) अभिदाता की प्रास्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्धकर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रथा के अनुसार अभिदाता के विवाह के संबंध में या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृहकर्म के संबंध मे उपगत करना हो,

(चार) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्ववािक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के

व्यय की पूर्ति पर,

(पाँच) अभिदाता के प्रतिवाद के व्यय की पूर्ति पर, जहाँ वह अपनी ओर से किसी तथा कथित पदीय कदाचार के संबंध में जाँच में अपना प्रतिवाद करने के लिए किसी विधि व्यवसायों को नियुक्त करें,

(छः) गृह या गृह स्थल के लिये या उसके निवास के लिए गृह निर्माण या उसके गृह के पुननिर्माण, मरस्मत या उसमे परिवर्द्धन या परिवर्तन के लिये या गृह निर्माण योजना जिसके अन्तर्गत स्व–वित्त पोषित योजना भी है,के अधीन किसी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, आवास परिषद या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उसे गृह स्थल या गृह के आवंटन के लिए भुगतान करने के लिए व्यय या उसके भाग की पूर्ति पर,

(सात) अभिदाता के उपयोग के लिए मोटर साइकिल, स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है), साइकिल, रेफिजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस कनेक्शन या टेलीविजन सेट की लागत के व्यय की पूर्ति परः

परन्तु राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त उपखंड (एक) से (सात) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये किसी अभिदाता की अग्रिम का भुगतान करने की स्वीकृति दे सकते है यदि राज्यपाल उसके समर्थन में दिये गये औचित्य से संतुष्ट हो जायें।

(3) स्वीकृति प्राधिकारी आग्रिम देने के लिए उसके कारणो अभिलिखित करेगा।

(4) विशेष कारणों के सिवाय कोई अग्रिम–

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा, या

(दो) तक तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अंतिम प्रतिपादन करने के पश्चात कम से कम बारह मास व्यतीत न हो जाय।

परन्तु जब तक पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेदित नयी अग्रिम धनराशि को योग प्रथम अग्रिम दने के समय खंड (एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि से अधिक न हो तब तक द्वितीय अग्रिम या अनुवर्ती अग्रिमों की स्वीकृति के लिए विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की जायेगी और एसे अग्रिम द्वितीय अनुसूची के पैरा एक में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति किये जा सकते है भले ही खण्ड (दो) में उल्लिखित शर्त की पूर्ति न होती हो।

स्पष्टीकरणः– इस परन्तुक में पद से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि'' का तात्पर्य वास्तव में दी गयी धनराशि या धनराशियों से है न कि किसी प्रतिदान के पश्चात् विद्यमान अतिशेष।

(5) जब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अंतिम किस्त के प्रतिदान की पूर्ति के पूर्व उपनियम (4) के अधीन कोई अग्रिम स्वीकृति किया जाय तब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किये गये शेष को इस प्रकार स्वीकृत अग्रिम में जोड़ दिया जायेगा और वसूली की किश्तें सहत धनराशि के निर्देश मे होगी।

(6) किसी अग्रिम की धनराशि का निर्धारण करने में स्वीकृति प्राधिकारी निधि में अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर सम्यक् ध्यान देगा। जब कभी अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पास बुक या नियम–27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदनों के साक्ष्य सहित निधि, में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी सीमा के भीतर अग्रिम स्वीकृति कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से स्वीकृति किसी अग्रिम या प्रत्याहरण को ध्यान में रखेगा। अग्रिम की स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसकी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पासबुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(7) साधारणतथा अभिदाता का कोई अग्रिम उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी विशेष मामले में जिसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो उसे स्वीकृति किया जा सकता है किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति समुह ''घ'' के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण कार्यालयों और लेखा अधिकारी का तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनमें अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम की धनराशि यदि सेवानिवृत्त के पूर्व अभिदाता से पूर्ण रूप से वसूल न की गयी हो तो सम्यकरूप से उसका समायोजन नियम–24 के उपनियम (5) के खंड (ख) के, जो भी लागू हो, अधीन उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति किया जायेगा।

vfxeks dh olyh

14–(1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली ऐसी बराबर मासिक किस्तों की संख्या में की जायेगी जैसा स्वीकृति प्राधिकारी निर्देश दे, किन्तु ऐसी संख्या बारह से कम जब तक अभिदाता ऐसा न चाहे और चौबीस से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में जहाँ अग्रिम की धनराशि नियम–13 के उप नियम (4) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, स्वीकृति प्राधिकारी किस्तो की ऐसी संख्या, निर्धारित कर सकता है जो चौबीस से अधिक किन्तु किसी भी मामलें में छत्तीस से अधीक नहीं हो। प्रत्येक मामले

में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किस्ते ऐसी रीति से निर्धारित की जाय कि अग्रिम की समस्त धनराशि अधिक से अधिक अभिदाता की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के दिनांक के पूर्ववर्ती छः मास तक वसूल हो जाये। कोई अभिदाता अपने विकल्प पर एक मास में एक से अधिक किस्तो का प्रतिदान कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों मे होगी, ऐसी किस्तों का निर्धारण करने में अग्रिम की धनराशि का यदि आवश्यक हो तो बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

(2) वसूली नियम–10 में विहित रीति से की जायेगी और उस मास के जिसमें अग्रिम आहरित किया गया हो, अनुवर्ती मास के लिये वेतन दिये जाने से प्रारम्भ होगी। जब अभिदाता जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या किसी कलेण्डर मास में उस दिन या इससे अधिक के लिए छुट्टी पर हो जिसमे न तो कोई छुट्टी वेतन मिलता हो और न, यथास्थिति, आधा वेतन के बराबर छुट्टी वेतन या अर्द्ध औसत वेतन मिलता हो तब वसूली सिवाय अभिदाता की सम्मति के नहीं की जायेगी। अभिदाता को दिये गये वेतन के किसी अग्रिम की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर निधि से लिये गये अग्रिम की वसूली प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि कोई अग्रिम अभिदाता को स्वीकृति किया गया हो और उस के द्वारा आहरित कर लिया गया हो और बाद में प्रतिदान पूरा होने के पूर्व अग्रिम नामंजूर कर दिया जाय तो प्रत्याहित धनराशि का सम्पूर्ण या अतिशेष अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिदान कर दिया जायेगा और चूक करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अभिदाता की परिलब्धियाँ से एक मुश्त या बारह से अनधिक ऐसे मासिक किस्तो में, जैसा किसी अग्रिम की जिसके दिये जाने के लिए नियम–13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हो, स्वीकृति के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा निवेश दिया जाय, कटौती करके वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

(4) इस नियम के अधीन की गयी वसूलियां उसी प्रकार निधि में अभिदाता के लेखे में जमा की जायगी जिस प्रकार वे की गयी हो।

vkfxe dk nk"k

पूर्ण उपयोग 15– इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि नियम 13 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि का उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए स्वीकृति अभिलिखित की गयी हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो तो यह अभिदाता को निधि में प्रश्नगत धनराशि का प्रतिदान तुरन्त करने का निदेश देगा, या चूक करने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करने

वसूल करने का आदेश देगा और यदि प्रतिदान की जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली ऐसी मासिक किस्तों में की जायेगी जैसी अबधारित की जाय।

fuf/k d: vfUre ÁR;kgj.k

16–(1) इसमें विनिदिष्ट शर्तो के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, नियम–13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारणो से कोई अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृति किया जा सकता है:–

टिप्पणी:– आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश के प्रपत्र संलग्नक ''ख'' में दिये गये है।

(क) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हो, भी है) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उनकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक के पूर्वराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अर्थात्:–

(ए) निम्नलिखित मामलों में:–

(एक) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(दो) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता के किसी, आश्रित संतान के उच्चस्तर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये,

(बी) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य संबंधी के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए,

(सी) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के संबंध मे व्यय जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये,

(ख) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हो, भी है) पूरा करने के पश्चात या अधिवर्षता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–5 भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटर

कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये, अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत्त वेतन के संबंध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थातः––

(एक) फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये,

(दो) उसकी मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसके ओवरहाल करने के लिये

(ग) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां, यदि कोई हो, भी है) पूरी करने के पश्चात या अधिवर्षता पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थातः–

(क) उसके आवास के लिए उपयुक्त गृह बनाने या उपर्युक्त गृह या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत स्थल का मूल्य भी हैः–

(ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त गृह बनाने या उपयुक्त गृह या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिये स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के मुद् बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए,

(ग) उसके आवास के लिए गृह बनाने के लिए स्थल क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के मद् किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए,

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये गृह या फलैट के, पुननिर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लियेः

(ङ) पैतृक गृह का पुनरुद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,

(च) उपखण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थल पर गृह का निर्माण करने के लिये।

(घ) अभिदाता द्वारा तीन वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अविध, यदि उसके बाद बहाली हो गई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां, यदि कोई हो, भी है) पूरी करने के पश्चात् अभिदाता द्वारा अपने स्वय के जीवन

पर या अभिदाता और उसकी पत्नी उसके पति के संयुक्त जीवन पर ली गयी जीवन बीमा की चार से अनधिक पालिसियों जिसके अन्तर्गत निधि से अब तक वित्त पोषित की जा रही पालिसियां भी है, के प्रीमियम/ प्रीमियां का निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये।

(ङ) अभिदाता की सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती बारह मास के भीतर निधि के उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से किसी फार्म का भूमि या कारबार का भू–गृहादि या दोनों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणीः– इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिए केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी। किन्तु विभिन्न संतानों का विवाह या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में ऐसा अग्रेतर परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिये जो उस क्षेत्र की जिसमें ऐसा गृह या फ्लैट स्थित हो नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित नये नक्शे के अनुसार हो, या जीवन बीमा की पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियां के भुगतान और विभिन्न वर्षो में संतानो की शिक्षा का एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। यदि दो या अधिक विवाह साथ–साथ सम्पन्न किये जाने हों तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में अनुमन्य धनराशि का अवधारण उसी प्रकार किया जायेगा, मानों एक के पश्चात दूसरा प्रत्याहरण पृथक–पृथक स्वीकृत किया गया हो।

टिप्पणीः– एक ही गृह को पूरा करने के लिए खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती प्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी–5 के अधीन निर्धारित सीमा तक की जायेगी।

टिप्पणीः–3 जीवन बीमा की समस्त पालिसियों के प्रीमियम/प्रीमियां के भुगतान के लिए एक वर्ष में केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पणीः–4 ऐसा अभिदाता जो फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन गृह निर्माण के प्रयोजन के लिए किसी अग्रिम का लाभ उठा चुका हो या जिसे इस सम्बन्ध में किसी अन्य सरकारी श्रोत्र से कोई सहायता प्राप्त हो गयी हो, खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन उनमें विनिदिष्ट प्रयोजनो के लिये और नियम–17 के उपनियम (1) के विनिदिष्ट प्रयोजनों के लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के प्रयोजन के लिए भी अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिए प्रात्र होगा।

टिप्पणीः–5 ऐसा गृह, फ्लैट या गृह के लिये स्थल जिसके लिए उपर्युक्तानुसार, धनराशि प्रत्याहरण करने का प्रस्ताव है, अभिदाता के ड्यूटी के स्थान पर या सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके आवास के अभिप्रेत स्थान पर स्थित होगा। यदि अभिदाता के पास कोई पैतृक गृह है या उसने सरकार से

लिये गये ऋण की सहायता से अपनी ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर गृह का निर्माण कर लिया हो तो वह अपनी ड्यूटी के स्थान पर किसी गृह स्थल के क्रय के लिए या किसी अन्य गृह के निर्माण के लिए या तैयार बने फ्लैट का अर्जन करने के लिये खण्ड (ग) के उपखण्ड (क), (ग) और (च) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये प्रात्र होगा।

टिप्पणी–6 खण्ड (ग) में विनिदिष्ट प्रयोजनो के लिए प्रत्याहरण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वयं यह समाधान करने के पश्चात् स्वीकृति किया जायेगा किया जायेगा कि:–

(एक) धनराशि, अभिदाता द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के लिये वास्तव में अपेक्षित है,

(दो) अभिदाता का प्रस्तावित स्थल पर कब्जा है या वह तुरन्त उस पर किसी गृह का निर्माण करने का अधिकार अर्जित करना चाहता है,

(तीन) प्रत्याहरण धनराशि और ऐसी अन्य निजी बचत, यदि कोई हो, जो अभिदाता की हो, प्रस्तावित प्रकार के गृह के निर्माण, अर्जन या मोचन करने के लिये पर्याप्त होगी,

(चार) गृह स्थल, गृह या तैयार बने फ्लैट के क्रय के लिये प्रत्याहरण के मामले में अभिदाता गृह स्थल, गृह या फ्लैट जिसके अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त, करेगा,

(पाँच) उपर्युक्त खण्ड (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अभिदाता ने ऐसे आवश्यक विलेख–पत्र और कागजात स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये है जिससे प्रश्नगत सम्पति के संबंध में उसका हक साबित हो।

टिप्पणी–7 खंड (ग) के उपखंड (ख) के अधीन प्रत्याहरण के लिए प्रस्तावित धनराशि और उपखण्ड (क) के अधीन पूर्व प्रत्याहरित धनराशि, यदि कोई हो, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को विद्यमान अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी–8 खंड (ग) के उपखंड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति उस दशा में भी दी जायेगी जहाँ गृह स्थल पत्नी या पति के नाम मे हो यदि वह अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन में भविष्य निधि पाने के लिए प्रथम नामांकिनी हो।

स्पष्टीकरण–1 जहां अभिदाता संयुक्त सम्पत्ति में ऐसे अंश से भिन्न जो स्वतंन्त्र आवासिक प्रयोजना के लिए उपयुक्त न हो पहले से किसी गृह स्थल या गृह फ्लैट का स्वीमी हो, वहां उसे यथास्थिति, गृह स्थल या गृह फ्लैट के क्रय, निर्माण, अर्जन या मोचन के लिए कोई प्रत्याहरण स्वीकृति नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–2 स्थानीय निकायों से पट्टै पर किसी भूखण्ड के अर्जन या ऐसे भू–खण्ड पर गृह निर्माण करने के लिए भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकेगी।

स्पस्टीकरण–3 गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये, लिये गये किसी प्रकार के ऋण के चाहे वह किसी निजी पक्षकार से या फाइनेन्शिल हैण्डबुक, खण्ड–5, भाग–1 के अधीन सरकार से या निम्न या मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन लिया गया हो, प्रतिदान के लिये प्रत्याहरण अनुक्षेय है।

टिप्पणी–9 नियम 17 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्धारित आर्थिक सीमा के अधीन रहते हुए, मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए भी प्रत्याहरणा की भी अनुमति दी जायगी चाहे अभिदाता ने फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–5, भाग–1, में दिये गये नियमों के अधीन उसी प्रयोजन के लिए पहले से ही कोई अग्रिम ले लिया हो, परन्तु इन दाने स्त्रोतो से ली गयी कुल धनराशि, यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो।

टिप्पणी–10 जीवन बीमा पालिसियां जिनके संबंध में खंड (घ) के जमीन प्रत्याहरण स्वीकृत किया जाय, अभिदाता की पत्नी या पति और संतान या उनमें से किसी एक से भिन्न किसी अन्य हिताधिकारी के लाभ के लिये ली गई नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी–11 (1) यदि नियम–13 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय स्वीकृति किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) जब अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पासबुक या नियम–27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानो के साक्ष्य के निर्देश में निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी विहित सीमा के भीतर प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृति किसी प्रत्याहरण या अग्रिम को ध्यान में रखेगा। प्रत्याहरण के लिए स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसकी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पासबुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी को तथा लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(3) साधारणतया किसी अभिदाता को अधिवर्षता पर उसकी सेवानिवृत्ति को

पूर्ववर्ती अन्तिम छः माह के दौरान कोई प्रत्याहरण स्वीकृति नहीं किया जायेगा। विशेष मामले में जिसमें ऐसे प्रत्याहरण की स्वीकृति अपरिहार्य हो, उसे स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह (घ) के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और, अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखाधिकारी को तुरन्त अधिसूचित की जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्याहरण की धनराशि नियम–24 के उप नियम (4) या उपनियम (5) के खंड (ख) के इनमें जो भी प्रयोज्य हो, अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक रूप से समायोजित की जाय।

lyXud&19-1

(प्रोफार्मा–I)

(क) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से vLFkkbZ vfxze के लिए आवेदन पत्र

1. अभिदाता का नाम..

2. खाता संख्या...

3. पदनाम..

4. वेतन...

5. प्रार्थना–पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण

   (1) वर्ष..................................की लेखा पर्ची (एकाउन्ट स्लिप) के अनुसार जमा धनराशि............................

   (2) माह..........................से माह..........................तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि

   (3) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड ऑफ एडवान्स) द्वारा जमा.. ....

   (4) निष्कासित धनराशि का विवरणः–

      (क) अन्तिम निष्कासन...........माह/वर्ष ....से................माह/वर्ष तक...........

      (ख) अस्थाई अग्रिम माह वर्ष................से.......................माह वर्ष तक

   (5) शुद्व जमा धनराशि...

6. पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हो तो धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन....................

7. अब माँगे जा रहे अग्रिम धनराशि ....

8. (क) इस अग्रिम का प्रयोजन...

   (ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका संदर्भ..

9. समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6 7) तथा जितनी मासिक किस्तों में समेकित अग्रिम धनराशि की अदायगी की जानी है.

10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससें प्रार्थना का औचित्य सिद्व हो सके.................................

दिनांक..................................

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अनुभाग/विभाग

layXud&19-2

(प्रोफार्मा–II)

(ख) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से vLFkkbZ vfxze स्वीकार किये जाने का फार्म

1. एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..को उनके सा०भ०नि० खाता संख्या ....प्रयोजन के लिए खर्च की व्यवस्था करने हेतु...के अस्थाई अग्रिम कीस्वीकृति नियम संख्या...रुपये (शब्दों में) ....के अनुसार दी जाती है।

2. अग्रिम स्वीकृत......................................रुपये की............................मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा जिसकी पहली किस्त................................माह के वेतन जो ....माह में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

3. राजाज्ञा संख्या........................दिनांक..........................के अनुसार स्वीकृत तथा भुगतान किये गये..........................रुपये (शब्दों में).. ....के रकम की वसूली सभी बाकी है। यह शेष धनराशि और अब स्वीकृत की गई अग्रिम की धनराशि जिसका कुल योग...रुपये ....(शब्दों में) ....होता है कि वसूली .... रुपये की............................मासिक किस्तों में की जायेगी, जिसकी पहली किस्त....... ....माह के वेतन जो ....माह में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी... के खाते में दिनांक ....को जमा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

   (1) वर्ष................की लेखापर्ची के अनुसार जमा शेष ....रुपया

   (2) बाद में...

       (क) अभिदान के रूप में माह..................से ....तक ....रुपया

       (ख) पूर्व स्वीकृत अग्रिम की वसूली माह....................से........................तक.... ....रुपया

   (3) कालम (1) तथा (2) का योग..............................रुपया

   (4) निष्कासन यदि कोई हो, की धनराशि............रुपया

   (5) स्वीकृति की तिथि को शेष कालम (3) में से कालम (4) घटाकर................... ....रुपया

दिनांक..................................

हस्ताक्षर
स्वीकृति देने वाला अधिकारी
पदनाम व विभाग

l;yXud&19-3

(प्रोफार्मा–III)

(क) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से vfUre fu"dklu के लिए आवेदन पत्र

कार्यालय का नाम..

1. अभिदाता का नाम..
2. खाता संख्या विभागीय प्रत्यक्ष सहित (With Department Prefix)...........................
3. पदनाम..
4. वेतन..
5. सेवा में आने की तिथि अधिवार्षिकी (Superannuation)...
6. प्रार्थना–पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरणः–

   (1) वर्ष...................................की लेखापर्ची (एकाउन्ट स्लिप) विभागीय लेजर के अनुसार..................... जमा धनराशि

   (2) माह.........................से...................तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि.............

   (3) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड ऑफ एडवान्स) द्वारा जमा................................. ....

   (4) निष्कासित धनराशि का विवरणः–

      (क) अन्तिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) माह/वर्ष..............से......... .....माह/वर्ष तक रु.

      (ख) अस्थाई अग्रिम (टेम्पोरेरी एडवान्स) माह/वर्ष.................से .... .माह/वर्ष तक रु........

7. अन्तिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) की...
8. (क) अन्तिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) का प्रयोजन..............................

   (ख) नियम/राजाज्ञा संख्या जिसके/जिनके अन्तर्गत की गई है।

9. क्या इसी प्रयोजन के लिए इससे पूर्व भी कोई अन्तिम प्रत्याहरण (फाइनल विदड्राल) लिया गया था, यदि हाँ तो धनराशि और वर्ष बतायें.................................. ....

दिनांक..

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम पद नाम

अनुभाग/विभाग

l;yXud&19-4

(प्रोफार्मा-IV)

(ख) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम निष्कासन (Final Withdrawal) स्वीकार किये जाने का फार्म

1. एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या ....से.................................प्रयोजन..................के व्यय वहन करने हेतु रुपये (शब्दों में)...का अन्तिम निष्कासन भविष्य निधि नियम 16/17 के अनुसार किया जाता है।

2. अन्तिम निष्कासन की धनराशि नियम–16 के निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक नहीं होगी। मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल्स) में यथा परिभाषित अनका मूल वेतन.... ....रुपया है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी........................ने दिनांक........ ....को अपनी सरकारी सेवा के ....वर्ष पूरे कर लिये है।– वर्ष में अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होंगे/होंगी।

4. दिनांक ....की तिथि के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी के खाते में जमा अवशेष राशि का व्यौरा निम्न प्रकार हैः–

(1) वर्ष..............................की लेखापर्ची के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि............ रुपया

(2) दिनांक ....से दिनांक..............................तक प्रतिमाह.............रुपये की दर से अभिदान (SUBSCRIPTION) ....रुपये

(3) दिनांक..................................से दिनांक ....तक प्रतिमाह...............रुपये की दर से अग्रिम की वसूली..रुपया

(4) मद (1) (2) तथा (3) का योग...

(5) बाद में स्वीकृत अन्तिम निष्कासन यदि कोई हो,.......................................रुपया स्वीकृति प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (4) में से मद (5) घटाइये रु.. ....

5. (क) वर्ष...........................की लेखापर्ची के पश्चात इस कार्यालय द्वारा श्री......... ....को पिछली बार आदेश संख्या................................दिनांक...................................द्वारा रुपये का अन्तिम निष्कासन स्वीकार किया गया था।

(ख) ज्ञात हुआ कि श्री......................................को (जैसा कि उन्होंने बताया है) .... (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अन्तिम निष्कासन के रूप में रुपया..........................स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(सक्षम अधिकारी)

lyXud&20

<u>संख्याः सा–4–62/दस–96–604–82</u>

प्रेषक,

श्री पी०के० मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 1996

विषयः– <u>ljdkjh lsodksa dh vodk'k ;k=k lqfo/kk dh LohÑfrA</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्याः सा–4–628/दस–604–82, दिनांक 1–4–82, संख्याः सा–4–1647/ दस–604/दस–82, दिनांक 30–9–82, संख्याः सा–42583/दस–82–604–82, दिनांक 20–12–82, संख्याः सा–4–572/दस–604–82, दिनांक 5–3–83 एवं संख्याः सा–4–1682/दस–85–604–82, दिनांक 9–10–85 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अवकाश यात्रा सुविधा की व्यवस्था की और अधिक उदार बनाने के दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय ने इस शासनादेश के अनुलग्नक के अनुसार इस विषय पर विस्तृत अनुदेश निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। उपर्युक्त संदर्भित पूर्व निर्गत शासनादेश तद्नुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे।

2– संशोधित रूप में यह सुविधा इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

भवदीय
ह०/–
पी०के० मिश्र,
सचिव।

संख्याः सा–4–62(1)/दस–96–604–82, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ऑडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

2– महालेखाकार, लेखा प्रथम तिाा द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

3– सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

4– प्रधानाचाय्र, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।

आज्ञा से,
ह०/–
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्याः सा–4–62(1)/दस–96–604–82 का अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुदेश :–

1& vodk'k ;k=k l|fo/kk dk vfHkkÁk; %&

इस सुविधा के अन्तर्गत सरकारी सेवकों की अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के सम्बन्ध में सरकारी सेवको तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

2& ik=rk dk {k= %&

अवकाश यात्रा सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कलेण्डर वर्ष के आधार पर अनुमन्य होगी।

यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमन्य होगी, जो सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं परन्तु जो वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों के उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर जायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को यह सुविधा उसी दशा में मिलेगी जब सम्बन्धित उपक्रम उसका पूरा व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। यह सुविधा निम्नांकित को अनुमन्य नहीं होगी :–

(1) ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकारी पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं।

(2) ऐसे सरकारी सेवक जिनक वेतन/भत्तों का भुगतान आकस्मिक व्यय (कान्टिजेन्सीज) से किया जाता है।

(3) वर्कचार्जड कर्मचारी।

(4) ऐसी सरकारी सेवक जिन्हें राज्य सरकार के नियमों से भिन्न किन्हीं अन्य नियमों के अन्तर्गत पहले से ही अवकाश यात्रा सुविधा अथवा इसी प्रकृति की कोई अन्य सुविधा ग्राह्य है।

3& lqfo/kk dh vko`fRr %&

यह सुविधा प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा अवधि में एक बार अनुमन्य होगी। इप्रकार 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवावधि में प्रथम बार, 11 से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी बार, 21 वर्ष से 30 वर्ष की सेवावधि में तीसरी बार तथा 30 से अधिक सेवा होने की स्थिति में चौथी बार अनुमन्य होगी। प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्व में अवकाश यात्रा सुविधा के आधार पर कोई अतिरिक्त अनुमन्यता देय नहीं होगी।

4& ifjokj dY;k.k dk;Øe ds vUrxZr xzhudkMZ ¼ifjp;&i=½ /kkjdksa dks ,d vfrfjDr vodk'k ;k=k lqfo/kk dh vuqeU;rk %&

ग्रीनकार्ड धारकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। ग्रीनकार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति उक्त सुविधा सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के आधार पर अतिरिक्त सुविधा वह किसी भी एक अवसर पर अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने के चार वर्ष पश्चात् किसी भी समय किन्तु केवल एक बार सुविधानुसार उपभोग कर सकते हैं।

5& ojh;rk rFkk 20 Áfr'kr dk ÁfrcU/k %&

यह सुविधा ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जायेगी अर्थात् ज्येष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा पहले अनुमन्य होगी और उससे कनिष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा उसके बाद ग्राह्य होगी।

किसी कैलेन्डर वर्ष में सरकारी सेवकों के किसी संवर्ग विशेष में इस सुविधा के लिये पात्र सरकारी सेवकों में से 20% से अधिक सरकारी सेवकों को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जायेगी, जिसे संवर्ग विशेष के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6& vf/kdre nwjh %&

अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर आने–जाने के लिये न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी। गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रुकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपत्ति नहीं होगी परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिये सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

7& ifjokj dh ifjHkk"kk %&

यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक की सम्मिलित करे हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी। इस सुविधा के प्रयोजनों के लिये परिवार की वही परिभाषा मान्य होगी जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–6 में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी है, जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है:

Family means a government servant's wife or husband, as the case may be, legitimate children and step-children residing with and wholly dependent upon the government servant and it includes in addition, parents, sisters and minor brothers, if residing with and wholly dependent upon the, government servant, but does not include more than one wife for the purpose of these rules.

NOTES-(1) An adopted child shall be considered to be a legitimate child if, under the personal law of the government servant, adoption is legally recognized as conferring on it the status of a natural child.

(2) A government servant's legitimate daughters, step-daughters and sisters whose gauna or rukhsat has been performed, shall not be regarded as wholly dependent upon the government servant.

8& vodk'k dh ÁÑfr ,oa udnhdj.k dh vuqeU;rk :–

इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा। जिस कैलेण्डर वर्ष में इस सुविधा का उपभोग कर्मचारी द्वारा किया जायेगा उस कैलेण्डर वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिये अर्थात् यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होगा। नकदीकरण की राशि का आगणन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा–

<u>अभ्यर्पण के दिनांक की अनुशेय वेतन एवं भत्ते</u> X अभ्यर्पित दिनों की संख्या

30

9& ljdkjh lsod rFkk mlds ifjokj ds lnL;ksa ds fy;s vf/kÑr Js.kh%&

सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों की रेल की उस श्रेणी में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी, जिसके लिए सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यतः अधिकृत है।

10& okrkuqdwfyr dksp rFkk ok;q;ku ls ;k=k :–

इस सुविधा के अन्तर्गत रेल के वातानुकूलित कोच अथवा वायुयान से यात्रा नहीं की जा सकेगी।

11& mPprj@fuEurj Js.kh esa ;k=k :–

यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की गयी है, तो सरकारी

सेवक को अधिकृत श्रेणी का किराया अनुमन्य होग। यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में की जाती है, तो उस स्थिति में रेल की निम्नतर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा।

12& vkuq"kafxd HkRrk rFkk nSfud HkRrk oftZr :–

इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा पर कोई आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

13& jsyekxZ ls lEc) LFkkuksa ds chp lM+d ;k=k :–

रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल से की गई होती) अथवा सरकारी सेवक द्वारा सड़क यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

14& ,sls LFkkuksa ds chp ;k=k tks jsy ekxZ ls lEc) ugha gS :–

ऐसे स्थान जो कि रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं है, यदि सरकारी सेवक द्वारा उन स्थानों की यात्रा स्टीमर अथवा जलयान/बस द्वारा की जाती हे तो ऐसी स्थिति में उक्त यात्रा हेतु रेल की प्रथम श्रेणी के लिए अधिकृत सरकारी सेवकों को स्टीमर अथवा जलयान के प्रथम श्रेणी/केबिन/डीलक्स बस कोच का किराया अनुमन्य होगा तथा अन्य कर्मचारियों को स्टीमर अथवा जलयान/बस की साधारण श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा।

15& pkVZMZ cl vFkok Lis'ky jsyxkM+h ls ;k=k :–

यदि यात्रा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेलगाड़ी से की जाती है, तो सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल द्वारा की गयी होती) अथवा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेलगाड़ी का किराया, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

16& lM+d ehy HkRrk oftZr :–

इस सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

17& ;fn ifr@iRuh nksuksa ljdkjh lsod gksa :–

यदि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों तथा पति और पत्नी दोनों को उक्त सुविधा अनुमन्य हो तो उस स्थिति में यह सुविधा पति अथवा पत्नी में से किसी एक को ग्राह्य होगी।

18& nkos dk O;ixr gks tkuk %&

यदि सरकारी सेवक इस सुविधा के सम्बन्ध में अपना दावा वास्तविक यात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका दावा व्यपगत हो जायेगा।

19& vfxze dh LohÑfr :–

(1) इस सुविधा का उपभोग करने के लिए राजकीय सेवकों को अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की अधिकतम धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए व्यय की अनुमानित धनराशि जिसकी राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करनी होगी, के 4/5 भाग तक सीमित होगी।

(2) अग्रिम दोनों ओर यात्रा के लिए यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इस प्रतिबन्ध के साथ आहरित किया जा सकता है कि राजकीय सेवक द्वारा लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक न हो। यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक होगी तो केवल गन्तव्य स्थान तक जाने के लिएही अग्रिम आहरित किया जा सकेगा।

(3) यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक हो जाती है और अग्रिम दोनों ओर की यात्रा के लिए पहले ही आहरित किया जा चुका है तो सरकारी सेवक को आधी धनराशि तत्काल वापस करनी होगी।

(4) अस्थायी राजकीय सेवकों की अग्रिम एक स्थायी राजकीय सेवक की जमानत देने पर स्वीकृत किया जकेगा।

(5) अग्रिम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(6) अग्रिम की स्वीकृति से 30 दिन के अन्दर यदि यात्रा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो अग्रिम की पूर्ण धनराशि एकमुश्त वापस की जायेगी।

(7) आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु राजकीय सेवक द्वारा अपना दावा वापसी यात्रा पूर्ण होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा और चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर इसका समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत आहरित अग्रिम का लेख यात्रा पूर्ण होने के बाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा जिस प्रकार से राजकीय सेवक द्वारा सरकारी कार्य से यात्रा के लिए आहरित अग्रिम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है।

20&nkok ÁLrqr djus dh fof/k&

इस सुविधा के सम्बध में दावे की प्रतिपूर्ति का बिल यात्रा भत्ता बिल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा ओर बिल के शीर्ष पर ''अवकाश यात्रा सुविधा'' अंकित कर दिया जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस आशय का सामान्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायगा कि उसके द्वारा वास्तव में यात्रायें पूर्ण कर ली गयी है। और यात्रायें उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नहीं की गयी है जिसके लिये प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।

21&lqfo/kk dk vfHkys[k–

सरकारी सेवकों द्वारा इस सुविधा का उपभोग किये जाने पर उनकी सेवा पुस्तिका/सेवा पंजिका में इस आशय की एक प्रविष्टि अंकित कर दी जानी चाहिए कि

उनके द्वारा सुविधा का उपभोग कब किया गया है। सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी को रख–रखाव के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

22&vfuok;l lk{;%–

सरकारी सेवक द्वारा यात्रा करने से पूर्व अपने नियंत्रण अधिकारी को उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये सरकारी सेवक द्वारा यात्रा वास्तव में सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने चाहिए। उपयुक्त मामलों में गुणवत्ता के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा यात्रा की पूर्व सूचना दिये जाने तथा टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने से छूट प्रदान की जा सकती है यदि नियंत्रक अधिकारी दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य से एवं यात्रा वास्तविक रूप से किये जाने तक तथ्य से अन्यथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हों।

23&xUrO; LFkku dh iol ?kk"k.kk%&

इस सुविधा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान की घोषणा पहले से की जानी चाहिये। यदि बाद में पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान के भ्रमण हेतु सरकारी सेवक द्वारा निश्चय किया जाता है तो आवश्यक परिवर्तन नियत्रंक अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

24&fu;=d vf/kdkjh%&

इस सुविधा के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकरी का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी घोषित है।

25&fu/kkfjr Áek.k&i=%&

यह सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कि अवकाश यात्रा की समस्त शर्तें संतुष्ट हो गयी है, सरकारी सेवक तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अवकाश यात्रा सुविधा के बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहियें।

(क) सरकारी सेवक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्रः–

(1) प्रमाणित किया जाता है कि मैने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की यात्रा वास्तव में कर ली है, और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके किराये की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है/कार्यरत है और उन्होंने स्वयं अपने तथा अपने परिवार के लिये पृथक से अवकाश यात्रा

सुविधा का उपभोग नहीं किया है।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति, जिसके लिए अवकाश यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है——————————————————————(भारत सरकार/ अन्य राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अण्डर ट्रेनिंग/नियम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत है जहां अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य है परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक की इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और न प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर एवं पदनाम

(ख) नियंत्रक अधिकरी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण—पत्र—

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु०——————————————————————ने अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत बहिर्गामी यात्रा आरम्भ करने की तिथि की राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष या उससे अधिक की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियां श्री/श्रीमति/कु०—————————————————————— की सेवा पुस्तिका/पंजी में कर दी गयी है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

126—लेखा शीर्षकः—

अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद ''वेतन'' के नामे डाला जायगा।

पी०एस०यू०पी०——ए०पी० 179 सा० वित्त—35—3—96—(4027)—1990—15,000(मेक०)।

layXud&20-1

<u>अवकाश यात्रा सुविधा हेतु आवेदन–पत्र</u>

1. आवेदक का नाम..
2. पद नाम...
3. विभाग / कार्यालय..
4. मूल वेतन (जो इस समय मिल रहा हो)..
5. स्थाई / अस्थाई (पदनाम सहित)...
6. सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक..
7. इससे पूर्व उपभोग की गई अवकाश यात्रा सुविधा का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो (आदेश सं० व दिनांक).
8. (1) वर्तमान कैलेण्डर वर्ष में 30 / 15 / 8 दिन का नकदीकरण का उपभोग कर लिया गया है / करेंगे / नहीं करेंगे

   (2) यदि हाँ तो कि अवधि का..
9. ग्रीन कार्ड धारक होने होने की दशा में:–

   (1) क्या वर्तमान आवेदित सुविधा अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा के रूप में चाहते हैं / चाहती हैं हाँ / नहीं...

   (2) यदि हाँ तो कृपया ग्रीन कार्ड का प्रमाण–पत्र संलग्न करें
10. प्रस्तावित यात्रा का पूर्ण विवरण:–

    (1) मुख्यायल से......................................तक जाने तथा........................से मुख्यालय वापस

    (2) दिनांक...........................से.......................................तक की अवधि हेतु
11. प्रस्तावित यात्रा में जाने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण:–

क्रमांक	नाम	सम्बन्ध	आयु विवाहित / अविवाहित किसी सेवा में हो तो पूर्ण विवरण
1			
2			

12. गन्तव्य स्थान का नाम जहाँ यात्रा की जानी है

    (1) दूरी कि०मी० में (आना–जाना)...

(2) किराया समस्त सदस्यों सहित (आना–जाना)..

(3) यात्रा हेतु आवेदित अग्रिम की धनराशि ....

13. प्रस्तावित यात्रा के लिए अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करने की तिथि.....................
....

14. पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक होने अथवा दोनों को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होने की दशा में:–

(क) पति/पत्नी का नाम..

(ख) पदनाम..

(ग) कार्यालय/विभाग का नाम..

(घ) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु विकल्प..

(ङ) पति/पत्नी द्वारा पूर्व में लिए गये अवकाश यात्रा सुविधा का आदेश संख्या व दिनांक.....................

(च) यदि सुविधा नहीं ली गयी हो तो सम्बन्धित कार्यालय/विभाग का प्रमाण–पत्र..............................

15. अस्थाई कर्मचारी को जमानत देने वाले कर्मचारी के:–

(1) हस्ताक्षर.....................

(2) नाम.........................

(3) पदनाम तथा विभाग..........................

?kk"k.kk i=

1. उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी में सत्य है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व इस ब्लाक अवधि में अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. मेरा परिवार जिसके लिए उपरोक्त सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित है।

4. मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/कार्यरत हैं और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिए इस ब्लाक अवधि में पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया हैं और न ही करेंगी/करेंगे (कार्यरत होने की दशा में आवश्यक प्रमाण–पत्र सहित)

5. प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए अवकाश यात्रा

सुविधा का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है (भारत सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग/निगम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत हैं जहाँ अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा इस ब्लाक अवधि में अपने सेवायोजक को इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया है और न प्रस्तुत किया जायेगा। (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है)

अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति	आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक	नाम तथा पदनाम

lyXud&21

mRrj Án'k ljdkjh lod ¼fpfdRlk ifjp;k½ fu;ekoyh 2011

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग–6

संख्याः2275 / 5–6–11–1082 / 87

लखनऊःदिनांकः20 सितम्बर, 2011

<u>अभिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकरण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

Hkkx&,d

lkekU;

1-	(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 कहीं जायेगी।	lf{kIr uke vkj ÁkjEHk
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
2-		यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू होगीः–	Á;kT;rk
	(क)	सभी सरकारी सेवक, जबकि वे कार्य पर हों या अवकाश पर हों या निलम्बन के अधीन हो और उनके परिवार।	
	(ख)	सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों, जो परिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो।	
3-		जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–	ifjHkk"kk,a
	(क)	'' प्राधिकृत चिकित्सक परिचारक'' का तात्पर्य किसी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे चिकित्सा अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रावक्ताओं, उपाचार्यो, आचार्यो या अन्य विशेषज्ञों से	

है, जो किसी लाभार्थी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हों,

(ख) '' लाभार्थी'' का तात्पर्य सरकारी सेवक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से है, जो परिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो,

(ग) ''परिषद '' का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वाहन हेतु सरकार द्वारा जिला, मण्डल और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,

(घ) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० से है,

(ङ) ''महानिदेशक'' का तात्पर्य महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश से है,

(च) ''परिवार का तात्पर्य'':–

(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति, पति या पत्नी और

(दो) माता–पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकसुदा/परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहने, अवयस्यक भाई, सौतेली माता,

(छ) ''सरकार का तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) '' राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(झ) ''सरकारी चिकित्सालय'' का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलायें जा रहें, या किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है,

(त्र) ''सरकारी सेवक'' का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड

बुक में यथा परिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी है, से है जिनका वेतन राज्य के राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी/संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार सम्मिलित नहीं है,

(ट) ''चिकित्सालय'' का तात्पर्य ऐलोपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सालय या भारतीय चिकित्सालय पद्धति की डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सीय अन्वेषण हेतु प्रयोगशाला एवं केन्द्र से है,

(ठ) ''चिकित्सा परिचर्या'' का तात्पर्य रोग निदान और उपचार के प्रयोज्यनार्थ ऐसे चिकित्सीय पर्रामश और परीक्षण एवं अन्वेषण की विधियों से है जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी जाए,

(ड) ''चिकित्सा महाविद्यालय'' का तात्पर्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय से है,

(ढ) ''सेवानिवृत्त सरकारी सेवक'' का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है, जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो और सरकार से पेंशन आहरित कर रहा हो। तथापि, इसमें वे सरकारी सेवक सम्मलित नहीं है, जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चात किसी स्वशासी संस्था/उपक्रम/निगम आदि में आमेलित हो गये हों,

(ण) ''संदर्भित करने वाली संस्था'' का तात्पर्य सभी राज्यकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, छत्रपति साहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (सी०एस०एम०एम०यू०) लखनऊ, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०), लखनऊ, डा० राम मनोहर लोहिया आयुविज्ञान संस्थान, लखनऊ, ग्रामीण आयुविज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, वाराणसी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) जवाहर लाल नेहरू

चिकित्सा महाविद्यालय, (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अलीगढ़ और सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य संस्था से है,

(त) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(थ) ''उपचारिक चिकित्सक'' का तात्पर्य आयुविज्ञान की किसी पद्धति के यथाविहित अर्हतायुक्त चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का वास्तव में उपचार करता है।

(द) ''उपचार'' का तात्पर्य सभी उपभोग्य कन्ज्यूमेवल एवं उपभोग पश्चात् त्याज्य डिस्पोजेबल, चिकित्सीय एवं शल्य सुविधाओं के उपभोग और परीक्षण की विधियों और निदान के प्रयोज्यनार्थ अन्वेषण से है और इसमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सेरा, वैक्सीन, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति, विहित जीवन रक्षक प्रक्रियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देख–रेख भी सम्मिलित है।

Hkkx&nks

ljdkjh fpfdRlky;k vkj fpfdRlk egkfo|ky;k@l:t; xk/kh LukrdkRrj vk;fofoKku lLFkku@N=ifr lkgth egjkt fpfdRlk egkfo|ky; e mipkj

4- समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंश भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। fu'kYd fpfdRlk lokvk dh gdnkjh

5- किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यकता न होगी। lnHk vif{kr u gkuk

6- (क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा संलग्नक–''क'' में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का LokLF; i= d ek/;e l igpku

प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मोहर इस प्रकार लगाई जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मोहर आंशिक रूप से लगी हो।

परन्तु, किसी पेंशन भोगी व्यक्ति के लिए उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और मूल वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्त/मृत्यु के पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का ना होना उसे अविधिमान्य बना देगा। यद्यपि यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छुटा हो तो केवल वहीं सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।

7- (क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगीः– okl lfo/kk

क्रमाँक	मूल वेतन ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिए लाभार्थी हकदार होगा
1.	रु. 19000/– या अधिक	निजी या विशेष कार्ड
2.	रु. 13000/– से अधिक और रु. 19000/– से कम	सशुल्क वार्ड
3.	रु. 13000/– या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम मूलवेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूलवेतन माना जायेगा यद्यपि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओं के लिए हकदार होगा जो कि वह अपनी सेवानिवृत्त से ठीक पूर्व पाता रहाः–

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से वेहतर वास सुविधायें उपलब्ध करायें जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु यह संबंधित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रयोज्य शुल्क से अधिक नहीं होगा।

vU; lkrk l vk"kf/k;k vkfn dh vkifr

8- किसी लाभार्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, यथासेरा, वैक्सीन, रक्त कामा, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति या चिकित्सीय अन्वेषण या सोनोग्राफी कम्प्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्केनिंग एन्डोस्कोपी, एन्जियोग्राफी, रेडियोलाजिकल, पैथोलोजिकल, और वैक्टिरियोलाजिकल जाँच या अन्य कोई जाँच जो आवश्यक सामग्री समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी स्रोतों से उपलबध करायी जायेगी। यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औषधियाँ या सुविधाऐं सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, ऐसा अवधारित और विहित किया जाय। किसी मधुमेह रोगी के मामले में, जिसे एक दिन में एक से अधिक वार इन्सूलिन विहित किया गया हो, डायग्नोसिस किट (निदान यंत्र) की लागत, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमन्य होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या उपचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीली दवाइयाँ, जिनके लिए कम लागत की किन्तु समान थेराप्यूटिक महत्व की औषधियों उपलब्ध हों या ऐसी दवाइयाँ जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेप्टिक या निजी रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा।

Ñf=e vx

9- (क) उपचारी चिकित्सक की संस्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से चाहे जिस भी पदनाम से वह जाना जाय निम्नलिखित कृत्रिम अंग और साधित्र अनुमन्य किये जा सकते हैं:–

1–आर्थोपेडिक प्रोस्थीसिस हिप

2–प्रोस्थीसिस फार नो ज्वाइन्ट

3–सरवाइकल कालर्स

4–कार्डियाक पेस मेकर

5–कार्डियाक वाल्ब

6–आर्टिफिसियल वोकल वाक्स

7–हीयरिंग एंड/कॉक्लियर इम्लान्ट

8–इन्ट्राआक्यूलर लेन्स रीइम्प्लान्ट

9–थेराप्यूटिक कान्टैक्ट लैंस

10–कम्पलीट आर्टिफिसियल डैंचर(सम्पूर्ण कत्रिम दन्तावली)

11—स्पैक्टेकल्स(चश्में) (तीन वर्षो में एक वार से अनधिक)

12—निःशक्त के उपयोग के लिए कत्रिम अंग को सामिल करते हुए साधित्र

13—सरकार द्वारा सम्मिलत अन्य कोई साधित्र।

(ख) उपर्युक्त कृत्रिम अंगो और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टयों या निर्माण, नाम इत्यादि इंगित करते हुए उपचार चिकित्सक की लिखित सलाह पर की जायेगी।

, låihåthå vkbi@ lhå, lå ,eå,eå e mipkj

10- कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ और छत्रपतिशाहूजी महराज चिकित्सालय विश्वविद्यालय लखनऊ में विना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतिकरण पर पूर्णतया प्रतिपूर्णीय होगा।

Hkkx&rhu

;k=k ij vkikr dkyhu fLFkfr e mipkj vkj fof'k"V mipkj

11- किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या वाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपाचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य के वाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूर्णीय होगी। प्रतिबन्ध यह है किः— rkRdkfyd @vkikr& dkyhu mipkj

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपत दशा प्रमाणित की जाय।

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्त शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।

(ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि प्रतिपूर्णीय होगी।

12- कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बंधित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होगे और उस पर उपगत वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूर्णीय होगा। ;k=k ij mipkj

प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्ली की दरों पर होगी।

13- (क) जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय यह संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता है:– futh fpfdRlky; esa fof'k"V mipkj

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम–11(ग) लागू नहीं होगा।

(ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गाँधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर के हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरों तक, जो भी कम हो सीमित होगी।

(ग) ऐसे उपचार या जाच जिनके लिए संजयगांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ या अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो।

14- सरकारी चिकित्सालय के बाहर होमियोपैथी, युनानी या आर्युवेद पद्धति द्वारा उपचार की प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय। ekU;rk Áklr Hkkjrh; fpfdRlk i|fr }kjk mipkj

Hkkx&pkj
ljdkjh lsodksa ds fy, fpfdRlk vfxze

15- (क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, प्राक्कलित धनराशि के 75 प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा। fpfdRlk vfxze

(ख) अग्रिम के लिए आवेदन संलग्नक–''ख'' में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्राक्कलन संलग्न किया जायेगा।

(ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।

(घ) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने के तत्काल पश्चात, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात प्रस्तुत करेगा।

(ड़) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(च) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी संलग्नक ''घ'' में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(छ)आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है।

(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनें के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीने में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नही की जाती है तो दण्डात्मक व्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृत के दिनांक से की जायेगी।

Hkkx&ikp
Áfr ifr

rhu eghus d Hkhrj nkok

16- लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार के समाप्ति के पश्चात तीन माह से अपश्चात संलग्नक''ग'' में दिये गये विहित प्रारूप प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ प्रत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये बाउचर्स

और संलग्नक–''ङ'' में (बहिरंग उपचार) और संलग्नक–''च'' (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में दावें को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते है। अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पेंशन भोगी का प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ से वह पेंशन आहरित कर रहा है। जहाँ ऐसा कोई कार्यालय न हो वहाँ सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा।

rduhdh ijh{k.k Ákf/kdkjh

17- (क) स्वीकृर्ता अधिकारी या पेंशनभोगी के मामले में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से इस दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, सम्यक् तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् वास्तविक प्रतिपूरणीय धनराशि इंगित करते हुए उस दावे को पन्द्रह दिनों के भीतर, यथा स्थिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर देगा।

(ख) जब तक कि कतिपय आपत्तियाँ न उठायी गयी हो और संसूचित न की गया हो, स्वीकृता प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रतिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगा। पेंशन भोगी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकृर्ता प्राधिकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर स्वीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा जो भुगतान के लिए उपर्युक्त समय–सारिणी का अनुसरण करेगा।

Áfr ifr d fy, vfuok;l nLrkot

18- स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि संलग्नक ''ग'' में दिये गये विहित प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जायः

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण–पत्र

(ख) उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी बिलों, संदर्भ पत्र, प्रेस्क्रिप्शन पर्चो, और वाउचरों की मूल प्रतियाँ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट।

(घ) विशेष परिस्थितियों में दावे के सिद्व करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी मूल रूप में संलग्न किये जा सकते है।

(ङ)अपूर्ण दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

rduhdh ifj{k.k ds fy, l{ke Ákf/kdkjh

19- तकनीकी परिक्षण के लिए समक्ष प्राधिकारी निम्नवत् होगेः–

दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी
(एक) रु. 40000/– तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/ आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/ अधीक्षक
(दो) रु. 40001 से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
(तीन) निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	संदर्भकर्ता संस्था के आयार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) में उपबंधित है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दो और अंको दोनो में संस्तुत करेगा।

Lohdrk Ákf/kdkjh

20- उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगेः–

(क) सरकारी सेवकों के लिएः—

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रु. 100000/— तक	कार्यालयाध्यक्ष
रु. 100000/— से अधिक रु. 250000/— तक	विभागाध्यक्ष
रु. 250000/— से अधिक रु. 500000/— तक	सरकार का प्रशासकीय विभाग
रु. 500000/— से अधिक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिएः—

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रु. 100000/— तक	समक्ष तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष
रु. 100000/— से अधिक रु. 500000/— तक	समक्ष तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी।
रु. 500000/— से अधिक	समक्ष तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् प्रशासकीय विभाग।

0;; dk dk"kkxkj ^^'kh"k**

21- प्रतिप्रर्ति की धनराशि उसी ''शीर्ष'' से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि आहरित किये जाते है।

Hkkx&N%
Ádh.kZ

;k=k vkSj lgpj

22- (क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उत्तचर/विशिष्ट उपचार के लिए, जिसके लिए जिला/राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय को संदर्भित करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विशिष्ट लिखित सलाह पर ऐसा उपचार कराने के लिए यात्रा को अनुमति दी जा सकती है।

(ख) बिमारी की गम्भीरता पर विचार करते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्तुति करता है कि रोगी को किसी परिचारक द्वारा अनुरक्षित किया जाना है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम सहित किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो सामान्यतः रोगी का सम्बन्धी होगा।

(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नही होगा भले ही लाभार्थी उनके लिए हकदार है या था।

(घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

le; lhek

23- सामन्यतया दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणदोष के आधार पर दावे की प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

vf[ky Hkkjrh; lsok ds lnL;

24- यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निम्नतर है।

okg~; lsok

25- यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमन्य से निम्नतर चिकित्सा सुविधा

नहीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार पर हुआ व्यय वाह्य नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और पैतृक विभाग द्वारा नही किया जायेगा।

fujlu vkj vioknn

26- समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 और इस संबंध में निर्गत किये गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेंगे। तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी उनसे कम नहीं होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमन्य थी।

dfBukbZ dk fujk& dj.k

27- यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के उपलब्धों के प्रवर्तन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

fuoZpu vkj f'kfFkyh dj.k

28- (क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिचर्या की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्गत आदेश से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियम या आदेश की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

आज्ञा से

ह०/–

(संजय अग्रवाल)

प्रमुख सचिव

mRrj Án'k ifyl gYFk dkM

उत्तर प्रदेश सरकार

LokLF;&i=d

(भाग–दो, नियम–6(क) देखें)

संख्याः......................

आवेदक के परिवार का प्रमाणित फोटो

कार्यालयाध्यक्ष की मुहर

नामः– .... जन्म का दिनांकः–.................... लिंगः–........

पदनामः– ....विभाग का नामः–..

तैनाती का स्थानः–...

आवासीय पताः–..

मूल वेतन तथा वेतनमान/ पेंशनः–..

नामिनी का नामः–...

आश्रित पारिवारिक सदस्यो का विवरणः–

क्रमांक	नाम	जन्म का दिनांक	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
6.			
7.			
कुल संख्या			

दिनांकः....................................

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर, मुहर सहित।

l;yXud ^^[k**

(भाग चार, नियम–15''ख'' देखें)

उपचार हेतु अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम–

2. पदनाम–

3. तैनाती का स्थान–

4. कार्यालयाध्यक्ष–

5. मूल वेतन–

6. स्वास्थ्य पत्रक संख्या–

7. रोगी का नाम–

8. कर्मचारी से सम्बन्ध–

9. बिमारी का नाम (जिससे पीड़ित है)

10. व्यय की धनराशि–
    (उपचारी चिकित्सक द्वारा तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित व्यय–अनुमान संलग्न है)

11. अपेक्षित अग्रिम की धनराशि

दिनांकः

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नामः

पदनामः

l;yXud ^^x**

(भाग—पाँच नियम—16 तथा 18 देखें)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम,

....

....

विषयः— चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मै.../मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम)............................ ने........... ....(बिमारी का नाम) के लिए .... (दिनांकः) से ....तक ....(चिकित्सालय का नाम) में उपचार करावाया है। मै निम्नलिखित दस्तावेजो के साथ प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा हूँः—

1— उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण—पत्र।

2— उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद् पर्ची (कैश मेमो), बीजक(बिल), वाउचर।

3— यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है।

मेरे उपचारार्थ.....................................के पत्र संख्या.......................... दिनांकः. ....द्वारा स्वीकृति रु. ....के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात् मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

दिनांकः.................

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनामः

तैनाती का स्थान

l;yXud ^^?k**

(भाग–चार–निमय–15(च) देखें)

चिकित्सा परिचारक के लिए अग्रिमों की पंजी

क्र०सं०	सरकारी सेवक का नाम और पदनाम	अग्रिम की स्वीकृति के लिए शासनादेश दिनांक और संख्या	स्वीकृति अग्रिम की धनराशि	अग्रिम के आहरण का दिनांक और वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति दावा में प्रस्तुतीकरण की देय अवधि
1	2	3	4	5	6

कर्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावा की प्राप्ति की वास्तविक दिनांक	अग्रिम की प्रतिपूर्ति दावा वसूली के भुगतान के लिए की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रतिपूर्ति दावा की स्वीकृति के आदेश की संख्या और दिनांक	प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति धनराशि	समायोजन के लिए यदि कोई हो, अग्रिम की अवशेष धनराशि
7	8	9	10	11

टेजरी चालान की संख्या और दिनांक अग्रिम की अवशेष धनराशि के लिए जमा की गयी धनराशि यदि कोई हो	समायोजन की बिल संख्या और दिनांक	चेंकिग के पश्चात आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
12	13	14	15

fpfdRlk 0;; dh Áfrifr] gr|

(क) **CERTIFICATE- A**

(To be completed in case of patients who are not admitted in hospital for treatment)

Certificate granted to Mrs./Mr./Miss...wife/son/daughter of Mr...
employed in the..

CERTIFICATE-A

(To be signed by the medical officer incharge of the case at the hospital)

Dr. ....hereby certify,

(a) That I charged/received Rs. .... for consultations on .... at my consulting room/at the residence of the patient.

(b) That I charged and received Rs. .... for administering....................................intramuscular/sub cutaneous injections on date......................................at my consulting room/at the residence of the patient and the injections were for immunizing or prophylactic purposes.

(c) That the patient has been under treatment at..hospital/my consulting room and that the under mentioned medicines prescribed by me in this connection were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in the condition of the patient. The medicines are not stocked in the (name of the hospital) .... for the supply to private patients and do not include proprietary preparations for which cheaper substance of equal therapeutic value are available and not preparations which are primarily foods, toilets and disinfectants.

SL.	Name of medicines	Quantity	Price
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(d) That the patient is/was suffering from ....and is/was under my treatment from (date) .... to (date) ....

(e) That the patient is/was not given prenatal or postnatal treatment.

(f) That the X-Ray, Laboratory tests for which an expenditure of Rs. .... was incurred were necessary and undertaken on my advice at ……..

(g) That I referred the patient to Dr. .... for specialist consultation and that the necessary approval of the..as required under the rules was obtained.

(h) That the patient did not require hospitalisation.

Date......................

Signature & Designation of the Medical Officer and the Hospital/ Dispensary to which attached

<u>COUNTERSIGNED</u>

I certify that the patient has been under treatment at the ……………………… hospital and that the facilities provided were the minimum which were essential for the patient's treatment.

Medical superintendent
of Hospital

Place:......................
Date:......................

Note- Certificate (A) is compulsory and must be filled in by the Medical officer in all cases.

fpfdRlk 0;; dh Áfrifr gr
(ख) CERTIFICATE 'B'

(To be completed in case of patients who are admitted to hospital for treatment)

Certificate granted to Mrs./Mr./Miss……………………………….……....
wife/son/daughter of Mr……………..…...............………..............
employed in the……..............................………………….............

PART 'A'

(*To be signed by the medical officer in charge of the case at the hospital*)

Dr………………………..........................…………….hereby certify

(a) that the patient was admitted to hospital on the advice of …………..…………………………………………………

(*Name of Medical officer*)

(b) that the patient has been under treatment at……………………….. ...…......………….....................…and that the under mentioned medicines prescribed by me in this connection were essential for the recovery / prevention of serious deterioration in condition of the patient.

2. The medicines are not stocked in the …………………………… ………... for supply to private patients and do not include proprietary preparations for which cheaper substances of equal therapeutic value are available and not preparations which are primarily foods, toilets & disinfectants.

Sl No.	Name of medicines	Price
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

(c) that the injections administered were/were not for immunizing or prophylactic purpose

(d) that the patient is/was suffering from……................………………………….................... and is/was under my treatment from ……...................... to ....………………

(e) that the X-Ray, Laboratory tests etc. for which an expenditure of Rs…………………… was incurred were necessary and were undertaken on my advice at……….......

(Name of the Hospital or laboratory)

(f) That I referred the patient to Dr…………………….............……......... for specialist consultation and that the necessary approval of the ……………………...................……………………… as required under the rules was obtained.

(Name of the Chief Administrative Medical office of the state)

Signature and designation of the
Medical officer In-charge of the
Case at the hospital

PART-'B'

I certifiy that the patient has been under treatment at the……………………................ hospital and that the services of the special nurses, for which an expenditure of ...………… was incurred vide bills and receipts attached, were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in the condition of the patient.

Signature & Designation of the
Medical officer in charge
of the case at the hospital

COUNTERSIGNED

I certify that the patient has been under treatment at the ………… ....…………..hospital and that the facilities provided were the minimum which were essential for the patient's treatment.

Place..................... Medical Superintendent

Date--------------- of Hospital

l yXud&22

måÁå ifyl ,o vkEM Qkl t lgk;rk lLFkku ,o mld dk; dyki

वर्तमान में उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की वर्तमान प्रबन्ध समिति का गठन निम्नवत है:—

1. महामहिम श्री राज्यपाल — अध्यक्ष
2. मु० मुख्यमंत्री जी — उपाध्यक्ष
3. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन — स्थायी सदस्य पदेन
4. प्रमुख सचिव, वित्त उ०प्र० शासन — स्थायी सदस्य पदेन
5. जनरल आफिसर कमान्डिंग, यू.पी. एरिया बरेली — स्थायी सदस्य पदेन
6. राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो विधान मण्डल के सदस्य

   अ) डा० धर्मपाल सिंह मा. सदस्य विधान सभा — सदस्य

   ब) श्री जुगुल किशोर, मा. सदस्य विधान परिषद — सदस्य
7. राज्य सरकार द्वारा नामांकित तीन गैर सरकारी सदस्य

   क) मेजर जनरल चन्दर प्रकाश(से.नि.) — सदस्य

   ख) श्री सतीश चन्द्र जाटव — सदस्य

   ग) श्री नौशाद अली — सदस्य

måÁå ifyl ,o vkEM Qkl t lgk;rk lLFkku
d{k l- 55 uohu Hkou]m-Á- lfpoky;] y[kuÅ

måÁå ifyl ,o vkEM Qkl t lgk;rk lLFkku dh LFkkiuk 10 flrEcj] 1963 dk e[;e=h lj{kk dk"k e tek /ku e l :- 1-5 djkM dh /kujkf'k l dh x;h FkhA ;g /kujkf'k ,d VLV d :i e fofu;kftr g] ftld Settlor ekå e[;e=h] mRrj Án'k gA

1. उद्देश्य : संस्थान का उद्देश्य भारत—चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्सरजेन्सी/आतंकवाद की घटनाओं/ आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में "पवन" आपरेशन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख—रखाव/ उन्मूलन अभियान/अपराधों एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय—समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानो में

मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी./विशेष पुलिस बल एवं अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, की भलाई के लिये योजनाएं संचालित करना है।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की प्रबंध समिति की दिनांक 13 नवम्बर 2009 को हुई बैठक में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य किसी अभियानों में सेवा के दौरान किसी कारण दुर्घटनावश हुई मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग घोषित(अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त) सैन्य बल/पुलिस/पीएसी/विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों को सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय दिनांक 13 नवम्बर 2009 से लिया गया है। जिसका विवरण संक्षेप में निम्नवत हैः–

क. ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटनावश मृत्यु (यथा–सीमा पर अभियान हेतु आने जाने के दौरान दुर्घटनावश गाड़ी पलट जाने/गाड़ी लड़ जाने अथवा किसी चीज से टकरा जाने पर, सांप काट लेने पर, हृदयगति रुक जाने के कारण, आंधी–तूफान से टेंट गिरने के कारण, नदी–नाला पार करते समय उसमें गिरने के कारण एवं आदि प्रकार की दुर्घटनाओं में)।

ख. किसी अभियान के दौरान वायुयान/हेलीकाप्टर के क्रैश होने के कारण दुर्घटनावश हुई मृत्यु।

ग. अपराधी को पकड़कर गाड़ी से ले जाते समय किसी कारणवश दुर्घटनावश हुई मृत्यु।

2. प्रबन्ध समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि स्वीकृति/भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मृत्यु या स्थायी अपंगता अभियान के दौरान ड्यूटी का निर्वहन करते हुए हुई है।

3. संस्थान द्वारा उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों/पति/पत्नी/माता/पिता /बच्चे/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे तथा माँ–बाप के न होने की दशा में दादा–दादी /नाना–नानी, जो लाभभोगियों पर पूर्णतया आश्रित हो, को संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

4- lpkfyr ;ktuk,&

1) उपरोक्त पैरा–1 में वर्णित घटनाओं/परिस्थितियों में सैन्य बल पुलिस एवं पी.ए.सी. एवं अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के वीरगति अथवा स्थायी रूप से अपंगता के आधार पर सेवा निवृत्त होने की दशा में अनुग्रह अनुदान प्रदान करना।

2) जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता।

3) लड़कियों के विवाह हेतु सहायता(जिनकी विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु हो)

4) विशेष चिकित्सा जैसे कैंसर हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।

5) लाभ भोगियों के बच्चों को वार्षिक शिक्षा सहायता।

5. संस्थान द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता की दरें निम्नवत हैं।

vuxg vunku%

(अ) वीरगति को प्राप्त मामलों में:	वर्तमान दर दि. 1.1.04 से 12.11.09 तक के मामलों में रु.	पुनरीक्षित दर दि. 13.11.09 से व उसके बाद के मामलों में रु.
1. कमीशण्ड आफिसर	1,50,000/–	2,50,000/–
2. जूनियर कमीशण्ड आफिसर	90,000/–	2,50,000/–
3. अन्य श्रेणी	90,000/–	2,50,000/–
(आ) स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में:		
1. कमीशण्ड आफीसर	60,000/–	1,00,000.00
2. जूनियर कमीशण्ड आफिसर	45,000/–	1,00,000.00
3. अन्य श्रेणी	45,000/–	1,00,000.00

ukV:– उपर्युक्तानुसार प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 13.11.2009 एवं उसके पश्चात् वीरगति को प्राप्त हुए अधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की धनराशि रु. 2,50,000/– समान रूप से तथा स्थायी रूप से अपंग घोषित अधिकारियों/कर्मियों को धनराशि रु. 1,00,000/– समान रूप से दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) जीवन निर्वाह हेतु:	दि. 1.1.04 को पुनरीक्षित दर	दि. 13.11.09 से पुनरीक्षित दर
एक मुश्त एक बार हवलदार रैंक तक के मामलों में ही सहायता प्रदान की जाती है	10,000/–	20,000/–

ukV:– यह सहायता केवल उन्हीं मामलों में प्रदान की जायेगी, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वास्तव में जीवन–यापन करना कठिन हो गया हो।

(स) लड़कियों की शादी हेतु:	दि1.1.04 को पुनरीक्षित दर	दि13.11.09 से पुनरीक्षित दर
(शादी के समय आयु 18 वर्ष की हो) यह सहायता हवलदार रैंक तक के मामलों में ही प्रदान की जाती है।	30,000/–	60,000/–

ukV:– विवाह हेतु केवल वो ही प्रार्थना–पत्र भेजे जायें जिनमें विवाह की तिथि 13.11.09, या उसके पश्चात् की हो। इन मामलों में केवल 13.11.09 से लागू दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित मामलों में नकद रूप से भुगतान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्रों के रूप में किया जायेगा। प्रार्थी को तद्नुसार निर्धारित प्रार्थना–पत्र में अपना विकल्प अंकित करना होगा। यह सहायता हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक्स तक के मामलों में ही अनुमन्य है।

¼n½ fo'ks"k fpfdRlk gsrq ¼

जैसेः– कैन्सर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।

प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 28.7.99 से इस प्रतिबंध के साथ विशेष चिकित्सा अनुदान स्वीकृत किया गया कि यह सहायता सेना के हवलदार रैंक तक तथा पुलिस एवं पीएसी के सम्बन्धित समतुल्य रैंक्स तक के संस्थान के लाभ भोगियों एवं उनके आश्रितों को किसी सरकारी, सेना, अस्पताल, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं आर्मी कमाण्ड अस्पताल जिनमें भी मामला संदर्भित किया जाये, वहां के विशेषज्ञ चिकित्सक की संस्तुति पर अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

¼i½ okf"kZd f'k{kk vuqnku fn;s tkus ds fu;e ¼&

1- इन नियमों को "वार्षिक शिक्षा अनुदान" कहा जायेगा। यह सामान्य शिक्षा और प्राविधिक, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण आदि के लिये पेज 1 के क्रमांक–1 में दर्शायी परिस्थितियों में मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग घोषित उक्त श्रेणी के सैन्य बल/पुलिस/पीएसी के हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक्स तक के मामलों में ही अनुमन्य है।

2- ifjHkk"kk,¼

¼1½ vkfJr¼&आश्रित से तात्पर्य उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों के बच्चे,

भाई/बहन/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे(जो उनपर पूर्णतया आश्रित हो) सामान्य शिक्षा हेतु जिनकी आयु 22 वर्ष तक हो एवं प्राविधिक शिक्षा, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रम हेतु आयु अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिये।

¼2½ lLFkk%&संस्था से अभिप्राय भारतीय संघ के अन्तर्गत (औद्योगिक संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए) सामान्य शिक्षा प्राविधिक मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रम के लिये राज्य सरकार या केन्द्रीय शासित या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था से है।

¼3½ lLFkk dk Á/kku%&संस्था के प्रधान से अभिप्राय संस्था के प्रशासनिक प्रधान से है। उदाहरण के लिये उपकुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, निदेशक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, प्रधान अध्यापिका इसमें सम्मिलित होंगे।

3- ÁkFkZuk&i= ÁLrqr djus dh fof/k%&

वार्षिक शिक्षा अनुदान के लिए प्रार्थना–पत्र मुफ्त में (बिना कोई भुगतान किये) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों/सैनिक अभिलेख अधिकारियों से प्राप्त किये जा सकते हैं। पुलिस एवं पीएसी के मामलों में प्रार्थना पत्र सम्बन्धित महानिदेशक के कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

4.(ए) वार्षिक शिक्षा अनुदान हेतु प्रार्थनाः– पत्र निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक संलग्नकों सहित, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के विधान भवन के नवीन भवन–1 के कक्ष सं.55 में स्थित कार्यालय में 31 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष सैन्य बल के मामलों में जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी/संबंधित रिकार्ड्स आफिसेज की संस्तुति सहित पहुंच जाने चाहिये। पुलिस एवं पीएसी के मामलों में प्रार्थना पत्र संबंधित महानिदेशक के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित उपरोक्त तिथि तक पहुंच जाने चाहिये।

(बी) जहाँ शिक्षा सत्र विद्यार्थियों के आन्दोलन या अन्य किसी कारणवश देर से शुरू हो उन मामलों में सचिव, संस्थान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर के पश्चात् भी शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। जिन मामलों में पोस्टल डिले अथवा अन्य किसी न्यायसंगत कारणवश प्रार्थना–पत्र देरी से प्रस्तुत किये गये हों उन मामलों में भी सचिव निर्धारित तिथि में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

5. प्रार्थना–पत्र में सभी प्रविष्टियाँ साफ एवं सही ढंग से भरी जानी चाहिये। प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र के समस्त भागों को प्रमाणित करके अपनी मोहर लगा देनी चाहिये। संबंधित सैन्य बल के बच्चों/आश्रितों की प्रविष्टियां उनके रिकार्ड्स आफिसेज/ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके अपनी मोहर लगा देनी चाहिये।

6. वार्षिक शिक्षा सहायता अनुदान हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये नये प्रार्थना–पत्र प्रत्येक मामलों में प्रस्तुत किये जाने चाहिये, चाहे वह नया मामला हो अथवा नवीनीकरण का।

7. एक बार स्वीकृत की गई वार्षिक सहायता केवल उसी स्वीकृत वर्ष के लिये ही मान्य होगी।

8. वार्षिक शिक्षा सहायता हेतु अर्हताएंः– वार्षिक शिक्षा अनुदान केवल उन्हीं मामलों में प्रदान किया जायेगा, जिन्होंने कम से कम नीचे दिये गये प्रतिशतों के अन्तर्गत अपने अन्तिम वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किये होंः–

(ए) सामान्य शिक्षाः–

1. हाई स्कूल की कक्षाओं तक	48%	अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये।
2. इण्टरमीडिएट कक्षाओं यथा XI तथा XII	50%	तदैव
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठयक्रमों जैसे– बी.एस.सी. / बी.ए. / बी.काम. / एम.एस.सी. / एम.ए. / एम.काम. / एल.एल.बी. / बी.एस.सी. (लिव.) / एल.एल.एम. / बी.एस.सी. (ए.जी.) / एम.एस.डब्ल्यू. / बी.एड. / एम.एड. / एल.टी.	50%	तदैव
4. पी.एच.डी. (शोधकार्य) एल.एल.डी. तथा एम. फिल.	60%	तदैव

(बी) प्राविधिक / मैनेजीरियल / व्यवसायिक शिक्षाः–

1. प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	50%	अंक अंतिम परीक्षा में होनी चाहिए।
2. डिप्लोमा	50%	तदैव
3. डिग्री पाठ्यक्रम	50%	तदैव

(सी) उन विद्यार्थियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जायेगी जो निजी संस्थाओं में चार्टर्ड एकाउटेंसी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि ले रहे हैं।

(डी) वार्षिक शिक्षा अनुदान उन मामलों में दिया जायेगा जिसमें रेगुलर वार्षिक परीक्षा नहीं हुई हो। इन मामलों में केवल अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति ही पर्याप्त होगी।

9. वार्षिक शिक्षा अनुदान की दरें:–

समान्य शिक्षा दरें विभिन्न कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिये निम्नानुसार हैः–

	okf"kd nj	
	fn- 1-1-2004 dk iqujhf{kr nj	13-11-2009 ls iqujhf{kr nj
1. 9 से 10 तक	800/–	1600/–
2. 11 से 12 तक	1000/–	2000/–
3. बी.ए./बी.काम./बी.टी.सी./बी.एस.सी./बी.एस.सी.(ए.जी.)/बी.एड./एल.एल.बी./बी.एस.सी.(लिव)/ एल.टी./एम.ए. तथा एम.काम.	1400/–	2800/–
4. एम.एस.सी./एल.एल.एम./एम.एस.सी. (ए.जी.)/एम.एस.डब्ल्यू./एम.एड. तथा एम.बी.ए.	1600/–	3200/–
5. पी.एच.डी. एल.एल.डी. तथा एम.फिल. (शोध कार्य में दी जाने वाली आर्थिक सहायता अब मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी)	10000/–	20000/–
6. कोचिंग के लिये (प्रतियोगात्मक परीक्षा/उच्च शिक्षा) मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी।	2000/–	4000/–

10. प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षाः–

1. आई.टी.आई. सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल से नीचे या बराबर हो।	1600/–	3200/–
2. सार्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल के ऊपर या उसके समकक्ष हो।	2000/–	4000/–
3. डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे बी.बी.एम.सी./बी.डी.एस./बी.यू.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस.	3000/–	6000/–
4. बी.टेक.एम.टेक तथा एम.बी.बी.एस.	5000/–	10000/–

5. कम्प्यूटर शिक्षा हेतु डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजूकेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रानिक(भारत सरकार) या किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 1 वर्ष अथवा उससे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रति प्रशिक्षार्थी को आर्थिक सहायता अनुमन्य	10000/–	20000/–

11. शोधकार्य के लिये वार्षिक शिक्षा अनुदान 20000/– वार्षिक की दर से भुगतान किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि लाभार्थी को कोई वार्षिक शिक्षा सहायता किसी अन्य स्त्रोत जैसे कि यू.जी.सी. से न मिलता हो। इस पाठ्यक्रम के लिये प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की जांच करके प्रबन्ध समिति द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। इस संबंध में प्रबंध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

12. यदि विद्यार्थी को फीस में कोई छूट या आर्थिक सहायता/शिक्षा सहायता/स्कालरशिप के रूप में किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त हो रही हो तो संस्थान से वार्षिक शिक्षा अनुदान जिसका वह पात्र होगा, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि की सीमा तक कम करते हुए भुगतान किया जायेगा। वार्षिक शिक्षा अनुदान की स्वीकृति संबंधित छात्र के आचरण एवं प्रगति, संस्थान के प्रधान द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर ही निर्भर होगी।

13. वार्षिक शिक्षा अनुदान का भुगतानः– वार्षिक शिक्षा अनुदान का भुगतान संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस, पी.ए.सी. के महानिदेशक को मुश्त चेक द्वारा किया जायेगा। जिसे वे चेक प्राप्ति के एक माह के अन्दर संबंधित मामले में भुगतान कर देंगे। इस संबंध में धनराशि प्राप्तकर्ता से स्टाम्पयुक्त रसीद की प्रति अभिलेख कार्यालय/महानिदेशक कार्यालय में ऑडिट हेतु रख ली जायेगी, परन्तु धनराशि के वास्तविक वितरण की प्राप्तकर्ता से स्टाम्प युक्त रसीद व उपभोग प्रमाण–पत्र भुगतान करने के पश्चात् तुरन्त संस्थान के कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाना चाहिये।

14. अमान्यता (Inadmissibility)

(ए) यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसे उच्च दर से देय वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जायेगा।

(बी) यदि संस्था का प्रधान यह अनुभव करता है कि विद्यार्थी को वार्षिक शिक्षा अनुदान उसे दुर्व्यवहार या अध्ययन के प्रति पूर्ण उदासीनता अथवा किसी अन्य कारणों के कारण नहीं भुगतान किया जाना चाहिये तो उसे इस संबंध में तुरन्त संबंधित अभिलेख कार्यालय/पुलिस/पी.ए.सी. महानिदेशक को सूचित करना चाहिये। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस व पी.ए.सी. महानिदेशक को भेजी गई वार्षिक शिक्षा अनुदान की धनराशि संस्थान के नाम चेक बनाकर तुरन्त वापस लौटा देंगे।

(सी) वार्षिक शिक्षा अनुदान को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता। यह केवल संस्थान के नियमों के अन्तर्गत ही देय है। वार्षिक शिक्षा अनुदान का मूल उद्देश्य लाभ भोगियों को शिक्षा प्राप्ति/प्रशिक्षण के प्रोत्साहन हेतु आय के स्त्रोतों को अनुपूरित करना है।

(डी) जिन लाभभोगियों के बच्चों को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा–शुल्क की छूट विषयक कोई कार्ड/प्रमाण–पत्र जारी करके शिक्षा–शुल्क, पुस्तक एवं हॉस्टल आदि व्यय की पूरी सहायता दी जाती है, उन्हें संस्थान से शैक्षिक सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार शिक्षा संबंधी सारे व्यय को पूरा करती है।

pd fyLV

अ. अनुग्रह धनराशि हेतु आवेदन–पत्र के लियेः

क. मृत घोषित मामलों मेंः–

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन–पत्र।
2. मृत घोषित किये जाने का डाक्टरी सर्टिफिकेट।
3. पार्ट–II आवेदन की प्रति सक्षम अधिकारी की संस्तुति हस्ताक्षर/मोहर सहित।
4. घटना का संक्षिप्त विवरण।

ख. स्थाई रूप से अपंग घोषित मामलों मेंः–

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन–पत्र।
2. स्थाई रूप से अपंग घोषित किये जाने का मेडिकल प्रमाण–पत्र।
3. पार्ट–II आदेश की प्रति का सक्षम अधिकारी की संस्तुति हस्ताक्षर/मोहर सहित।
4. संबंधित रिकार्ड आफिस के द्वारा स्थायी रूप से अपंग घोषित किये जाने का प्रमाण–पत्र जिसमें अपंगता का प्रतिशत एवं संबंधित सैन्य बल कर्मी की सेवानिवृत्ति होने की तिथि अंकित हो।
5. घटना का संक्षिप्त विवरण।

ब. <u>fookg grq vkonu&i= ds fy;s&</u>

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन–पत्र।

2. आश्रित जिसका विवाह होना है, का जन्म प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा।

3. विवाह की संभावित तिथि।

4. अन्य स्त्रोतों से इस संबंध में प्राप्त सहायता का विवरण स्वयं द्वारा यदि कोई मिला हो।

स. <u>thou fuokg gsrq vkosnu&i= ds fy;s&</u>

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन–पत्र।

2. संस्थान तथा अन्य स्त्रोंतो से अब तक प्राप्त की गयी सहायता का वर्षवार विवरण।

3. आश्रितों की संख्या, आयु सहित।

n- <u>fo'k"k fpfdRlk gsrq vkosnu&i= ds fy;s&</u>

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन–पत्र।

2. लाभ भोगी/आश्रित जिसकी चिकित्सा होनी है, का प्रमाण–पत्र संबंधित अभिलेख अधिकारी की संस्तुति हस्ताक्षर/मोहर सहित(जिसमें अन्य स्त्रोंतों से इस संबंध में प्राप्त सहायता का विवरण, यदि कोई मिला हो, का भी उल्लेख किया जाये)।

3. पार्ट–II आदेश की प्रमाणित प्रति।

4. विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा बीमारी व चिकित्सा पर होने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन प्रमाण–पत्र (मूल रूप में)

i- okf"kZd f'k{kk vuqnku&

1. प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मूल आवेदन–पत्र।

2. विद्यार्थी का जन्म प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा।

3. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंक–पत्र की प्रमाणित प्रति।

4. शिक्षा संस्था की प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट संलग्न की जाये।

नोटः– आवेदन पत्र मुख्यालय मध्य कमान/महानिदेशक पुलिस/महानिदेशक, पीएसी जैसी स्थिति हो के माध्यम से प्रस्तुत किये जाये।

l;yXud&22-1

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

(1) <u>अनुग्रह अनुदान/जीवन निर्वाह हेतु प्रार्थना पत्र</u>

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम (स्पष्ट शब्दों में)...

2. आयु..

3. पूरा पता..

4. बच्चों /आश्रितों की संख्या (पुरुष, महिला और उनकी आयु सहित)........................ ....

5. प्रार्थी/प्रार्थिनी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध... ....

6. कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम.. ....

7. कैज्युअल्टी का दिनांक...

   (अ) कैज्युअल्टी की प्रकृति (मृत्यु/अपंगता)

   (ब) अपंगता का प्रतिशत (प्रमाण–पत्र सहित)

   (स) कैज्युअल्टी का स्थानः–

8. संरक्षक का नाम...

   (अ) व्यवसाय/धन्धे का विवरणः–...

   (ब) मासिक आय..

9. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा कोई मिलिट्री/सिविल पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दें:–...

10. क्या प्रार्थी/प्रार्थिनी किसी शिल्प (क्राफ्ट) में प्रशिक्षण प्राप्त करने का/की इच्छुक है ?

    यदि हो तो उस प्रशिक्षण का प्रकार इंगित करें:–...

11. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी को इससे पूर्व भी संस्थान द्वारा अनुग्रह अनुदान हेतु धनराशि स्वीकृत की गई हो तो उसका पूर्ण उल्लेख करें(प्राप्ति का वर्ष दिनांक सहित).......

12. कितनी धनराशि की आवश्यकता है:–...

दिनांक................................ प्रार्थी/प्रार्थिनी का

हस्ताक्षर

13. आर्थिक सहायता हेतु सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक की संस्तुति

(जितनी धनराशि इस मामले में वे देना उचित समझें उसका उल्लेख करें)

सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी
महानिदेशक के हस्ताक्षर मुहर सहित

नोटः— प्रार्थना—पत्र केवल सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक के माध्यम से ही उनकी संस्तुति एवं कालम 1 से 12 तक की प्रविष्टियों की पुष्टि सहित भेजे जायें अन्यथा प्रार्थना—पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

(2) लड़कियों के विवाह हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र का प्रारूप

1. प्रार्थी / प्रार्थिनी का नाम (स्पष्ट शब्दों में)..
2. आयु..
3. पूरा पता...
4. बच्चों /आश्रितों की संख्या (पुरुष, महिला और उनकी आयु सहित)........................ ....
5. प्रार्थी / प्रार्थिनी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध...
6. कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम.......................................
7. कैज्युअल्टी का दिनांक...
   (अ) कैज्युअल्टी की प्रकृति...
   (ब) मासिक आय..
   (स) कैज्युअल्टी का स्थानः–...
8. संरक्षक का नाम...
   (अ) व्यवसाय / धन्धे का विवरणः–..
   (ब) मासिक आय...
9. यदि प्रार्थी / प्रार्थिनी द्वारा कोई मिलिट्री / सिविल पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दें:–..
10. जिस लड़की की शादी की जानी है, उसका नाम..
11. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र की प्रति अवश्य संलग्न करें.. ....
12. विवाह की तिथि..
13. क्या प्रार्थिनी को उसकी उक्त लड़की के शादी हेतु उ०प्र० सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा कोई सहायता माँगी / स्वीकृत की गई है, यदि हाँ तो उसका उल्लेख करें................................
14 कितनी धनराशि की आवश्यकता है.. ....
15. क्या संस्थान द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत का भुगतान

सामग्री के रूप में अथवा बचत प्रमाण–पत्रों के रूप में लेना चाहेंगे / चाहेंगी ? अपना विकल्प दें............................

दिनांक................................

प्रार्थी / प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी / पुलिस

पीएसी महानिदेशक हस्ताक्षर मुहर सहित

नोटः– जो प्रार्थना–पत्र उपरोक्त विवरण सहित प्राप्त नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी / पुलिस, पीएसी महानिदेशक के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित विवाह की तिथि से कम से कम एक या दो माह पूर्व भेजे जायें ताकि वांछित धनराशि का भुगतान प्रार्थी / प्रार्थिनी की विवाह के पूर्व किया जा सके।

lyXud&22-3

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्डफोर्सेज सहायता संस्थान

(3) वार्षिक शिक्षा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)..

2. पिता का नाम..

3. जन्म तिथि...

4. कक्षा एवं वर्ग तथा संस्था का नाम (जिसमें अध्ययनरत है)..

5. पाठ्यक्रम का नाम, वर्ष जिसमें पढ़ रहा है तथा पाठ्यक्रम की अवधि...

   (केवल प्राविधिक छात्रों के लिए)

6. गत परीक्षा पास करने का वर्ष एवं उसमें प्राप्तांक का प्रतिशत..

7. संरक्षक (यदि पिता न हो) का नाम, व्यवसाय एवं विद्यार्थी से सम्बन्ध...

8. विवरणः–

   (अ) कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम...

   (ब) कैज्युअल्टी की प्रकृति (मृत्यु/स्थाई अपंगता) (प्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करें)................................

   (स) कैज्युअल्टी का स्थान, वर्ष सहित...

9. पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से आय, पेंशन से आय को सम्मिलित करते हुये यदि कोई हो....................

10. संरक्षक का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (गाँव, तहसील, नगर तथा जिला सहित)..............................

11. शिक्षा सहायता हेतु वांछित धनराशि...

12. विद्यार्थी द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले सहायता का विवरण............................
....

13. संस्थान द्वारा पूर्व में इस मामले में भुगतान की गई शिक्षा सहायता का विवरण, वर्ष व दिनांक सहित, यदि कोई हो..

14. क्या इस मामले में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा शिक्षा–शुल्क की छूट विषयक कोई कार्ड/प्रमाण–पत्र जारी किया गया है ?....................................

15. शैक्षिक संस्थान की प्रमाणित प्रगति विवरण की प्रति संलग्न की जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर जो सूचना दी गई है, वह सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नही गया है।

दिनांक............................

अभिभावक/विद्यार्थी के हस्ताक्षर

(यदि वह आठवीं कक्षा के ऊपर हो)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनायें संस्था के अभिलेखनुसार सही तथा विद्यार्थी का आचरण उत्तम है। मैं इन्हें सहायता हेतु संस्तुति करता हूँ।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मुहर

16. जिला सैनिक पुनर्वास अधिकारी/महानिदेशक की संस्तुति...
....

17. प्रमाणित किया जाता है कि कालम 8 व 9 में अंकित सूचना सही हैं।

अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

l;yXud&23

संख्याः 137/65-1-2008-380/96

प्रेषक,

chå , eåehuk]

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 12, मई, 2008

विषयः उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 916/65-1-2000, दिनांकः 19 जून 2000 द्वारा शारीरिक रुप से अक्षम(विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता का नाम दिया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ-3 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र०सं०	वेतन स्तर(मूल वेतन)	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	रु. 3049 तक	300/-

2	रु. 3050 से 5999 तक	400 / –
3	रु. 6000 से अधिक	500 / –

2– उक्त के अतिरिक्त शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों / अध्यापिकाओं को उक्त शासनादेश संख्याः 916 / 65–1–2000, दिनांक 19 जून 2000 के अर्न्तगत अनुमन्य वाहन भत्ता को निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र०सं०	पदनाम	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका	500 / –
2	अध्यापक / अध्यापिका	400 / –

3– उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरुप जो अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग अपने–अपने आय–व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक / प्राथमिक इकाई में तद्नुसार व्यवस्था कराकर वहन करेंगें।

4– उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते को पुनरीक्षित करें। इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याःसा(2)517 / दस–2008, दिनांकः 08–5–2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह० / –
(बी०एम०मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 137 / 65–1–2008–380 / 96 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार लेखा(प्रथम) / आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।

2– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

3– श्री राज्यपाल के सचिव।

4– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5— रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

6— समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।

7— ब्यूरो ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग।

8— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1/2, वित्त व्यय—नियंत्रक अनुभाग—3, वित्त सामान्य अनुभाग—4 एवं वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग(दो प्रतियों में)।

9— सार्वजनिक उद्यम विभाग।

10— निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

ह०/—

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

l;yXud&23-1

संख्याः 916(1)/65—1—2000

प्रेषक,

Jh u;r jke]

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग—1 लखनऊः दिनांकः 19, जून, 2000

विषयः वेतन समिति (1997—99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ०प्र० सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1315/26—2—89/609/78, दिनांकः 31 मार्च 1990 द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997—99) के ग्यारहवें प्रतिवेदन द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों में पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ—3 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :—

क्र०सं०	पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	रु. 3049 तक	150/–
2	रु. 3050 से 5999 तक	200/–
3	रु. 6000 से अधिक	250/–

2– उक्त के अतिरिक्त शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के विद्यालय/मूक तथा बधिर विद्यालय तथा अन्य विद्यालयों के शारीरिक रुप से अक्षम कोटि के ऐसे प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों/अध्यापिकाओं जिन्हे शासनादेश संख्याः 1316/26–2–89–609/78, दिनांक 31–3–1990 के अधीन वाहन भत्ता अनुमन्य है, के मामलें में नियमानुसार वाहन भत्ता निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने की भी राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र०सं०	पदनाम	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	250/–
2	अध्यापक/अध्यापिका	200/–

3– उक्तानुसार वाहन भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरुप जो अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग अपने–अपने आय–व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाई में तद्नुसार व्यवस्था कराकर वहन करेंगें।

4– उक्त वाहन भत्ते को अलग से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता नाम से जाना जायेगा।

5– उक्तानुसार वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याःसा(4)–379/दस–2000, दिनांकः 9–6–2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह०/–

(नेत राम)

सचिव।

संख्याः 916(1)/65–1–2000 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार लेखा(प्रथम)/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।

2– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

3– श्री राज्यपाल के सचिव।

4– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

6– समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।

7– ब्यूरो ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग।

8– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2, वित्त व्यय–नियंत्रक अनुभाग–3, वित्त सामान्य अनुभाग–4 एवं वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग (दो प्रतियों में)।

9– सार्वजनिक उद्यम विभाग।

10– निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

ह०/–

(आर० के० सिंह)

विशेष सचिव।

lyXud&24

संख्या–जी–2–1985 / दस–2008–339 / 2008

प्रेषक,

बी०एन०दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 दिनांक 11 दिसम्बर,2008

fo"k;% स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

egksn;]

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिको के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे०आ०–2–1313 / दस–2008–59(एम) / 2008, दिनांकः08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

1. वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू०जी०सी० ए०आई०सी०टी०ई०, आई० सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियो, जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(23)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र. सं.	दिनांक:01.01.96 से प्रभावी वेतनमान	दिनांक : 01.01. 2006 से लागू वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
	2550.55.2660.60.3200	4440.7440	1300	210
	2610.60.3150.65.3540	4440.7440	1400	
	2650.65.3300.70.4000	4440.7440	1650	
	2750.70.3800.75.4400	5200.20200	1800	
	3050.75.3950.80.4590	5200.20200	1900	
	3200.85.4900	5200.20200	2000	
	4000.100.6000	5200.20200	2400	
	4250.100.5150.125.6400	5200.20200	2800	250
	4500.125.7000	5200.20200	2800	
	4500.125.7250	5200.20200	2800	
	5000.150.8000	9300.34800	4200	400
	5500.175.9000	9300.34800	4200	
	6500.200.10500	9300.34800	4200	
	7450.225.11500	9300.34800	4600	450
	7500.250.12000	9300.34800	4800	500
	8000.275.13500	15600.39100	5400	550
	8550.275.14600	15600.39100	5400	
	10000.325.15200	15600.39100	6600	650
	10650.325.15850	15600.39100	6600	
	12000.375.16500	15600.39100	7600	750
	14300.400.18300	37400.67000	8700	800

	16400.450.20000	37400.67000	8900	900
	18400.500.22400	37400.67000	10000	1000

2. उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:4601/16–11–79–9–153–99, दिनांक:23 फरवरी, 1980 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तथा संशोधित समझे जायेंगे। सम्बन्धित शासनादेशों की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
gå@&
¼chå,uånhf{kr½
सचिव।

lyXud&24-1

<u>संख्या–वे0आ0–3148 / दस–46(एम) / 82</u>

प्रेषक,

श्री सत्य प्रकाश गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः अक्टूबर 16, 1982

विषयः– स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या वे0आ0–700 / दस–46(एम) / 1982 दिनांक 18 फरवरी, 1982 के संदर्भ में कतिपय स्रोतों से यह जानकारी चाही गई है कि यदि किसी कर्मचारी ने नये वेतनमान के लिये विकल्प उस तिथि के बाद से चुना है जिस तिथि से उसे स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप एक वेतनवृद्वि के बराबर वैयक्तिक वेतन स्वीकृत किया गया है, तो उसे वैयक्तिक वेतन पुराने वेतनमान में या नए वेतनमान में अनुमन्य वेतन–वृद्वि की दर से मिलेगा। इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने नये वेतनमान के लिये विकल्प उस तिथि से अथवा इसके पूर्व की तिथि से चुन लिया है, जिस तिथि से उसे प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन स्वीकार किया गया है तो उसे वैयक्तिक वेतन नए वेतनमान में अनुमन्य वेतन वृद्वि के आधार पर भुगतान किया जायेगा, किन्तु उन मामलों में जिनमें सम्बन्धित कर्मचारी ने नए वेतनमान के लिये विकल्प उस तिथि के बाद की तिथि में चुना है जिस तिथि से उसे प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन स्वीकृत किया गया है, तो उसे स्वीकृत वैयक्तिक वेतन पुराने वेतनमान में अनुमन्य वेतनवृद्वि के आधार पर ही अनुमन्य रहेगा और उसमें कोई संशोधन नही किया जायेगा।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय में यह भी स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग(1979–80) की संस्तुतियों पर लिए

गए निर्णय के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में कुल परिलब्धियों की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसमें स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप स्वीकृत वैयक्तिक वेतन की धनराशि को भी सम्मिलित माना जायेगा या नही। इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप स्वीकृत वैयक्तिक बे को धनराशि को कुल परिलब्धियों की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायगा और वह सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी सेवा–निवृत्ति की तिथि तक अलग से मिलती रहेगी।

भवदीय,
ह० / –
(सत्य प्रकाश गुप्ता),
संयुक्त सचिव।

संख्या–वे०आ०–3148(1) / दस–46(एम) / 82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 1,2, और 3, इलाहाबाद / लखनऊ।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह० / –
रमाशंकर मेहरोत्रा,
विशेष कार्याधिकारी।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–149 सा० (वित्त) 9–11–82 (2510) 1982–10,000 (हि०)।

lyXud&24-2

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

<u>संख्याः12–58–78, दिनांकः मई 11, 1982</u>

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ०प्र०।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ०प्र०।

विषयः स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

——————: :——————

पुलिस मुख्यालय परिपत्र संख्याः12–58–78, दिनांकः 11–4–80 के क्रम में शासनादेश संख्याःवे०आ०–700/दस–46 (एम)–1982, दिनांकः 18 फरवरी, 1982 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/–

(बी०एल० श्रीवास्तव)

अधीक्षक,

निमित्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

————————

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/भवन एवं कल्याण/सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ''क्यू'' तथा ''ई'' के गोपनीय सहायक।

2– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, वित्त एवं लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय।

3– पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय, पुलिस मुख्यालय।

4– पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग एवं विभाग–1, तथा 22 लखनऊ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

lyXud&24-3

संख्या–वे०आ०–700 / दस–46(एम)–1982

प्रेषक,

श्री सत्य प्रकाश गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश। लखनऊः दिनांकः 18 फरवरी, 1982

विषयः– स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पर चिकित्सा अनुभाग–11 द्वारा प्रसारित शासनादेश संख्या–प०क०– 4601 / 16–11–79–9–155–99, दिनांक 23 फरवरी, 1980 में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की, जिन्होने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, कतिपय शर्तो के अधीन प्रोत्साहन के रूप में एक वेतन–वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से स्वीकृत की गई थी, जिसका लाभ उन्हें भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिलते रहने का भी निर्णय उल्लिखित था। तत्पश्चात् द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1979 से लागू किये गये हैं, जिनमें वेतन वृद्धि की दरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इस संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होने नये वेतनमानों को चुनने का विकल्प प्रस्तुत किया है, उक्त शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 1980 में उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत वैयक्तिक वेतन अब उनके द्वारा चुने गये नये वेतनमान में अनुमन्य वेतन–वृद्धि की धनराशि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,
ह० / –
(सत्य प्रकाश गुप्ता),
संयुक्त सचिव।

संख्या–वे०आ०–700(1)/दस–46(एम)–1982, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, I II III, इलाहाबाद/लखनऊ।

(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह०/–
रमा शंकर मेहरोत्रा,
विशेष कार्याधिकारी।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 256 सा० (वित्त) 21–2–82 (3855) 1982–10,000 (हि०)।

lyXud&24-4

संख्या–प०क० 4601/16–11–79–9/155/79

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 1980

विषयः– स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवार को अवधारणा को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव कुछ समय से शासन के विचाराधीन था। विचारोपरांत राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे सरकारी कर्मचारी जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे का आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 9 (23 जी) के अन्तर्गत उसकी अगला देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का मौलिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जाय, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा। उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके है, उन्हें भी अन्तिम बार दी गई वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि

वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जायेगा जो पूरे सेवा काल तक मिलता रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से लागू समझे जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो या जो ऐसी कार्यवाहियों को उपेक्षानुसार निलम्बित किया गया हो, जिसे वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति दी गई हो।

2— उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपलब्ध नियमावली 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, उन्हें उक्त सुविधा देय न होगी।

3— इस संबंध में जो व्यय होगा वह उसी लेखाशीर्षक के नाम डाला जायेगा, जिससे संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी उसका वेतन ग्रहण करता है।

4— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं० जी—2—217/दस—30, दिनांक 21 फरवरी 1980 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/—
अशोक कुमार
उप सचिव।

संख्या—प०क० 4601(1)/16—11—79—9/155/79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) श्री राज्यपाल के सचिव।
(4) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ०प्र०।
(5) सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग), नई दिल्ली।
(6) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,
ह०/—
अशोक कुमार
उप सचिव।

lyXud&24-5

mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्याः12—58—78, दिनांकः जनवरी 27, 1982

सेवा में,

1— समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ०प्र०।

2— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ०प्र०।

विषयः परिवार नियोजन कार्यक्रम के अर्न्तगत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

———

पुलिस मुख्यालय परिपत्र संख्याः12—58—78, दिनांकः 4—6—81 के क्रम में शासनादेश संख्या 3/1/1981—कार्मिक—1, दिनांक 1—12—81 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

ह०/—

(बी०एल० श्रीवास्तव)

अधीक्षक,

निमित्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, हाउसिंग तथा वेलफेयर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय ''क्यू'' तथा ''ई'' के गोपनीय सहायक।

2— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय।

3— पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय।

4— पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग। विभाग—1 एवं 22 लखनऊ।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

....

l;yXud&24-6

<u>संख्या:3/1/1981—कार्मिक—I</u>

प्रेषक,

श्री मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव,
2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग—1 लखनऊः दिनांकः 1 दिसम्बर, 1981

विषयः— परिवार नियोजन कार्यक्रम के अर्न्तगत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या:3/1/1981—कार्मिक—1, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह आदेश जारी किये गये थे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अर्न्तगत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले राज्याधीन कर्मचारियों (औद्रयोगिक एवं गैर औद्रयोगिक) जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य (राज्य सरकार के अधीन कार्यरत) भी सम्मिलित हैं को कतिपय उल्लिखित शर्तो के अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2— इस दिशा मे और अधिक प्रेरणा दिये जाने तथा उपर्युक्त प्रस्तर—1 में संदर्भित वर्तमान आदेशों को और उदार बनाये जाने के प्रश्न पर प्रदेश शासन द्वारा विचार किया गया और सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित आदेशों में निम्नलिखित आशोधन किए जांयः—

1— जो सरकारी कर्मचारी पहली बार वैसेकटोमी आपरेशन कराते हैं, उनके मामलें में विशेष आकस्मिक अवकाश की गणना केवल कार्य दिवस (Working days) के संदर्भ में की जाय। विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना करते समय इय अवधि के बीच पड़ने वाले रविवारों तथा राजपत्रित अवकाशों को

ध्यान में नही रखना चाहिये।

2– जो महिला सरकारी कर्मचारी पहला आपरेशन विफल हो जाने के कारण दूसरी बार ट्यूवकटोमी आपरेशन कराती है, उनके मामलें में निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि पहला आपरेशन विफल होने के कारण दूसरा आपरेशन किया गया था, अधिक से अधिक 14 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश पुनः स्वीकृत किया जाय।

3– जिन महिला सरकारी कर्मचारियों ने अन्तरागर्भाशय गर्भ निरोधक (आई०प०डी०) युक्ति पुनः अपनाई है, उन्हें अन्तरा–गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति के पुनः प्रस्थापन के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

4– वैसेकटोमी/ट्यूबकटोमी आपरेशन के बाद उत्पन्न समस्याओं के मामलें में जहाँ अस्पताल में रहना आवश्यक नहीं है, वहाँ विशेष आकस्मिक अवकाश क्रमशः 7/14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं दी जानी चाहिये, क्योंकि ऐसे मामलों में विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि असीमित नही हो सकती है।

5– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन नसबन्दी/नस को पुनः जुड़वाने से सम्बन्धित विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले तथा बाद में जोड़ दिया जाए। परन्तु विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अथवा आकस्मिक दोनों ही प्रकार के अवकाशों से पहले जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश से पहले अथवा आकस्मिक अवकाश से पहले जोड़ा जाना चाहिये न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ। इसी प्रकार विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश अथवा नियमित अवकाश के बाद जोड़ा जाना चाहिये न कि दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ। बीच में पड़ने वाले अवकाशों और /अथवा रविवारों को नियमित अवकाशों से पहले/बाद में, जैसी भी स्थिति हो, जोड़ दिया जाना चाहिये।

3– ये संशोधित अनुदेश न केवल उन मामलों में लागू होंगे जहाँ आपरेशन उक्त अनुदेशों के जारी होने के बाद किया गया हो बल्कि उन मामलों पर भी लागू होंगे जो उक्त अनुदेशों के जारी किए जाने की तिथि को नियमन के लिए विचार किया जा रहा है।

भवदीय,
ह०–
मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव।

संख्या:3/1/1981(1)–कार्मिक–I, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के सचिव।

(3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(5) मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

ह०–

मोहन चन्द्र जोशी,

सचिव।

lyXud&24-7

संख्याःसा–4–1632/दस–85–604–82

प्रेषक,

जे०पी०सिह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं,

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 9 अक्टूबर, 1985

विषयः– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड (परिचय–पत्र) धारक सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–4–628/दस–604/82 दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के अधीन सरकारी को राज्य सरकार के अधीन 15 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की अनवरत सेवा पूर्ण कर चुकने के उपरान्त संपूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार अवकाश यात्रा सुविधा ग्राह्य है। प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से दो बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन कराने वाले लाभार्थियों को ग्रीनकार्ड दिए जाने जाने की एक विस्तृत योजना चिकित्सा अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–3258/16–11–85–6(70)/85, दिनांक 5 जुलाई, 1985 के अन्तर्गत तैयार की गयी है।

2–राज्यपाल महोदय ने चिकित्सा अनुभाग–11 द्वारा निर्गत किए उपरोक्त शासनादेश के संदर्भ में यह आदेश प्रदान किये हैं कि चिकित्सा विभाग की उपरोक्त योजना के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड (परिचय–पत्र) धारकों को उनके संपूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। ग्रीन कार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति प्रथम बार उक्त सुविधा सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही अतिरिक्त सुविधा वह प्रथम सुविधा के 4 वर्ष

पश्चात् किसी भी समय सुविधानुसार उपभोग कर सकते है।

3–ग्रीन कार्ड धारकों को अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु अन्य वे समस्त शर्ते/उपबन्ध यथावत् लागू होंगी जो कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 1 अप्रैल, 1982 एवं तत्पश्चात् समय–समय पर निर्गत किए गये शासनादेशों में निर्धारित की गयी हैं।

भवदीय,

ह०/–

जे० पी० सिंह,

सचिव।

संख्याःसा–4–1632(1)/दस–85–604–82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।

(2) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

(3) प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(5) चिकित्सा अनुभाग–11 को उनके शासनादेश संख्या–3258/16–11–85–6(70)–85 दिनांक 5 जुलाई, 1985 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

ह०/–

मोहन चन्द्र जोशी,

सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 126 सा० वित्त–17–10–85–(2289)–1985–12,000 (प्रो०)।

lyXud&24-8

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः12–58–78, दिनांकः दिसम्बर 3, 1985

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ०प्र०।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ०प्र०।

विषयः स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त परिवहन दिया जाना स्पष्टीकरण।

चिकित्सा अनुभाग–11 के शासनादेश संख्याः5329/16–11–85–9 (155)/79, दिनांक 24–10–85 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

lyXudः उपरोक्तानुसार

ह०/–

(के०पी०शुक्ला)

पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय,

निमित्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशासन), पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/पुलिस उप महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण/ पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय प्रथम एवं द्वितीय के गोपनीय सहायक।

2– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, वित्त एवं लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय।

3– पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय।

4– पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग–1 एवं 22 लखनऊ।

प्रेम/18/22

lyXud&24-9

संख्याः5329/16—11—85—9(155)/7

प्रेषक,

श्री ललित श्रीवास्तव,
विशेष सचिव, एवं
परिवार कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1—शासन के समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग—11 लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 1985

विषयः— स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाना—स्पष्टीकरण।

—————————

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—4601/16—11—79—9(155)/79, दिनांक 23—2—80 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा दो बच्चों तक अपना परिवार सीमित रखने वाले सरकारी सेवकों को कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—2 से 4 के मूल नियम 9(23)(वी) के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सुविधा दिए जाने का अन्तर्निहित उद्देश्य यह है कि सम्बन्धित सरकारी सेवक परिवार नियोजन की विधियों को अपनाते हुए अपना परिवार दो बच्चों तक सीमित रखे। ऐसे सरकारी सेवक, जिनके तीसरे बच्चे का जन्म हो गया है और सम्बन्धित सरकारी सेवक के बच्चों की संख्या तीन हो गई है, को प्रश्नगत प्रोत्साहन अनुमन्य नहीं है। अतः ऐसे सरकारी सेवक, जिसे उक्त शासनादेश अन्तर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन स्वीकृत किया जा चुका है उनके तीसरे बच्चे का जन्म हो जाने पर तीसरे बच्चे के जन्म की तिथि से प्रश्नगत प्रोत्साहन अनुमन्य न रहेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश

संख्या–प०क०–802/16–11–81–9(192)/80 दिनांक 4–4–81 द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र को संशोधित करते हुये पुनरीक्षित घोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है जिसके निष्पादित किये जाने के पश्चात् ही अतिरिक्त प्रोत्साहन की उक्त सुविधा दी जाय।

भवदीय,
ह०/–
(ललित श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्याः5329/16–11–85–9(155)/79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) श्री राज्यपाल के सचिव।
(4) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(5) सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
(6) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(10) निबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(11) निबंधक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

?kk"k.kk&i=

(40 वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले सरकारी सेवकों के लिए)

मैं श्री/श्रीमती   घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी वर्तमान आयु   वर्ष   माह है। इस समय मेरे एक/दो बच्चे हैं और इसके पूर्व मेरे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मेरी पत्नी/मेरे पति जीवित हैं। मैंने अपना अथवा अपनी पत्नी/अपने पति का नसबंदी आपरेशन दिनांक   को करा लिया है नसबंदी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। यदि इस घोषणा के बाद मेरे किसी कारणवश कोई पुत्र/पुत्री होता है तो उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को सूचित करूँगा।

मेरी पत्नी/मेरे पति, जो सरकारी सेवक है, को प्रश्नगत सुविधा नहीं मिल रही है।

दिनांक   हस्ताक्षर————————————————————

पदनाम ——————————————————

विभाग/कार्यालय का नाम——————————————————————

——————————————————————————————————

?kk"k.kk& i=

(40 वर्ष से अधिक आयु वाले उन सरकारी सेवकों के लिए जिन्होने नसबंदी आपरेशन नही कराया हो)

मैं श्री/श्रीमती घोषणा करता/करती हूँ कि इस समय आयु 40 वर्ष से अधिक अर्थात् वर्ष माह है। इस समय मेरे एक/दो बच्चे हैं तथा बच्चे/दूसरे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक अर्थात वर्ष माह है और इसके पूर्व मेरे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मेरी पत्नी/मेरे पति जीवित हैं। मेरी पत्नी/मेरे पति, जो सरकारी सेवक है, को प्रश्नगत सुविधा नहीं मिल रही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र के दिनांक के पश्चात् यदि मेरे कोई पुत्र/पुत्री होगा/होगी तो उसका विवरण मैं अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

दिनांक हस्ताक्षर————————————————————————

पदनाम ———————————————————————

विभाग/कार्यालय का नाम——————————————————————————

?kk"k.kk&i=

(40 वर्ष से अधिक कम आयु वाले उन सरकारी सेवकों के लिए जिन्होने नसबंदी आपरेशन करा लिया हो)।

मैं श्री/श्रीमती—————————————————————————————————— घोषणा करता/करती हूँ कि इस समय मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक अर्थात वर्ष माह है। मेरी पत्नी/मेरे पति जीवित हैं। मैंने एक/दो बच्चे/दूसरे बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम अर्थात वर्ष माह है और इसके पूर्व मेरे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मैने अपनी पत्नी/अपने पति का नसबंदी आपरेशन दिनांक को करा लिया है। नसबंदी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। यदि इस घोषणा पत्र के बाद मेरे किसी कारणवश कोई पुत्र/पुत्री होता है तो उसकी सूचना उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को सूचित करूँगा। मेरे पति/ पत्नि, जो सरकारी सेवक है, को प्रश्नगत सुविधा नहीं मिल रही है।

दिनांक हस्ताक्षर——————————————————————

पदनाम ——————————————————————

विभाग/कार्यालय का नाम——————————————————————————

प्रेम/23/11

l;yXud&25

संख्याः—2826/छः—पु—1—11—151/09

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग—1 लखनऊ : 20 अक्टूबर, 2011

विषय : उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय विभिन्न प्रकार के भत्तों में वृद्धि/ अन्य विसंगतियों का निवारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या—3/क— विविध—2010, दिनांकः 05—05—2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय विभिन्न प्रकार के भत्तों में निम्नानुसार वृद्धि/संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :—

1-ih-,-lh- ,ykmU l

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य पीएसी भत्ता (प्रतिमाह) रुपयो में	संशोधित पी.ए.सी. भत्ता (प्रतिमाह) रुपयो में
1.	सेनानायक	400	1600

2.	उपसेनानायक/अपरपुलिस अधीक्षक	150	600
3.	सहायक सेनानायक/स्टाफ आफिसर	150	600
4.	शिविरपाल	150	600
5.	दलनायक	100	400
6	सुबेदार मेजर	60	250
7.	सुबेदार शिविरपाल	60	250
8.	प्लाटून कमाण्डर	50	200
9.	मुख्य आरक्षी	30	150
10.	नायक	40	200
11.	लान्स नायक	30	150
12.	आरक्षी एवं समकक्ष	20	100

2-ikf"Vd vkgkj HkRrk

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता	संशोधित पौष्टिक आहार भत्ता
1.	अपर पुलिस अधीक्षक से उपनिरीक्षक एवं लिपिकीय संवर्ग	550	600
2.	हेडकांस्टेबल/कांस्टेबल	700	750
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	600	650

3-uDly {k= HkRrk

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में)	संशोधित भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	उपसेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक	—	4,500

2.	सहायक सेनानायक/पुलिस अधीक्षक	2500	3750
3.	निरीक्षक/उपनिरीक्षक/ कम्पनी कमाण्डर /प्लाटून कमाण्डर	2000	3000
4.	मुख्य आरक्षी	1000	1500
5.	आरक्षी/आरक्षी चालक	1000	1500
6.	चतुर्थ श्रेणी	800	1200

4- , l-Vh-,Q-@,-Vh-, l-

क्र० सं०	पदनाम	अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में) प्रतिमाह	संशोधित प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	अपर पुलिस महानिदेशक	—	मूल वेतन का 15
			प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
2	पुलिस महानिरीक्षक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 4500	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
3	पुलिस उपमहानिरीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
5	अपर पुलिस अधीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
6	पुलिस उपाधीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु.

			7500
7	निरीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
8	उप निरीक्षक	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
9	एस.आई.एम.	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
10	ए.एस.आई.एम.	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
11	हेड कांस्टेबल(रेडियो)	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
12	सहायक आपरेटर(रेडियो)	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
13	हेड कांस्टेबल	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
14	कांस्टेबल	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
15.	दफ्तरी	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500

5- fo'k"k vuql/kku ny ¼,l-vkbZ-Vh-½

क्र० सं०	पदनाम	अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह	संशोधित विशेष भत्ता प्रतिमाह
1.	अपर पुलिस महानिदेशक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत	मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकतम रु. 6,500
2.	पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक	तदैव	तदैव
3.	पुलिस अधीक्षक	तदैव	तदैव
4.	पुलिस उपाधीक्षक	मूल वेतन का 25 प्रतिशत	तदैव
5.	अभियोजन अधिकारी	तदैव	तदैव
6.	सहायक अभियोजन अधिकारी	तदैव	तदैव
7.	निरीक्षक	तदैव	तदैव
8.	उपनिरीक्षक	तदैव	तदैव
9.	एस०आई०(एम)	तदैव	तदैव
10.	ए०एस०आई०(एम)	तदैव	तदैव
11.	कान्स०	तदैव	तदैव
12.	फालोवर	तदैव	तदैव

¼6½ ¼i½ vijk/k 'kk[kk] vijk/k vuql/kku foHkkx ¼lhå chå lhå vkbZå Mhå½] ¼ii½ Hk"Vkpkj fuokj.k laxBu ¼iii½ vkfFkZd vijk/k vuql/kku foHkkx ¼iv½ lrdZrk vf/k"Bku] ¼v½ vfHklwpuk foHkkx] ¼vi½ lqj{kk 'kk[kk] ¼vii½ fo'k"k tkap 'kk[kk ½

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में देय विशेष वेतन (प्रतिमाह)	वर्तमान में देय विशेष सेवा भत्ता (प्रतिमाह)	अनुमन्य विशेष वेतन/विशेष सेवा भत्ता का योग (प्रतिमाह)	संशोधित विशेष वेतन
1.	पुलिस अधीक्षक,	800	–	800	विशेष वेतन एवं विशेष सेवा भत्ता के रूप में अनुमन्य कुल धनराशि के 04 गुना के बराबर विशेष वेतन के नाम से अनुमन्य किया जाता है।
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	500	–	500	
3.	पुलिस अधीक्षक	200	200	400	
4.	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	200	200	400	
5.	अभियोजन अधिकारी	200	200	400	
6.	निरीक्षक नागरिक पुलिस	150	170	320	
7.	उपनिरीक्षक	120	150	270	
8.	निरीक्षक(एम०)गोपन निवंधक	150	170	320	
9.	निरीक्षक(एम०)गोपनीय सहायक	150	170	320	
10.	एस०आई०(एम०)प्रधान लिपिक/ व०लि०	120	150	270	
11.	एस०आई०(एम) स्टेनो	120	150	270	
12.	एस०आई०(एम०) फोटोग्राफर/ वीडियोमैन	120	150	270	
13.	एस०आई०(एम०)	30	50	80	
14.	हे०कान्स०ना०पु०	30	50	80	
15.	हे०कान्स०एमटी०	30	50	80	
16.	आरक्षी ना०पु०/स०पु०	30	40	70	
17.	आरक्षी चालक	30	40	70	

7- onhl vu|j{k.k HkRrk

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी अनुरक्षण भत्ता (रुपयो में)	संशोधित वर्दी अनुरक्षण भत्ता (रुपया में)
1	प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारी	120	300
2	पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी	30	150

8- onhl HkRrk

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता (रुपयो में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रुपया में)
1	पुलिस बल के कार्मिक	भर्ती के समय रु. 1500/– एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रु. 1500	भर्ती के समय रु. 6000/– एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रु. 6,000/

9- onhl Áfr ifrl HkRrk

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष (रुपयो में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रुपया में)
1	पुलिस बल के समस्त हेड कांस्टेबल/ समतुल्य पद एवं कांस्टेबल/समतुल्य पद	1200	भर्ती के समय रु. 4,800/ एवं प्रतिवर्ष रु. 1,800/

10- pr|Fkl J.kh dfel;k dk onhl HkRrk ,o uohuhdj.k HkRrk

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष (रुपयो में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रुपया में)
1	पुलिस बल के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रथम बार रु 1,000/ तथा प्रतिवर्ष रु. 800/	प्रथम बार रु. 4,000/ एवं प्रतिवर्ष रु. 1200/

11- vkj{kh pkyd

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य चालन भत्ता प्रतिमाह (रुपयो में)	संशोधित चालन भत्ता प्रतिमाह (रुपया में)
1	आरक्षी चालक	30	300

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–26 के लेखा शीर्षक '2055–पुलिस आयोजनेत्तर' के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षकों के अधीन सुसंगत मद के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–जी–1–608/दस–2011, दिनांक 20–10–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

ह०/–
भवदीय,
(लीना जौहरी)
सचिव।

संख्याः 2826/छः–पु–1–11–151/09 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकर, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अपर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12 (तीन प्रतियों में)/वित्त सामान्य अनुभाग–
   (तीन प्रतियों में)
4. गृह (पुलिस) अनुभाग–7
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह०/–
(सुशील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

l;yXud&25-2

<u>संख्या–2790/6–पु०–7–2011–88/2011</u>

प्रेषक,

जवाहर लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2011

विषयः छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ को आर०ए०एफ० की तर्ज पर गठित दंगानिरोधी विशिष्ट बल "रैपिड रिस्पांस फोर्स" के लिये वर्दी तथा दंगानिरोधी उपकरणों की आवश्यकता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–दो–43–2011, दिनांक 09 जून, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ को आर०ए०एफ० की भांति गठित दंगानिरोधी विशिष्ट बल "रैपिड रिस्पांस फोर्स" के लिये संलग्न तालिका में उल्लिखित वर्दी वस्तुओं के क्रय हेतु रु. 36,61,000/– (रुपये छत्तीस लाख इकसठ हजार मात्र) तथा दंगानिरोधी उपकरणों के क्रय हेतु रु. 99,52,200/– (रुपये निन्यानबे लाख बावन हजार दो सौ मात्र) कुल रु. 1,36,13,200/– (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख तेरह हजार दो सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निम्न शर्तो के अधीन निर्णय लिया गया हैः

(1) वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत नियमों एवं शासनोदशों/निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त वर्दी वस्तुओं / उपकरणों/ सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री के क्रय से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री की आपूर्ति भारत सरकार अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत वर्दी वस्तुओं/उपकरणों/सामग्री का प्रोफार्मा इन्वायस प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। क्रय किये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में केता इकाई/उ०प्र० पुलिस मुख्यालय पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

ह०/–

(जवाहर लाल)

उप सचिव।

संख्या–2790(1)/6–पु०–7–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा/आडिट,प्रथम, उ०प्र० एवं उत्तरांचल राज्य, इलाहाबाद।

2– पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।

3– अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ०प्र०, लखनऊ।

4– संबंधित पुलिस/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।

5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इन्दिरा भवन, इलाहाबाद।

6– वित्त(ब्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12/मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–2

7– वित्त(आय–ब्ययक) अनुभाग–1/2

8– गार्ड फाइल हेतु/समायोजन समीक्षा अधिकारी।

भवदीय,

ह०/–

(जवाहर लाल)

उप सचिव।

l;Xud&26

<u>संख्या 1142 पी/छः–पु–6–09–500(56)/98</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊःदिनांकःजुलाई 02,2009

विषय– पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक के साथ मिलने वाले आर्थिक भत्तों की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या जी0आई–15 पी/छः–पु–6–500(56)/98 दिनांक 4.9.2000 को आंशिक रूप से संधोधित करते हुये तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/04/08–पीएमए दिनांक 8 सितम्बर, 2008 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त परिपत्र में भारत सरकार द्वारा संस्तुत पुलिस के राजपत्रित व अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 8 सितम्बर,2008 से निम्नांकित बढ़ी हुई दरों पर पदक भत्ते का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैः–

(1)	वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक	रु. 1500/–प्रतिमाह
(2)	वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार	रु. 1500/–प्रतिमाह
(3)	वीरता के लिये पुलिस पदक	रु. 900/–प्रतिमाह
(4)	वीरता के लिये पुलिस पदक का बार	रु. 900/–प्रतिमाह

2– इस मद से संबंधित व्यय लेखाशीर्षक ''2055–पुलिस–आयोजनेत्तर– 109–जिला पुलिस–03–जिला पुलिस (मुख्य)–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे

डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या जी–1–472/इस–2009 दिनांक 2.7.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह०/–

(राजेन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद

2– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12

3– गृह (पुलिस) अनुभाग–1/7

4– गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग– 1/2

5– निदेशक पेंशन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

6– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

7– अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ह०/–

(रामहित)

अनु सचिव

lokfuoRr@lok dk nkjku er ifyl vf/kdkjh@depkjh dk vkfJr dk i{k
ea vo'k"k n;k@lgk;rk l lEcfU/kr pd fyLVA

क्रमांक	अवशेष देयों / सहायता का विवरण	किस स्तर से कार्यवाही होनी है
1–	पारिवारिक पेंशन	पुलिस मुख्यालय. इलाहाबाद
2–	अवशेष वेतन का भुगतान	जनपद / इकाई
3–	उपार्जित अवकाश का भुगतान	जनपद / इकाई
4–	जी०पी०एफ० धन का भुगतान	जनपद / पुलिस मुख्यालय
5–	जी०पी०एफ० से सम्बद्ध बीमा का भुगतान	जनपद / पुलिस मुख्यालय
6–	सामूहिक बीमा धन का भुगतान	जनपद / इकाई
7–	असाधारण पेंशन / उपादान	पुलिस मुख्यालय
8–	अनुग्रह धनराशि	पुलिस मुख्यालय / शासन
9–	अनुकम्पा कोष से आर्थिक सहायता	पुलिस मुख्यालय
10–	पुलिस वेलफेयर फण्ड से सहायता	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
11–	उ०प्र० पुलिस आर्म्ड फोर्सेज / सहायता	शासन संस्थान से सहायता
12–	पुलिस बेनीफिट फण्ड से भुगतान	जनपद / पुलिस मुख्यालय
13–	पुलिस पर्सनल दुर्घटना बीमा का भुगतान	पुलिस मुख्यालय
14–	मृतक आश्रित को सेवायोजित किया जाना	पुलिस मुख्यालय

मद सं० 1 से 6 तक सामान्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु इसके अतिरिक्त मद संख्या 7 से 14 तक सेवा के दौरान जिन अधिकारी / कर्मचारी की मृत्यु होती है, उनके लाभार्थ / देयक।